

103rd वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2024-25

नैनीताल बैंक NAINITAL BANK



अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों.

बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आपसे पहली बार संवाद करना और वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए हर्ष का विषय है। मैं अपने पूर्ववर्ती श्री कृष्णमाचारी नरसिम्हाचारी के योगदान को भी सम्मानपूर्वक स्वीकार करता हूँ, जिन्होंने लगभग चार वर्षों तक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवा प्रदान की।



भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसने समय—समय पर वैश्विक अनिश्चितताओं एवं अस्थिरताओं के बीच अपनी मजबूत क्षमता और संकट से उबरने की क्षमता को प्रदर्शित किया है। हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ घरेलू मांग, ग्रामीण खपत में पुनः वृद्धि, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि, प्रौद्योगिकी में प्रगति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग तथा अवसंरचना में निरंतर निवेश के कारण स्थिर, निरंतर और संतुलित विकास की ओर अग्रसर है।

सरकार द्वारा समय पर नीतियों का तर्कसंगतीकरण, घरेलू मांग एवं खपत में वृद्धि, सक्षम सुशासन, सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी से वित्तीय प्रबंधन, नई पहलों की शुरुआत, तथा कॉरपोरेट एवं बैंकों की मजबूत वित्तीय स्थिति, ये सभी प्रमुख कारक हैं जिन्होंने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटने में सहायक भूमिका निभाई है। इन सभी प्रयासों ने निवेश अवसरों के प्रचार—प्रसार और पूँजी बाजार में वृद्धि के मार्ग को प्रशस्त किया है। एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, तीव्र गित से बदलते भू—राजनीतिक परिदृश्यों और अप्रत्याशित बाहरी आर्थिक चुनौतियों के विरुद्ध सुधारात्मक कदम उठाने हेतु सतत निगरानी आवश्यक है।

जैसे—जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और दीर्घकालीन संभावनाओं में उत्कृष्टता प्रदर्शित कर रही है, आपका बैंक अपनी भौतिक एवं डिजिटल उपस्थिति का विस्तार करके, ग्राहक अनुभव को और सुदृढ़ बनाकर, नई सहभागिताएँ स्थापित करके तथा ब्रांड निर्माण के माध्यम से, उत्तरी भारत के एक सशक्त बैंक के रूप में स्वयं को स्थापित करने हेतु अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है। अपने 104वें वर्ष में प्रवेश करते हुए हमने बदलती परिस्थितियों तथा उभरती आवश्यकताओं एवं अवसरों के अनुरूप स्वयं को ढालने और सेवा प्रदान करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की है तथा पूरी यात्रा के दौरान सतत बने रहने का सामर्थ्य सिद्ध किया है। हम इस यात्रा को निरंतर जारी रखते हुए, सभी हितधारकों हेतु दीर्घकालिक एवं सतत

Chairman's Message

Dear Shareholders,

It is a pleasure to address you for the first time as the Chairman of the Board and present the Annual Report of your Bank for the Financial Year 2024-25. I also acknowledge the contribution of my predecessor, Mr. Krishnamachari Narasimhachari, who served as Chairman of the Board for almost 4 years.

The Indian economy is one of the fastest growing economies and, time and again, it has demonstrated resilience amid global uncertainties and volatility. Our economy is witnessing robust domestic demand, a rebound in rural consumption, increased public capital expenditure, technological advancements, the use of artificial intelligence and continuous investment in infrastructure, supporting sustained growth.

Timely intervention of our government in rationalizing policies, increasing domestic demand & consumption, good governance, fiscal prudence, new initiatives and strong financials of corporates and banks are some of the important factors that help navigate global economic uncertainties. All these efforts have paved the way for canvassing investment opportunities and growth in capital markets. As a prudent measure, close monitoring is required to take corrective actions against rapidly changing geopolitical affairs and external economic surprises.

As the Indian economy is witnessing steady growth and has excellent long-term potential, your Bank seeks to pursue opportunities by expanding its physical and digital presence, enhancing customer journeys, new collaborations and brand creation to establish itself as a strong Bank of the northern region of India. As the Bank marks its 104th year, we have demonstrated our strength to adapt and serve emerging needs and opportunities and to remain sustainable during our entire journey. We look forward to continuing this journey and driving sustainable value creation for all our stakeholders. We aim towards building a sustainable growth model with a focus on continuous



मूल्य निर्माण की दिशा में अग्रसर रहने की आशा करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा सतत विकास मॉडल तैयार करना है, जो सभी हितधारकों को निरंतर लाभ प्रदान करने पर केंद्रित हो।

आपके निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन सक्षम सुशासन प्राप्त करने की दिशा में एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं जो दक्षता एवं स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है तािक बैंक की प्रगति में निष्पक्ष एवं उत्तरदायी योगदान दिया जा सके। बोर्ड स्तर पर उच्च गुणवत्ता वािली चर्चाओं एवं सूचना—साझीकरण को सुनिश्चित करना तथा प्रकटीकरण में पारदर्शिता बनाए रखना, बोर्ड की प्रमुख प्राथमिकताओं में शािमल है। आपका निदेशक मंडल निरंतर कॉरपोरेट गवर्नेंस की प्रतिबद्धता का पालन कर रहा है, जहाँ विभिन्न नीितयाँ एवं रूपरेखाएँ नियामकीय परिवेश एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जा रही हैं, जो हमें जोिखम प्रबंधन, ऑडिट एवं नियामकीय अनुपालन पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्रभावी निगरानी बनाए रखने में सहायक हैं तथा साथ ही स्वाभाविक वृद्धि में भी योगदान करती हैं।

बोर्ड और इसकी विभिन्न समितियाँ वर्ष भर समय—समय पर बैठकें आयोजित करती हैं, जिनमें बैंक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों का मूल्यांकन कर सुधारात्मक सुझाव दिए जाते हैं, ताकि आपका बैंक बाहरी घटनाओं के उतार—चढ़ाव का सामना करने के लिए सक्षम और तैयार रह सके। निदेशक मंडल जमाकर्ताओं, कर्मचारियों एवं अन्य सभी हितधारकों के हितों की रक्षा हेतु सर्वोत्तम मानकों को सुनिश्चित कर रहा है एवं उन्हें अपनाने की दिशा में कार्यरत है।

इस अवसर पर, मैं अपने साथी निदेशक मंडल के सदस्यों, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा नैनीताल बैंक की प्रबंधन टीमों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बैंक को निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने हेतु सराहनीय प्रयास किए हैं। मैं हमारे सभी स्टाफ सदस्यों के निरंतर समर्पण के लिए अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने रणनीतियों के अनुरूप स्वयं को ढालते हुए बैंक को अपने वादों को पूरा करने में सक्षम बनाया है।

में हमारे ग्राहकों, निवेशकों, नियामकों तथा सभी हितधारकों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बैंक के फंडामेंटल्स को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर मार्गदर्शन दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि हमारा बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति में भी अपना योगदान दे सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके सशक्त सहयोग से बैंक निरंतर तेजी से नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर होगा और उत्तरी भारत क्षेत्र का एक मजबूत एवं विश्वसनीय बैंक के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा।

गोपाल सिंह गुंसाई अध्यक्ष returns for all our stakeholders.

Your Board of Directors and Senior Management have a focused approach towards attaining good governance, which ensures competency and independence to contribute objectively and responsibly towards the Bank's progress. Ensuring quality discussions and information sharing at the Board level, and transparency in the disclosures have been the priority of the Board. Your Board is continuously adhering to the commitment of corporate governance, where various policies and frameworks are being aligned with the regulatory environment and business needs, which helps us in maintaining oversight over risk management and audit & compliances through various channels and also contributes towards organic growth.

The Board and its various Committees meet throughout the year to evaluate and suggest improvements in various aspects of critical importance to the Bank, and to ensure that your Bank is well-placed to face up to the ebbs and flows of external events. The Board of Directors is ensuring & adopting the best standards to look after the interests of depositors, employees and all other stakeholders.

On this occasion, I extend my gratitude and appreciation to my fellow Board members, Bank of Baroda and Nainital Bank's Management Teams, for the efforts put in towards taking the Bank on the path of steady progress. I also place on record my sincere appreciation for the continued dedication of all our staff members in aligning with the strategies and enabling the Bank to deliver on the promises.

I also express my sincere thanks to our customers, investors, regulators and all the stakeholders who have constantly guided us in strengthening the Bank's fundamentals and to ensure that we also contribute towards the growth of the Indian economy. I am sure, with your strong support, the Bank will continue to move to newer heights at a faster pace and establish itself as a fundamentally strong Bank of the Northern Region of India.

Gopal Singh Gusain Chairman



प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

प्रिय शेयरधारकों.

सौ वर्ष से अधिक पुरानी इस संस्थान से जुड़ना एवं इसका नेतृत्व करना मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। मैं अपने सभी हितधारकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ तथा यह आश्वासन एवं प्रतिबद्धता देता हूँ कि हम पूर्ण निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ सेवा करते रहेंगे।

हम बैंक को एक कुशल,अनुकूलनीय एवं सशक्त संस्था में रूपांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे यह बाजार, विनियमन, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा ग्राहक आवश्यकताओं में होने वाले परिवर्तनों के बीच भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। हमारा सतत प्रयास बैंक को एक ग्राहक—केंद्रित संस्था में परिवर्तित करने का है, जो हमारी लम्बे समय से चली आ रही विरासत, विश्वास, सत्यनिष्ठा, मूल्य एवं संस्कृति पर आधारित हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारा ध्यान निम्न बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा— आर्गेनिक व्यवसायिक वृद्धि, तीव्र एवं पारदर्शी निर्णय—प्रक्रिया, फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग द्वारा प्रौद्योगिकी इनोवेशन एवं उपग्रडेशन, व्यवसायिक गतिशीलता, प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण, ऑटोमेशन के लिए इंटीग्रेटेड समाधान ताकि मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके, सभी नियामकीय उपेक्षाओ का पूर्ण अनुपालन। इन प्रयासों के माध्यम से नैनीताल बैंक को एक सशक्त और प्रौद्योगिकी—सक्षम बैंक के रूप में स्थापित किया जाएगा।

बैंक सर्वोच्च मानकों वाले कॉरपोरेट गवर्नेंस को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा बैंक द्वारा एक सुदृढ़ जोखिम संतुलित रूपरेखा लागू की हुई है। यह रूपरेखा जोखिमों की सिक्रिय पहचान, मूल्यांकन और निवारण सुनिश्चित करती है। साथ ही, यह पारदर्शी निर्णय—प्रक्रिया, प्रभावी जोखिम प्रबंधन और संगठन के प्रत्येक स्तर पर नैतिक आचरण को भी सुनिश्चित करती है। हमने उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठा और नियामकीय आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट नीतियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं। इसके अतिरिक्त, आचरण संहिता उन सिद्धांतों और मूल्यों को भी रेखांकित करती है जो हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं तथा यह सुनिश्चित करती है कि हम ईमानदारी, पारदर्शिता एवं सभी हितधारकों के प्रति सम्मान के साथ कार्य करें।

पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन (ईएसजी) एकीकरण वित्तीय क्षेत्र में तीव्र गति से लोकप्रिय हो रहा है, जहाँ विभिन्न नियामकीय पहलें स्थिरता—आधारित शासन एवं पारदर्शिता को प्रोत्साहित कर रही हैं। बैंक अपनी रणनीति, नीतियों एवं निर्णयों को निरंतर विकसित हो रहे

Managing Director & Chief Executive Officer Message



Dear Shareholders,

It is a profound honor to be associated with and to lead a century-old institution and I express my heartfelt gratitude to all our stakeholders with an assurance and commitment to serve with utmost sincerity and sensitivity.

We are committed to transforming the Bank into an agile, adaptive and resilient institution, enabling it to thrive amidst changes in the market, regulation, technology, security and customer demands. Our constant endeavor is to transform into a customer centric institution, built upon our longstanding legacy, trust, integrity, values, culture. To achieve this goal, we will be focusing on organic business growth, faster and transparent decisions, collaboration with fintech companies for technology innovation & upgradation and business mobilization, training; skilling and capacity building, integrating solutions for automation to optimize human capital and adherence to all regulatory requirements to brand Nainital Bank as a Resilient and Tech Savvy Bank.

The Bank is also committed to upholding the highest standards of corporate governance and has in place a robust risk moderation framework. This framework ensures proactive identification, assessment, and mitigation of risks. It also ensures transparent decision-making, effective risk management, and ethical conduct across all levels of the organization. We have established policies and procedures to ensure accountability, integrity, and compliance with regulatory requirements. The Code of Conduct also outlines the principles and values that guide our actions, ensuring that we operate with integrity, transparency, and respect of all stakeholders.

Environmental, Social and Governance (ESG) integration have gained popularity in the financial sector, with various regulatory developments urging for sustainability-related governance and transparency. The Bank remains actively engaged,



ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन) मानकों के अनुरूप बनाए रखने हेतु सक्रिय है। हाल ही में बैंक ने 'प्रोजेक्ट अवनि' की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से हमारे परिचालन एवं कार्यसंस्कृति में सर्वश्रेष्ठ सतत प्रथाओं को अपनाने एवं आत्मसात करने का लक्ष्य है।"

वित्तीय वर्ष 2025 में बैंक ने व्यवसाय की दृष्टि से सीमित वृद्धि दर्ज की। हमारा मुख्य फोकस आर्गेनिक धन वृद्धि के लिए अवसरों और चौनेलों के माध्यम से मोमेंटम बढ़ाना, कम लागत वाले CASA जमा को मोबिलाइस करना, बड़े संस्थानों / कंपनियों / उच्च—नेटवर्थ व्यक्तियों द्वारा जमाओं में क्रमिक कमी लाना तथा हमारे परिचालन व्यय को घटाने पर केंद्रित करना है।" हाल ही में, बैंक ने अपनी मोबाइल बैंकिंग सेवा "नैनी नियो" लॉन्च की है, जिससे बैंक की डिजिटल उपस्थिति को सुदृढ़ किया जा सके और हमारे सम्मानित ग्राहकों को निर्बाध एवं आध्रानिक डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें।

भविष्य में हम जमाओ और अग्रिमों की वृद्धि पर केंद्रित और अनुशासित रहेंगे तथा लाभप्रदता सुनिश्चित करने हेतु ग्राहक—केंद्रित और विवेकपूण् दिल्टिकोण अपनाते रहेंगे। हम प्रौद्योगिकी, इनोवेशन, मानव संसाधन एवं शाखा नेटवर्क के विस्तार में निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तािक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रह सकें। साथ ही, हम अपने जोखिम प्रबंधन, ऑडिट और अनुपालन रूपरेखाओं को लगातार सुदृढ़ करते रहेंगे, तािक हमारी ग्रोथ उत्तरदायी और टिकाऊ बनी रहे। हम बैंक की विकास एवं लाभप्रदता—आधारित यात्रा को सुनिश्चित करते हुए भविष्य की सफलता के लिए एक मजबूत आधारिशला रखने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

हम सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़संकल्पित हैं।

> सुशील कुमार लाल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

aligning its strategy, policies and decisions with the evolving standards of ESG and recently our Bank has launched Project Avni, which will inculcate and imbibe best sustainable practices in our operations and personal cycle.

In fiscal 2025, we witnessed marginal growth in terms of business. Our primary focus is to create momentum, opportunities & channels for organic credit deployment, mobilizing low-cost CASA deposits, gradual reduction of bulk deposits and to drive down our operating cost. Recently, Bank has launched its Mobile Banking - Naini Neo to enhance its presence in digital space and to provide seamless digital service to our esteemed customers.

Going forward, we will remain focused and disciplined for growth of deposit & advance and will continue to have a customer-centric and judicious approach to reap profits. We will continue to invest in technology, innovation, human resources, and the expansion of branch networks to remain competitive in the market. We will be continuously strengthening our risk, audit, and compliance frameworks, to ensure that our growth remains responsible and sustainable. We will ensure the growth and profitability-driven journey of the Bank to lay a strong foundation for future success and sustainability.

We remain steadfast in our commitment to enduring value creation for all our stakeholders.

Sushil Kumar Lal Managing Director & Chief Executive Officer



निदेशक मंडल Board of Directors



N. K. Chari Non-Executive Chairman (Upto 07.06.2025)



Gopal Singh Gusain Non-Executive Chairman



Nikhil Mohan Managing Director & CEO (Upto 05.04.2025)



Sushil Kumar Lal Managing Director & CEO



Kuldeep SinghExecutive Director



Binita Shah Non-Executive Independent Director



Manoj Sharma Non-Executive Independent Director



U. C. Nahta Non-Executive Independent Director



Neelam Damodharan Non-Executive Independent Director



Rakesh Nema Non-Executive Non Independent Director



Manas Ranjan Biswal Non-Executive Independent Director



Manish Kaura Non-Executive Non Independent Director



कार्यकारी अधिकारी / Executives



Dr Deepak PantChief Operating Officer



Mahesh Kumar Goyal Chief Financial Officer



Deepak Singh Bisht Chief Technology Officer



Rahul Pradhan
Vice President & Regional Head
Haldwani Region



Dayal Singh Rawat
Vice President & Regional Head
Delhi Region



Mukul Sanwal
Vice President & Regional Head
Dehradun Region



Kailash Chandra Pandey Chief Compliance Officer



Mohd Mohsin Islam Chief Risk Officer



Punkaj Tondon AVP & CIV



Deepak Sanwal AVP & Head-CIAD



Gaurava Sharma Chief Digital Officer



Deepak Rautela AVP & CISO



Anil Kumar Joshi AVP & Head-Recovery



Hemant Kumar Khulbe AVP & Head-HRM



Abhishek Goyal AVP & Head- Credit



Mohit Agarwal
AVP & Head- CRIsMAC



Manoj Dalakoti AVP & Head-CRM



Sharad Kumar AVP & Head- Operations



विषय-सूची CONTENTS

निदेशक	मंडल	की	रिपोर्ट	8	Report of the Board of Directors

- बेसल-III पिलर-3 प्रकटीकरण 87 Basel-III Pillar-3 Disclosures
- 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन—पत्र 120 Balance Sheet as on 31st March 2025
- 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ और हानि खाता 121 Profit & Loss Account for the Year Ended 31st March, 2025
- 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण 122 Statement of Cash Flow for the Year Ended 31st March, 2025
 - तुलन—पत्र की अनुसूचियां 123 Schedules to Balance Sheet
 - खातों पर टिप्पणियां 139 Notes on Accounts
 - हमारी शाखायें 200 Our Branch Network



निदेशक मंडल की रिपोर्ट की 103^{वी} रिपोर्ट (2024–25)

प्रिय सदस्यों.

आपके बैंक के निदेशक, वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए लेखा परीक्षित तुलनपत्र, लाभ हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरणी, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा व्यवसाय व परिचालन विवरणी के साथ बैंक की 103वीं रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते है।

कार्य निष्पादन के महत्वपूर्ण संकेतः

- बैंक का कुल कारोबार जो 31.03.2024 को ₹ 13,086.87 करोड़ था, जो दिनांक 31.03.2025 को बढ़कर ₹ 13,225.68 करोड़ हो गया, जो 1.06% की वार्षिक बढोतरी को दर्शाता है।
- दिनांक 31.03.2025 को बैंक का सकल अग्रिम दिनांक 31.03.2024 के ₹ 4,819.13 करोड़ की तुलना में 3.13% की वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़कर ₹ 4,969.86 करोड़ रहा।
- बेंक की कुल जमा राशि दिनांक 31.03.2024 के ₹ 8267.75 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2025 को 0.14% की मामूली कमी के साथ घटकर ₹ 8,255.82 करोड़ रही।
- दिनांक 31.03.2025 तक कम लागत वाली जमाराशि का हिस्सा 41.47% रहा।
- दिनांक 31.03.2024 तक बैंक का ऋण—जमा अनुपात—सी.डी. अनुपात 58.29% की तुलना में दिनांक 31.03.2025 को 60.20% रहा।
- दिनांक 31 मार्च, 2025 तक बैंक की निवल स्वामित्व निधि ₹ 837.34 करोड़ रही।
- दिनांक 31.03.2024 को जमाराशि की लागत 4.85% से बढ़कर
 दिनांक 31.03.2025 को 5.04% रही।
- दिनांक 31.03.2024 को अग्रिम पर लाभ 9.05% की तुलना में दिनांक 31.03.2025 को 8.94% रहा।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित स्तर न्यूनतम 40% की तुलना में समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 50.82% रहा।
- अ31 मार्च, 2024 को बैंक का परिचालन लाभ ₹ 107.28 करोड़ के मुकाबले दिनांक 31 मार्च, 2025 को ₹ 89.03 करोड़ रहा।
- दिनांक 31 मार्च, 2025 को बैंक का शुद्ध लाभ दिनांक 31 मार्च, 2024 के शुद्ध लाभ ₹ 47.10 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 50.61 करोड़ हो गया।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसल—III के मानदंडों के अनुसार पिछले वर्ष के 15.22% के मुकाबले 16.76% रही। दिनांक 31.03.2025 को कुल पूंजी पर्याप्तता में से टियर—I पूंजी 15.84% और टियर—II पूंजी 0.92% रही।
- पिछले वर्ष के सकल अग्रिमों पर सकल एनपीए 8.29% की तुलना
 में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक घटकर 7.78% हो गया।

103rd REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS (2024-25)

Dear Members,

The Directors of your Bank feel immense pleasure in presenting the 103rd Annual Report of the Bank along with statement of the Audited Balance Sheet, Profit & Loss Account, Cash-Flow Statement, Auditor's Report and the Report on Business and Operations for the Financial Year 2024-25.

KEY PERFORMANCE INDICATORS:

- ➤ Total Business of the Bank which was ₹ 13,086.87 crores as on 31.03.2024 increased to ₹ 13,225.68 crores as on 31.03.2025, showing annualized growth of 1.06%.
- For Gross Advances of the Bank increased from ₹ 4,819.13 crores as on 31.03.2024 to ₹ 4,969.86 crores as on 31.03.2025, registering annualized growth of 3.13%.
- ➤ Total Deposits of the Bank marginally decline from ₹ 8267.75 crores as on 31.03.2024 to ₹ 8,255.82 as on 31.03.2025 registering a marginal de-growth of 0.14%.
- Share of low cost deposit stood at 41.47% as on 31.03.2025.
- Credit to Deposit -C.D. Ratio of the Bank stood at 60.20% as on 31.03.2025 as against 58.29% as on 31.03.2024.
- Bank's Net Worth stood at ₹ 837.34 crores as on March 31st, 2025.
- The Cost of Deposit increased to 5.04% as on 31.03.2025 from 4.85% as on 31.03.2024.
- Yield on Advances was 8.94% as on 31.03.2025 in comparison to 9.05% as on 31.03.2024.
- Priority Sector Lending stood at 50.82% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against RBI stipulation of minimum 40%.
- Operating Profit of the Bank stood at ₹ 89.03 crore as on 31st March, 2025 against ₹ 107.28 crore as on 31st March, 2024.
- Net Profit of the bank increased to ₹ 50.61 crore as on 31st March, 2025, against Net Profit of ₹ 47.10 crore as on 31st March, 2024.
- ➤ The Capital Adequacy under Basel-III norms stood at 16.76% as against 15.22% last year. Out of the Total Capital Adequacy, Tier –I Capital was 15.84% and Tier II Capital was 0.92% as on 31.03.2025.
- Gross NPA to Gross Advances stood at 7.78% as on March 31st, 2025 as against 8.29% last year.

Directors' Report



- शुद्ध अग्रिमों पर शुद्ध एनपीए पिछले वर्ष के 0.94% की तुलना में घटकर 0.56% हो गया।
- शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पिछले वर्ष के 3.53% की तुलना में 3.30% रहा।
- आस्तियों पर औसत आय पिछले वर्ष के 0.52% की तुलना में 0.61% रहा।
- प्रित कर्मचारी व्यवसाय पिछले वर्ष के ₹ 10.79 करोड़ की तुलना में बढकर ₹ 10.81 करोड़ हो गया।
- प्रित शेयर बही मूल्य, पिछले वर्ष ₹ 66.14 के मुकाबले दिनांक 31 मार्च, 2025 को बढ़कर ₹ 71.30 हो गया।
- दिनांक 31 मार्च, 2025 को प्रति शेयर आय (ईपीएस) पिछले वर्ष के ₹ 4.01 की तुलना में ₹ 4.31 रही।
- 🕨 वित्तवर्ष २०२४–२५ में दो (०२) नई शाखाएँ खोली गईं।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

आगामी अविध में वैश्विक वृद्धि को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो मुख्य रूप से व्यापार से संबंधित टैरिफ अवरोधों, तीव्र मुद्रा उतार—चढ़ाव तथा निवेश एवं पूंजी प्रवाह में असंतुलन जैसे कारकों से उत्पन्न होंगी। व्यापार युद्धों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2025 में वैश्विक जीडीपी पर 30 से 50 आधार अंकों तक की गिरावट का खतरा बना हुआ है। निकट भविष्य में भी व्यापारिक तनाव और नीतिगत अनिश्चितताएँ वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर दबाव बनाए रखेंगी।

वर्ष 2024 के दौरान वैश्विक आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत स्थिर रही। विश्व जीडीपी में 60% से अधिक योगदान करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में चुनाव और राजनीतिक बदलावों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार, वर्ष 2024 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 3.2% रही, जबिक वर्ष 2023 में यह 3.3% दर्ज की गई थी। यद्यपि समग्र रूप से वैश्विक वृद्धि स्थिर रही, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों और देशों के बीच उल्लेखनीय अंतर देखने को मिले।

वर्ष 2025 में वैश्विक मुद्रास्फीति के 4.3% तक सीमित रहने का अनुमान है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति दर लक्ष्य स्तर के निकट पहुँचने की उम्मीद है, जबिक उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह अपेक्षाकृत अधिक बनी रह सकती है। यद्यपि मुद्रास्फीति की संभावनाओं में सुधार हुआ है, परंतु शुल्क (टैरिफ) लगाए जाने के प्रभाव देशों के बीच अलग—अलग होंगे। व्यापार शुल्क आपूर्ति आघात की तरह कार्य कर रहे हैं, जिससे शुल्क लगाने वाले देशों में उत्पादन लागत बढ़ेगी और उत्पादकता घटेगी। दूसरी ओर, जिन देशों पर शुल्क लगाए जाते हैं, वहाँ नकारात्मक माँग देखने को मिलेगा, क्योंकि निर्यात की माँग कम होगी और कीमतों पर नकारात्मक दबाव पड़ेगा। व्यापार में अनिश्चितता ने व्यवसायों के लिए माँग पर और अधिक दबाव पैदा किया है, जिससे वित्तीय परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो सकती हैं और विनिमय दर में अस्थिरता बढ़ सकती है। बढ़ती शुल्क प्रतिबंधों के कारण वैश्विक व्यापार

- Net NPA to Net Advances stood at 0.56% in comparison to last year's 0.94%.
- Net Interest Margin (NIM) stood at 3.30% in comparison to last year's 3.53%.
- Average Return on Assets stood at 0.61% in comparison to last year's 0.52%.
- Business per Employee increased to ₹ 10.81 crore in comparison to last year's ₹ 10.79 crore.
- Book Value per Share increased to ₹ 71.30 as on March 31st, 2025 as against ₹ 66.14 last year.
- Earnings per Share (EPS) stood at ₹ 4.31 as on March 31st, 2025 as against ₹ 4.01 last year.
- Opened two (02) new branches in the F.Y. 2024-25.

Global Economy

Global growth is likely to face significant headwinds going ahead emanating from overlapping factors of trade-related tariff barriers, rapid currency swings and fractured capital/investment flows. Factoring in the impact of trade wars, global GDP may see a downside of 30 to 50 bps in 2025 in a baseline scenario. In the foreseeable future, global economic activity looks poised to be further impacted by trade tensions and policy uncertainties.

Global growth in 2024 remained steady with economies that contribute over 60% to the world GDP witnessing election. According to the IMF's World Economic Outlook, global GDP growth was solid at 3.2% in 2024 compared with 3.3% in 2023. Despite stable global growth, significant differences have been noted across various countries and regions. The ongoing geopolitical conflict in the Middle East and extreme weather conditions resulted in some disruptions and had an adverse impact on emerging and developing economies.

Global inflation is projected to moderate to 4.3% in 2025, with inflation in advanced economies expected to converge to the target mark compared with emerging market and developed economies. Even as the inflation outlook has improved, the effects of tariffs impositions will vary across countries. Trade tariffs act as a supply shock with countries imposing the tariffs experiencing higher unit costs and lower productivity. On the other hand, tariffed countries are expected to face negative demand shock as export demand will be lower and there will be downward pressure on prices. The trade uncertainty has also added a layer of demand shock for businesses and these could result in tighter financial conditions along with higher exchange rate volatility. The global trade growth is



वृद्धि दर में और अधिक सुस्ती आने की संभावना है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय आर्थिक परिदृश्य

भारतीय खुदरा मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय संकलन के संकेत दिखाई दे रहे हैं, हालाँकि आपूर्ति पक्ष की बाधाएँ, जिनमें मौसम से संबंधित उतार—चढ़ाव भी शामिल हैं, समय—समय पर आकलन को प्रभावित कर सकते हैं। भविष्य में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 4% से नीचे आ सकती है (कोर मुद्रास्फीति 4.2% से 4.4% के बीच रहने की संभावना), जिससे मजबूत वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति में विकास को तेज़ी से मजबूती मिलेगी। कच्चे तेल की कीमतें निकट भविष्य में संतुलित रहने का अनुमान है।बाहरी मोर्चों पर व्यापक आर्थिक संकेतक आरामदायक दायरे में रहने की संभावना है। व्याज दरों में कटौती का प्रभाव जमा और ऋण दोनों पर दिखाई देगा, जिससे बैंकों की शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM) पर दबाव बनेगा। हालाँकि, यह दबाव आंशिक रूप से नए अवसरों से संतुलित होगा, जो जनसामान्य की तीव्र वित्तीय समावेशन और अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण से उत्पन्न होंगे।

वित्त वर्ष 2025 में तरलता की स्थिति अस्थिर बनी रही। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में जहाँ कम तरलता अधिशेष की स्थिति रही, वहीं दूसरी छमाही में यह घाटे में बदल गई। चौथी तिमाही में तरलता का घाटा और भी गहरा हो गया, जहाँ औसत दैनिक तरलता घाटा लगभग ₹ 1.2 लाख करोड़ रहा।इस स्थिति से निपटने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई उपायों की घोषणा की, जिनमें दिसंबर 2024 में नकद आरक्षित अनुपात (सी आर आर) में 50 आधार अंकों की कटौती शामिल थी। इससे सीआरआर घटकर 4% पर आ गया, जो इससे पहले मई 2022 में देखा गया था, जब मौद्रिक नीति को सख्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसी क्रम में, आर बी आई ने दैनिक परिवर्तनीय रेट रेपो नीलामी (वी आर आर), यू एस डी/आई एन आर स्वैप नीलामी और ओएमओ खरीद की भी घोषणा की। इन कदमों से हाल ही में तरलता की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2025 में अपनी नीतिगत रेपो दर को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया, जो पिछले 5 वर्षों में पहली दर कटौती है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नई रुपये ऋणों पर लागू औसत भारित ऋण दर लगभग स्थिर रही, जबिक घरेलू साविध जमा की औसत भारित दर में वर्ष के दौरान मामूली गिरावट दर्ज की गई।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य 2025 में पिछले कुछ वर्षों में आए बड़े व्यवधानों से उबरकर कुछ हद तक गित पकड़ने की स्थिति में दिखाई दे रहा था। हालांकि, इस सुधार की दिशा पर गहरे प्रभाव डालते हुए व्यापार और शुल्क अवरोध सर्वोच्च चरम स्तर पर पहुँच गए हैं। अब वैश्विक वृद्धि को व्यापार से जुड़े शुल्क अवरोधों, तीव्र मुद्रा उतार—चढ़ाव और पूंजी/निवेश प्रवाह में असंतुलन जैसे कई कारकों के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करने की संभावना है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र

क्रेडिट ग्रोथ असुरक्षित परिसंपत्तियों से दूरी बनाए जाने के कारण कुछ नरमी के बावजूद अभी भी दहाई अंकों में बनी हुई है। आगे चलकर, सृदद कॉर्पोरेट also expected to slow down on account of increased tariff restrictions which will affect the trade flows.

Indian Economy

India's retail inflation is showing signs of considerable moderations, though vagaries of supply side disruptions, including weather related upheavals, can shake the calculations periodically. Going ahead, CPI inflation may come below 4% (core inflation in the range of 4.2% to 4.4%), paving the way for steep monetary policy easing to anchor robust growth. Crude prices are expected to remain subdued in the near foreseeable future. Macros on external fronts should remain within a comfortable bandwidth. With transmission of rate cuts spread to both deposits as also credit, banks would witness gravitational pull on NIM. However, this would be partly offset by emerging opportunities amidst rapid financialisation of masses and formalisation of the economy.

Liquidity situation continued to remain volatile in FY 2025, with a marginal liquidity surplus in H1FY 2025, which turned into a deficit in H2FY 2025. The liquidity deficit was much more acute in Q4FY 2025, with an average daily liquidity deficit of ₹ 1.2 lakh crore. In response, RBI announced a slew of measures including a cut in the cash reserve ratio (CRR) by 50bps in Dec 24, restoring the CRR to 4%, a level last seen in May'22, before the start of monetary policy tightening by the RBI. In consonance, RBI also announced daily variable rate repo auctions (VRR), as well as USD/INR swap auctions and OMO purchases. This resulted in a noticeable improvement in liquidity conditions recently.

RBI also reduced its policy repo rate to 6.25% in Feb 25 from 6.5%, marking its first rate cut in 5 years. The weighted average lending rate (WALR) for SCBs on fresh rupee loans remained virtually flat in FY 2025, while there was a marginal decline in the weighted average domestic term deposits rate (WADTR) during the course of the year.

Global economic landscape looked set to recoup some of the lost ground in 2025 after successive years of battling series of massive disruptions. However, the trajectory looks checkmated by near extreme trade and tariff barriers being imposed. Global growth is now likely to face significant headwinds due to overlapping factors of trade related tariff barriers, rapid currency swings and fractured capital/investment flows.

INDIAN BANKING SECTOR

Credit growth remains in double digits despite some moderation on account of shift away from unsecured assets.



और बैंक बैलेंस शीटें अर्थव्यवस्था को वैश्विक उथल—पुथल और समय—समय पर आने वाली अस्थिरता के खतरों से सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगी।वित्तीय वर्ष 2025—26 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान है (भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमानों के अनुसार)। हालांकि, आर्थिक मोर्चे पर प्रतिकूल प्रभावों के कारण इसमें कुछ कमी देखी जा सकती है। इसके बावजूद, मजबूत घरेलू खपत और निवेश, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों से प्राप्त सहयोग तथा कम महँगाई दर ऐसे नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक होंगे। महँगाई दर 4% से नीचे आ चुकी है, जो बैंकिंग क्षेत्र और समग्र अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली की सेहत मज़बूत बनी हुई है, जिसमें मजबूत पूंजी और तरलता बफ़र्स के साथ-साथ परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए अनुपात और शुद्ध एनपीए अनुपात सितम्बर 2024 में क्रमशः 2.9% और 0.9% के बहु—वर्षीय निम्न स्तर पर पहुँच गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी से जोखिम–भारित परिसंपत्तियों का अनुपात भी सितम्बर 2024 में 16.7% के स्वस्थ स्तर पर बना रहा। लाभप्रदता सूचकांकों में भी सुधार दर्ज किया गया है, जहाँ रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। स्ट्रेस टेस्ट परिणामों से संकेत मिलता है कि आधारभूत परिदृश्य के अंतर्गत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सीआरएआर मार्च 2026 तक मामूली गिरावट के साथ 16.5% रह सकता है। यहाँ तक कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सीआरएआर नियामकीय न्यूनतम आवश्यकता से काफी ऊपर रहने की संभावना है साथ ही, GNPA अनुपात मार्च 2026 तक आधारभूत परिदृश्य में 3% तक बढ़ने का अनुमान है, जबकि प्रतिकूल परिदृश्य–1 और परिदृश्य–2 में यह क्रमशः 5% और 5.3% तक पहुँच सकता है।

समग्र रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण तरलता प्रबंधन तथा हाल ही में किए गए नियामकीय सुधार भारत के बैंकिंग उद्योग की मजबूती को रेखांकित करने की सम्भावना रखते हैं। पर्याप्त पूंजी बफ़र, बेहतर लाभप्रदता और मज़बूत परिसंपत्ति गुणवत्ता के साथ भारतीय बैंक आगामी वर्ष में भी सुदृढ़ वृद्धि दर्ज करने की स्थिति में हैं।

भारत की मज़बूत घरेलू मांग और सकारात्मक विकास पथ बैंकिंग क्षेत्र के लिए ऋण विस्तार और वृद्धि के महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करते हैं। हालाँकि, वित्त वर्ष 2024—25 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की ऋण वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में कुछ धीमी रही, लेकिन फिर भी यह दो अंकों में मज़बूत बनी रही। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा दर कटौती चक्र की शुरुआत से वित्त वर्ष 2025—26 में ऋण वृद्धि को और गित मिलने की संभावना है।

भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र ने वर्ष 2023—24 और 2024—25 की पहली छमाही के दौरान लगातार मज़बूती प्रदर्शित की। हालाँकि, वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण आर्थिक गतिविधियाँ धीमी पड़ने से दूसरी छमाही में ऋण वृद्धि धीमी हो गई। वर्ष 2024—25 के दौरान, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि (वर्ष—दर—वर्ष) घटकर 11.0% रही, जबिक पिछले वर्ष यह वृद्धि 20.2% थी। इसका मुख्य कारण प्रतिकूल आधार का प्रभाव रहा, जिसने सकारात्मक गति को संतुलित कर दिया।

Moving ahead, healthier Corporate and bank balance sheets will strive to ringfence the economy from the perils of global upheavals and periodic bouts of volatility. GDP growth is forecasted at 6.5% (RBI Projections) in FY 2026 though some moderation may be seen due to the adverse impacts on trade front. However, robust domestic consumption and investments supported by fiscal and monetary policies coupled with lower inflation should mitigate such headwinds. Inflation has moderated below 4% .

Health of the banking system remains robust with strong capital and liquidity buffers as well as improved asset quality. As per latest data from the RBI's Financial Stability Report, the gross non-performing asset (GNPA) and net non-performing asset (NNPA) ratio of SCBs stood at a multi-year low of 2.9% and 0.9% respectively as of Sep'24. The capital to riskweighted assets ratio (CRAR) of SCBs also remained healthy at 16.7% in Sep'24. Profitability indicators also witnessed an improvement with return on assets (RoA) and return on equity (ROE). Further, stress test results indicate that the CRAR of SCBs is likely to decline only marginally to 16.5% by Mar 26 under baseline scenario. Even under adverse scenarios, the CRAR of SCBs is likely to remain significantly higher than the minimum regulatory requirements. Further, the GNPA ratio of SCBs is expected to rise to 3% in Mar 26 under the baseline scenario, and 5% and 5.3% under adverse scenario 1 and 2 respectively.

Overall, prudent liquidity management by the RBI along with recent regulatory changes are likely to underline the strength of India's banking industry. With adequate capital buffers, improved profitability and strong asset quality, Indian banks are likely to witness another year of robust growth.

Banking Scenario in India's strong domestic demand and positive growth trajectory present significant opportunities for credit expansion and growth for the banking sector. However, credit growth of SCBs' in the past FY'2024-25 moderated compared to the previous years but still remained robust in double digits. The commencement of a rate-cut cycle by RBI is expected to drive credit growth in FY'2025-26.

The Indian commercial banking sector exhibited sustained strength during 2023-24 and H1: 2024-25. However, credit growth slowed down in H2 due to weak economic activities led by global uncertainty. During 2024-25, ASCB's credit growth (YoY) moderated to 11.0% compared to last year growth of 20.2%, on account of unfavourable base effect, which offset the positive momentum.



बैंक का कार्यनिष्पादन

उपरोक्त परिदृश्य के अंतर्गत विभिन्न मानकों पर बैंक का प्रदर्शन निम्नानुसार था

वित्तीय मुख्य बिंदु (₹ करोड़ में)

19111	प गुण्य ।पयु	`	(4/(19 1)
क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
1.	कुल ब्याज आय	710.41	692.13
	ए) अग्रिमों से ब्याज के रुप में आय	428.13	421.43
	बी) निवेशों से ब्याज के रुप में आय	136.96	147.73
	सी) अन्य	145.33	122.97
2.	गैर ब्याज आय	41.44	62.79
	कुल आय-ए (1+2)	751.85	754.92
3.	कुल ब्याज जो दिया गया	399.59	372.05
	ए) जमा पर दिया गया ब्याज	399.43	372.05
	बी) अन्य ब्याज व्यय	0.16	0.00
4.	स्टाफ लागत	165.23	183.78
5.	अन्य परिचालन लागत	98.01	91.81
	कुल व्यय-बी (3+4+5)	662.83	647.64
	परिचालन लाभ (ए-बी)	89.02	107.28
	प्रावधान और आकस्मिकताएं– सी	38.42	60.18
	शुद्ध लाभ (ए–बी–सी)	50.61	47.10

वित्तीय अनुपात

	114 0131101		
क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
1.	जमा की औसत लागत (%)	5.04	4.85
2.	अग्रिमों से औसत आय (%)	8.94	9.05
3.	शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	3.30	3.53
4.	परिसंपत्तियों पर औसत प्राप्ति (%)	0.61	0.52
5.	औसत कार्यशील फण्ड में स्टाफ	1.76	2.02
	व्यय (%)		
6.	औसत कार्यशील फण्ड पर परिचालन	0.95	1.18
	लाभ (%)		
7.	प्रति शेयर आय (ईपीएस)	4.31	4.01
8.	प्रति शेयर बही मूल्य	71.30	66.14

पूंजी पर्याप्तता

बेसल—III मानकों के तहत बैंक की पूंजी पर्याप्तता विगत वर्ष के 15.22% के मुकाबले इस वर्ष 16.76% रही। दिनांक 31.03.2025 को कुल पूंजी पर्याप्तता में से टियर—I पूंजी 15.84% और टियर—II पूंजी 0.92% थी।

BANK'S PERFORMANCE

Under the above scenario the Bank's performance on various parameters was as listed below:

FINANCIAL HIGHLIGHTS

(₹ In Crore)

S. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1.	Total Interest Income	710.41	692.13
	(a)Interest Income from Advances	428.13	421.43
	(b)Interest Income from Investments	136.96	147.73
	(c) Others	145.33	122.97
2.	Non Interest Income	41.44	62.79
	TOTAL INCOME - A(1+2)	751.85	754.92
3.	Total Interest Expended	399.59	372.05
	Interest Expended on Deposits	399.43	372.05
	Other Interest Expenses	0.16	0.00
4.	Staff Cost	165.23	183.78
5.	Other Operating Costs	98.01	91.81
	Total Expenses—B (3+4+5)	662.83	647.64
	Operating Profit (A-B)	89.02	107.28
	Provision & Contingencies -C	38.42	60.18
	Net Profit (A-B-C)	50.61	47.10

FINANCIAL RATIOS

S. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1.	Average Cost of Deposits (%)	5.04	4.85
2.	Average Yield on Advances (%)	8.94	9.05
3.	Net Interest Margin (%)	3.30	3.53
4.	Average Return on Assets (%)	0.61	0.52
5.	Staff Expenses to Avg. Working Fund (%)	1.76	2.02
6.	Operating Profit to Avg. Working Funds (%)	0.95	1.18
7.	EPS	4.31	4.01
8.	Book Value per share	71.30	66.14

CAPITAL ADEQUACY

The Capital Adequacy under Basel-III norms stood at 16.76% as against 15.22% last year. Out of the Total Capital Adequacy, Tier –I capital was 15.84% and Tier–II capital was 0.92% as on 31.03.2025.



जमा संग्रहण

बैंक की कुल जमाराशियाँ पिछले वर्ष के ₹ 8,267.75 करोड़ से घटकर दिनांक 31.03.2025 को ₹ 8,255.82 करोड़ हो गई है, जो 0.14% की कमी दर्शाती है। कम लागत वाली जमाराशि का हिस्सा दिनांक 31.03.2024 के 41.75% से घटकर दिनांक 31.03.2025 तक 41.47% हो गया।

जमा की लागत दिनांक 31.03.2024 को 4.85% से बढ़कर 31.03.2025 को 5.04% हो गई।

DEPOSIT MOBILISATION

Deposits of the Bank stood at ₹ 8,255.82 crore in comparison to ₹ 8,267.75 crore previous year showing a decline of 0.14%. The Share of low cost deposit decreased to 41.47% as on 31.03.2025 from 41.75% as on 31.03.2024.

The Cost of Deposit increased to 5.04% as on 31.03.2025 from 4.85% as on 31.03.2024.

कुल जमा / Total Deposit


(₹ In Crore/ ₹ करोड़ में)




जमा संरचना / Deposit Mix

(₹ In Crore/₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 को / As on 31st March 2025




31 मार्च 2024 को / As on 31st March 2024






कासा [कम लागत वाली जमाराशि] / CASA [Low Cost Deposit]

(₹ In Crore/₹ करोड़ में)



सकल अग्रिम / Gross Advances

(₹ In Crore/₹ करोड़ में)



ऋण परिनियोजन


दिनांक 31.03.2025 को बैंक का सकल अग्रिम ₹ 4969.86 करोड़ हो गया, जो दिनांक 31.03.2024 को ₹ 4819.13 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.13% की वृद्धि दर्शाता है।

CREDIT DEPLOYMENT

The Gross Advances of the Bank increased to ₹ 4969.86 crore as on 31.03.2025 from ₹ 4819.13 crore on 31.03.2024, showing an increase of 3.13% over previous year.



प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम/Priority Sector Advances



प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम पूर्व की तरह ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 40% की न्यूनतम सीमा से अधिक रहा। 31.03.2025 को बैंक के सकल प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम ₹ 2656.59 करोड़ रहे, जो 31.03.2024 को ₹ 2860.03 करोड़ थे, और यह समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 50.82% दर्शाते हैं।

नई पहलें एवं प्रौद्योगिकी का समावेश नई पहलें

आज की वैश्विक परिस्थितियों में न केवल सफलतापूर्वक बैंकिंग परिचालन के लिए अपितु ग्राहकों की बढ़ती हुई मांगों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए भी सूचना प्रौद्यौगिकी का व्यापक प्रयोग आवश्यक हो गया है। पिछले दो दशकों में प्रौद्यौगिकी प्रगति ने बैंकिंग को पुनःपरिभाषित किया है। ग्राहकों को और अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावपूर्ण ढंग से सेवा प्रदान करना, कम्प्यूटरीकरण और उपलब्ध तकनीक के सर्वाधिक उपयोग के द्वारा ही संभव है। बैंक की सभी शाखाएं सीबीएस प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रही हैं और ग्राहकों को इलेक्ट्रानिक भुगतान सुविधाएँ जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग, पीएफएमएस एवं डब्ल्युएलएटीएम सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक अपने ग्राहकों को "टैप एंड पे" सुविधा वाले चिप आधारित रुपे डेबिट कार्ड, एसएमएस और ईमेल चैनलों का उपयोग करने वाले अपने ग्राहकों को अलर्ट सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

बैंक ने व्यवसाय में विकास प्राप्त करने और मौजूदा आईटी प्लेटफॉर्म को उन्नत संवर्धित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों को चिहिनत किया है ताकि नैनीताल बैंक लिमिटेड को एक तकनीकी दक्ष बैंक बनाया जा सके—

Priority Sector Advances

The Priority Sector Advances of the Bank continued to be higher than regulatory stipulation of RBI @40%. The Gross Priority Sector Advances of the Bank stood at ₹ 2656.59 crore as on 31.03.2025 against ₹ 2860.03 crore as on 31.03.2024 representing 50.82 % of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

NEW INITIATIVES AND DEVELOPMENT

NEW INITIATIVES

Extensive use of Information Technology has become a necessity not only to carry out successful banking operations but also to satisfy growing customer demands in present globalized environment. In last two decades, the technology has redefined the 'Banking'. To serve the customer efficiently and effectively, the way-out is to go for automation and make maximum use of technology. Currently, Bank's branches are functioning on Finacle 10.x CBS platform and also facilitating customers by providing electronic payment facility like Bharat Bill Payment Services (BBPS), RTGS, NEFT, UPI, IMPS, Net Banking, PFMS and WLATM Services. Bank is issuing chip based Rupay Debit Cards having "Tap & Pay" facility and also providing the Alert services to its customers using SMS & email channels.

Bank has identified following major thrust areas for achieving business growth and to upgrade. enhance the existing IT platform so as to make the Nainital Bank Limited, a Techno Savy Bank –



- मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन का शुभारंभ, जो ग्राहकों को कहीं भी, कभी भी शाखा बैंकिंग संचालन करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- ग्राहकों को दूरस्थ रूप से ऑनबोर्ड करने हेतु बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म (ई-केवाईसी) श्रूरू करने की प्रक्रिया में है।
- बैंक अधिग्रहणकर्ता के रूप में यूपीआई प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनबोर्ड होने की प्रक्रिया में है ।
- बैंक मोबाइल बैंकिंग एवं नेट बैंकिंग एप्लिकेशन के माध्यम से ग्राहकों को नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है।
- बैंक मोबाइल बैंकिंग एवं नेट बैंकिंग एप्लिकेशन के माध्यम से एफडी—आरडी खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है।
- बैंक साइबर क्राइम पोर्टल के साथ लाभार्थी संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए आई फोर सी एपीआई इंटीग्रेशन कराने की प्रक्रिया में है।
- बैंक एईपीएस ऑन अस एवं ऑफ अस लेन—देन पर लाइव होने की प्रक्रिया में है।

विकासात्मक कार्य

ग्राहकों को बेहतर सुविधाएँ एवं नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने के अपने निरंतर प्रयास में, बैंक ने निम्नलिखित ऍप्लिकेशन्स. सेवाओं की शुरुआत की है—

- डीआर साइट हेत् एनडीआर साइट को लाइव किया गया है।
- सीबीएस में एनएसडीएल के माध्यम से पैन सत्यापन लागू किया गया है।
- बैंक ने टीपीवी एवं नॉन—टीपीवी लेन—देन करने के लिए पेमेंट गेटवे—एग्रीगेटर को ऑनबोर्ड किया है।
- प्रौद्योगिकी—सक्षम उपकरणों का उपयोग करके संचालन क्षेत्र के कोने—कोने, यहाँ तक कि दूरस्थ गाँवों तक पहुंचने के लिए वित्तीय समावेशन समाधान लाग् किया गया है।
- बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगिता बिल भुगतान हेतु एनपीसीआई की भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) सेवा का इंटीग्रेशन किया है।
- बैंक ने ग्राहकों को पंजीकृत ई—मेल के माध्यम से खाते का विवरण भेजने की स्विधा प्रारंभ की है।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

बैंक एनपीए से निपटने और वसूली प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण रखता है। बैंक के आस्ति वर्गीकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

आस्ति वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 को		31.03.20)24 को
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
मानक	4575.17	92.22	4413.12	91.71

- Launching of Mobile Banking Application allowing customers to perform anywhere, anytime Branch Banking operations.
- Bank is in the process of introducing Digital Platform (eKYC) for customer onboarding remotely.
- Bank is in the process of getting on-boarded on the UPI platform as an acquirer.
- Nomination facility to customers through Mobile Banking and Net Banking application.
- FD-RD Account opening through Mobile Banking and Net Banking Application.
- I4C API integration with the Cyber Crime portal to extract beneficiary related Information.
- Bank is in process to going live on AEPS On us and Off us transactions.

DEVELOPMENTS

In its constant endeavor to ensure customer comfort and regulatory compliance, the Bank has introduced following applications. Services –

- Bank has made live the NDR site for DR site.
- PAN validation through NSDL has been implemented in CBS.
- Bank has On-boarded the Payment Gateway. Aggregator for doing TPV and Non TPV transactions.
- Bank has implemented Financial Inclusion Solution to reach nook and corner of the area of operation, even in remote villages using technology enabled tools.
- Bank has integrated NPCI's Bharat Bill Payment System (BBPS) Service to make utility bill payment for Bank's Internet Banking Application users.
- Bank has introduced feature to send statement of accounts through registered e-mail to the customers.

ASSET QUALITY MANAGEMENT

The Bank has a proactive approach towards tackling NPAs and focused recovery efforts. Asset classifications of the Bank are detailed below:

ASSET CLASSIFICATION

(₹ in Crore)

	As on 31.03.2025		As on 31.03.2024	
	Amount	%	Amount	%
Standard	4575.17	92.22	4413.12	91.71



	31.03.20	25 को	31.03.2024 को	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
अवमानक	55.84	1.12	62.99	1.31
संदिग्ध	250.87	5.06	312.30	6.49
हानिकर आस्ति	79.49	1.60	23.37	0.49
सकल अग्रिम	4961.37	100.00	4811.79	100.00


	As on 31	.03.2025	As on 31.03.2024	
	Amount	%	Amount	%
Sub-Standard	55.84	1.12	62.99	1.31
Doubtful	250.87	5.06	312.30	6.49
Loss assets	79.49	1.60	23.37	0.49
Gross Advances	4961.37	100.00	4811.79	100.00

31 मार्च 2024 को / As on 31st March 2024

आस्ति वर्गीकरण/Asset Classification

(₹ In Crore /₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 को / As on 31st March 2025



As on 31.03.2024 Amount Loss assets. Doubtful, 23.37. 312.30, (0.49%) Sub (6.49%) Standard, 62.99, (1.31%) Standard, 4413.12. ■ Standard Sub-Standard ■ Doubtful Loss assets

बैंक का सकल एनपीए 31.03.2024 को ₹ 398.67 करोड़ से घटकर 31.03.2025 को ₹ 386.20 करोड़ हो गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में, बैंक हाल ही में जोड़े गए एनपीए खातों के साथ—साथ पुराने एनपीए खातों की भी वसूली एवं अपग्रेड करने का निरंतर प्रयास कर रहा है।

- 31 मार्च 2025 को सकल एनपीए से सकल अग्रिम का अनुपात 7.78% रहा. जो पिछले वर्ष 8.29% था।
- 31 मार्च 2025 को शुद्ध एनपीए से शुद्ध अग्रिम का अनुपात 0.56% स्तर पर रहा।

निवेश परिचालन

विभिन्न प्रतिभूतियों में बैंक का कुल सकल निवेश जो दिनांक 31.03.2025 को ₹ 1856.88 करोड़ रहा, जो दिनांक 31.03.2024 को ₹ 1992.75 करोड़ था। कुल निवेश में से 48.18% प्रतिभूतियाँ "बिक्री हेतु उपलब्ध (ए एफ एस)" श्रेणी में, 0.59% "लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी टी पी एल)" श्रेणी में तथा शेष 51.23% "परिपक्वता तक धारण (एच टी एम)" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

निवेश में लेन—देन अधिकतम प्राप्तियों, मूल्यह्रास के लिए पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के साथ साथ पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किये गए थे।

Gross NPA of the Bank decreased to ₹ 386.20 crore as on 31.03.2025 from ₹ 398.67 crore as on 31.03.2024. The Bank endeavors to recover and upgrade recently added NPA accounts along with old NPA accounts during the current financial year.

 Gross NPA to Gross Advances stood at 7.78% as on March 31st, 2025 as against 8.29% last year.

As on 31.03.2025 net NPA to Net Advances stood at 0.56% level.

INVESTMENT OPERATIONS

The total gross Investments of the Bank in various securities stood at ₹ 1856.88 crore as on 31.03.2025 against ₹ 1992.75 crore as on 31.03.2024. Out of total investments, 48.18% securities have been in "Available for Sale (AFS) category, 0.59% have been in "Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)" category and rest 51.23 % is classified under "Held to Maturity (HTM)" category.

The investment transactions were taken with a view to maximize yield, protect portfolio against depreciation and simultaneously ensure sufficient liquidity.



लाभप्रदता

बैंक का परिचालन लाभ 31 मार्च 2025 को ₹ 89.03 करोड़ रहा, जो 31 मार्च 2024 को ₹ 107.28 करोड़ था। सभी अनुमानित देयताओं के लिए प्रावधान करने के बाद, 31.03.2025 को बैंक का शुद्ध लाभ ₹ 50.61 करोड़ रहा, जबिक 31.03.2024 को यह ₹ 47.10 करोड़ था।

यह सूचित किया जाता है कि 31.03.2025 तक बैंक की अठारह (18) शाखाएँ घाटे में थीं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

बैंक का सीआईएडी विभाग, बैंक के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण को उचित लागत पर बढ़ावा दे रहा है। बेहतर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए 'जोखिम—आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा' प्रणाली को उपयुक्त रूप से अपनाया गया है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को भी अपनी जिम्मेदारियों का अधिक प्रभावी निर्वहन करने में सीआईएडी विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। बैंक ने समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित व्यवसाय के कवरेज के संबंध में नियामक के निर्देशों का पालन किया है।

सामाजिक प्रतिबद्धता

निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता पर बढ़ते दबाव के दौर में भी बैंक ने सामाजिक बैंकिंग के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित रखा है। प्राथमिक क्षेत्र ऋण लक्ष्यों को लगातार पार करना जारी रहा है। वर्ष के दौरान प्राथमिक क्षेत्र ऋण ₹ 2656.59 करोड़ रहा, जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 50.82% है। वहीं, कृषि ऋण ₹ 1040.18 करोड़ रहा, जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 19.90% है, जबिक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए 18% का न्यूनतम मानदंड निर्धारित था।

वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी)

बैंक, एसएलबीसी द्वारा आवंटित उप—सेवा क्षेत्रों एवं विभिन्न अन्य केंद्रों में, हमारे बिज़नेस कोरेस्पोंडेंट एजेंट एम.एस वक्रांगी लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स के माध्यम से वित्तीय समावेशन योजना लागू कर रहा है। 31.03.2025 तक, उत्तराखंड राज्य में 24 बीसी एजेंट, उत्तर प्रदेश में 08 बीसी एजेंट, हिरयाणा में 03 बीसी एजेंट, दिल्ली में 07 बीसी एजेंट एवं राजस्थान में 01 बीसी एजेंट नियुक्त किए गए हैं तथा बैंक अन्य केंद्रों में अधिक बीसी एजेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। बीसी एजेंट्स ने 10,020 बचत बैंक वित्तीय समावेशन खाते खोले हैं तथा 31.03.2025 को इन खातों में जमा राशि ₹ 261.77 लाख रही।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

व्यापक वित्तीय समावेशन योजना के क्रियान्वयन हेतु, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 28.08.2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया। 28.08.2018 के बाद भी राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन को, "हर परिवार" से "हर वयस्क" पर ध्यान केंद्रित करते हुए, निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं के साथ जारी रखने का निर्णय लिया गया—

PROFITABILITY

Operating Profit of the Bank stood at ₹ 89.03 crore as on 31st March, 2025 against ₹ 107.28 crore as on 31st March, 2024. After making all provisions for estimated liabilities, the Net Profit of the Bank stood at ₹ 50.61 crore as on 31.03.2025, against Net Profit of ₹ 47.10 crore as on 31.03.2024.

It is submitted that as on 31.03.2025, Eighteen (18) branches were in loss.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

CIAD Department of the Bank is promoting effective control on the affairs of the Bank at a reasonable cost. The 'Risk Based Internal Audit' system has been suitably adopted to have better supervision and control. Audit committee of the Board is also being assisted by CIAD Department to discharge its obligations more effectively. Bank has complied with the directives of the regulator in respect of coverage of stipulated business under concurrent audit system.

SOCIAL COMMITMENT

The Bank has maintained its focus on meeting commitments under social banking even in the era of increased competition and stress on profitability. Priority sector lending targets continued to be surpassed. Lending to priority sector stood at ₹ 2656.59 crore during the year and constituted 50.82% of Adjusted Net Bank Credit. Whereas agriculture credit stood at ₹ 1040.18 crore constituting 19.90% of Adjusted Net Bank Credit, against the minimum norms of 18% laid down by the Reserve Bank of India, for the purpose.

FINANCIAL INCLUSION PLAN (FIP)

Bank has been implementing the Financial Inclusion Plan through Business Correspondent Agents provided by M.s Vakrangee Ltd., our BC Vendor, in Sub Service Areas allotted by SLBC & various other centres. As on 31.03.2025, 24 BC Agents have been deployed in Uttarakhand state, 08 BC Agents have been deployed in UP State, 03 BC Agents in Haryana, 07 BC Agents in Delhi & 01 BC Agent in Rajasthan and the bank is in process to appoint more no. of BC Agents in other centres. BC Agents have opened 10020 Saving Bank Financial Inclusion accounts and deposit in these accounts is ₹ 261.77 lakhs as on 31.03.2025.

Pradhan Mantri Jan DhanYojna (PMJDY)

For the implementation of Comprehensive Financial Inclusion Plan, Hon'ble Prime Minister launched Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna on 28.08.2014. decided to continue the National Mission on Financial Inclusion namely Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) beyond 28.08.2018, with the change in focus of opening of accounts from 'every household' to 'every adult', with salient features:



- पीएमजेडीवाई खाता धारक को ₹ 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सीमा।
- आयु सीमा 18 से 65 वर्ष।
- ₹ 2,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए कोई शर्त लागू नहीं।
- 28.08.2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों के नए रूपे कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर ₹ 2 लाख तक बढाया गया।
- न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं।
- बीमा उत्पाद एवं पेंशन सुविधा उपलब्ध।

बैंक ने 31.03.2025 तक कुल 56,056 पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं तथा ₹ 2,084.91 लाख की राशि जमा की है। हमारे बैंक ने मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की है, और 31.03.2025 तक इन खातों में बकाया राशि ₹ 0.50 लाख रही।

अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, बैंक ने अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 5,778 नए व्यक्तियों का नामांकन किया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1,603 नए व्यक्तियों का नामांकन किया तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 560 नए व्यक्तियों का नामांकन किया।

शाखा नेटवर्क एवं विस्तार कार्यक्रम

बैंक पूरे उत्तर भारत में अपने नेटवर्क का विस्तार करने में सफल रहा है और 31.03.2025 को इसकी 173 शाखाएँ कार्यरत हैं। बैंक ने वित्त वर्ष 2024—25 के दौरान 02 नई शाखाएँ खोली हैं। शाखा नेटवर्क अब 05 राज्यों.केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। बैंक की योजना वित्त वर्ष 2025—26 में 12 नई शाखाएँ खोलने की है।

शाखाओं की क्षेत्रवार स्थिति

	क्षेत्रवार शाखाएँ				
क्र.	<u> </u>	शाखाओं की संख्या			
₹і.	क्षेत्र	2025*	2024*		
1	महानगरीय	35	35		
2	शहरी	47	46		
3	अर्ध—शहरी	34	34		
4	ग्रामीण	57	56		
	कुल	173	171		

^{*}जनगणना 2011 के अनुसार शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण

- Overdraft limit to PMJDY account holder upto ₹ 10,000.
- Age limit between 18-65 years.
- There will not be any conditions attached for OD upto ₹ 2,000.
- Accidental insurance cover for new RuPay card holders has been raised to ₹ 2 lakhs to new PMJDY accounts opened after 28.08.2018.
- No minimum balance criteria
- insurance products and pension access are provided.

Bank has opened 56056 PMJDY accounts and mobilized deposit of ₹ 2084.91 lakh till 31.03.2025 Our bank has extended overdraft facility in eligible accounts as per extant guidelines and total amount outstanding in these accounts is ₹ 0.50 lakhs as on 31.03.2025.

Atal Pension Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jewan Jyoti Bima Yojana

During the FY-2024-25, bank had enrolled 5778 new persons under APY, 1603 new persons under PMSBY and 560 new persons under PMJJBY.

BRANCH NETWORK & EXPANSION PROGRAMME

The Bank has been successful in widening its network across North India with 173 branches as on 31.03.2025. The Bank has opened 02 new branches during the financial year 2024-25. The branch network now covers 05 States. Union Territories. The Bank plans to open 12 new Branches in the financial year 2025-26.


AREA WISE POSITION OF BRANCHES

	Area-wise Branches					
s.	No. of Branches					
No.	Area	2025*	2024*			
1	Metro	35	35			
2	Urban	47	46			
3	Semi-Urban	34	34			
4	Rural	57	56			
	Total	173	171			

^{*} Area wise classification of branches as per Census 2011




वर्ष की समाप्ति पर शाखाओं का क्षेत्रवार विस्तार/Area-wise Spread of Branches at the year ended on 31 मार्च 2025 को/As on 31st March 2025 31 मार्च 2024 को/As on 31st March 2024



बैंक की उपस्थिति देश के 05 राज्यों में है। राज्यवार शाखाओं की स्थिति निम्नानुसार है।

शाखाओं की राज्यवार स्थिति

	राज्यवार शाखाएं				
क्र.सं.	नं. क्षेत्र	शाखाओं व	की संख्या		
क्र.स.		2025	2024		
1	उत्तराखण्ड	100	98		
2	उत्तर प्रदेश	46	46		
3	दिल्ली	16	16		
4	हरियाणा	08	08		
5	राजस्थान	03	03		





The Bank is having its presence in -05- states of the country. The State wise position of branches is given below:

STATE WISE POSITION OF BRANCHES

State-wise Spread of Branches at the year ended on						
S. No.		No. of Branches				
5. NO.	Area	2025	2024			
1	Uttarakhand	100	98			
2	Uttar Pradesh	46	46			
3	Delhi	16	16			
4	Haryana	08	08			
5	Rajasthan	03	03			

वर्ष की समाप्ति पर शाखाओं का राज्यवार विस्तार / State-wise Spread of Branches at the year ended on 31 मार्च 2025 को / As on 31st March 2025 31 मार्च 2024 को / As on 31st March 2024







मानव संसाधन की स्थिति

किसी भी संगठन के प्रभावी एवं कुशल संचालन के लिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने इस आयाम को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। बैंक के पास एक प्रतिबद्ध, आत्म—प्रेरित एवं सहृदय कार्यबल है, जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बैंक के स्वस्थ एवं सतत विकास तथा नेटवर्क के विस्तार के साथ मौजूदा जनशक्ति को बढ़ाने के लिए बैंक ने वित्त वर्ष 2024—25 में प्रमुख प्रतिभा अधिग्रहण कर अपनी पहल को जारी रखा है।

बैंक के कुल कर्मचारियों की संवर्गवार संख्या इस प्रकार रही:

क्र.सं.	संवर्ग	(31.03.2025 के अनुसार)	(31.03.2024 के अनुसार)
1	कार्यपालक	30	29
2	अधिकारी	584	552
3	लिपिक	353	362
4	प्रबंधन प्रशिक्षु	22	61
5	अधीनस्थ कर्मचारी	128	132
6	अंशकालिक अधीनस्थ कर्मचारी	93	95
	कुल	1210	1231


HUMAN RESOURCE POSITION

Human Resource is the single most important catalyst for effective and efficient operation of any organization. Competition has rendered this dimension still more critical. The Bank has a team of committed, self-motivated and empathetic workforce who strive to meet the customers' requirements. To augment the existing manpower in line with the Bank's healthy and sustained growth and expansion of network, the Bank has continued its initiatives of major talent acquisition in the FY 2024-25.

The cadre wise strength of Bank staff was as under:

S. No.	Cadre	(as on 31.03.2025)	(as on 31.03.2024)	
1	Executive	30	29	
2	Officers	584	552	
3	Clerks	353	362	
4	Management Trainee	22	61	
5	Sub-Ordinate Staff	128	132	
6	Part Time Sub-Staff	93	95	
	TOTAL	1210	1231	


वर्ष के दौरान संवर्ग—वार कर्मचारियों की संख्या/Cadre-wise Staff Strength at the year ended on
31 मार्च 2025 को/As on 31st March 2025
31 मार्च 2024 को/As on 31st March 2024





बैंक कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई कुछ पहलों का विवरण इस प्रकार है–

- क. 30 अधिकारी, जिनमें 01 सीए, 04 पीओ, 19 प्रबंधन प्रशिक्षु एवं 27 लिपिक शामिल हैं, ने वित्त वर्ष 2024—25 के दौरान बैंक जॉइन किया।
- ख. 37 प्रबंधन प्रशिक्षुओं को ग्रेड स्केल-। में शामिल किया गया।
- ग. 13 लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को 01.12.2024 से जेएमजीएस ग्रेड स्केल—। में पदोन्नत किया गया।



Motivational Initiatives

Some of the initiatives undertaken by the Bank in order to boost the morale of the Bank employees are as under:

- A. 30 Officers including 01 CA, 04 PO, 19 Management Trainees and 27 Clerks were joined in the Bank during the FY 2024-2025.
- B. 37 Management trainees absorbed in Grade Scale- I.
- C. 13 Clerical Staff Members have been elevated to JMGS Grade Scale- I w.e.f. 01.12.2024.



- घ. 01 पार्टटाइम हाउस कीपर सदस्य निरंतर पदोन्नित पाकर जेएमजीएस ग्रेड स्केल-। तक पहुंच गया।
- ङ) 05 अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों को 01.12.2024 से एमएमजीएस ग्रेड स्केल—॥ में पदोन्नत किया गया।
- च. 07 प्रबंधक संवर्ग के कर्मचारियों को 01.07.2022 से एसएमजीएस ग्रेड स्केल–III में पदोन्नत किया गया।
- छ. 05 वरिष्ठ प्रबंधक संवर्ग के कर्मचारियों को 01.07.2024, 01.08.2024, 01.12.2024 एवं 01.01.2025 से एसएमजीएस ग्रेड स्केल−IV में पदोन्नत किया गया।
- ज 02 कर्मचारियों को 01.07.2024 एवं 01.01.2025 से एसएमजीएस ग्रेड स्केल–V में पदोन्नत किया गया।
- झ. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान—752 कर्मचारियों ने बैंक से संबंधित तात्कालिक विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों. कार्यशालाओं में भाग लिया।
- ञ. बैंक ने कर्मचारियों से संबंधित एचआरएमएस मॉड्यूल को स्वचालित किया।
- वैंक कर्मचारियों को सर्टिफिकेट कोर्स की प्रतिपूर्ति की सुविधा
 प्रदान की गई।
- वैंक ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को नियुक्ति की पॉलिसी में सम्मिलित किया।

संवर्गवार विभाजन 31.03.2025 को इस प्रकार है-

क्र.सं.	संवर्ग	महिला	पुरुष	कुल
1	कार्यपालक	03	27	30
2	अधिकारी	111	473	584
3	लिपिक	97	256	353
4	प्रबंधन प्रशिक्षु	08	14	22
5	अधीनस्थ कर्मचारी	03	125	128
6	अंशकालिक अधीनस्थ कर्मचारी	31	62	93
	कुल	253	957	1210

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की संरचनाः

बोर्ड का गठन कंपनी अधिनियम, 2013, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप है। बोर्ड के सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनके पास विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, वित्त, लेखा, कानून, आईटी और डिजिटल भुगतान, मानव संसाधन, प्रबंधन, कृषि और अन्य क्षेत्रों में कौशल अनुभव और ज्ञान है, जैसा कि सभी लागू कानूनों के तहत विनिर्दिष्ट है।

सतत और संतुलित विकास प्राप्त करने की दृष्टि से, बैंक अपने रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के समर्थन में बोर्ड स्तर पर बढ़ती विविधता को एक

- D. 01 PTHK Member gradually elevated to JMGS Grade Scale- I.
- E. 05 Officer Members have been elevated to MMGS Grade Scale- II w.e.f. 01.12.2024.
- F. 07 Manager Staff Members have been elevated to SMGS Grade Scale- III w.e.f. 01.07.2022.
- G. 05 Senior Manager Staff Members have been elevated to SMGS Grade. Scale- IV w.e.f.01.07.2024, 01.08.2024, 01.12.2024, 01.01.2025.
- H. 02 Staff Members have been elevated to SMGS Grade Scale- V w.e.f. 01.07.2024 & 01.01.2025.
- I. During the year under review 752 staff members attended various training programmes, seminars. workshops on the subject of immediate concern to the Bank.
- J. Bank has automated HRMS Module pertaining to Staff members.
- K. Reimbursement of Certificate courses to the employees of the Bank
- L. Bank has incorporated Policy on Appointment on Compassionate Grounds Scheme.

Cadre wise break-up as on 31.03.2025 is as under:

S. No.	Cadre	Female	Male	Total
1	Executive	03	27	30
2	Officers	111	473	584
3	Clerks	97	256	353
4	Management Trainee	08	14	22
5	Sub-Ordinate Staff	03	125	128
6	Part Time Sub-Staff	31	62	93
	TOTAL	253	957	1210

Board of Directors

Composition of Board

The constitution of the Board is in conformity with relevant provisions of the Companies Act, 2013, Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India directives and Corporate Governance requirements. The Board members are persons of repute, having skills, experience and knowledge in various sectors such as Banking, Finance, Accountancy, Compliance, IT & Digital Payments, Human Resource, Management, Agriculture & other areas as specified under all applicable laws.

With a view to achieve sustainable and balanced development, the Bank sees increasing diversity at the Board level as an



आवश्यक तत्व के रूप में देखता है। एक विविध बोर्ड में निदेशकों के कौशल, क्षेत्रीय और उद्योग के अनुभव, पृष्ठभूमि, जाति, लिंग और अन्य गुणों में अंतर का अच्छा उपयोग होता है।

बैंक लगातार अपने बोर्ड की प्रभावशीलता को बढ़ाने और कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का प्रयास करता है और बोर्ड रूम में विविधता के लाभों को पहचानता और स्वीकार करता है। कौशल, क्षेत्रीय और उद्योग के अनुभव, पृष्ठभूमि और अन्य गुणों सिहत कई कारकों पर विचार करके विविधता सुनिश्चित की जाती है। विविधता पर अपने दृष्टिकोण को सूचित करते हुए, बैंक समय—समय पर अपने स्वयं के व्यवसाय मॉडल और विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कारकों को भी ध्यान में रखता है।

इस अविध के दौरान, बैंक के बोर्ड की संरचना में निदेशकों की संख्या कभी भी छह (6) से कम नहीं रही और बोर्ड हर समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र रहा। बोर्ड के अध्यक्ष भी एक गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक हैं।

निदेशकों का चयन एवं नियुक्ति

बैंक के निदेशकों का चयन और नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक नियमों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों और समय-समय पर संशोधित कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे के अनुसार की जाती है। नामांकन और पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के संबंध में बोर्ड को उचित अनुशंसा करने से पहले, उनके कौशल सेट, ज्ञान, क्षेत्रीय और उद्योग अनुभव, ट्रैक रिकॉर्ड, विशेषज्ञता और अन्य प्रासंगिक जानकारी तथा उपयुक्त और उचित मानदंडों के पालन पर विचार करती है, जिसका उद्देश्य बोर्ड को ऐसे सदस्य प्रदान करना है जिनके पास बैंक के व्यावसायिक हितों की सेवा करने और बोर्ड की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विविध ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और आवश्यक कौशल हैं। निदेशक मंडल की नीति के अनुसार, एनआरएचआर बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने से पहले निदेशक की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का आकलन करता है और यह आकलन प्रतिवर्ष अर्थात प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को किया जाता है।

बैंक के निदेशक अनुबंधों के विलेखों पर भी हस्ताक्षर करते हैं जो उन्हें बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त / पुनः नियुक्त होने के योग्य होने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बाध्य करते है। निदेशकों द्वारा दिए गए फॉर्म / घोषणा / वचन / सहमति में बताई गई निर्धारित जानकारी एनआरसी के समक्ष और बाद में बोर्ड के समक्ष समीक्षा और पुष्टि के लिए रखी जाती है।

essential element in supporting the attainment of its strategic objectives. A diverse Board includes and makes good use of differences in the skills, regional and industry experience, background, race, gender and other qualities of directors.

The Bank continuously seeks to enhance the effectiveness of its Board and to maintain the highest standards of corporate governance and recognizes and embraces the benefits of diversity in the boardroom. Diversity is ensured through consideration of a number of factors, including but not limited to skills, regional and industry experience, background and other qualities. In informing its perspective on diversity, the Bank also take into account factors based on its own business model and specific needs from time to time.

During the period, the strength of the Board was not less than -6- Six Directors and the Board of the Bank was Independent at all point of time, as mandated by RBI. The Chair on the Board is also a Non-Executive Independent Director.

Selection and Appointment of Directors

The selection and appointment of Directors of the Bank is done in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013, the relevant rules made thereunder, the Banking Regulation Act, 1949, the guidelines issued by the RBI and as per Corporate Governance Frameworks, and as amended, from time to time. The Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) considers, the skill set, knowledge, regional and industry experience, track record, expertise and other relevant information and adherence to the fit and proper norms by each Director, before making appropriate recommendations to the Board with regard to their appointment/re-appointment, which is designed to provide the Board with Members who have diverse knowledge, practical experience and requisite set of skills to serve the business interests of the Bank and enhance the overall effectiveness of the Board. In terms of the Policy for Board of Directors, the Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) assesses the 'Fit and Proper' status of the Director, before considering his candidature for appointment/reappointment as a Director of the Bank and annually i.e. as of 31st March every year.

The Directors of the Bank also sign the deed of covenants which binds them to discharge their responsibilities to the best of their abilities, individually and collectively in order to be eligible for being appointed/re-appointed as a Director of the Bank. The prescribed information as stated in the forms/declarations/undertakings/consent given by the Directors are placed before the Nomination & Remuneration and Human



बेंक ने निदेशक मंडल और विष्ठ प्रबंधन (नीति) के लिए उत्तरिधकार नियोजन नीति भी तैयार की है और उसे अपनाया है, जिसकी एनआरएचआर और बोर्ड द्वारा वार्षिक समीक्षा की जाती है। इस नीति का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ—साथ, बैंक के गैर—कार्यकारी अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशकों, प्रबंध निदेशक और सीईओ (एमडी और सीईओ), प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और अन्य विष्ठ अधिकारियों के पदों के लिए समय—समय पर उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का मूल्यांकन, पहचान और नामांकन करना, उक्त भूमिकाओं के उत्तरिधकारों की योजना बनाना और आसन्न स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र या अचानक बाहर निकलने या किसी भी कारण से ऐसी भूमिकाओं, वर्तमान या नामित उत्तरिधकारियों, भूमिका जवाबदेही में महत्वपूर्ण बदलाव, व्यापार मापदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव और भूमिका धारक या उत्तराधिकारी की आकांक्षा में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्तियों को भरना है।

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

वर्ष के दौरान तथा इस प्रतिवेदन की तिथि तक, बैंक के बोर्ड की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- नामांकन एवं पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति (एन आर 1. एच आर) की अनुशंसा के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने श्री मानस रंजन बिस्वाल (डीआईएन-08162008) को दिनांक 16 दिसंबर, 2024 से बैंक के गैर-कार्यकारी-अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की। वह यह पद वार्षिक आम बैठक की तिथि तक धारण करेंगे। उनकी पहली नियुक्ति 16 दिसंबर, 2024 से 15 दिसंबर, 2029 तक की अवधि के लिए पाँच (5) वर्षों की होगी (दोनों दिन सम्मिलित) तथा वह कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उनकी नियुक्ति वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है। उपरोक्त के अधीन, यदि वह पाँच (5) वर्षों का कार्यकाल पूर्ण करते हैं, तो उनकी पुनर्नियुक्ति सामान्य / विशेष प्रस्ताव द्वारा सदस्यों की स्वीकृति तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 एवं प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी।एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में बैंक में उनकी कुल सेवा अवधि, उनके द्वारा 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि/ पहले कार्यकाल (5 वर्ष) या 8 वर्ष के कार्यकाल के पूरे होने तक, इनमें से जो भी पहले हो ,तक सीमित होगी।
- पैरंट बैंक-बैंक ऑफ बड़ौदा की अनुशंसा/नामांकन के अनुरूप,
 बैंक ने नामांकन एवं पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति

Resource Committee (NRHR) and subsequently to the Board, for its review and confirmation.

The Bank has also formulated and adopted a Succession Planning Policy for the Board of Directors and Senior Management (Policy) which has been subjected to an annual review by the Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) and the Board. The objective of the Policy is to inter alia assess, identify and nominate suitable candidates to fill vacancies that may arise for positions of the Non-Executive Chairperson, Independent Directors, Managing Director & CEO (MD & CEO), Key Managerial Personnel and other Senior Officials of the Bank from time to time, to plan for succession of the said roles and to fill any vacancies that may arise out of impending move or retirement or resignation or sudden exit or for any reason whatsoever in such roles, incumbent or named successors, significant changes in role accountabilities, substantive changes in the business parameters and changes to the role holder or successor's aspiration.

Changes in the composition of Board

During the year and upto the date of this report, the following changes took place in the composition of the Board of the Bank -

- Pursuant to the recommendation of the Nomination 1. & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR), Board of Directors approved the appointment of Mr. Manas Ranjan Biswal (DIN: 08162008) as a Non-Executive-Additional Independent Director of the Bank w.e.f. December 16, 2024, to hold office as such upto the date of the Annual General Meeting. His appointment for the first term is for a period of -5- Five Years commencing from December 16, 2024, up to December 15, 2029, (both days inclusive) and shall not be liable to retire by rotation in terms of Section 152(6) of Companies Act, 2013. His appointment is subject to the approval of shareholders in the Annual General Meeting. Subject to above, once he completes a term of (5) five years, his re-appointment is subject to the approval by the members by ordinary/ special resolution and having regard to the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and the extant guidelines. His total tenure as an Independent Director in the Bank will upto the date on which he attains the upper age of 75 years/the date of completion of first tenure (5) five or second and total tenure eight (8) years whichever is earlier.
- Pursuant to the recommendations/nomination of the Parent Bank - Bank of Baroda, the Bank on the

Directors' Report



(एनआरएचआर) एवं निदेशक मंडल की सिफारिश पर, भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत श्री कुलदीप सिंह (डीआईएन-11018445) को 27 मार्च, 2025 से 26 मार्च, 2028 तक के लिए अतिरिक्त गैर-स्वतंत्र निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक) के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। उनकी नियुक्ति आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है।

- पैरेंट बैंक-बैंक ऑफ बड़ौदा की अनुशंसा/नामांकन के अनुरूप, 3. बैंक ने नामांकन एवं पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) एवं निदेशक मंडल की सिफारिश पर, भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत श्री निखिल मोहन (डीआईएन-09655509) को 01 जुलाई, 2022 से तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया था, जिसकी पृष्टि बैंक के सदस्यों द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को आयोजित बैंक की 100वीं वार्षिक आम बैठक में की गई थी। पैरेंट बैंक-बैंक ऑफ बड़ौदा के निर्देशानुसार, श्री निखिल मोहन ने 05 अप्रैल, 2025 को बैंकिंग कार्य समाप्ति के पश्चात प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से त्यागपत्र दे दिया।
- पैरेंट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अनुशंसा/नामांकन के अनुसार, बैंक ने नामांकन एवं पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) तथा निदेशक मंडल की अनुशंसा पर भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की और इसके पश्चात श्री स्शील कुमार लाल (डीआईएन-11029008) को 5 अप्रैल, 2025 (बैंकिंग समय समाप्त होने के पश्चात) से 4 अप्रैल, 2028 तक (दोनों दिन सम्मिलित) की अवधि के लिए एक अतिरिक्त गैर-स्वतंत्र निदेशक एवं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। वे सेवानिवृत्ति द्वारा पदत्याग के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उनकी नियुक्ति आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है।
- श्री एन. के. चारी को बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक 5. के रूप में 8 जून, 2020 से 5 वर्षों की अवधि अर्थात 7 जून, 2025 तक के लिए नियुक्त किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात, बैंक ने उन्हें 23 अगस्त, 2021 से 3 वर्षों की अवधि के लिए अंशकालिक स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। तत्पश्चात, भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त कर, उनके कार्यकाल को दूसरे कार्यकाल के रूप में 23 अगस्त, 2024 से 7 जून, 2025 तक बढ़ा दिया गया। श्री एन. के. चारी ने 7 जून, 2025 को अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात स्वतंत्र निदेशक एवं अंशकालिक स्वतंत्र अध्यक्ष के पद से पदत्याग किया।
- श्री गोपाल सिंह गुसाईं (डीआईएन-03522170) को 19 दिसंबर, 6.

- recommendations of the Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) and Board of Directors, obtained prior approval from the Reserve Bank of India and thereafter, appointed Mr. Kuldeep Singh (DIN: 11018445) as an Additional Non-Independent Director and Executive Director (Whole Time) w.e.f. March 27, 2025, upto March 26, 2028, and that he shall not be liable to retire by rotation. His appointment is subject to approval by the shareholders in the ensuing Annual General Meeting (AGM).
- Pursuant to the recommendations/nomination of the Parent Bank - Bank of Baroda, the Bank on the recommendations of the Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) and Board of Directors, obtained prior approval from the Reserve Bank of India and appointed Mr. Nikhil Mohan (DIN 09655509) as the Managing Director & CEO of the Bank w.e.f. July 01, 2022 for a period of three years and his appointment was confirmed by the members of the Bank in the 100th Annual General Meeting of the Bank held on September 29, 2022. On the directions of the Parent Bank - Bank of Baroda, Mr. Nikhil Mohan demitted the office of Managing Director & CEO on April 05, 2025 after the closure of business hours.
- Pursuant to the recommendations/nomination of the Parent Bank - Bank of Baroda, the Bank on the recommendations of the Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) and Board of Directors, obtained prior approval from the Reserve Bank of India and thereafter, appointed Mr. Sushil Kumar Lal, (DIN: 11029008) as an Additional Non-Independent Director and Managing Director & CEO w.e.f. April 05, 2025 (after closures of business hours) upto April 04, 2028 (both days inclusive) and that he shall not be liable to retire by rotation. His appointment is subject to approval by the shareholders in the ensuing Annual General Meeting (AGM).
- Mr. N.K. Chari was appointed as an Independent Director on the Board of the Bank w.e.f. June 08, 2020, for a period of -5- Five Years i.e. upto June 07, 2025. The Bank after seeking approval from Reserve Bank of India appointed him as Part Time Independent Chairman of the Bank effective from August 23, 2021, for a period of 3 years. After seeking approval from Reserve Bank of India, his tenure was extended for a second term i.e. from August 23, 2024, upto June 07, 2025. Mr. N.K. Chari demitted the office of Independent Director and Part Time Independent Chairman after completion of his tenure on June 07, 2025.
- Mr. Gopal Singh Gusain (DIN: 03522170) was appointed



2023 से 18 दिसंबर, 2028 तक की अवधि के लिए (पहला कार्यकाल) एक गैर—कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जब वह पांच (5) वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर लेंगे, तो उनकी पुनर्नियुक्ति बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और वर्तमान दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, साधारण/विशेष प्रस्ताव द्वारा सदस्यों की स्वीकृति के अधीन होगी। उनकी नियुक्ति को 27 सितंबर, 2024 को आयोजित 102वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया।

नामांकन एवं पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति (एन आर एच आर) और निदेशक मंडल की अनुशंसा पर, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर, श्री गोपाल सिंह गुसाईं (डीआईएन—03522170) को 8 जून, 2025 से 7 जून, 2028 तक (दोनों दिन सम्मिलित) अंशकालिक स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। वे सेवानिवृत्ति द्वारा पदत्याग के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उनकी अंशकालिक स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है।

7. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत, श्रीमती बिनिता शाह (डीआईएन—01538965) को दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से 16 दिसम्बर, 2024 तक (दोनों दिन सिम्मिलित) बैंक की गैर—कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रथम कार्यकाल हेतु नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी तथा उन्हें बोर्ड एवं समिति की बैठकों में उपस्थिति हेतु बैठक भत्ता, व्यय प्रतिपूर्ति तथा लाभ—संबंधित (यदि कोई हो और प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत मान्य हो) प्राप्त करने का अधिकार होगा। उनकी नियुक्ति की पुष्टि 10 सितम्बर, 2020 को आयोजित वार्षिक साधारण सभा में शेयरधारकों द्वारा की गई। आगे, द्वितीय कार्यकाल का अनुमोदन केवल बोर्ड द्वारा उनके कार्य—प्रदर्शन मूल्यांकन के उपरांत किया जाएगा, जो कि सामान्य सभा / सभाओं में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन होगा।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार, कोई भी निदेशक, चाहे उसे किसी भी नाम से संबोधित किया जाए, निरंतर आठ वर्षों से अधिक की अविध तक पद धारण नहीं कर सकता। तदनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति एनआरएचआरसी की संस्तुति के आधार पर, निदेशक मंडल ने परिसंचरण के माध्यम से दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को श्रीमती बिनिता शाह (डीआआई.एन.: 01538965) को द्वितीय कार्यकाल हेतु तीन वर्षों की अविध के लिए, अर्थात् 17 दिसम्बर, 2024 से 16 दिसम्बर, 2027 तक (दोनों दिन सम्मिलत), नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति आगामी साधारण सभा में बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। प्रथम कार्यकाल (17 दिसम्बर, 2019 से 16 दिसम्बर, 2024) तथा द्वितीय कार्यकाल

as Non-Executive Independent Director for a period of -5-Five Years (First Tenure) commencing from December 19, 2023, upto December 18, 2028, and once he completes a term of (5) five years, his re-appointment will be subject to the approval by the members by ordinary/special resolution and having regard to the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and the extant guidelines. His appointment was also confirmed by the shareholders in the 102nd Annual General Meeting held on September 27, 2024.

Pursuant to the recommendations of the Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) and Board of Directors, the Bank obtained prior approval from the Reserve Bank of India and thereafter, appointed Mr. Gopal Singh Gusain (DIN: 03522170) as Part Time Independent Chairman w.e.f. June 08, 2025, upto June 07, 2028 (both days inclusive), and that he shall not be liable to retire by rotation. His appointment as Part Time Independent Chairman is subject to approval by the shareholders in the ensuing Annual General Meeting (AGM).

7. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Banking Regulation Act, 1949, Mrs. Binita Shah (DIN: 01538965) was appointed as a Non-Executive Independent Director of the Bank for the first term of -5- Five Years w.e.f. December 17, 2019 upto December 16, 2024 (both day inclusive) and that she shall not be liable to retire by rotation and that she shall be eligible for sitting fees, reimbursement of expenses for attending Board and Committee meetings and profit related commission if any as permissible under relevant. Her appointment was confirmed by the shareholders in the Annual General Meeting (AGM) held on September 10, 2020. Further, the second term shall be awarded only after performance evaluation by the Board, and which shall also be subject to approval from the Shareholders in General Meeting/s.

As per Banking Regulation Act, 1949, no Director by whatever name called shall hold office continuously for a period exceeding eight years. Accordingly, based on the recommendations of Nomination and Remuneration & Human Resource Committee (NRHRC), the Board of Directors through circulation on December 16, 2024, awarded her a tenure of second year for -3- Three years w.e.f. December 17, 2024, upto December 16, 2027 (both day inclusive) and her appointment shall be approved in the forthcoming General Meeting by the members of the Bank. On completion of total tenure of -8- Eight Years i.e. December 17, 2019, to December 16, 2024 (First Tenure) and December 17, 2024, to December 16, 2027 (Second



(17 दिसम्बर, 2024 से 16 दिसम्बर, 2027) पूर्ण होने पर, कुल आठ वर्षों की सेवा अविध पूर्ण हो जाएगी। इसके उपरांत, श्रीमती बिनीता शाह तीन वर्षों के लिए कूलिंग पीरियड में रहेंगी।

ह. नामांकन, पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन समिति (एनआरएचआरसी) की संस्तुति के अनुसार, निदेशक मंडल ने अपनी बैठक दिनांक 03 सितम्बर, 2025 को श्री मनीष कौरा की नियुक्ति को बैंक के गैर—कार्यकारी—अतिरिक्त गैर—स्वतंत्र निदेशक के रूप में अनुमोदित किया। उनकी नियुक्ति अधिकतम तीन (—3—) वर्षों की अविध के लिए, उनकी नियुक्ति की तिथि से अथवा बैंक ऑफ बड़ौदा में उनके सेवानिवृत्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई है। वे इस पद पर आगामी वार्षिक सामान्य सभा की तिथि तक कार्य करेंगे। उनकी नियुक्ति का अनुमोदन आगामी वार्षिक सामान्य सभा में शेयरधारकों द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। वे गैर—स्वतंत्र निदेशक की श्रेणी में आते हैं जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रावधानित है।

निदेशक की स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड

एक निदेशक की स्वतंत्रता का मानदंड कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित शर्तों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की पहली बैठक में जिसमें वह एक निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके बाद की पहली बैठक में प्रत्येक वित्त वर्ष में बोर्ड या जब भी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है जो एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उसकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है, तो घोषणा करें कि वह स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह कहते हुए अपेक्षित घोषणाएं प्रस्तुत की हैं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के प्रावधानों के तहत स्वतंत्रता के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, जिन्हें बोर्ड के समक्ष रखा गया था। बोर्ड ने इसकी सत्यता का उचित मूल्यांकन करने के बाद, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता की घोषणा की पुष्टि की है और रिकॉर्ड में लिया है। बोर्ड की राय में, सभी स्वतंत्र निदेशक उक्त मानदंडों के तहत विशिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

बैंक यह पुष्टि करता है कि-

- क) बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों से उनकी स्वतंत्रता के संबंध में आवश्यक घोषणाएँ प्राप्त हो चुकी हैं।
- ख) स्वतंत्र निदेशकों ने अधिनियम की अनुसूची—IV में निर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशकों के आचार संहिता का पालन किया है।
- ग) बैंक के पास निदेशक मंडल से संबंधित नीति, निदेशक मंडल में विविधता से संबंधित नीति, निदेशक मंडल हेतु उत्तराधिकार नीति तथा निदेशक मंडल के लिए पारिश्रमिक नीति उपलब्ध है।

Tenure), Mrs. Binita Shah (DIN: 01538965) shall be placed under cooling period of -3- Three Years.

8. Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & Human Resource Committee (NRHRC), Board of Directors in meeting held on September 03, 2025 approved the appointment of Mr. Manish Kaura as a Non-Executive-Additional Non-Independent Director of the Bank to hold office for a maximum period of -3-Three Years from the date of appointment or date of superannuation in Bank of Baroda, whichever is earlier and to hold the office as such upto the date of the Annual General Meeting (AGM). His approval is subject to approval of shareholders in the ensuing Annual General Meeting. He falls under the category of Non-Independent Director as laid under the Companies Act, 2013.

Criteria for determining Independence of a Director

The criteria of independence of a director is determined based on conditions as laid down in the Companies Act, 2013. The Independent Director shall at the first meeting of the Board in which he/she participates as a director and thereafter at the first meeting of the Board in every Financial Year or whenever there is any change in the circumstances which may affect his/her status as an independent director, give a declaration that he/she meets the criteria of independence.

All the Independent Directors of the Bank have submitted the requisite declarations stating that they meet the criteria prescribed for independence under the provisions of Section 149 (6) of the Companies Act, 2013 which were placed before the Board. The Board has confirmed and taken on record the declaration of Independence provided by the Independent Directors, after undertaking due assessment of the veracity of the same. In the opinion of the Board, all the Independent Directors fulfil the conditions specific under the said norms and are independent of the Management.

The Bank confirms that -

- That all necessary declaration with respect to independence has been received from all the Independent Directors of the Bank;
- That the Independent Directors have complied with the Code for Independent Directors prescribed in Schedule IV of the Act.
- That the Bank has Policy on Board of Directors, Policy on Board Diversity, Succession policy for Board and Remuneration Policy for Board



प्रदर्शन का मूल्यांकन

बैंक अध्यक्ष, एमडी और सीईओ, बोर्ड और इसकी समितियों सहित निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। उक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने निष्पादन मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया और मानदंड तैयार किया है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

मापदंड जिनके अंतर्गत निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है:

बोर्ड और सिमित की बैठकों में उपस्थित और भागीदारी। गंभीर मुद्दों को बैंक के समक्ष उठाना, गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षाः स्वतंत्र प्रतिपादनः, निष्पक्ष राय और बैठकों में मुद्दों का समाधानः, बैंक के लिए नए विचारों और योजना के संदर्भ में पहल, सतर्कता तंत्र के तहत व्हिसल ब्लोअर के हितों की रक्षा करनाः, बोर्ड और सिमित की बैठकों के कार्यवृत्त पर समय पर इनपुट, यदि कोई हों; बैंक की ब्रांड छवि को बढ़ाने में योगदानः, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम न्यूनीकरण की समीक्षा करना।

एमडी और सीईओ के कार्यनिष्पादन के लिए मापदंड निम्नानुसार है

बोर्ड और सिति की बैठकों में उपस्थिति और भागीदारी; नेतृत्व की पहल और गंभीर मुद्दों को बोर्ड के समक्ष उठाना; गोपनीय जानकारी की सुरक्षा; स्वतंत्र प्रतिपादन; निष्पक्ष राय और बैठकों में मुद्दों का समाधान; बैंक के लिए नए विचारों और योजना के संदर्भ में पहल; सतर्कता तंत्र के तहत व्हिसल ब्लोअर के हितों की रक्षा करना; बोर्ड और सिति की बैठकों के कार्यवृत्त पर समय पर इनपुट, यदि कोई हो; वित्तीय विवरणों की सिनक्षा; व्यावसायिक प्रदर्शन और रणनीतिक निर्णय लेने में योगदान; बैंक की ब्रांड छिव को बढ़ाने में योगदान; जोखिम मूल्यांकन और जोखिम न्यूनीकरण की सिनक्षा, बैंक में मानव संसाधन पहल; बैंक की नीतियों का अनुपालन; नैतिकता, आचार संहिता आदि; धोखाधड़ी, उल्लंघन आदि की रिपोर्टिंग; बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के प्रदर्शन की सिनक्षा; बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन की सिनक्षा करना।

मानदंड जिसके तहत समितियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

बैठकों की संख्या, एजेंडों पर उचित मूल्यांकन और विचार—विमर्श, सिमिति की बैठकें इस तरह से आयोजित की जाती हैं जो खुले संचार को सार्थक भागीदारी और मुद्दों के समय पर समाधान, बैठकों के कार्यवृत्त पर समय पर इनपुट को प्रोत्साहित करती हैं। मानदंड जिसकें तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

बैंक का निदेशक मंडल निर्णय लेने में प्रभावी है; निदेशक मंडल एक कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना विकसित करने में प्रभावी है जो बोर्ड को अपनी जिम्मेदारियो को पूरा करने की अनुमति देता है और प्रोत्साहित करता है; भौतिक जोखिमो

Performance Evaluation

The Bank evaluates the performance of the Directors including Chairman, MD & CEO, Board and its Committees. Considering the said provisions, the Bank has devised the process and the criteria for the performance evaluation which has been approved by the Board.

The criteria under which performance of Directors is Evaluated

Attendance and participations in Board & Committee Meetings. Raising of concerns to the Board. Safeguard of confidential information; Rendering independent; Unbiased opinion and resolution of issues at meetings; Initiative in terms of new ideas and planning for the Bank; Safeguarding interest of whistle -blowers under vigil mechanism; Timely inputs on the minutes of the meetings of the Board and Committee's, if any; Contribution to the enhancement of brand image of the Bank; Review of risk assessment and risk mitigation.

The criteria under which the performance of MD & C.E.O. is Evaluated

Attendance and participations in Board & Committee Meetings; Leadership initiative and raising of concerns to the Board; Safeguard of confidential information; Rendering independent; Unbiased opinion and resolution of issues at meetings; Initiative in terms of new ideas and planning for the Bank; Safeguarding interest of whistle-blowers under vigil mechanism; Timely inputs on the minutes of the meetings of the Board and Committee's, if any; Review of financial statements; Driving business performance and contribution to strategic decision making; Contribution to the enhancement of brand image of the Bank; Review of Risk Assessment and Risk Mitigation; Human Resource Initiatives in the Bank; Compliance with policies of the Bank; Ethics, code of conduct etc.; Reporting of frauds, violation etc.; Review of performance Senior Management of the Bank; Overall performance of the Bank.

The criteria under which the performance of Committees is Evaluated

Number of Meetings, Proper evaluation and deliberation on the agendas, Committee Meetings are conducted in a manner that encourages open communication meaningful participation and timely resolution of issues, Timely inputs on the Minutes of the Meetings. The criteria under which the performance of Board is evaluated by Independent Directors

The Board of Directors of the Bank is effective in decision making; The Board of Directors is effective in developing a corporate governance structure that allows and encourages



की पहचान करने और नीतियों और कानून के सामग्री उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए बैंक की नियंत्रण प्रणाली प्रभावी है; बोर्ड नियमित आधार पर बताए गए मिशन को पूरा करने में संगठन के प्रदर्शन की समीक्षा करता है; निदेशक मंडल कंपनी के प्रबंधन को आवश्यक सलाह और सुझाव प्रदान करने में प्रभावी है, बोर्ड पूरी तरह से विनियामक वातावरण और बाजार में नवीनतम विकास के साथ अद्यतित है।

निदेशकों को बोर्ड की बैठकों से पहले प्रदान की गई जानकारी रुपरेखा और विवरण के संदर्भ में आपकी अपेक्षाओं को पूरा करती है; बोर्ड की बैठकें इस तरह से आयोजित की जाती हैं जो खुले संचार, सार्थक भागीदारी और मुद्दों के समय पर समाधान को प्रोत्साहित करती हैं; बोर्ड के अध्यक्ष प्रभावी ढंग से और उचित रूप से बोर्ड की बैठकों और बोर्ड की नीति और शासन कार्यों का नेतृत्व और सुविधा प्रदान करते हैं; बोर्ड आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, प्रबंधन की प्रतिक्रियाओं और सुधार की दिशा में कदमों पर उचित रूप से विचार करता है; बोर्ड चयन से समाप्ति तक स्वतंत्र लेखा परीक्षक की भूमिका की देखरेख करता है और स्वतंत्र लेखा परीक्षक की योग्यता और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया है; बोर्ड स्वतंत्र लेखापरीक्षा योजना पर विचार करता है और सिफारिशें प्रदान करता है।

निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण

- क) वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा जहाँ कहीं महत्वपूर्ण विचलन हुआ है, वहाँ उसका समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- ख) निदेशकों ने उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन कर उन्हें सतत् रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो यथोचित और सावधानीपूर्वक हों, तािक कंपनी की वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उसकी स्थिति तथा उस अविध के लाभ—हािन का सही और निष्पक्ष चित्रण हो सके।
- ग) निदेशक इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख—रखाव हेतु उचित और पर्याप्त देखभाल करती है, जिससे कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पहचान की जा सके
- घ) निदेशकों ने वार्षिक खातों को गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किया है।
- ड) सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, निदेशकों ने ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं जिनका पालन कंपनी द्वारा किया जाना है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि ये नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्यरत रहे हैं।

स्पष्टीकरण-इस क्लॉज़ के प्रयोजन हेतु, "आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" से आशय ऐसे नीतियों एवं प्रक्रियाओं से है जिन्हें कंपनी the Board to fulfil its responsibilities; The Bank's systems of control are effective for identifying material risks and reporting material violations of policies and law; The Board reviews the organization's performance in carrying out the stated mission on a regular basis; The Board of Directors is effective in providing necessary advice and suggestions to the Company's management, the Board as a whole is up to date with latest developments in the regulatory environment and the market.

The information provided to Directors prior to Board Meetings meets your expectations in terms of length and level of detail; Board meetings are conducted in a manner that encourages open communication, meaningful participation, and timely resolution of issues; The Board Chairman effectively and appropriately leads and facilitates the Board meetings and the policy and governance work of the Board; The Board appropriately considers internal audit reports, management's responses, and steps towards improvement; The Board oversees the role of the Independent Auditor from selection to termination and has an effective process to evaluate the Independent Auditor's qualifications and performance; The Board considers the Independent Audit plan and provides recommendations.

Directors' Responsibility Statement

- in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- c. the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- e. the directors, in the case of a listed company, had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

Explanation - For the purposes of this clause, the term "internal financial controls" means the policies and



द्वारा अपनाया गया है ताकि व्यवसाय का संचालन सुव्यवस्थित एवं कुशलतापूर्वक हो सके। इसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, परिसंपत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखा अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करना तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर संकलन एवं प्रस्तुतीकरण सम्मिलित है।

च) निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ स्थापित की हैं कि कंपनी द्वारा सभी लागू क़ानूनों का अनुपालन किया जा सके और यह प्रणालियाँ पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से लागू हैं।

बैठकें

वार्षिक आम बैठक — वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए बैंक की वार्षिक आम बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को आयोजित की गई, जिसमें 7 (सात) प्रस्तावों को बैंक के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया और निम्नानुसार अनुमोदित किया गयाः

साधारण व्यवसाय

- दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन पर निदेशकों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अपनाना।
- श्री राकेश नेमा (डीआईएन–07207816), जो सेवानिवृत्ति द्वारा निदेशक पद से पदमुक्त हो रहे हैं और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं, को पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित करना।
- एम/एस ए. आर. एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एफआरएन 002744C) को बैंक के केन्द्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित करना ।

विशेष विषय

- श्री गोपाल सिंह गुसाईं (डीआईएन–03522170) को गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित करना।
- 5. श्री कृष्णमाचारी नरसिम्हाचारी (डीआईएनः 07409731) को अंशकालिक / गैर—कार्यकारी (स्वतंत्र) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित करना।
- 6. संविधान लेखावली में संशोधन/संवर्धन—अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशकगण, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी (अनुच्छेद 83) से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन करना।
- वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित करना।

102वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवृत्त तथा स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- procedures adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information;
- the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Meetings

Annual General Meeting - The Annual General Meeting of the Bank for FY 2023-24 was held on September 27, 2024, wherein, -7- Seven agendas were placed before the members of the Bank and were approved as under-

Ordinary Business

- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended 31st March 2024, together with the report of the Directors and Auditors thereon.
- 2. To appoint a Director in place of Mr. Rakesh Nema (DIN 07207816) who retires by rotation and being eligible, has offered himself for re-appointment.
- 3. To consider and appoint M/s A R & Company, Chartered Accountants (FRN 002744C) as the Central Statutory Auditors of the Bank.

Special Business

- 4. To appoint Mr. Gopal Singh Gusain (DIN 03522170) as Non-Executive Independent Director.
- To appoint Mr. Krishnamachari Narasimhachari (DIN 07409731) as Part Time/Non-Executive (Independent) Chairman.
- Alternation/Addition to the Articles of Association (Chapter) - Chairman, CEO, Managing Director or Whole Time Director(s), Company Secretary or Chief Financial Officer (Clause 83).
- 7. To appoint Branch Auditors of the Bank for the Financial Year ending 31st March, 2025.

The minutes of the 102nd Annual General Meeting along with Scrutinizer's report are available on the Bank's website.



असाधारण आम बैठक — वित्तीय वर्ष 2024—25 में कोई भी असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई।

पोस्टल बैलेट — वित्तीय वर्ष 2024—25 में किसी भी प्रस्ताव को डाक मत के माध्यम से प्रसारित नहीं किया गया।

बोर्ड की बैठकें — बैंक प्रत्येक दो माह में कम से कम एक (1) निदेशक मंडल की बैठक तथा न्यूनतम छह (6) बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित करता है। समीक्षित वित्तीय वर्ष के दौरान कुल बारह (12) निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित की गईं। बैठकें आयोजित करने के मध्य का अंतराल कंपनियों अधिनियम, 2013 एवं लागू विनियमों के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर रहा। वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण इस रिपोर्ट का भाग बनने वाले परिशिष्ट में प्रस्तुत किया गया है।

समितियों की बैठक — बैंक के पास निदेशक मंडल की दस (10) उप—समितियाँ हैं. जो निम्नलिखित हैं:

- 1. लेखा परीक्षा समिति (ए सी बी)
- 2. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- 3. नामांकन, पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर)
- 4. प्रबंधन समिति (एमसीबी)
- 5. ग्राहक सेवा एवं हितधारक संबंध समिति (सीएसआरसी)
- 6. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति एवं डिजिटल प्रोत्साहन समिति (आईटी-डी)
- 7. जानबूझकर चूक करने वालों की समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीसी)
- 8. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर)
- 9. वसूली समिति (आरसी)
- **10**. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु विशेष समिति (एससीबीएमएफ)

वर्ष के दौरान आयोजित इन बैठकों का विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट का भाग बनने वाले परिशिष्ट में दिया गया है। **Extra Ordinary General Meeting -** There was no Extra Ordinary General Meeting in FY 2024-25.

Postal Ballot - There was no agenda circulated through Postal Ballot in FY 2024-25.

Board Meeting - The Bank holds at least -1- One Board Meeting in Two Months and minimum -6- Six Board Meetings in a Year. During the Financial Year under review, Twelve (12) Board Meetings were convened and held. The intervening gap between the Board Meetings was within the period prescribed periods under the Companies Act, 2013 and applicable Regulations. The details of the meetings held during the year are set out in the annexure forming part of this Report.

Committee Meetings - The Bank is having -10- Ten Sub-Committee of Board namely –

- 1. Audit Committee of Board (ACB);
- 2. Risk Management Committee of Board (RMCB);
- Nomination and Remuneration and Human Resource Committee (NRHR);
- 4. Management Committee of Board (MCB);
- Customer Service and Stakeholders' Relationship Committee (CSRC);
- 6. IT Strategy & Digital Promotion Committee (IT & D);
- 7. Willful Defaulter Review Committee (WDC);
- 8. Corporate Social Responsibility Committee (CSR);
- 9. Recovery Committee (RC);
- 10. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF).

The details the meetings held during the year are set out in the annexure forming part of this Report.

वित्तीय वर्ष 2024—25 में बोर्ड और समिति की बैठकों की संख्या NUMBER OF BOARD AND COMMITTEE MEETINGS IN FINANCIAL YEAR 2024-25

क्र.सं. /SN.	बोर्ड ⁄ Board	एसीबी / ACB	आईटी ⁄।T	आरएमसीबी / RMCB	एनआरसी / NRC	एमसीबी / MCB	आरसी /RC	एसआरसी /SRC	डब्ल्यूडी / WD	एनसीबी / NCB	सीएसआर / CSR	एल वी एफ /एस सी बी एम एफ /LVF/ SCBMF
1	30-04-2024	29-04-2024	29-04-2024	23-04-2024	20-04-2024	25-04-2024	27-04-2024	29-04-2024	29-04-2024	-	03-07-2024	29-04-2024
2	18-06-2024	17-06-2024	14-08-2024	29-06-2024	29-04-2024	21-08-2024	20-08-2024	09-12-2024	10-03-2025	-	27-08-2024	09-12-2024
3	29-07-2024	26-07-2024	27-12-2024	23-08-2024	29-07-2024	09-12-2024	30-11-2024	31-03-2025	-	-	-	29-03-2025
4	08-08-2024	28-08-2024	29-12-2024	06-12-2024	30-08-2024	20-03-2025	19-03-2025	-	-	-	-	-
5	31-08-2024	23-10-2024	29-03-2025	20-03-2025	13-11-2024	-	-	-	-	-	-	-
6	23-10-2024	05-12-2024	-	-	04-12-2024	-	-	-	-	-	-	-
7	12-12-2024	21-01-2025	-		07-03-2025	-	-	-	-	-	-	-



क्र.सं. /SN.	बोर्ड / Board	एसीबी / ACB	आईटी ⁄IT	आरएमसीबी /RMCB	एनआरसी ⁄NRC	एमसीबी / MCB	आरसी /RC	एसआरसी /SRC	डब्ल्यूडी /WD	एनसीबी / NCB	सीएसआर /CSR	एल वी एफ /एस सी बी एम एफ /LVF/ SCBMF
8	13-12-2024	21-03-2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	22-01-2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	17-02-2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	18-02-2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	26-03-2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

पूंजी संरचना

वर्ष के दौरान, बैंक में कोई पूंजी निवेश नहीं किया गया, तथापि बैंक की पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दिनांक 31 मार्च, 2025 को बैंक की श्रेणीवार शेयरधारिता संरचना निम्नानुसार थी—

संरचना विवरण	% शेयरों की	मूल्य
1. प्राधिकृत पूंजी	100.00%	2300000000
निर्गमित पूंजी	51.06%	1174462500
प्रदत्त पूंजी	51.06%	1174462500
2. शेयरहोल्डिंग	% शेयरों की	शेयर
I) भारत सरकार	0.00%	0
II) बैंक / वित्तीय संस्थान (एफआई)	98.57%	115769967
III) बीमा कंपनी	0.00%	0
IV) (म्युचुअल फंड) एमएफ / युनाइटेड ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (यूटीआई)	0.00%	0.00
V) अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) / विदेशी वाणिज्यिक निकाय (ओसीबी) / गैर निवासी भारतीय (एनआरआई) / जीडीआर)	0.00%	0.00
VI) निजी कॉर्पोरेट	0.05%	36256
VII) अन्य / रिटेल वैयक्तिक	1.37%	1629594
VIII) आईईपीएफ	0.01%	10433
कुल	100%	117446250

बैंक की पूंजी संरचना में बैंक ऑफ बड़ौदा की 98.57% हिस्सेदारी है। यह शेयरधारिता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक विशेष मामले के रूप में स्वीकृत की गई है तथा यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की प्रासंगिक धारा, भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग कंपनियों में शेयरों या मतदान अधिकारों के अधिग्रहण और धारिता) मास्टर डाइरेक्शन, 2023 एवं अन्य लागू विधियों के अंतर्गत अनुमत है।

बैंक ने जुलाई 2025 में राइट् इश्यू 2025 के माध्यम से ₹ 168.99 करोड़ की राशि जुटाई है। इसके पश्चात बैंक की संशोधित पूंजी संरचना निम्नानुसार है—

Capital Structure

During the year, there was no capital infusion in the Bank and the capital structure of the Bank remained unchanged. The category wise Shareholding Pattern of the Bank, as on 31st March, 2025, was as under -

Composition particulars	% of shares	Amount
1. Authorised Capital	100.00%	2300000000
Issued Capital	51.06%	1174462500
Paid-up-Capital	51.06%	1174462500
2. Share Holding	% of shares	Shares
I) Govt of India	0.00%	0
II) Banks/Financial Institution (FI)	98.57%	115769967
III) Insurance Co	0.00%	0
IV) (Mutual Funds) MFs/ United Trust of India (UTI)	0.00%	0.00
V) Non Residents (Foreign Institutional Investors (FIIs)/Overseas Commercial Bodies (OCBs)/Non-resident Indian (NRI)/GDRs)	0.00%	0.00
VI) Private Corporate	0.05%	36256
VII) Others/Retail Individuals	1.37%	1629594
VIII) IEPF	0.01%	10433
Total	100%	117446250

Bank is having a capital structure where Bank of Baroda is holding 98.57% stake. This shareholding has been permitted by Reserve Bank of India as a special case and as per relevant section of The Banking Regulation Act, 1949, Master Direction Reserve Bank of India (Acquisition and Holding of Shares or Voting Rights in Banking Companies) Directions, 2023 and other laws applicable for the time being in force.

The Bank has raised ₹ 168.99 Crore through Right Issue 2025 in July 2025. The revised Capital Structure of the Bank is as follows –



संरचना विवरण	% शेयरों की	मूल्य
1. प्राधिकृत पूंजी	100.00%	2300000000
निर्गमित पूंजी	72.06%	1657299050
प्रदत्त पूंजी	72.06%	1657299050
2. शेयरहोलिंडग	% शेयरों की	शेयर
l) भारत सरकार	0.00%	0
II) बैंक / वित्तीय संस्थान (एफआई)	98.62%	163439953
III) बीमा कंपनी	0.00%	0
IV) (म्युचुअल फंड) एमएफ / युनाइटेड ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (यूटीआई)	0.00%	0.00
V) अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) / विदेशी वाणिज्यिक निकाय (ओसीबी) / गैर निवासी भारतीय (एनआरआई) / जीडीआर)	0.00%	0.00
VI) निजी कॉर्पोरेट	0.02%	36256
VII) अन्य / रिटेल वैयक्तिक	1.35%	2243263
VIII) आईईपीएफ	0.01%	10433
कुल	100%	165729905

_	TOT	гот
୯	141	I₹I
× 1	1.1	

लाभांश के रूप में लाभ के वितरण के लिए बैंक आरबीआई के परिपत्र का पालन करता है। लाभांश वितरण संरचना में भविष्य के विकास को समर्थन देने के लिए आवश्यक पूंजी को बनाए रखते हुए लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को पुरस्कृत करना शामिल है। भारत में मौजूदा यूनिवर्सल बैंकों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ के संबंध में नियामक आवश्यकता (आरबीआई की 26 नवंबर, 2021 की प्रेस विज्ञप्ति) की अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, वित्त वर्ष 2024—25 के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है। यह लाभ प्रतिधारण बैंक की पूंजी वृद्धि और बैंक के विकास में मदद करेगा। जुलाई 2025 माह में बैंक ने राइट् इश्यू 2025 के माध्यम से ₹ 168.99 करोड़ की नई पूंजी जुटाकर नेट वर्थ की आवश्यकता का अनुपालन किया है, जिससे बैंक की नेट वर्थ बढ़कर ₹ 1,000.00 करोड़ से अधिक हो गयी है, जो बैंक पर लागू मापदंड है।"

जमाराशि

एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और 74 के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (5) (v) और (vi) के तहत जमाराशि से संबंधित प्रकटीकरण बैंक पर लागू नहीं होते हैं।

पारिश्रमिक नीति

बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रासंगिक प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक नियमों, कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित नियमों और इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार बैंक के

Composition particulars	% of shares	Amount
Authorised Capital	100.00%	2300000000
Issued Capital	72.06%	1657299050
Paid-up-Capital	72.06%	1657299050
2. Share Holding	% of shares	Shares
I) Govt of India	0.00%	0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
II) Banks/Financial Institution (FI)	98.62%	163439953
III) Insurance Co	0.00%	0
IV) (Mutual Funds) MFs/ United Trust of India (UTI)	0.00%	0.00
V) Non Residents (Foreign Institu-tional Investors (FIIs)/Overseas Commercial Bodies (OCBs)/Non-resident Indian (NRI)/GDRs)	0.00%	0.00
VI) Private Corporate	0.02%	36256
VII) Others/Retail Individuals	1.35%	2243263
VIII) IEPF	0.01%	10433
Total	100%	165729905

Dividend

The Bank adheres to RBI's Circular for distribution of profit in the form of Dividend. The Dividend Distribution structure encompasses rewarding shareholders through dividends while retaining the capital required for supporting its future growth. For ensuring compliance of the regulatory requirement (RBI press release of November 26, 2021) w.r.t minimum Net Worth for existing Universal Banks in India, no dividend is being proposed for FY 2024-25. This profit retention will help the Bank in capital augmentation and growth of the Bank. In the month of July 2025, the Bank has complied with the Net Worth requirement by raising fresh capital of ₹ 168.99 Crore through Right Issue 2025 which enabled the Bank to augment its Net Worth to above ₹ 1,000.00 Crore as applicable to the Bank.

Deposits

Being a Banking Company, the disclosures relating to deposits as required under Rule 8(5) (v) & (vi) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, read with Sections 73 and 74 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Bank.

Remuneration Policy

The Bank has formulated and adopted the Remuneration Policy for Non-Executive Chairperson and Non-Executive Directors of the Bank in terms of the relevant provisions of Section 178 of



गैर—कार्यकारी अध्यक्ष और गैर—कार्यकारी निदेशकों के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार की है और उसे अपनाया है।

गैर-कार्यकारी स्वतंत्र अध्यक्ष का पारिश्रमिकः

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति अध्यक्ष के पारिश्रमिक (मानदेय) की अनुशंसा बोर्ड को करती है, जिसे बैंक के सदस्यों की स्वीकृति और नियामकीय स्वीकृति के अधीन, बोर्ड द्वारा विचार कर स्वीकृत किया जाता है। यह पारिश्रमिक (मानदेय) भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अधीन होता है। अतः पारिश्रमिक (मानदेय) या उसमें कोई भी संशोधन, केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही देय होता है। अध्यक्ष को बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति का भी अधिकार है। बोर्ड या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु बैठक शुल्क के अतिरिक्त, अध्यक्ष को भारतीय रिज़र्व बैंक और सदस्यों द्वारा दी गई अंतिम स्वीकृति के अनुसार, प्रति वर्ष ₹ 10.20 लाख के मानदेय के हकदार हैं।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक

बोर्ड, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर विचार करता है और बैंक के सदस्यों के अनुमोदन और लागू विनियामक अनुमोदन के अधीन संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पारिश्रमिक को मंजूरी देता है। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को देय पारिश्रमिक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमोदन के अधीन है और इसलिए पारिश्रमिक या पारिश्रमिक में संशोधन उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही देय है। इसके अलावा, मौजूदा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को देय पारिश्रमिक उनके कैडर में लागू आईबीए नियमों के अनुसार है।

गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों (एनईआईडी) का पारिश्रमिक

गैर—कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों (एन ई डी) को देय पारिश्रमिक नीति द्वारा शासित है। वित्तीय वर्ष 2024—25 में, बैंक ने स्वतंत्र निदेशकों को समिति की प्रत्येक बैठक हेतु ₹ 20,000.00 और बोर्ड की प्रत्येक बैठक हेतु ₹ 35,000.00 का बैठक शुल्क प्रदान किया। अप्रैल 2025 में, यह बैठक शुल्क बढ़ाकर समिति की प्रत्येक बैठक के लिए ₹ 30,000.00 और बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए ₹ 50,000.00 कर दिया गया है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर है।

the Companies Act, 2013, the relevant Rules made thereunder, rules relating to Corporate Governance and the Guidelines issued by the RBI, in this regard.

• Remuneration of Non-Executive Independent Chairman

The Nomination & Remuneration Committee recommends the remuneration (honorarium) of the Chairman to the Board which is considered and approved by the Board subject to the approval of members of the Bank and applicable regulatory approval. The remuneration (honorarium) payable to the Chairman is subject to prior approval of the Reserve Bank of India. Therefore, the remuneration (honorarium) or any revision therein is payable to the Chairman only post receipt of the approval from the Reserve Bank of India. The Chairman is also entitled to reimbursement of expenses for participation in the meetings of the Board and Committees thereof. Apart from the payment of sitting fees for attending meeting of the Board of Directors or any Committees thereof, the Chairman is entitled to a honorarium of ₹ 10.20 Lac per annum as per the last approval granted by the Reserve Bank of India and the members.

Remuneration of Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director

The Board considers the recommendations of Nomination & Remuneration Committee and approves the remuneration of the Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Director, with or without modifications, subject to the approval of members of the Bank and applicable regulatory approval. The remuneration payable to the Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Director is subject to prior approval of the Reserve Bank of India and hence the remuneration or revision in remuneration is payable to them only post receipt of the approval from the Reserve Bank of India. Further, the remuneration payable to the existing Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Director is as per IBA rules applicable in his cadre in Parent Bank - Bank of Baroda.

Remuneration of Non-Executive Independent Directors (NEIDs)

The remuneration payable to Non-Executive Independent Directors (NEDs) is governed by the Policy and in FY 2024-25, the Bank paid ₹ 20,000.00 for per committee meetings and ₹ 35,000.00 for per Board Meeting as Sitting Fees to Independent Directors only. In the month of April 2025, the Sitting Fees have been enhanced to ₹ 30,000.00 per Committee Meetings and ₹ 50,000.00 per Board Meeting which is within the limits prescribed under the Companies Act, 2013.



संबद्ध पक्षों के साथ लेन-देन

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों, प्रबंधन या निदेशकों / प्रबंधन के रिश्तेदारों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जो बैंक और इन पक्षों के बीच हितों के टकराव की संभावना पैदा कर सकता है, यह लेनदेन उसके सामान्य व्यवसाय के दौरान किए गए लेनदेन के अलावा है। बैंक द्वारा अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन–देन को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा गया था। संबंधित पक्षों के साथ कोई लेन–देन दर्ज नहीं किया गया था, जो बैंक के व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं थे, न ही संबंधित पार्टियों या अन्य के साथ कोई लेन–देन थे, जो आर्म्स लेंथ के आधार पर हों। वित्त वर्ष की शुरुआत में उनकी समीक्षा के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष सभी संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण देने वाला एक विवरण दिया गया है, जो इस प्रकार प्रदान की गई सर्वव्यापक मंज्री के अनुसार दर्ज किया गया है।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों द्वारा व्यवसाय के सामान्य कोर्स में दिए गए ऋण, दी गई गारंटी या सुरक्षा पर धारा 186 (उपधारा (1) को छोड़कर) लागू नहीं होती है।

बैंक द्वारा किए गए निवेश का विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय विवरणों के अनुसूची 8 में प्रकट किया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जानकारी

बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया है।

कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2025 की स्थिति में

श्री निखिल मोहन (पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

श्री कुलदीप सिंह (कार्यकारी निदेशक)

श्री महेश गोयल (मुख्य वित्तीय अधिकारी)

Related Party Transactions

During the year, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters, Directors, Management or Relatives of the Directors/Management, which could lead to potential conflict of interest between the Bank and these parties, other than transactions entered into in the ordinary course of its business. Transactions entered into by the Bank with related parties in the normal course of its business were placed before the Audit Committee of Board. There were no transactions entered with related parties, which were not in the normal course of the business of the Bank, nor were there any transactions with related parties or others, which were not on an arm's length basis. A statement giving details of all related party transactions, entered pursuant to the omnibus approval so granted, is placed before the Audit Committee of Board for their review at the beginning of the Financial Year.

Particulars of Loans, Guarantees and Investments

Pursuant to Section 186(11) of the Companies Act, 2013, the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013, except sub-section (1), do not apply to a loan made, guarantee given or security provided by a banking company in the ordinary course of its business.

The particulars of investments made by the Bank are disclosed in Schedule 8 of the Financial Statements as per the applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

Information under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

The Bank has complied with the provisions relating to the constitution of Internal Committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

No complaint was received the Financial Year under the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Key Managerial Personnel

In terms of provisions contained in Section 203 of the Companies Act 2013, as on March 31, 2025,

Mr. Nikhil Mohan (Former Managing Director and Chief Executive Officer),

Mr. Kuldeep Singh (Executive Director),

Mr. Mahesh Goyal (Chief Financial Officer)



श्री विवेक साह (कंपनी सचिव) व्यक्ति बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं / थे:

इसके अतिरिक्त, दिनांक 05 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, श्री सुशील कुमार लाल को श्री निखिल मोहन के स्थान पर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, और वह बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

नियामक एवं बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार, रिपोर्ट की तिथि तक कॉर्पोरेट स्तर पर निम्नलिखित पदाधिकारी बैंक में प्रमुख पदों पर कार्यरत हैं:

श्री दीपक पंत — मुख्य परिचालन अधिकारी, श्री दीपक बिष्ट— मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, श्री कैलाश चंद्र पांडेय—मुख्य अनुपालन अधिकारी, श्री मोहम्मद मोहिसन इस्लाम—मुख्य जोखिम अधिकारी, श्री दीपक रौतेला—मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, श्री गौरव शर्मा—मुख्य डिजिटल अधिकारी, श्री हेमंत खुल्बे—प्रमुख, मानव संसाधन विभाग, श्री अभिषेक गोयल—प्रमुख, ऋण विभाग, श्री अनिल जोशी—प्रमुख, वसूली विभाग, श्री दीपक सनवाल—प्रमुख, सीआईएडी, श्री शरद कुमार—प्रमुख, संचालन विभाग, श्री हरीश बिष्ट—प्रमुख, निवेश विभाग एवं श्री राजेन्द्र सिंह, प्रमुख—योजना विभाग।

कॉर्पोरेट गवर्नेस के अंतर्गत की जाने वाली हरित पहल

इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कागज रहित अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन के एक भाग के रूप में 'हरित पहल" की शुरुआत की गई थी। यह दस्तावेजों के शीघ्र संचार की सुविधा और डाक पारगमन में वैधानिक दस्तावेजों के नुकसान से बचने के लिए है। इस संबंध में, हमने उन शेयरधारकों को ई—मेल भेजने की पहल की है, जिन्होंने बैंक के साथ अपने ई—मेल पते पंजीकृत किए हैं और उन्हें बैंक की वेबसाइट पर एक लिंक के साथ सुविधा प्रदान की है, जो बैंक के दस्तावेजों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है जैसे कि वार्षिक सूचना आम बैठक, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ, निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदि शामिल हैं, ताकि बैंक के शेयरधारकों के लिए वैधानिक दस्तावेजों तक पहुंच को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के अनुसार, एक कंपनी उन सदस्यों को ई—मेल सहित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस की प्रति भेज सकती है, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) या कंपनी के साथ अपना ई—मेल पता पंजीकृत किया है।

उन सदस्यों के मामले में जिनका ईमेल पता बदल गया है और उन्होंने नया ई—मेल पता अपडेट नहीं किया है, बैंक उक्त दस्तावेजों को उनके मौजूदा ई—मेल पते पर भेजेगा और उक्त दस्तावेजों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में वितरित किया गया माना जाएगा। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते या उसके किसी भी बदलाव को जल्द से जल्द अपने

Mr. Vivek Sah (Company Secretary)

are/were the Key Managerial Personnel's of the Bank. Further, w.e.f. April 05, 2025,

Mr. Sushil Kumar Lal (Managing Director and Chief Executive Officer) is the Key Managerial Personnel of the Bank in place of Mr. Nikhil Mohan.

As mandated by the Regulator and Bank's requirement, the following hold the key positions in the Bank at Corporate Level as on the date of this report –

Mr. Deepak Pant - Chief Operating Officer (COO), Mr. Deepak Bisht - Chief Technology Officer (CTO), Mr. Kailash Chandra Pandey -Chief Compliance Officer (CCO), Mr. Mohd. Mohsin Islam - Chief Risk Officer (CRO), Mr. Deepak Rautela - Chief Information Security Officer (CISO), Mr. Gaurav Sharma - Chief Digital Officer (CDO), Mr. Hemant Khulbe (Head Human Resource), Mr. Abhishek Goel (Head Credit), Mr. Anil Joshi (Head - Recovery), Mr. Deepak Sanwal (Head CIAD), Mr. Sharad Kumar (Head-Operations), Mr. Harish Bisht (Head Investments) and Mr. Rajendra Singh (Head-Planning).

Green Initiative under Corporate Governance

"Green Initiative" was introduced by The Ministry of Corporate Affairs as a part of Corporate Governance, in order to promote paperless compliances through electronic mode. This is to facilitate early communication of the documents and evade loss of statutory documents in postal transit. In this regard, we have initiated to send e-mail to the shareholders' who have registered their e-mail addresses with the Bank and facilitating them with a link on the Bank's website, providing free access to documents of the Bank like Notice of Annual General Meeting, Annual Report of the Bank which, inter-alia, includes Directors' Report and Auditors' Report etc. in order to make it more convenient to the shareholders of the Bank to access Statutory documents.

In terms of Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a company may send copy of notice through electronic mode including e-mail to those members who have registered their e-mail address either with their depository participants (DP) or with the company.

In case of members whose email address has changed and they have not updated the new e-mail address, the Bank would send the said documents to their existing e-mail address and the said documents shall be deemed to have been delivered in compliance with the provisions of the Act. Therefore, members are requested to register their email address or any



डीपी (इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयर) या केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड (भौतिक रूप में रखे गए शेयर) के साथ पंजीकृत करें।

हालाँकि, यदि कोई सदस्य वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहता है, तो उनसे अनुरोध है कि वे einward.ris@kfintech.com या cs@nainitalbank.co पर डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी या फोलियो नंबर, का उल्लेख करते हुए लिखें, तािक बैंक उक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रति निःशुल्क उपलब्ध करा सके। कृपया ध्यान दें कि उक्त दस्तावेज बैंक की वेबसाइट www.nainitalbank.co.in पर भी अपलोड किए जा रहे हैं।

सचिवीय मानकों का पालन

बैंक निदेशक मंडल (एसएस—1) की बैठकों पर सचिवीय मानकों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस—2) का अनुपालन करता है। बैंक ने आईसीएसआई द्वारा जारी निदेशक मंडल (एसएस—4) की रिपोर्ट पर लाभांश पर अनुशंसात्मक सचिवीय मानक (एसएस—3) और सचिवीय मानक को स्वेच्छा से अपनाया है।

शेयरों का अमूर्तीकरण

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने गैर—सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों द्वारा केवल डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियों जारी करना अनिवार्य कर दिया है और 02 अक्टूबर, 2018 से गैर—सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों द्वारा आगे के शेयरों का निर्गमन और समस्त शेयरों का अंतरण केवल अमूर्त रूप में ही होगा। इसका सार इस प्रकार है:

- गैर—सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक,
 जो दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 को या उसके बाद ऐसी प्रतिभूतियों
 को अंतरित करने का इरादा रखता है, अंतरण से पहले ऐसी प्रतिभृतियों को अभौतिकीकृत करवाएगा।
- एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक, जो दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 को या उसके बाद किसी गैर—सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी (चाहे निजी प्लेसमेंट या बोनस शेयरों या अधिकारों की पेशकश के माध्यम से) की किसी भी प्रतिभूति की सदस्यता लेता है, यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सभी मौजूदा प्रतिभूतियां हैं ऐसी सदस्यता से पहले अभौतिक रूप में धारित है।
- प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजिनक कंपनी एक डिपॉजिटरी को आवश्यक आवेदन करके अपनी सभी मौजूदा प्रतिभूतियों के डीमैटरियलाइजेशन की सुविधा प्रदान करेगी और प्रत्येक प्रकार की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पहचान संख्या (आईएसआईएन) सुरक्षित करेगी और अपने सभी मौजूदा सुरक्षा धारकों को ऐसी सुविधा के बारे में सूचित करेगी।

उपरोक्त के संबंध में, बैंक ने मेसर्स केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड को बैंक के शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन के लिए 'रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट' change thereof with their DP (shares held in electronic form) or with KFIN Technologies Ltd. (shares held in physical form) at the earliest.

However, in case any member wishes to receive a physical copy of the annual report are requested to write to einward.ris@ kfintech.com, cs@nainitalbank.co, in quoting DP ID and client ID or folio number, as the case may be, to enable the Bank to provide physical copy of the said documents, free of cost. Please note that the said documents are also being uploaded on the Bank's website viz. www.nainitalbank.co.in.

Adherence to Secretarial Standards

The Bank is in compliance with the Secretarial Standards on meetings of the Board of Directors (SS-1) and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI). The Bank has also voluntarily adopted the recommendatory Secretarial Standard on Dividend (SS-3) and Secretarial Standard on report of the Board of Directors (SS-4) issued by the ICSI.

Dematerialization of Shares

Ministry of Corporate Affairs (MCA) has made it mandatory for issuance of securities in demat form only by unlisted public companies and that with effect from October 02, 2018, issue of further shares and transfer of all shares by unlisted public companies shall be in dematerialized form only. Following is a gist of the same:

- Every holder of securities of an unlisted public company, who intends to transfer such securities on or after October 02, 2018, shall get such securities dematerialized before the transfer;
- Every holder of securities of an unlisted public company, who subscribes to any securities of an unlisted public company (whether by way of private placement or bonus shares or rights offer) on or after October 02, 2018 shall ensure that all his existing securities are held in dematerialized form before such subscription;
- Every unlisted public company shall facilitate dematerialization of all its existing securities by making necessary application to a depository and shall secure International Security Identification Number (ISIN) for each type of security and shall inform all its existing security holders about such facility;

In relation to the above, the Bank has appointed M/s Kfin Technologies Limited as 'Registrar and Share Transfer Agent'



के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों से अनुरोध किया गया था कि हमारी ओर से सुचारु सेवाओं के लिए अपने शेयरों को डीमैटीरियलाइज़ किया जाए।

कॉर्पोरेट गवर्नैंस

बैंक सभी स्तरों पर कॉर्पोरेट प्रशासन के महत्व को पहचानता है। बैंक इस संबंध में न केवल संविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है बिल्क शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और जनता सिहत अपने सभी हितधारकों को सर्वोत्तम सेवा देने का प्रयास कर रहा है। कॉरपोरेट गवर्नेस पर बैंक का दृष्टिकोण उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, सरकार और नियामक प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के लिए सभी निष्पक्ष और सटीक प्रकटीकरण, जैसा कि प्रासंगिक कानूनों के तहत आवश्यक है, शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए उच्च स्तर की व्यावसायिक नैतिकता बनाए रखना और उनके हितों की रक्षा करना है। बैंक ने बोर्ड में अपने निदेशकों और इसके वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता तैयार की है जिसमें कर्मियों की कोर प्रबंधन टीम और बैंक के विभिन्न विभागों के प्रमुख सम्मिलत हैं।

अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के एक भाग के रूप में, वित्त वर्ष के प्रारंभ में बोर्ड की समीक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष बोर्ड के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट भी रखी जाती है।

वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ए) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के साथ धारा 92(3) के अनुसार; बैंक का वार्षिक रिटर्न निर्धारित फॉर्म एमजीटी—7 में बैंक की वेबसाइट https://www.nainitalbank.co.in/english/About_Us.aspx पर उपलब्ध कराया गया है।

पुरस्कार एवं सम्मान

वित्तीय वर्ष 2024—25 के दौरान, आपके बैंक को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए:

पीएफआरडीए-2024-25

- 1. मेगा एक्जेम्प्लरी पुरस्कार 2024–25
- 2. इंस्पिरेशनल रेवोल्यूशनरी पुरस्कार 2024–25

लेखा परीक्षक

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 27 अप्रैल, 2021 को अपने परिपन्न संख्या आरबीआई / 2021—22 / 25 संदर्भ संख्या डीओएस.सीओ.एआरजी / एसई सी.01 / 08.91.001 / 2021—22 के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सिहत) ('आरबीआई दिशानिर्देश) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। प्रावधानों में यह निर्धारित किया गया है कि सांविधिक लेखा परीक्षकों को तीन वर्षों की निरंतर अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते कि लेखा परीक्षा फर्म प्रत्येक वर्ष उसमें निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करें।

for dematerialization of shares of the Bank. The shareholders were requested to get their shares dematerialized for smooth uninterrupted services at our end.

Corporate Governance

Bank recognizes the importance of corporate governance at all levels. The Bank is not only complying with statutory requirements in this regard but endeavoring to serve the best to all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Public at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to stick to highest level of transparency, all fair and accurate disclosures to the Government & Regulatory Authorities and other Stakeholders', as required under relevant laws, to maintain a high level of business ethics to maximize shareholders' value and to protect their interest. The Bank has formulated a Code of Conduct for its Directors on the Board and its Senior Management including personnel's forming Core Management Team and functional Heads of the Bank.

As a part of good Corporate Governance, a status report is also placed before the Board each year for Board's review at the commencement of Financial Year.

Annual Return

In terms of Section 92(3) read with Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014; the Annual Return of the Bank in the prescribed Form MGT-7, is being made available on the website of the Bank at https://www.nainitalbank.co.in/english/About_Us.aspx.

Awards and Recognitions

During the Financial Year under review, your Bank was recipient of the following awards:

PFRDA - 2024 -25

- Award of Mega Exemplary 2024-25
- 2. Inspirational Revolutionary Award 2024-25

Auditors

The Reserve Bank of India vide its Circular No. RBI/2021-22/25 Ref.No.DoS.CO.ARG/SEC.01/08.91.001/2021-22 dated April 27, 2021 had issued Guidelines for Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs)/Statutory Auditors (SAs) of Commercial Banks (excluding RRBs), UCBs and NBFCs (including HFCs) ('RBI Guidelines'). The provisions prescribed that Statutory Auditors shall be appointed for a continuous period of three years, subject to the Audit firms satisfying the eligibility norms as stipulated therein, each year.



101वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बैंक के सदस्यों ने मेसर्स एआर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एफआरएन 002744सी) को 1 वर्ष (प्रथम कार्यकाल) की अवधि के लिए बैंक के केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया और 102वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहने को कहा। वाणिज्यिक बैंकों के लिए 27 अप्रैल, 2021 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार, लेखापरीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए बैंकों को 3 वर्षों की निरंतर अवधि के लिए सीएसए की नियुक्ति करनी होगी। इस संबंध में, मेसर्स एआर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम -2-दो वर्ष (द्वितीय कार्यकाल) यानी 102वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से 104वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से 104वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक नियुक्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, जो उक्त वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों से अनुमोदन के अधीन है।

वैधानिक लेखापरीक्षकों ने पुष्टि की है कि उन्होंने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आई सी ए आई) की पीयर रिव्यू प्रक्रिया का पालन किया है और उनके पास आई सी ए आई के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी एक वैध प्रमाणपत्र है। मेसर्स ए. आर. एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को बैंक ऑडिट्स सिहत कुल 37 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में मेसर्स ए. आर. एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सेंट्रल बैंक के केंद्रीय वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं और पूर्व में युको बैंक से संबद्ध रहे हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अंतर्गत, बोर्ड ने मेसर्स टी. चटर्जी एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़, दिल्ली को तीन वर्षों के लिए बैंक का सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया है और उन्होंने अपना दूसरा ऑडिट वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार लेखा परीक्षा संचालन के लिए बैंक ने सचिवीय लेखापरीक्षक को सभी आवश्यक सहयोग एवं सुविधाएं प्रदान की हैं। वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का पालन किया है। समीक्षा किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान, न तो वैधानिक लेखापरीक्षकों और न ही सचिवीय लेखापरीक्षकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत किसी भी विषय की रिपोर्ट ऑडिट समिति या बोर्ड को की है, अतः उक्त धारा के अंतर्गत किसी विवरण का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। समीक्षा किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक के वित्तीय विवरणों और निदेशकों की रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया।

सहायक कंपनियाँ / संयुक्त उपक्रम / समूह कंपनियाँ

इस रिपोर्ट की तिथि तक, नैनीताल बैंक की अपनी कोई भी सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम आदि नहीं है। नैनीताल बैंक की मूल और होल्डिंग कंपनी बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसकी इसमें 98.62% हिस्सेदारी है और हम बैंक ऑफ बड़ौदा की समृह कंपनियों के अंतर्गत श्रेणीकृत हैं। The members of the Bank in 101st Annual General Meeting (AGM) appointed M/s AR & Company, Chartered Accountants (FRN 002744C) as Central Statutory Auditors of the Bank for a period of -1- year (First Tenure) and to hold office till the conclusion of 102nd Annual General Meeting. As per RBI Circular of April 27, 2021 for Commercial Banks, the Bank's will have to appoint CSA's for a continuous period of -3- Years in order to protect the independence of the Audit Firms. In this regard, the name of M/s. AR & Company Chartered Accountants was proposed to be appointed for -2- Two Years (Second Term) i.e. from the conclusion of 102nd Annual General Meeting upto the conclusion of 104th Annual General Meeting, which was approved by the shareholders in the 102nd Annual General Meeting.

The Statutory Auditors have confirmed that they had subjected themselves to the peer review process of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and they hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of ICAI. M/s A R & Company, Chartered Accountants is having total experience of 37 years including Bank Audits. M/s AR & Company, Chartered Accountants is presently the Central Statutory Auditor of Central Bank and was early associated with UCO Bank.

Pursuant to Section 204 of Companies Act 2013, the Board has appointed M/s. T Chatterjee & Company, Practicing Company Secretaries, Delhi as its Secretarial Auditors for -3- Three Years and has conducted their Second Audit which is for the Financial Year ended March 31, 2025. The Bank provided all assistance and facilities to the Secretarial Auditor for conducting their audit as prescribed under Companies Act, 2013. The Secretarial Audit Report for the Financial Year ended March 31, 2025 is annexed to this report.

During the financial year under review, your Bank has complied with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India. During the financial year under review, neither the Statutory Auditors nor the Secretarial Auditors have reported any matter under Section 143 (12) of the Companies Act, 2013 to the Audit Committee or Board, therefore no detail is required to be disclosed under relevant section of Companies Act, 2013. During the Financial Year under review, there was no revision of financial Statements and Director's Report of the Bank.

Subsidiaries/JV's and Group Company/ies

As on the date of this report, Nainital Bank is not having any subsidiaries, joint ventures etc. of its own. Nainital Bank's parent and holding company is Bank of Baroda with 98.62% stake and we are categorized under the group companies of Bank of Baroda.



विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश जो बैंक की वर्तमान स्थिति और संचालन को प्रभावित करते है

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, विनियामकों / न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों आदि द्वारा कोई महत्वपूर्ण / प्रमुख आदेश पारित नहीं किया गया, जो बैंक की चालू स्थिति और उसके भविष्य के परिचालन को प्रभावित करता हो।

रिश्वत और भ्रष्टाचार

बैंक की सदस्यों और समुदायों दोनों के प्रति जिम्मेदारी है जिनमें हम व्यवसाय करते हैं कि वे अपने सभी लेन—देन में पारदर्शी रहें। बैंक की आचार संहिता के लिए आवश्यक है कि हम किसी भी रूप में रिश्वत या भ्रष्टाचार में संलिप्त न हों और स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि बैंक किसी कार्य या एक कार्य के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए रिश्वत या गैरकानूनी शुल्क का भुगतान या खरीद नहीं करेगा, जिसका उद्देश्य दूसरे की अखंडता से समझौता करना या संभावना है। बैंक और उसके कर्मचारी किसी तीसरे पक्ष से कोई भुगतान, उपहार या प्रलोभन स्वीकार नहीं करेंगे जिसका उद्देश्य हमारी अपनी अखंडता से समझौता करना है। बैंक उपहार और मनोरंजन, हितों के टकराव और अन्य महत्वपूर्ण मामलों से निपटने के लिए प्रक्रियाओं का भी पालन करता है।

हितों का टकराव

बैंक एक संस्था के रूप में विनियमन द्वारा अपने दृष्टिकोण में अत्यंत विश्वास, विश्वसनीयता और ईमानदारी के साथ सार्वजनिक सेवा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह बोर्ड, समितियों, नीति, प्रक्रियाओं और लोगों और प्रणालियों द्वारा शासित है।

बेंक विभिन्न चैनलों और प्लेटफार्मों के माध्यम से ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है और इसलिए संभावित और वास्तविक हितों के टकराव का सामना करता है। हितों का टकराव एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक या अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं के हित प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं और हितों की सेवा दूसरे के लिए हानिकारक हो सकती है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और निदेशकों को उच्च पेशेवर और नैतिक मानकों के अनुसार कार्य करने में मदद करना है और इसलिए बेंक ने उपरोक्त गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले किसी भी टकराव को कम करने के लिए एक नीति बनाई है। कोई कर्मचारी जो जानबूझकर आंतरिक नीतियों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है. उसे आचरण और अनुशासनात्मक विनियमों के अनुसार बर्खास्तगी सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन किया जाएगा।

महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं दायित्व

बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं दायित्व नहीं हुए हैं, जो बैंक के वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च, 2025 और निदेशकों की रिपोर्ट की तिथि अर्थात 3 सितंबर, 2025 के बीच हुए हों, सिवाय उन बातों के जो इस वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित हैं।

Significant and Material Order passed by regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and operations of the Bank

During the financial year under review, there were no significant/ material orders passed by the Regulators/Courts/ Tribunals etc. which would impact the going concern status of the Bank and its future operations.

Bribery and Corruption

Your Bank has a responsibility both towards the members and to the communities in which we do business to be transparent in all our dealings. Bank's Code of Conduct requires that we do not engage in bribery or corruption in any form and explicitly mentions that the Bank will not pay or procure the payment of a bribe or unlawful fee to encourage the performance of a task or one which is intended or likely to compromise the integrity of another. Bank & its employees will not accept any payment, gift or inducement from a third party which is intended to compromise our own integrity. Bank also follows procedures for dealing with Gifts & Entertainment, Conflicts of Interest and other important matters.

Conflict of Interest

Bank as an institution by regulation is designed to perform public service with utmost Trust, Credibility and Integrity in its approach and it is governed by Board, Committees, Policy, Processes and People and Systems.

Bank provides customers with financial services through a variety of channels and platforms and hence faces potential and actual Conflicts of Interest. A Conflict of Interest is a situation where one or more persons or entities have competing interests and the serving of interest may be detrimental to another. The objective is to help Employees and Directors to act in accordance with high professional and ethical standards and therefore Bank has put in place a Policy to mitigate any conflict arising out of the above activities. An employee who knowingly violates the internal policies and guidelines shall be subjected to disciplinary action, including dismissal as per - Conduct and Disciplinary Regulations.

Material changes and commitments

There are no material changes and commitments, affecting the financial position of the Bank that have occurred between the end of the Financial Year of the Bank i.e. March 31, 2025 and the date of the Directors' Report i.e. September 3, 2025 except as disclosed in this Annual Report.



कॉर्पोरेट गवर्नैंस रिपोर्ट

अच्छा कॉरपोरेट गवर्नेंस उन पर्यवेक्षण और निगरानी प्रणालियों से संबंधित है, जो कंपनी के दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करते हैं, साथ ही उद्यम के अन्य सभी हितधारकों के हितों को भी संबोधित करते हैं। यह तीन प्रमुख तत्वों का एक संयोजन भी है:

- पारदर्शित—प्रतिबद्धता कि व्यवसाय का संचालन पारदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप किया जाएगा
- प्रकटीकरण—सभी प्रासंगिक वित्तीय एवं गैर—वित्तीय सूचनाओं का सरल एवं स्पष्ट रूप में प्रकटीकरण करना।
- पर्यवेक्षण एवं निगरानी— पेशेवर रूप से सक्षम एवं स्वतंत्र निदेशक मंडल द्वारा बैंक की गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करवाना।

अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन ग्राहकों और निवेशकों के साथ विश्वास बनाने के लिए बैंक के प्रबंधन की क्षमता पर भी निर्भर करता है और इस तरह के विश्वास से उन्हें बैंक के प्रबंधन में विश्वास रखने में सक्षम होना चाहिए कि बैंक को ठीक से प्रबंधित किया जाएगा, अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक बनाए रखेगा, अपने निवेशकों की पूंजी की रक्षा करेगा और उसे बढ़ाएगा और अपने शेयरधारकों के लिए कॉर्पोरेट मूल्य बढ़ाएगा।

कॉर्पोरेट विजन

बैंक का कॉर्पोरेट विजन है: 'लाभप्रदता और क्षमता। बैंक का विज़न निम्न है:

- बैंक के ग्राहकों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करना
- गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करके ग्राहकों की संपूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करना
- सामाजिक-आर्थिक मजबूती को बढ़ावा देना
- निरंतर लाभदायक वृद्धि के माध्यम से इक्विटी निवेश पर संतोषजनक रिटर्न देना
- बैंक के कर्मचारियों की आर्थिक और करियर संबंधी आकांक्षाओं को पुरा करना
- ग्राहक आधार पर जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ बनाना।

निदेशक मंडल

बैंक का बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 और समय—समय पर यथा संशोधित उसके तहत बनाए गए नियमों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, आरबीआई गवर्नेस सर्कुलर और बैंक के एसोसिएशन के लेखों के प्रावधानों के अनुसार संचालित और गठित किया जाता है।

बैंक ने हमेशा स्वतंत्र और गैर-स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त संयोजन के साथ एक विविध बोर्ड के महत्व को अपनाया है, जो बैंकिंग व्यवसाय के लिए प्रासंगिक तकनीकी और व्यवहारिक कौशल, अनुभव और दृष्टिकोणों की

Corporate Governance Report

Good Corporate Governance relates to systems of supervision and monitoring that maximize long-term shareholder value of a company, apart from addressing in the interest of all other stakeholders in the enterprise. It is also a combination of three key elements viz:

- 1. Transparency a commitment that the business is managed along transparent lines
- 2. Disclosure of all relevant financial and non-financial information in an easily understood manner
- Supervision and monitoring of the Bank's activities by a professionally competent and independent Board of Directors.

Good Corporate Governance also depends on the ability of the management of the Bank's to build trust with customers and investors and such trust should enable them to repose faith in the management of the Bank that the Bank will be managed properly will successfully perpetuate its business, will protect and enhance the capital of its investors and will increase corporate value for its shareholders.

CORPORATE VISION

The Corporate philosophy of the Bank is: "Profitability and Competence". Bank's vision is to:

- Meet growing aspirations of the customers of the Bank
- Bring about total customer's satisfaction providing quality service
- Promote socio-economic strength
- Post a satisfactory return on equity investment through a sustained profitable growth
- Meet the economic and career aspirations of the employees of the Bank
- Strong hold on grass root customer base.

Board of Directors

The Board of the Bank is governed and constituted in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder as amended from time to time, the Banking Regulation Act, 1949, RBI Governance Circular and the Articles of Association of the Bank.

The Bank has always embraced the importance of a diverse Board with an optimum combination of Independent & Non-Independent Directors, equipped with appropriate balance of



विविधता के उचित संतुलन से लैस है, जिससे बैंक के हितधारकों के प्रति अपने प्रत्ययी दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रभावी बोर्ड गवर्नेस सुनिश्चित होता है।

उपर्युक्त के अनुरूप, बैंक का बोर्ड अच्छी तरह से सुव्यवस्थित है और इसमें व्यापक, विविध और व्यावहारिक अनुभव और व्यापक पेशेवर साख, व्यवहारिक कौशल सेट और ज्ञान रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं, जो बैंक को रणनीति निर्माण और दिशा निर्धारण के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करते हैं, इस प्रकार इसके विकास उद्देश्यों में मूल्य जोड़ते हैं।

both technical and behavioral skills, experience and diversity of perspectives as relevant for the banking business; thereby ensuring effective Board governance while discharging its fiduciary obligations towards the stakeholders of the Bank.

In line with the above, the Board of the Bank is well structured and comprises of eminent personalities having wide, diverse & practical experience and comprehensive professional credentials, behavioral skill sets and knowledge, which helps the Bank to gain insights for strategy formulation and direction setting, thus adding value to its growth objectives.

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, बोर्ड की संरचना इस प्रकार थी / As at March 31, 2025, the composition of the Board was under-

क्रं.सं. S. No.	नाम एवं पद Name and Designation	डीआईएन नं. DIN No.	वर्तमान स्थिति Present Status	अन्य निदेशक पद/एलएलपी Other Directorships/LLP	होलिंडग Holding
1.	श्री एन. के. चारी (गैर–कार्यकारी अध्यक्ष) Mr. N.K. Chari (Non-Executive Chairman)	07409731	स्वतंत्र Independent	ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड Epack Durable Ltd.	शून्य Nil
2.	श्री निखिल मोहन (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी) Mr. Nikhil Mohan (MD & CEO)	09655509	गैर स्वतंत्र Non-Independent	शून्य Nil	8000 पति / पत्नी Spouse
3.	श्रीमती बिनीता शाह (गैर—कार्यकारी निदेशक) Mrs. Binita Shah (Non-Executive Director)	01538965	स्वतंत्र Independent	सुपा बायोटेक (पी) लि. Supa Biotech (P) Ltd	2000
4.	श्री मनोज शर्मा (गैर—कार्यकारी निदेशक) Mr. Manoj Sharma (Non-Executive Director)	09085665	स्वतंत्र Independent	शून्य Nil	शून्य Nil
5.	श्री यू.सी. नाहटा (गैर—कार्यकारी निदेशक) Mr. U.C. Nahta (Non-Executive Director)	08533075	स्वतंत्र Independent	शून्य Nil	शून्य Nil
6.	श्री नीलम दामोधरन (गैर—कार्यकारी निदेशक) Mr. Neelam Damodharan (Non-Executive Director)	07759291	स्वतंत्र Independent	जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. GIC Housing Finance Ltd.	शून्य Nil
7.	श्री राकेश नेमा (गैर—कार्यकारी निदेशक) Mr. Rakesh Nema (Non-Executive Director)	07207816	गैर स्वतंत्र Non-Independent	शून्य Nil	150
8.	श्री गोपाल सिंह गुसाई (गैर–कार्यकारी निदेशक) Mr. Gopal Singh Gusain (Non-Executive Director)	03522170	स्वतंत्र Independent	 एलआईसी पंशन फंड लिमिटेड एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड पीएनबी गिल्टस लिमिटेड LIC Pension Fund Ltd STCI Finance Ltd PNB GILTS Ltd 	शून्य Nil
9.	श्री मानस रंजन बिस्वाल (गैर—कार्यकारी निदेशक) Mr. Manas Ranjan Biswal (Non-Executive Director)	08162008	स्वतंत्र Independent	 बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टी सर्विस प्रा.लिमिटेड सरवाड़ी फाइनेंस प्रा. लिमिटेड Bank of India Trustee Service (P) Ltd. Sarwadi Finance (P) Ltd. 	शून्य Nil
10.	श्री कुलदीप सिंह (कार्यकारी निदेशक) Mr. Kuldeep Singh (Executive Director)	11018445	गैर स्वतंत्र Non-Independent	शून्य Nil	शून्य Nil



इस रिपोर्ट की तिथि अर्थात् सितम्बर 03, 2025 को निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार थी As on date of this report September 03, 2025, the composition of the Board was under –

क्रं.सं.	नाम एवं पद	डीआईएन नं.	वर्तमान स्थिति	अन्य निदेशक पद/एलएलपी	होल्डिंग
S. No.	Name and Designation	DIN No.	Present Status	Other Directorships/LLP	Holding
1.	श्री गोपाल सिंह गुसाईं (गैर–कार्यकारी निदेशक) Mr. Gopal Singh Gusain (Non-Executive Director)	03522170	स्वतंत्र Independent	 एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड पीएनबी गिल्टस लिमिटेड LIC Pension Fund Ltd STCI Finance Ltd PNB GILTS Ltd 	शून्य Nil
2.	श्री सुशील कुमार लाल (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी) Mr. Sushil Kumar Lal (MD & CEO)	11029008	गैर स्वतंत्र Non-Independent	शून्य Nil	शून्य Nil
3.	श्रीमती बिनीता शाह (गैर—कार्यकारी निदेशक) Mrs. Binita Shah (Non-Executive Director)	01538965	स्वतंत्र Independent	सुपा बायोटेक (पी) लि. Supa Biotech (P) Ltd	2000
4.	श्री मनोज शर्मा (गैर–कार्यकारी निदेशक) Mr. Manoj Sharma (Non-Executive Director)	09085665	स्वतंत्र Independent	शून्य Nil	शून्य Nil
5.	श्री यू.सी. नाहटा (गैर—कार्यकारी निदेशक) Mr. U.C. Nahta (Non-Executive Director)	08533075	स्वतंत्र Independent	शून्य Nil	शून्य Nil
6.	श्री नीलम दामोधरन (गैर—कार्यकारी निदेशक) Mr. Neelam Damodharan (Non-Executive Director)	07759291	स्वतंत्र Independent	जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. GIC Housing Finance Ltd.	शून्य Nil
7.	श्री राकेश नेमा (गैर—कार्यकारी निदेशक) Mr. Rakesh Nema (Non-Executive Director)	07207816	गैर स्वतंत्र Non-Independent	शून्य Nil	150
9.	श्री मानस रंजन बिस्वाल (गैर–कार्यकारी निदेशक) Mr. Manas Ranjan Biswal (Non-Executive Director)	08162008	स्वतंत्र Independent	1. बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टी सर्विस प्रा. लिमिटेड 2. सरवाड़ी फाइनेंस प्रा. लिमिटेड 1. Bank of India Trustee Service (P) Ltd. 2. Sarwadi Finance (P) Ltd.	शून्य Nil

तदनुसार, 31.03.2025 तथा इस रिपोर्ट की तिथि को बैंक में -2- पूर्णकालिक निदेशक-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यकारी निदेशक, -7- स्वतंत्र निदेशक (जिनमें अंशकालिक अध्यक्ष एवं महिला निदेशक शामिल हैं) और -1- गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक थे। अनुच्छेद संघ के अनुसार अधिकतम अनुमोदित निदेशकों की संख्या -10- (दस) है।

श्री एन.के. चारी (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र अध्यक्ष)

श्री एन.के. चारी, एक कैरियर बैंकर, जिन्हें भारत के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में बैंकिंग परिचालन और ऋण प्रबंधन में 39 वर्षों का विविध अनुभव है। जून 2016 में एसबीआई की सहयोगी संस्था स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम) में प्रबंध निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्त रहे और 31 मार्च 2017 को इसे मूल बैंक में सुगम विलय के माध्यम से नेतृत्व प्रदान किया। विलय के बाद डेटा और मानव संसाधनों के एकीकरण की औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात एसबीआई में लौटे और 31 अगस्त 2017 को उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

श्री एन.के. चारी, मजबूत बैंकिंग पृष्ठभूमि जिसमें शाखा बैंकिंग, प्रदर्शन बजिंटेंग, विभिन्न पदों पर शाखाओं और क्षेत्रों की निगरानी एवं नियंत्रण में व्यापक अनुभव रखते हैं। उन्हें खुदरा और कॉर्पोरेट ऋण के प्रबंधन, घरेलू Accordingly, as on 31.03.2025 and the date of this report, there were -2- Whole Time Directors - MD & CEO and Executive Director, -7- Independent Directors (including Part Time Chairman & Woman Director) and -1- Non-Executive Non-Independent Director. The maximum Directors authorized as per Articles of Association is -10- Ten Directors.

Mr. N.K. Chari (Non-Executive Independent Chairman)

Career Banker with 39 years of varied experience in Banking Operations and Credit in the biggest bank of India, State Bank of India (SBI). Was on deputation as Managing Director to State Bank of Mysore (SBM) an Associate of SBI, from June 2016 and led it through a seamless merger with the parent bank as on 31st March 2017. After completing formalities post-merger for data and human resources assimilation with SBI, reverted to SBI and retired as Deputy Managing Director (DMD) on 31st August 2017.

Strong banking background with wide experience in branch banking, performance budgeting, monitoring and control over branches and regions, in various capacities. Handling of Retail and Corporate Credit in both domestic and international



और अंतरराष्ट्रीय दोनों परिदृश्यों का अनुभव है। उन्हें प्रत्येक दायित्व में मानव संसाधन प्रबंधन का अनुभव हैं। वे विभिन्न पदों पर रहकर निदेशक मंडल के साथ गहन संवाद करते हैं। उनकी बैंकिंग मुद्दों पर भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के साथ निरंतर संबद्धता रही है।

श्री एन.के. चारी ने राष्ट्रीय बैंकिंग समूह (एसबीआई का खुदरा नेटवर्क) में मुख्य पिरचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में कार्य किया। यह नेटवर्क पूरे देश में 16,000 शाखाओं को कवर करता था, जिसका व्यवसाय स्तर ₹ 17,000 अरब था (नवंबर 2015 से मई 2016 तक)। उन्होंने एसबीआई के मिड कॉरपोरेट वर्टिकल का नेतृत्व किया, जिसमें ₹ 2,500 अरब का ऋण पोर्टफोलियो था (नवंबर 2013 से अक्टूबर 2015 तक)। वे एसबीआई के क्षेत्रीय प्रमुख (मुख्य महाप्रबंधक, चंडीगढ़ सर्कल) रहे, जिसमें जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिरयाणा और हिमाचल प्रदेश के 4 उत्तरी राज्य, 1,100 शाखाएँ और ₹ 1,100 अरब का कारोबार शामिल था (नवंबर 2011 से अक्टूबर 2013 तक)। नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड—एसबीआई की एक विदेशी सहायक कंपनी —के प्रबंध निदेशक रहे (सितंबर 2007 से अक्टूबर 2011 तक)। इस अविध के दौरान शाखाओं की संख्या 15 से बढ़ाकर 50 की, कर्मचारियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 600 की और कारोबार को तीन गुना कर दिया। उन्होंने बैंक को नेपाल का शीर्ष श्रेणी का बैंक और एसबीआई की सर्वश्रेष्ठ विदेशी सहायक कंपनी बनाया।

पूर्व निदेशक पद -

श्री एन.के. चारी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के प्रबंध निदेशक (एमडी) रहे। वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के रूप में निदेशक मंडल में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने चंडीगढ़ में मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) के रूप में स्थानीय बोर्ड में योगदान दिया। इसके अलावा, वे नेपाल एसबीआई लिमिटेड, काठमांडू के प्रबंध निदेशक भी रहे। साथ ही, उन्होंने एसबीआई की दो सहायक कंपनियों—एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज (क्रेडिट कार्ड कंपनी) तथा एसबीआई कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज (जो सिक्योरिटीज मार्केट में कार्यरत है)—में भी निदेशक पद का दायित्व निभाया

श्री गोपाल सिंह गुसाई (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)

उन्होंने इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से डिग्री प्राप्त की है, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स, इंडिया से सर्टिफ़ाइड एसोसिएट हैं, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स से ट्रेजरी, निवेश एवं जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा प्राप्त किया है तथा विज्ञान में स्नातक की उपाधि हासिल की है।

व्यावसायिक अनुभव-

उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सितम्बर 2018 से जनवरी 2022 तक कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया। इससे पूर्व वे अक्टूबर 1994 से सितम्बर 2018 तक पंजाब नेशनल बैंक में सेवारत रहे, जहाँ उन्होंने क्रेडिट वर्टिकल में विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में अपनी सेवा प्रारम्भ की और महाप्रबंधक के पद तक पहुँचे। उन्होंने हांगकांग में तीन वर्षों (2013—2016) तक बैंक के हांगकांग एवं चीन संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य किया। उस अवधि में बैंक के पास 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परिसंपत्तियों का पोर्टफोलियो था। केवल शाखा स्तर पर ही 2013 की एफसीएनआर योजना में

scenarios. HR management as part of every assignment held. Close interactions in various positions with Board of Directors. Constant association with Department of Financial Services, Government of India on banking issues.

Served as the Chief Operating Officer (COO) in National Banking Group, the Retail Network of SBI. This Network covered 16000 branches across the Nation with business level of ₹ 17,000 billion (November 2015 to May 2016). Headed Mid Corporate Vertical of SBI, dealing with a Loan Book aggregating ₹ 2,500 billion (November 2013 to October 2015). Regional Head of SBI (Chief General Manager (CGM), Chandigarh Circle) covering the 4 Northern Indian States of Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana and Himachal Pradesh with 1100 branches and ₹ 1,100 billion in business (November 2011 to October 2013). Head of Nepal SBI Bank Ltd - an overseas subsidiary of SBI - as Managing Director for 4 years from September 2007 to October 2011. During this tenure, took the branches from 15 to 50, employees from 200 to 600 and achieved threefold business. Transformed the bank to become a Top Tier Bank in Nepal and the best overseas subsidiary of SBI.

Previous Directorships -

MD of State Bank of Mysore. Permanent Invitee to the Board in SBI as DMD. Part of Local Board as CGM Chandigarh. MD of Nepal SBI Ltd, Kathmandu. Also held Directorships in two subsidiaries of SBI, SBI Cards and Payment Services (Credit Card Company) and SBI Capital Market Securities (Dealing in Securities Market).

Mr. Gopal Singh Gusain (Non-Executive Independent Director)

He possesses degree of Institute of Cost and Management Accountants of India, Certified Associate of Indian Institute of Bankers, India, Diploma in treasury, Investment and Risk Management from Indian Institute of Bankers, and Bachelors of Science.

Professional Exposure -

Union Bank of India: September 2018- Jan 2022 (Executive Director), Punjab National Bank October 1994 till September 2018 (Joined as Specialist officer in credit vertical and rose to the rank of General Manager), Worked for three years in Hong Kong as Chief Executive (2013-2016) for HK and China operations of the bank. Bank had USD 7 billion assets under the portfolio. Branch alone collected FCNR deposits of over 1 billion USD in the 2013 FCNR scheme, Nominee Director-Asset



1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की एफसीएनआर जमा राशि एकत्रित की गई।

वे एक्सपेरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नामित निदेशक रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वे डीएफएल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एक एनबीएफसी) के भी नामित निदेशक रहे। उन्होंने इस कंपनी के प्रबंधन परिवर्तन को सफलतापूर्वक संभाला जब यह कंपनी रुग्ण घोषित हो गई थी।वे नीरव मोदी धोखाधड़ी प्रकरण को उजागर करने और निष्कर्ष तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। इस कार्य के दौरान वे जाँच, रिपोर्टिंग और विभिन्न एजेंसियों जैसे भारत सरकार, सीबीआई, ईडी तथा एसएफआईओ के साथ समन्वय के लिए एकल संपर्क बिंदु रहे। इसके अतिरिक्त, वे बैंक द्वारा विकसित जोखिम रेटिंग मॉडलों के कॉपीराइट धारक भी हैं।

अन्य संस्थाओं से उनका जुड़ाव इस प्रकार है-

- वे भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड के सदस्य रहे।
- वे एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष रहे।
- वे एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष रहे।
- वे पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड में विरष्ठ जोखिम सलाहकार रहे। वे यूनियन म्यूचुअल फंड और पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड में प्रवर्तक के नामित निदेशक भी रहे।

श्री सुशील कुमार लाल (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

लगभग 54 वर्ष की आयु के, श्री लाल बैंक ऑफ बड़ौदा में महाप्रबंधक हैं और पूर्व में मुंबई कॉर्पोरेट कार्यालय में उप मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में पदस्थ थे। वे बी.कॉम, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, सर्टिफिकेट इन ट्रेड फाइनेंस, सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टम बैंकर (आरपीई), एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस एडिमिनस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस (डीआईबीएफ), सर्टिफाइड ट्रेजरी प्रोफेशनल्स—आईआईबीएफ, मूडीज़ एनालिटिक्स से सर्टिफिकेट इन कमर्शियल क्रेडिट, सर्टिफाइड बैंकिंग कंप्लायंस प्रोफेशनल, सर्टिफिकेट इन रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस लेवल 1, 2 और 3, सर्टिफाइड ऑडिट एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल (सीएपी), एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस तथा क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस (फाउंडेशन) ई—लर्निंग मोड में सर्टिफिकेट कोर्स जैसी योग्यताओं के धारक हैं।

पिछले 30 वर्षों में उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में विभिन्न पदों पर कार्य किया है जैसे—क्रेडिट हेड, शाखा प्रमुख, शाखा संचालन, प्रशिक्षण एवं संकाय, क्षेत्रीय प्रमुख, आरएलएफ हेड, एसएमईएलएफ हेड, क्रेडिट मॉनिटरिंग, एमएसएमई बैंकिंग, आईएसएमईएलएफ हेड, ज़ेडआईएडी हेड तथा जोखिम प्रबंधन—उप मुख्य जोखिम अधिकारी।

श्री निखिल मोहन (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी)— 05.04.2025 को पैरेंट बैंक—बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रतिनियुक्त।

अपने 23 वर्षों के बैंकिंग करियर के दौरान उन्होंने नंदुरबार (महाराष्ट्र), बरेली

Reconstruction Company of India Limited - Banks owned and promoted first ARC,

Nominee Director- Experian Credit Information Company Private Limited, Nominee Director- DFL Infrastructure Finance Limited. A NBFC. Handled it at the time for its management change after the company became sick, Single point for investigation, reporting, liasoning with various agencies like Government, CBI, ED, SFIO for unearthing and concluding Nirav Modi Fraud Case and Copyright holder for the risk rating models developed by the bank.

His Association with other institutions are as under:

- Member Board Reserve Bank of India,
- Independent Director and Chairman Audit Committee of Board - LIC Pension Fund Limited,
- Independent Director and Chairman Audit Committee of Board - STCI Finance Limited,
- Senior Risk Consultant PSB Alliance Private Limited, Promoters' Nominee Director - Union Mutual Fund and PNB Gilts Ltd.

Mr. Sushil Kumar Lal (Managing Director & CEO)

Aged around 54 Years, Mr. Lal is a General Manager in Bank of Baroda and was previously posted as Deputy Chief Risk Officer at Mumbai, Corporate Office and possesses qualifications of B.Com, Diploma in Software Technology, JAIIB, CAIIB, Certificate in Trade Finance, Certified Information System Banker - (RPE), Advanced Diploma in Business Administration, Diploma in International Banking and Finance (DIBF), Certified Treasury Professionals - IIBF, Certificate in Commercial Credit by Moodys Analytics, Certified Banking Compliance Professional, Certificate in Risk in Financial Service Level 1, 2 & 3, Certified Audit & Accounting Professional (CAAP), Advanced Management Programme in Banking & Finance and Certificate Course in Climate Risk and Sustainable Finance (Foundation) E-Learning mode.

In the last 30 years, he has held various positions in Bank of Baroda such as Credit Head, Branch Head, Branch Operations, Training and Faculty, Regional Headl, RLF Head, SMELF Head, Credit Monitoring, MSME Banking, ISMELF Head, ZIAD Head and Risk Management - Deputy Chief Risk Officer

Mr. Nikhil Mohan (Managing Director & CEO) – Repatriated to Parent Bank - Bank of Baroda on 05.04.2025

During his 23 years of Banking career, he has worked as Branch



(उत्तर प्रदेश), हाजीपुर (बिहार) और लंदन (यूनाइटेड किंगडम) में शाखा प्रमुख के रूप में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने बरेली और पुणे जिला क्षेत्र में रिटेल लोन फैक्ट्री (जो उस समय सीपीसी के नाम से जानी जाती थी) और विपणन विभाग की स्थापना प्रथम क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में की। इस बैंक का कार्यभार संभालने से पूर्व, वे बैंक ऑफ बड़ौदा के मुंबई मेट्रो वेस्ट क्षेत्र के प्रमुख थे, जो कुल व्यवसाय के आधार पर बैंक का पैन इंडिया स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। वर्ष 2017 से 2019 तक उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के एक कार्यकारी निदेशक के कार्यकारी सचिव के रूप में भी कार्य किया।

अब तक उन्होंने विभिन्न शाखाओं, बरेली और पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बरेली और यूपीयू, लखनऊ के जोनल कार्यालयों, कॉर्पोरेट कार्यालय तथा यूनाइटेड किंगडम स्थित विदेशी केंद्र में कार्य किया है।

श्रीमती बिनीता शाह (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र एवं महिला निदेशक)

वह वर्ष 2005 से सार्ग विकास समिति—एक गैर—लाभकारी संस्था—का नेतृत्व कर रही हैं, जो देश के तीन राज्यों में जैविक और बायोडायनेमिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। सार्ग पूरे देश में 1,00,000 किसानों के साथ कार्य करता है। वर्ष 2016 से सार्ग, उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन तथा भारत सरकार के नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का प्रशिक्षण भागीदार है। इसके अतिरिक्त, सार्ग महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश में पारंपरिक कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के लिए एक क्षेत्रीय परिषद एवं सेवा प्रदाता भी है।

वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम उत्तराखंड की सचिव हैं। उत्तराखंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के साथ स्वतंत्र परामर्शदाता तथा कई जैविक खाद्य निर्यात कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार हैं। वे बायोडायनेमिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बेंगलुरु की संस्थापक सदस्य हैं और ऑल इंडिया बायोडायनेमिक एवं ऑर्गेनिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंदौर की भी संस्थापक सदस्य हैं। वह 'सर्कल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' इंटरनेशनल बायोडायनेमिक फोरम, गोएथेअनम, स्विट्जरलैंड में भारत की प्रतिनिधि हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018—19 में यूएनडीपी, राज्य कार्यालय उत्तराखंड के साथ मिलकर ऑर्गेनिक उत्तराखंड रणनीति तैयार करने हेतु परामर्शदाता रहीं। वह देश की पहली संस्था उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड (यूओसीबी), देहरादून की संस्थापक सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भी हैं।

श्री मनोज शर्मा (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)

वे भारतीय रिज़र्व बैंक से मुख्य महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें नियामक एवं पर्यवेक्षी कार्यों का व्यापक अनुभव है—जिसमें ऑन—साइट निरीक्षण तथा नीतिनिर्माण दोनों शामिल हैं। उन्हें जोखिम—आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण के नए मॉडल के नीति एवं संचालन पक्ष का व्यापक व्यावहारिक अनुभव है। उन्होंने धोखाधड़ी का पता लगाने, उसे कम करने और रिपोर्टिंग संबंधी नीति को पुनः परिभाषित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। वे धोखाधड़ी से निपटने के लिए गठित त्वरित प्रतिक्रिया दल के प्रमुख रहे। साथ ही, उन्होंने आर बी एस मॉडल के संकल्पनात्मक एवं परिचालन पहलुओं पर आंतरिक एवं बाहरी स्तर पर ज्ञान साझा करने का भी कार्य किया।

Head in Nandurbar- Maharashtra, Bareilly-UP, Hajipur-Bihar and London-United Kingdom. Apart from that he also had the distinction of establishing the Retail Loan Factory (known as CPC at that time) and Marketing Department in Bareilly and Pune District Region as its 1st Regional Head. Prior to taking charge of this Bank, he was heading the Mumbai Metro West Region of Bank of Baroda, which is PAN India 2nd largest Region of the Bank in terms of total Business. He was also discharging his duty as Executive Secretary of one of the Executive Directors of Bank of Baroda from 2017 to 2019.

He has till date, worked in various Branches, Regional Offices at Bareilly and Patna, Zonal Offices of Western UP, Bareilly and UPU, Lucknow, Corporate office and at Overseas Centre at UK.

Mrs. Binita Shah (Non-Executive Independent & Woman Director)

Leads SARG Vikas Samiti, a not for profit organization since 2005 for the promotion of Organic and Biodynamic Agriculture across three states of the country. SARG works with 100,000 farmers' country wide. SARG is a training partner with the Skill Development Mission, Uttarakhand as well as with the National Skill Development Council, GOI since 2016. SARG is a Regional Council & Service Provider for Paramparik Krishi Vikas Yojna (PKVY) for Organic Agriculture in Maharashtra, Uttarakhand & MP.

She is Secretary - Sustainable Development Forum Uttarakhand. Independent consultant with Uttarakhand Agriculture Marketing Board. International Consultant with number of Organic Food Export companies. Founder member Biodynamic Association of India, Bangalore. Founder member All India Biodynamic and Organic Association of India, Indore. India Representative in 'Circle of Representatives' International Biodynamic Forum, Geotheanum, Switzerland. Consultant with UNDP State office Uttarakhand for preparation of Strategy for Organic Uttarakhand 2018-19. She is also Founder member and CEO of the (first ever in the country) State Uttarakhand Organic Commodity Board (UOCB), Dehradun.

Mr. Manoj Sharma (Non-Executive Independent Director)

Retired as Chief General Manager from Reserve Bank of India. Has vast Regulatory and Supervisory experience - on - site & Policy making. Extensive hands-on Policy & Operational experience of new Risk based Supervisory Approach. Major role in redefining Policy on detection, mitigation and reporting of frauds. Headed the Quick Response Team of Frauds. Have internal & external knowledge transfer on Conceptual and Operational aspects of RBS model.



उन्हें भारत में अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आर बी एस) दृष्टिकोण की अवधारणा, डिजाइन और कार्यान्वयन में विशेषज्ञता प्राप्त है। उन्होंने छोटे विदेशी बैंकों के मूल्यांकन हेतु आर बी ओ मॉडल (छोटे बैंकों के लिए वैरिएंट) के कार्यान्वयन के लिए आरबीआई टीम का नेतृत्व किया—जिसमें अवधारणा निर्माण से लेकर डिजाइन और मॉडल के स्थिरीकरण तक की पूरी प्रक्रिया शामिल रही। उन्हें नीतिनिर्माण, गुणवत्ता आश्वासन कार्यों तथा एसपीएआरसी प्रक्रिया से संबंधित पहलुओं में भी गहन विशेषज्ञता प्राप्त है। उन्होंने भारत में बैंकों के लिए धोखाधड़ी का पता लगाने, निगरानी और रिपोर्टिंग हेतु रूपरेखा तैयार करने वाली आंतरिक कार्य समूह का नेतृत्व किया। उन्हें विदेशी बैंकों, सार्वजनिक बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों आदि के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का भी अनुभव है।

श्री यू.सी. नाहटा (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)

उन्होंने भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में क्लास—। अधिकारी के रूप में कार्य किया। अगस्त 2014 में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने लगभग 16 वर्षों तक संयुक्त सचिव एवं उससे उच्च स्तर के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएँ दीं। मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जाँच एवं निरीक्षण निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी रिजस्ट्रार आदि जैसे कई वरिष्ठ पदों का दायित्व संभाला। अगस्त 2014 से अगस्त 2019 तक वे भारत सरकार के सचिव स्तर पर प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य रहे।

व्यावसायिक अनुभव

कॉर्पोरेट गवर्नेंस परामर्श, कॉर्पोरेट एवं प्रबंधन परामर्श, सीएसआर परामर्श, कंपनी अधिनियम 2013, कॉर्पोरेट कानूनों में परामर्श सेवाएँ, लेखांकन और संबंधित क्षेत्र, पूंजी बाज़ार और वित्तीय सेवाएँ, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थता, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सुलह, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) संबंधी मामले, प्रतिस्पर्धा कानून जिसमें प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 आदि शामिल हैं।

श्री नीलम दामोधरन (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)

श्री नीलम दामोधरन दिनांक 16 फ़रवरी 2017 से 30 नवम्बर 2019 तक बैंक ऑफ़ इंडिया में कार्यकारी निदेशक रहे। अपने कार्यकाल के दौरान वे मानव संसाधन विकास एवं प्रबंधन, अधिगम एवं प्रशिक्षण, ऋण निगरानी, वसूली, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, मध्यम कॉरपोरेट व्यवसाय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, रिटेल बैंकिंग, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन तथा अनुशासनात्मक मामलों के प्रभारी रहे।

बैंक ऑफ़ इंडिया में उन्होंने निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

वे निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति, लेखा परीक्षा समिति, मानव संसाधन समिति, एनपीए वसूली समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, कार्यकारी समिति, आईटी समिति एवं ग्राहक सेवा समिति के सदस्य रहे। इसके अतिरिक्त, वे परिसंपत्ति—देयता प्रबंधन समिति तथा नीतिगत समिति के कार्यकारी सदस्य He possesses expertise in conceptualization, design and implementation of Risk Based Supervisory approach for Scheduled Commercial Banks in India. Headed RBI team for implementing the small bank variant RBO model for assessment of small foreign banks - from conceptualization, design to stabilization of the model. Have expertise in Policy Making, Quality Assurance Functions and related aspects of SPARC process. Headed Internal Working Group for bringing out the framework on fraud detection, monitoring and reporting for Banks in India. Have experience in Risk Based Supervision of Foreign Banks, Public Banks, Private Sector Banks etc.

Mr. U.C. Nahta (Non-Executive Independent Director)

Ministry of Corporate Affairs, Government of India as a Class I officer in the Ministry. Retied in August 2014 at the scale of Additional Secretary to the Govt. of India (Served for about 16 years at the Level of Joint Secretary and above) at various important positions. He had held various Senior positions in the Ministry including Director of Investigation & Inspection, Regional Director, Registrar of Companies etc. August 2014 to August 2019 Member, Competition Commission of India- at the level of Secretary to the Government of India.

Professional Exposure

Corporate Governance Advisory, Corporate & Management Consultancy, CSR Advisory, Companies Act 2013, Advisory services in corporate laws, Accounting and related areas, Capital markets and financial services, Arbitration under the Arbitration and Conciliation Act, Mediation under Companies Act, 2013, National Company Law Tribunal matters, Competition Laws including The Competition Act, 2002 etc.

Mr. Neelam Damodharan (Non-Executive Independent Director)

He was Executive Director in Bank of India from 16th Feb 2017 to 30th Nov. 2019 and was in-charge of - Human Resources Development/Management, Learning and Development, Credit Monitoring, Recovery, International Operations, Mid Corporate Business, MSME, Retail Banking, Fraud Risk Management and Disciplinary action.

In Bank of India, he was also a Member of various committees of the Board:

Management Committee of the Board, Audit Committee of the Board, HR Committee of the Board, NPA Recovery Committee of the Board, Risk Management Committee of the Board, Executive Committee of the Board, IT Committee of the Board,



रहे एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की अध्ययन एवं प्रशिक्षण संचालन परिषद् के अध्यक्ष रहे।

श्री नीलम दामोधरन बीओआई मर्चेंट बैंकर लिमिटेड के अध्यक्ष 2.5 वर्षों तक रहे, बीओआई (न्यूजीलैंड) लिमिटेड के निदेशक 2.5 वर्षों तक रहे तथा दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में 2 वर्षों तक गैर—कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत रहे (भारत सरकार द्वारा 14 अगस्त 2017 से 11 अक्टूबर 2019 तक नियुक्त)।

वे बैंक ऑफ़ बड़ौदा के महाप्रबंधक भी रहे और बैंक से कुल 34 वर्षों तक जुड़े रहे।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा में उनके करियर की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

श्री नीलम दामोधरन ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया जिनमें महाप्रबंधक (अंतर्राष्ट्रीय परिचालन), महाप्रबंधक (अमेरिका परिचालन), महाप्रबंधक / अंचल प्रमुख (तिमलनाडु एवं केरल क्षेत्र), क्षेत्रीय प्रबंधक (बड़ौदा, कानपुर एवं केरल), उप / सहायक महाप्रबंधक (शारजाह एवं दुबई), सहायक महाप्रबंधक (एमएसएमई), कॉरपोरेट कार्यालय तथा भारत में विभिन्न 6 शाखाओं के शाखा प्रबंधक के रूप में सेवाएँ सम्मिलित हैं। वे बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड (बैंक ऑफ़ बड़ौदा की सहायक कंपनी) के निदेशक भी रहे।

वे राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान में आमंत्रण पर अतिथि प्राध्यापक तथा आईडीबीआई की विशेष स्टाफ़ उत्तरदायित्व समिति (डीएमडी स्तर) के बाहरी सदस्य भी रहे हैं।

श्री राकेश नेमा (गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक)

श्री राकेश नेमा ने एप्लाइड भौतिकी और कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट, एडवांस कंप्यूटर में डिप्लोमा एवं जेऐआईआईबी, सीएआईआईबी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी और आईटी सिक्योरिटी में प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

वे 07.08.2000 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा, मुंबई कॉरपोरेट कार्यालय में प्रबंधक के रूप में शामिल हुए। उनके द्वारा संभाले गए पोर्टफोलियो निम्नलिखित हैं: आईटी अनुपालन (2006–2009), आईटी परियोजनाएँ (2009–2014) और डिजिटल बैंकिंग (2017–2018)। 25.03.2019 को उन्होंने बैंक ऑफ़ बड़ौदा डिजास्टर रिकवरी साइट, हैदराबाद का कार्यभार संभाला और साथ ही उपमहाप्रबंधक, आईटी संचालन (2019–2022) के रूप में कार्य किया। 01 अगस्त 2022 को उन्होंने आईटी संचालन के प्रमुख–महाप्रबंधक, आईटी संचालन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

वे नैनीताल बैंक से पहले भी 26 जून 2015 से 22 दिसंबर 2017 तक गैर—कार्यकारी निदेशक के रूप में जुड़े रहे।

वे भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के सर्टिफाइड सदस्य हैं, भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स से ट्रेज़री, निवेश और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा प्राप्त किया है और उन्होंने विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। Customer Service Committee of the Board, Executive Member of ALCO, Chairman, Learning & Development Governing Council of BOI and Executive Member of Policy Committee.

He was Chairman, BOI Merchant Bankers Ltd for 2.5 years, Director, BOI (New Zealand) Ltd. for 2.5 years and Non-Executive Director on New India Assurance Co Ltd the Board - 2 years (Appointed by GOI) - 14.08.2017 to 11.10.2019.

He is a former General Manager of Bank of Baroda with and was associated with the Bank for 34 years.

Highlights of career in Bank of Baroda:

General Manager (International Operations), General Manger (USA Operations), GM/ Zonal Head (TN & Kerala Zone), Regional Manager (Baroda, Kanpur and Kerala), Dy./ Asst. General Manager (Sharjah and Dubai), Asst. General Manager (MSME), Corporate Office, Branch Head of 6 different branches across India and Director, Bank of Baroda (New Zealand) Ltd (A Subsidiary of BoB).

He is/was a Guest Faculty in NIBM on invitation and External member of Special Staff Accountability Committee (DMD Level) of IDBI.

Mr. Rakesh Nema (Non-Executive Non-Independent Director)

He possesses Postgraduate in Applied Physics and Computer Applications, DIP in Computer (Advanced), JAIIB, CAIIB, Anti-Money Laundering and KYC and has certification in IT Security.

He joined as a Manager in Bank of Baroda on 07.08.2000 Mumbai Corporate Office. Portfolios handled by him are IT Compliance (2006-2009), IT Projects (2009-2014) and Digital Banking (2017-2018). On 25.03.2019 he took charge of Bank of Baroda Disaster Recovery Site, Hyderabad and also took charge as DGM, IT Operations (2019-2022). On 01st August 2022 he took charge as Head of IT Operations- General Manager, IT Operations, Bank of Baroda.

He was earlier associated with Nainital Bank as a Non-Executive Director from June 26, 2015 till December 22, 2017.

He possesses degree of Institute of Cost and Management Accountants of India, Certified Associate of Indian Institute of Bankers, India, Diploma in treasury, Investment and Risk Management from Indian Institute of Bankers, and Bachelor of Science.



श्री मानस रंजन बिस्वाल (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)

उन्हों वाणिज्यिक बैंकिंग में 37 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। वे 2000—2006 के बीच प्रबंधक (आईटी) और विष्ठ प्रबंधक (आईटी) के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने प्रारंभ में क्षेत्र की सभी शाखाओं का कंप्यूटरीकरण अकेले किया—पहले आंशिक कंप्यूटरीकरण (नेलिटो, स्टैंडअलोन पीसी के साथ) और फिर पूर्ण स्वचालन (बैंकमेंट एल ए एन के साथ)। उन्होंने इन्फोसिस से गहन डेटाबेस प्रशिक्षण प्राप्त किया और सी बी एस (फिनेकल) को लागू करने के लिए पीएनबी की पैरामीटराइजेशन टीम के सदस्य रहे। कार्यकारी निदेशक के पद पर उन्नित के बाद, आईटी, डिजिटलीकरण और रणनीति विभाग उनकी निगरानी में थे। वे निदेशक मंडल स्तर की आईटी रणनीति समिति और सूचना सुरक्षा समिति के भी सदस्य रहे। उन्होंने दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ विलय में आईटी और मानव संसाधन एकीकरण की निगरानी भी की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने हैदराबाद स्थित आई डी आर बी टी से निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए आईटी और साइबर सुरक्षा में प्रमाणन कार्यक्रम भी पूरा किया।

उन्होंने भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और ग्रामीण, अर्ध—शहरी, शहरी और मेट्रो क्षेत्रों की विभिन्न शाखाओं और प्रशासिनक कार्यालयों में शाखा प्रमुख और जोनल प्रमुख के रूप में कार्य किया है। उन्हें बैंकिंग के कई विभागों जैसे कि क्रेडिट, क्रेडिट मॉनिटरिंग, वसूली, विदेशी मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, आईटी, संचालन, डिजिटलीकरण आदि का अनुभव है। उन्होंने पीएनबी के पूर्वी क्षेत्र का नेतृत्व किया और कॉरपोरेट कार्यालय में विभिन्न विभागों के विभागीय प्रमुख रहे। उन्हें पीएनबी के दुबई कार्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मध्य पूर्व संचालन के प्रभारी के रूप में बैंक के विदेशी संचालन का भी पर्याप्त अनुभव प्राप्त है।

वे यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में कार्यकारी निदेशक रहे। कार्यकारी निदेशक के रूप में वे निदेशक मंडल और विभिन्न उप—समितियों के सदस्य रहे, जिनमें प्रबंधन समिति, क्रेडिट अनुमोदन समिति, लेखा परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, मानव संसाधन उप—समिति, वसूली प्रबंधन समिति, ओ आर एम सी, सी आर एम सी, परिसंपत्ति—देयता प्रबंधन समिति (एल्को), स्रोत समिति (एस आर सी), ग्राहक सेवा समिति आदि शामिल हैं। आईटी, डिजिटलीकरण, रणनीति, मानव संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, एम एस एम ई, रिटेल, कृषि, ग्राहक अधिग्रहण समूह, वित्तीय समावेशन, वसूली, संचालन और राष्ट्रीय बैंकिंग जैसे विभाग उनके पर्यवेक्षण में थे।

श्री कुलदीप सिंह (कार्यकारी निदेशक)

वे आर्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (पीजीडीएम), डिप्लोमा इन मटीरियल्स मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट्स मैनेजमेंट के धारक हैं।

वे बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बीओबी) के उपमहाप्रबंधक हैं और उनके पास 16 वर्षों का बैंकिंग अनुभव है, जिसमें उन्होंने विपणन, विपणन निरीक्षण, शाखा प्रमुख, बीपीआर सेल, संसाधन जुटाना, उप—जोनल प्रमुख, सरकारी संबंध और सरकारी डिजिटल समाधान जैसी विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया है।

Mr. Manas Ranjan Biswal (Non-Executive Independent Director)

He has rich experience of 37 years in Commercial Banking. Has worked as Manager (IT) and Senior Manager (IT) from 2000-2006. Single handedly computerized all the branches of the region initially - partial computerization (Nelito with standalone PCs) and then Full automation (Bankmate with LAN). Have undergone intensive DB training from Infosys and was a member of parameterization team of PNB to implement CBS (Finacle). On elevation to the Executive Director - IT, Digitization and Strategy Departments - were reporting to him. He was also a member of the Board level IT Strategy Committee and Information Security Committee. He also handled the amalgamation of two PSBs with Union Bank of India overseeing IT and HR integration. He has undergone a certification Programme in IT and Cyber Security for Board members from IDBRT, Hyderabad.

He has worked in different geographic locations of India and rural, semi-urban, urban, and metro offices at various branches and administrative offices as Branch Heads and Zonal Heads. He is exposed to multi-disciplines of banking like credit, credit monitoring, recovery, Foreign Exchange and international Banking, IT, operations, digitalization, etc. He has headed the Eastern Zone of PNB and was the divisional head of various divisions at the corporate office. He is having fair exposure to the bank's overseas operations as the CEO of PNB's Dubai office and in charge of Middle East operations.

He was an Executive Director in the Union Bank of India. As ED, he was a member of the board and various board subcommittees viz; Management Committee, Credit Approval Committees, Audit Committee, Risk Management Committee, HR subcommittee, Recovery Management Committee, ORMC, CRMC, ALCO, SRC, Customer Service committee, etc. Departments such as IT, Digitalization, Strategy, HR, International Banking, MSME, Retail, Agriculture, Customer Acquisition Group, Financial Inclusion, Recovery, operations, and national banking were reporting to him.

Mr. Kuldeep Singh (Executive Director)

He possess Masters degree in Arts, Post Graduate Diploma in Management (PGDM), Diploma in Materials Management, Diploma in Exports Management.

He is Deputy General Manager of Bank of Baroda (BOB) and is having Banking Experience of 16 years, in various capacities such as Marketing, Marketing Inspection, Branch Head, BPR Cell, Resource Mobilization, Deputy Zonal Head, Government Relationships, Government Digital Solutions.



श्री मनीष कौरा (गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक)

श्री मनीष कौरा ने बी.ए. (अर्थशास्त्र) तथा एम.बी.ई. (वित्त) की उपाधि प्राप्त की है। वे बीएफएसआई सेक्टर में 27 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव रखने वाले अनुभवी बैंकिंग कार्यपालक हैं। जून 2006 से बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े हुए हैं तथा वर्तमान में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। वे घरेलू सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों, बिजनेस प्रोसेस री—इंजीनियरिंग (बी पी आर) तथा महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं।उन्होंने जोनल हेड एवं क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में बड़े पैमाने पर बैंकिंग परिचालनों का सफल प्रबंधन किया है और महाराष्ट्र जैसे उच्च—व्यवसायिक क्षेत्रों में ट्रेजरी, सुरक्षा एवं परियोजना क्रियान्वयन का व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों के संचालन में गवर्नेस, नियामकीय अनुपालन एवं रणनीतिक सामंजस्य स्थापित करने में उनकी विशेष दक्षता रही है। इन्हीं कारणों से वे बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सक्षम एवं अनुभवी नामांकित निदेशक हैं।

प्रमुख दायित्व एवं अनुभवः

- मुंबई एवं पुणे जोन के महाप्रबंधक (जोनल हेड)
- पटना क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख (रीजनल हेड)
- अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय शाखा के प्रमुख (ब्रांच हेड)
- ट्रेजरी परिचालन एवं ग्लोबल मार्केट्स में विशेषज्ञता
- परियोजना एवं वित्तीय प्रबंधन में गहन अनुभव

वर्तमान में महाप्रबंधक—घरेलू सहायक कंपनियाँ एवं संयुक्त उपक्रम, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस एवं विशेष परियोजनाएँ

समितियों की संरचना

1. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

एसीबी का गठन केवल गैर—कार्यकारी निदेशकों (एनईडी) के साथ किया जाएगा। बोर्ड का अध्यक्ष एसीबी का सदस्य नहीं होगा। एसीबी की बैठक तीन सदस्यों की कोरम के साथ होगी। एसीबी की बैठक में भाग लेने वाले कम से कम दो—तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। एसीबी की बैठक तिमाही में कम से कम एक बार होगी। एसीबी की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो बोर्ड की किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा। एसीबी का अध्यक्ष बोर्ड की किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा जिसे ऋण जोखिम को मंजूरी देने का अधिदेश प्राप्त है। सभी सदस्यों में सभी वित्तीय विवरणों के साथ—साथ उनसे जुड़े नोट्स/रिपोर्ट को समझने की क्षमता होनी चाहिए और कम से कम एक सदस्य के पास वित्तीय लेखांकन या वितीय प्रबंधन में अपेक्षित पेशेवर विशेषज्ञता / योग्यता होनी चाहिए (उदाहरण के लिए, लेखांकन मानकों और प्रथाओं के अनुप्रयोग में अनुभव, जिसमें इसके आसपास आंतरिक नियंत्रण शामिल हैं।)

Mr. Manish Kaura (Non-Executive Non-Independent Director)

Mr. Manish Kaura possesses a degree in BA (Economics) and MBE (Finance). He is a seasoned banking executive with over 27 years of experience in the BFSI sector. Associated with Bank of Baroda since June 2006, currently designated as General Manager, leading critical portfolios including Domestic Subsidiaries & Joint Ventures, Business Process Reengineering (BPR), and Key Strategic Projects. Demonstrated excellence in managing large-scale banking operations as Zonal Head and Regional Head, with extensive exposure to Treasury, Security, and project execution across diverse, high-volume regions such as Maharashtra. Known for strong governance, regulatory compliance, and strategic alignment of subsidiaries - making him a capable and experienced Nominee Director representing the Bank.'

Assignments -

- General Manager of Mumbai and Pune Zone (Zonal Head)
- Regional Head at Patna Region
- Branch Head of International Business Branch
- Experience in Treasury Operations and Global Markets and has deep expertise in project and financial management

Currently General Manager - Domestic Subsidiaries & JVs, Project Monitoring Office, Special Projects

Composition of Committees

1. Audit Committee of Board (ACB)

The ACB to be constituted with only Non-Executive Directors (NEDs). The Chair of the Board shall not be a member of the ACB. The ACB shall meet with a quorum of -3- Three members. At least Two-Thirds of the members attending the meeting of the ACB shall be Independent Directors. The ACB shall meet at least once in a quarter. The meetings of the ACB shall be chaired by an Independent Director who shall not chair any other Committee of the Board. The Chair of the ACB shall not be a member of any Committee of the Board which has a mandate of sanctioning credit exposures. All members should have the ability to understand all financial statements as well as the notes/reports attached thereto and at least one member shall have requisite professional expertise/qualification in financial accounting or financial management [e.g., experience in application of accounting standards and practices, including internal controls around it].



एसीबी आम तौर पर सचिव को छोड़कर किसी भी कार्यकारी या विरिष्ठ प्रबंधन पदाधिकारी की उपस्थित के बिना बैठक करेगी। हालांकि, अपने विवेकानुसार और जब भी जरूरत होगी, हॉल टाईम डाइरेक्टर, वित्त कार्य प्रमुख सतर्कता कार्य, जोखिम कार्य, अनुपालन या किसी भी विरिष्ठ प्रबंधन पदाधिकारी या किसी कार्यकारी या सांविधिक लेखा परीक्षक सहित लेखा परीक्षक / लेखा फर्म के प्रतिनिधि को अपनी बैठकों में पूरी तरह या आंशिक रूप से उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करेगी।

2. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)

बोर्ड एनईडी के बहुमत से आरएमसीबी का गठन करेगा। आरएमसीबी की बैठक तीन सदस्यों के कोरम से होगी। आरएमसीबी की बैठक में भाग लेने वाले कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक सदस्य के पास जोखिम प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता / योग्यता होगी। आरएमसीबी की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी, जो बोर्ड या बोर्ड की किसी अन्य समिति का अध्यक्ष नहीं होगा। बोर्ड का अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य तभी हो सकता है, जब उसके पास अपेक्षित जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता हो। आरएमसीबी की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

आरएमसीबी आम तौर पर सचिव को छोड़कर कार्यकारी या विरष्ट प्रबंधन पदाधिकारियों की उपस्थिति के बिना बैठक करेगी। हालांकि, अपने विवेक पर और जब भी जरूरत होगी, अनुपालन प्रमुख और प्रबंधन के प्रतिनिधि / प्रतिनिधियों को अपनी बैठकों में पूरी तरह या आंशिक रूप से उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करेगी।

नामांकन और पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन समिति (एनआरएचआरसी)

बोर्ड ने केवल एनईडी से बना एक एनआरएचआर का गठन किया है। एनआरएचआर की बैठक तीन सदस्यों के कोरम से होगी। एनआरएचआर की बैठक में भाग लेने वाले कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से एक आरएमसीबी का सदस्य होगा। एनआरएचआर की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी। बोर्ड का अध्यक्ष एनआरएचआर की अध्यक्षता नहीं करेगा। आवश्यकतानुसार एनआरएचआर की बैठक आयोजित की जा सकती है।

4. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

बोर्ड ने प्रबंधन समिति और / या कार्यकारी समिति और / या ऋण समिति और / या निवेश समिति या किसी अन्य समिति का गठन किया है, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है, जिसके पास जोखिम उठाने का अधिदेश है, तो इसमें ऐसे निदेशक शामिल होंगे जो एसीबी, आरएमसीबी या एनआरएचआर का हिस्सा नहीं हैं। ये समितियाँ, जिनके पास जोखिम उठाने का अधिदेश है, आरएमसीबी द्वारा अनुशंसित बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेंगी। बोर्ड के गैर—कार्यकारी अध्यक्ष समिति का हिस्सा नहीं होंगे। यदि ऐसी समिति (यों) में एक से अधिक डब्ल्यूटीडी

The ACB shall normally meet without the presence of the executives or senior management functionaries except for the Secretary. However, at its discretion and as/when needed shall invite any of the WTDs, Head of Finance function, Vigilance Function, Risk Function, Compliance or any Senior Management functionary or any executive or a representative of an Auditor/Audit Firm including Statutory Auditor to be present at its meetings in whole or in part.

2. Risk Management Committee of Board (RMCB)

The Board shall constitute an RMCB with a majority of NEDs. The RMCB shall meet with a quorum of -3- Three members. At least half of the members attending the meeting of the RMCB shall be Independent Directors of which at least one member shall have professional expertise/qualification in risk management. Meetings of RMCB shall be chaired by an Independent Director who shall not be a Chair of the Board or any other Committee of the Board. The Chair of the Board may be a member of the RMCB only if he/she has the requisite Risk Management expertise. The RMCB shall meet at least once in each quarter.

The RMCB shall normally meet without the presence of the Executives or Senior Management functionaries except for the Secretary. However, at its discretion and as/when needed shall invite Head of Compliance and representative/s of the management to be present at its meetings in whole or in part.

3. Nomination and remuneration & Human resource Committee (NRHRC)

The Board has constituted an NRHR made up of only NEDs. The NRHR shall meet with a quorum of -3- Three members. At least half of the members attending the meeting of the NRHR shall be Independent Directors, of which one shall be a member of the RMCB. The meetings of the NRHR shall be chaired by an Independent Director. The Chair of the Board shall not chair the NRHR. The meeting of NRHR may be held as and when required.

4. Management Committee of Board (MCB)

The Board constitute/have constituted committee(s) such as Management Committee and/or Executive Committee and/or Credit Committee and/or Investment Committee or any other Committee by whatever name called which has a mandate to assume risks, then it shall consist of Directors who are not part of either ACB, RMCB or NRHR. These Committees which has a mandate to assume risks will exercise powers delegated by the Board as recommended by the RMCB. The Non-Executive Chairperson



शामिल हैं, तो किसी भी डब्ल्यूटीडी की अन्य डब्ल्यूटीडी के प्रदर्शन मूल्यांकन में कोई भूमिका नहीं होगी

ग्राहक सेवा और हितधारक संबंध सिमिति (सीएसएसआरसी)

कंपनी अधिनियम, 2023 के अनुसार अपने मौजूदा अधिदेश के अलावा, एसआरसी जमाकर्ता हित, ग्राहक सेवा, उपयुक्तता और औ. चित्य के मामलों के साथ—साथ विभिन्न शिकायत निवारण तंत्रों पर भी निगरानी रखेगा।

6. आईटी रणनीति एवं डिजिटल प्रोत्साहन समिति (आईटीएसडीसी)

संदर्भ — सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी पर कार्य समूह। आरबीआई/2010—11/494 बीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं.6/31.02.2008/2010—11 दिनांक 29 अप्रैल. 2011।

बोर्ड कम से कम तीन निदेशकों के साथ एक आईटी रणनीति समिति का गठन करेगा, जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। आईटी रणनीति समिति के सभी सदस्यों को तकनीकी रूप से सक्षम होना चाहिए, जबिक कम से कम एक सदस्य को प्रौद्योगिकी पहलों के प्रबंधन / मार्गदर्शन में पर्याप्त विशेषज्ञता होनी चाहिए।

7. विलफुल डिफॉल्टर समिति (डब्ल्यूडीसी)

समिति का नेतृत्व अध्यक्ष / एमडी और सीईओ करेंगे तथा इसमें बैंक / एफआई के दो स्वतंत्र निदेशक भी शामिल होंगे और उक्त समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही आदेश अंतिम होगा।

8. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, बोर्ड तीन या अधिक निदेशकों वाली एक सीएसआर समिति का गठन करेगा, जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

मानकों के अनुसार, इसमें कम से कम 3 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम 1 स्वतंत्र निदेशक होगा। समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी।

9. वसूली समिति (आरसीबी)

वसूली प्रणाली पर केंद्रित दृष्टिकोण रखने के लिए, बोर्ड ने बैंक को बोर्ड स्तर पर वसूली समिति बनाने का निर्देश दिया है।

मानकों के अनुसार, इसमें कम से कम 3 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम 1 स्वतंत्र निदेशक होगा। समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी। of the Board shall not be part of the Committee. Should such committee(s) include more than one WTD, then no WTD shall have a role in the performance appraisal of the other WTD.

Customer Service and Stakeholders' relationship Committee (CSSRC)

In addition to its extant mandate as per Companies Act, 2023, the SRC shall also have oversight on matters of depositor interest, customer service, suitability and appropriateness as well as various grievance redressal mechanism thereto.

6. IT Strategy & Digital promotion Committee (ITSDC)

Reference - Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Management and Cyber Frauds. RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC. BC.No.6/31.02.2008/2010-11 dated April 29, 2011.

The Board to constitute an IT Strategy Committee with a minimum of three directors as members, one of whom should be an Independent Director. All members of the IT Strategy Committee would need to be technically competent while at least one member would need to have substantial expertise in managing/guiding technology initiatives.

7. Wilful Defaulter Committee (WDC)

Committee to be headed by the Chairman/ MD & CEO and consisting, in addition, of two independent directors of the Bank/FI and the order shall become final only after it is confirmed by the said Review Committee.

8. Corporate Social Responsibility Committee(CSR)

As per Section 135 of Companies Act, 2013, the Board to constitute a CSR Committee consisting of three or more Directors out of which atleast one Director shall be an Independent Director.

As per standards, it shall consist of atleast -3- Members having atleast -1- Independent Director. The Committee shall be chaired by an Independent Director.

9. Recovery Committee of Board (RCB)

In order to have a focused approach on Recover System, Board has directed the Bank to formulate a Recovery Committee at Board level.

As per standards, it shall consist of atleast -3- Members having atleast -1- Independent Director. The Committee shall be chaired by an Independent Director.



10. घोखाघड़ी के मामलों की निगरानी और अनुपालन हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)

धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुपालन हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एस सी बी एम एफ) का ठन कम से कम तीन निदेशकों के साथ किया जाना चाहिए, जिसमें एक पूर्णकालिक निदेशक तथा न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशक / गैर—कार्यकारी निदेशक शामिल हों। इस समिति की अध्यक्षता किसी एक स्वतंत्र निदेशक / गैर—कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाएगी।

10. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF)

Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF) should be constituted with a minimum of three members of the Board, consisting of a whole-time director and a minimum of two Independent Directors/Non-Executive Directors. The Committee shall be headed by one of the Independent Directors/Non-Executive Directors.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समितियों की संरचना / Composition of Committees for FY 2024-25

वित्ताय वेष 2024-25 के लिए सामातया की सरचना /					Composition of Committees for FY 2024-25					
नाम / NAME	एसीबी / ACB	आरएमसीबी /RMCB	एनआरएचआर / NRHR	एमसीबी / MCB	सीएसआर एवं सीएसआर / CS & SRC	आईटीडी. टीसी /ITDTC	सीएसआर /CSR	आरसी / R C	आरसी / R C	एलवीएफ /SCBMF
श्री एन के चारी, (अध्यक्ष) Mr. N K Chari, (Chairman)	x	सदस्य / Member	सदस्य / Member	x	x	х	х	х	х	अ
श्री निखिल मोहन, (एमडी और सीईओ) Mr. Nikhil Mohan (MD & CEO)	х	х	х	अध्यक्ष / Chairman	х	सदस्य / Member	अध्यक्ष / Chairman	सदस्य / Member	х	सदस्य / Member
श्रीमती बिनीता शाह—आईडी Mrs. Binita Shah-ID	х	х	सदस्य / Member	х	अध्यक्ष / Chairperson	х	х	अध्यक्ष / Chairperson	х	х
श्री राकेश नेमा —एनईडी Mr. Rakesh Nema-NED	x	х	x	सदस्य / Member	х	सदस्य / Member	х	सदस्य / Member	х	सदस्य / Member
श्री मनोज शर्मा —आईडी Mr. Manoj Sharma -ID	सदस्य / Member	सदस्य / Member	अध्यक्ष / Chairman	х	х	х	х	सदस्य / Member	अध्यक्ष / Chairman	х
श्री उत्तम सिंह नाहटा —आईडी Mr. Uttam Chand Nahta-ID	सदस्य / Member	х	х	x	х	x	x	सदस्य / Member	सदस्य / Member	х
श्री नीलम दामोघरन —आईडी Mr. Neelam Damodharan-ID	अध्यक्ष / Chairman	सदस्य / Member	सदस्य / Member	х	х	x	х	х	सदस्य / Member	सदस्य / Member
श्री गोपाल सिंह गुंसाई —आईडी Mr. Gopal Singh Gusain - ID	सदस्य / Member	अध्यक्ष / Chairman	सदस्य / Member	х	х	सदस्य / Member	х	х	х	सदस्य / Member
श्री मानस रंजन बिस्वाल—आईडी Mr. Manas Ranjan Biswal – ID	х	х	х	सदस्य / Member	सदस्य / Member	अध्यक्ष / Chairman	सदस्य / Member	х	अध्यक्ष / Chairman	х
श्री कुलदीप सिंह—आईडी Mr. Kuldeep Singh — ED	х	х	х	सदस्य / Member	सदस्य / Member	सदस्य / Member	х	х	सदस्य / Member	सदस्य / Member
कुल सदस्य Total Members	4	4	5	4	3	5	3	4	4	6

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निदेशकों की उपस्थिति / Attendance of Directors for FY 2024-25

निदेशक / DIRECTOR	बोर्ड / Board	समिति / Committee
श्री एन के चारी, (अध्यक्ष) / Mr. N K Chari, (Chairman)	100% (12/12)	100% (20/20)
श्री निखिल मोहन, (एमडी और सीईओ) / Mr. Nikhil Mohan, (MD & CEO)	100% (12/12)	93% (12/13)
श्रीमती बिनीता शाह—आईडी / Mrs. Binita Shah-ID	91.67% (11/12)	95% (18/19)
श्री राकेश नेमा —एनईडी / Mr. Rakesh Nema-NED	83.34% (10/12)	79% (11/14)
श्री मनोज शर्मा —आईडी / Mr. Manoj Sharma -ID	91.67% (11/12)	97% (27/28)
श्री यू सी नाहटा —आईडी / Mr. U C Nahta-ID	100% (12/12)	100% (14/14)



निदेशक / DIRECTOR	बोर्ड / Board	समिति / Committee
श्री नीलम दामोघरन —आईडी / Mr. Neelam Damodharan-ID	100% (12/12)	100% (18/18)
श्री गोपाल सिंह गुंसाई —आईडी / Mr. Gopal Singh Gusain - ID	91.67% (11/12)	100% (26/26)
श्री मानस रंजन बिस्वाल—आईडी/ Mr. Manas Ranjan Biswal – ID	100% (4/4)	100% (4/4)
श्री कुलदीप सिंह—ईंडी / Mr. Kuldeep Singh - ED	N/A	100% (3/3)

वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) उपस्थिति रजिस्टर Attendance Register for Audit Committee of Board (ACB) for FY 2024-2025

निदेशक / Director	29.04.24	17.06.24	26.07.24	28.08.24	23.10.24	05.12.24	21.01.25	21.03.25
श्रीमती बिनीता शाह—आईडी	उपस्थित	उपस्थित	गैर उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं
Mrs. Binita Shah-ID	P	P	A	P	P	P	NA	NA
श्री मनोज शर्मा—आईडी	उपस्थित	गैर उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Mr. Manoj Sharma -ID	P	A	P	P	P	Р	Р	Р
श्री यू सी नाहटा —आईडी	उपस्थित	उपस्थित						
Mr. U C Nahta-ID	P	P	P	P	P	P	P	P
श्री गोपाल सिंह गुंसाई —आईडी	उपस्थित	उपस्थित						
Mr. Gopal Singh Gusain - ID	P	P	P	P	P	P	P	P
श्री नीलम दामोघरन —आईडी	गैर उपस्थित	उपस्थित						
Mr. Neelam Damodharan-ID	A	A	A	A	A	A	A	P

वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) उपस्थिति रजिस्टर Attendance Register for Risk Management Committee of Board (RMCB) for FY 2024-2025

निदेशक / Director	23.04.2024	29.06.2024	23.08.2024	06.12.2024	20.03.2025
श्री एन के चारी, (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Mr. N K Chari, (Chairman)	P	P	P	P	P
श्री मनोज शर्मा —आईडी	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Mr. Manoj Sharma -ID	P	P	P	P	P
श्री गोपाल गुंसाई	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Mr. Gopal Gusain	P	P	P	P	P
श्री नीलम दामोघरन —आईडी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित
Mr. Neelam Damodharan-ID	NA	NA	NA	NA	P

वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) उपस्थिति रजिस्टर Attendance Register for Nomination & Remuneration & Human Resource Committee (NRHR) for FY 2024-2025

निदेशक / Director	20.04.2024	29.04.2024	29.07.2024	30.08.2024	13.11.2024	04.12.2024	07.03.2025
श्री एन के चारी, (अध्यक्ष)	उपस्थित						
Mr. N K Chari, (Chairman)	P	P	P	P	P	P	P
श्रीमती बिनीता शाह—आईडी	उपस्थित						
Mrs. Binita Shah-ID	P	P	P	P	P	P	P
श्री मनोज शर्मा —आईडी	उपस्थित						
Mr. Manoj Sharma -ID	P	P	P	P	P	P	P
श्री गोपाल गुंसाई	उपस्थित						
Mr. Gopal Gusain	P	P	P	P	P	P	P
श्री नीलम दामोधरन —आईडी	लागू नहीं	उपस्थित					
Mr. Neelam Damodharan-ID	NA	NA	NA	NA	NA	NA	P



वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए प्रबंधन समिति (एमसीबी) उपस्थिति रजिस्टर Attendance Register for Management Committee of Board (MCB) for FY 2024-2025

निदेशक /Director	25.04.2024	21.08.2024	09.12.2024	20.03.2025
श्री निखिल मोहन, (एमडी और सीईओ)	उपस्थित	गैर उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Mr. Nikhil Mohan, (MD & CEO)	P	A	P	P
श्री नीलम दामोधरन —आईडी	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Mr. Neelam Damodharan - ID	P	P	P	P
श्री राकेश नेमा —एनईडी	उपस्थित	उपस्थित	गैर उपस्थित	लागू नहीं
Mr. Rakesh Nema - NED	P	P	A	NA
श्री मानस रंजन बिस्वाल—आईडी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित
Mr. Manas Ranjan Biswal – ID	NA	NA	NA	P

वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए ग्राहक सेवा एवं हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) उपस्थिति रजिस्टर Attendance Register for Customer Service & Stakeholders' Relationship Committee (SRC) for FY 2024-2025

निदेशक /Director	29.04.2024	09.12.2024	31.03.2025
श्रीमती बिनीता शाह —आईडी	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Mrs. Binita Shah-ID	Р	Р	Р
श्री मनोज शर्मा –आईडी	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं
Mr. Manoj Sharma -ID	Р	Р	NA
श्री राकेश नेमा –एनईडी	उपस्थित	गैर उपस्थित	लागू नहीं
Mr. Rakesh Nema-NED	Р	A	NA
श्री मानस रंजन बिस्वाल	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित
Mr. Manas Ranjan Biswal	NA	NA	Р
श्री कुलदीप सिंह	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित
Mr. Kuldeep Singh	NA	NA	Р

वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए आईटी रणनीति एवं डिजिटल प्रोत्साहन समिति (आईटीएस—डीपी) उपस्थिति रजिस्टर Attendance Register for IT Strategy & Digital Promotion Committee (ITS & DP) for FY 2024-2025

निदेशक /Director	29-04-2024	14-08-2024	27-12-2024	29-03-2025
श्री एन के चारी, (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं
Mr. N K Chari, (Chairman)	P	P	P	NA
श्री निखिल मोहन, (एमडी और सीईओ)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Mr. Nikhil Mohan, (MD & CEO)	P	Р	Р	Р
श्री नीलम दामोधरन –आईडी	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं
Mr. Neelam Damodharan-ID	Р	Р	Р	NA
श्री राकेश नेमा –एनईडी	गैर उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Mr. Rakesh Nema-NED	Р	Р	Р	Р
श्री मानस रंजन बिस्वाल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित
Mr. Manas Ranjan Biswal	NA	NA NA	NA	Р
श्री गोपाल गुंसाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित
Mr. Gopal Gusain	NA	NA NA	NA	Р
श्री कुलदीप सिंह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित
Mr. Kuldeep Singh	NA	NA NA	NA	Р

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए पुनर्प्राप्ति समिति (आरसी) उपस्थिति रजिस्टर Attendance Register for Recovery Committee (RC) for FY 2024-2025

निदेशक /Director	27.04.2024	20.08.2024	30.11.2024	19.03.2025
श्री एन के चारी, (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं
Mr. N K Chari, (Chairman)	Р	Р	Р	NA
श्री मनोज शर्मा –आईडी	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Mr. Manoj Sharma -ID	Р	Р	Р	Р
श्री नीलम दामोधरन –आईडी	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Mr. Neelam Damodharan-ID	Р	Р	Р	Р
श्री मानस रंजन बिस्वाल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित
Mr. Manas Ranjan Biswal	NA	NA	NA	Р



वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए धोखाधड़ी मॉनिटरिंग और फॉलो–अप समिति (एलवीएफ/एससीबीएमएफ) उपस्थिति रजिस्टर

Attendance Register for Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of Frauds (SCBMF) for FY 2024-2025

निदेशक /Director	29.04.2024	09.12.2024	29.03.2025
श्री एन के चारी, (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं
Mr. N K Chari, (Chairman)	P	P	NA
श्री निखिल मोहन, (एमडी और सीईओ)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Mr. Nikhil Mohan , (MD & CEO)	P	P	P
श्री मनोज शर्मा —आईडी	उपस्थित	लागू नहीं	उपस्थित
Mr. Manoj Sharma -ID	P	NA	P
श्री नीलम दामोधरन —आईडी	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Mr. Neelam Damodharan-ID	P	P	P
श्री गोपाल गुंसाई	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Mr. Gopal Gusain	P	P	P
श्री राकेश नेमा	लागू नहीं	गैर उपस्थित	उपस्थित
Mr. Rakesh Nema	NA	A	P
श्री कुलदीप सिंह	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित
Mr. Kuldeep Singh	NA	NA	P

वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए कार्यकारी समिति (डब्ल्यूडी) उपस्थिति रजिस्टर Attendance Register for Work/Executive Committee (WD) for FY 2024-2025

निदेशक /Director	29.04.2024	10.03.2025
श्री निखिल मोहन, (एमडी और सीईओ)	उपस्थित	उपस्थित
Mr. Nikhil Mohan , (MD & CEO)	Р	Р
श्री नीलम दामोधरन –आईडी	उपस्थित	लागू नहीं
Mr. Neelam Damodharan-ID	Р	NA
श्री गोपाल गुंसाई	उपस्थित	लागू नहीं
Mr. Gopal Gusain	Р	NA NA
श्री यू सी नाहटा –आईडी	लागू नहीं	उपस्थित
Mr. U C Nahta-ID	NA	Р
श्री मानस रंजन बिस्वाल	लागू नहीं	उपस्थित
Mr. Manas Ranjan Biswal	NA NA	P

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर) उपस्थिति रजिस्टर Attendance Register for Corporate Social Responsibility Committee (CSR) for FY 2024-2025

निदेशक /Director	03.07.2024	27.08.2024
श्रीमती बिनीता शाह —आईडी	उपस्थित	उपस्थित
Mrs. Binita Shah - ID	Р	Р
श्री यू सी नाहटा —आईडी	उपस्थित	उपस्थित
Mr. U C Nahta - ID	Р	Р
श्री राकेश नेमा –एनईडी	उपस्थित	उपस्थित
Mr. Rakesh Nema - NED	Р	P

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में दावा न किए गए लाभांश और शेयरों का हस्तांतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और 125 के प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम") (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन, परिवर्तन या पुनः अधिनियम सिहत) के अनुसार, बैंक को सात (7) वर्षों की अविध के लिए दावा न किए गए सभी

Transfer of unclaimed dividend and shares to Investor Education & Protection Fund (IEPF)

As per the provisions of Section 124 and 125 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules") (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the Bank is statutorily required to



लाभांश को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करना सांविधिक रूप से आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2017 तक एवं उसके लिए घोषित लाभांश राशि में से अवितिरित लाभांश राशि आईईपीएफ में हस्तांतिरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2016—17 की ₹1,02,294.00 की लाभांश राशि, जो बैंक के अवितिरित लाभांश खाते में हस्तांतरण की तिथि से सात वर्ष की अविध तक अप्राप्त रही, उसे विधिवत आईईपीएफ खाते में स्थानांतिरित कर दिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार और निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, ऑडिट, स्थानांतरण और वापसी) नियमों के साथ पढ़ने पर, वित्तीय वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2025 तक, 10,433 इक्विटी शेयर आई ई पी एफ प्राधिकरण के पास रखे गए हैं, जिनका लाभांश लगातार सात वर्षों तक दावा नहीं किया गया है अप्राप्त लाभांश और IEPF को स्थानांतिरत किए गए इक्विटी शेयरों का दावा IEPF की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्दिष्ट फॉर्म में आवेदन करके किया जा सकता है। IEPF के प्रावधानों के तहत नियुक्त नोडल अधिकारी का विवरण बैंक की वेबसाइट https://nainitalbank.co.in पर उपलब्ध है।

सीएफओ प्रमाणन

निदेशक मंडल नैनीताल बैंक लिमिटेड

नैनीताल बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को प्रमाण पत्र।

नैनीताल बैंक लिमिटेड (इसमें इसके बाद "बैंक") के महेश गोयल (मुख्य वित्तीय अधिकारी) बोर्ड को प्रमाणित करते हैं किः

- क. दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमने वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और यह हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार है:
 - इन विवरणों में कोई भी महत्वपूर्ण रूप से असत्य कथन नहीं है या कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छूटा है या ऐसे कथन नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
 - ii. ये विवरण एक साथ बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।
- ख. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा कोई भी ऐसा लेन–देन नहीं किया गया है जो घोखाधड़ीपूर्ण, अवैध हो या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।
- ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय

transfer to the Investor Education & Protection Fund (IEPF) all dividends remaining unclaimed for a period of seven (7) years.

Unpaid dividends for and up to the Financial Year ended March 31, 2017, have been transferred to the IEPF. Dividend amount of ₹ 1,02,294.00 pertaining to Financial Year 2016-17, which remained unclaimed for a period of seven years from the date of its transfer to the unpaid dividend account(s) of the Bank has been duly transferred to the IEPF Account.

Pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, as on financial year ended March 31, 2025, -10,433- equity shares bare lying with the IEPF Authority, where the dividend has not been claimed for seven consecutive years. The unclaimed dividend and the equity shares transferred to IEPF can be claimed by making an application in the prescribed form available on the website of IEPF i.e. www.iepf.gov.in. The details of Nodal Officer appointed under the provisions of IEPF are available on the website of the Bank at https://nainitalbank.co.in.

CFO Certification

The Board of Directors
The Nainital Bank Limited

Certificate to the Board of Directors of The Nainital Bank Limited.

Mahesh Goyal (Chief Financial Officer) of The Bank Limited (hereinafter "the Bank") hereby certify to the Board that:

- a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the Financial Year ended March 31, 2025 and that to the best of our knowledge and belief:
 - i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violate of the Bank's code of conduct.
- We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have



रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हो, के बारे में बताया है, जिनके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को संकेत दिया है: (i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन; (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों के नोटों में उनका खुलासा किया गया है; और (iii) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले जिनके बारे में हमें पता चला है और उनमें प्रबंधन या वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भृमिका रखने वाले किसी कर्मचारी की भागीदारी, यदि कोई हो।

ह / --(महेश गोयल) मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थानः नैनीताल

दिनांकः ३० अगस्त, २०२५

जोखिम प्रबन्धन

जोखिम बैंकिंग व्यवसाय का अभिन्न अंग है और बैंक का उद्देश्य जोखिम और प्रतिलाभों के बीच एक उपयुक्त संतुलन स्थापित करना है। बैंक विभिन्न जोखिमों का सामना करता है, जो किसी भी बैंकिंग व्यवसाय के अंतर्निहित अंग होते हैं। प्रमुख जोखिम ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, नकदी जोखिम और परिचालन जोखिम हैं। धारणीय और सुसंगत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढाँचा विकसित किया है, तािक बैंक द्वारा कित्यत जोखिमों का उचित आकलन और निगरानी हो सके। गौरतलब है कि जोखिम प्रबंधन ढाँचा स्थापित करने का परम दाियत्व बैंक के निदेशक मंडल का है। निदेशक मंडल ने मंडल की एक जोखिम प्रबंधन सिमिति भी गिठित की है, जो विभिन्न प्रकार के जोखिमों के बीच अंतर संबंधों का निरीक्षण करती है।

बेंक की एक व्यापक आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया और दबाव परीक्षण नीति है। नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम, संकेंद्रण जोखिम और पूँजी पर्याप्तता जैसे पिलर 2 के जोखिमों का सामान्य और तनावग्रस्त दोनों स्थितियों में वर्तमान नीतियों के अनुसार आकलन किया जाता है। बैंक के भीतर विभिन्न जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रबंधन करने के तंत्र की एक संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है:—

आस्ति देयता प्रबन्धन (एएलएम)

तरलता जोखिम उचित लागत पर अपेक्षित और अप्रत्याशित नकदी और संपार्शिक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता है। बैंक में नकदी जोखिम का evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps taken or proposed to be taken to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the auditors and the Audit committee: (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year; (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Sd/-(Mahesh Goyal) Chief Financial officer

Place: Nainital

Date: 30 August, 2025

RISK MANAGEMENT

Risk is an integral part of the banking business and the Bank aims to achieve an appropriate trade-off between risk and returns. The Bank is exposed to various risks that are an inherent part of any banking business. The major risks are credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk. To ensure sustainable and consistent growth, the Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. It may be noted that the ultimate responsibility for setting up the risk management framework lies with the Board of the Bank. The Board has also constituted a Risk Management Committee of the Board which oversees the interlinkages among different type of risks.

The Bank has a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process and stress test policy. The Pillar 2 risks such as Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Concentration Risk, Reputational Risk, Pension Obligation Risk, Business and Strategic Risk and Capital Adequacy under both normal and stressed conditions are assessed as per the extant policies. A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks within the Bank is as follows:-

ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)

Liquidity Risk is the inability to meet expected and unexpected cash and collateral obligations at reasonable cost. At the Bank,



मापन और निगरानी रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार स्टॉक एप्रोच और अन्य विवेकपूर्ण व्यवस्थाओं के माध्यम से की जाती है। बैंक ने नकदी मानदंडों पर बेसल III ढ़ाचे पर नकदी कवरेज अनुपात (एलसीआर), नकदी जोखिम निगरानी टूल्स और एलसीआर प्रकटीकरण मानदंडों का कार्यान्वयन किया है। एलसीआर मानदंडों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक ऐसी भार-रिहत उच्चगुणवत्ता पूर्ण आस्तियों का एक उपयुक्त स्तर कायम रखें, जो पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्देष्ट अत्यधिक गंभीर नकदी दबाव परिदृश्य में 30 कैलेंडर-दिनों की समय-सीमा की नकदी-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में बदली जा सकें। बैंक सदैव एलसीआर के निर्धारित स्तर से पर्याप्त ऊपर रहा है।

आरबीआई ने दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से एनएसएफआर (नेट स्टेबल फंडिंग रेशियों) भी पेश किया है जो लंबी अविध के क्षितिज पर लचीलेपन को बढ़ावा देता है जिससे बैंकों को निरंतर आधार पर अधिक स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को निधि देने की आवश्यकता होती है। एनएसएफआर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बैंक अपनी संपत्तियों और ऑफ बैंलेंस शीट से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे। बैंक का एनएसएफआर 100% के निर्धारित स्तर से काफी ऊपर रहा है।

बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) संवेदनशील परिसंपत्तियों और देयताओं के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है जो ब्याज दरों में बदलाव के साथ बैंक की इक्विटी की आय/आर्थिक मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बैंक बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का आकलन और निगरानी के लिए जोखिम प्रबंधन उपकरण जैसे परंपरागत अंतर विश्लेषण, जोखिम पर आय और इक्विटी की संशोधित अविध का उपयोग करता है। शुद्ध ब्याज आय (शून्य), पर ब्याज दर के उतार—चढ़ाव के अल्पकालिक प्रभाव की गणना 'जोखिम पर आय' दृष्टिकोण के माध्यम से की जाती है। ब्याज दर के उतार—चढ़ाव के दीर्घकालिक प्रभाव को इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) में बदलाव के माध्यम से मापा और मॉनिटर किया जाता है।

नकदी और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए नीतिगत ढाँचा बैंक की एएलएम नीति में स्थापित किया जाता है, जो विनियामक अनुदेशों से निर्देशित होती है। बैंक की आस्ति देयता समिति (एल्को) सुनिश्चित करती है कि नकदी जोखिम और ब्याज दर जोखिम वहनीयता की सीमाओं के अंतर्गत रहें। इसके अतिरिक्त, हमारे बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नकदी और ब्याज दर जोखिम कवर करने वाला स्ट्रेस टेस्टिंग कार्यक्रम है, जो विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसे उधारकर्ताओं के ऋण की गुणवत्ता में कमी आने, प्रतिपक्षों के अचानक डिफाल्ट या पोर्टफोलियो में कमी से सम्बन्धित हानि की सम्भावना के रुप में पिरभाषित किया गया है। ऋण जोखिम प्रबन्धन एक व्यापक एवं सुपिरभाषित ऋण नीति के द्वारा नियंत्रित होता है जोकि बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी है। पोर्टफोलियो में अनुचित केन्द्रीकरण जोखिम के निवारण के लिए बैंक ने विभिन्न उद्योगों, सेक्टर व उधारकर्ताओं के लिए

the liquidity risk is measured and monitored through Stock Approach and other prudential stipulations as per RBI's extant guidelines. The Bank has implemented the Basel III Framework on Liquidity Standards - Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. The LCR Standard aims to ensure that banks maintain an adequate level of unencumbered High - Quality Liquid Assets that can be converted into cash to meet liquidity needs for a 30-calendar days' time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors. The Bank has always been well above the stipulated level of LCR.

The RBI has also introduced NSFR (Net Stable Funding Ratio) with effect from 01st October 2021 which promotes resilience over a longer-term time horizon whereby Banks are required to fund their activities with more stable sources on an ongoing basis. The NSFR seeks to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of its assets and off-balance sheet activities. The Bank's NSFR has been well above the stipulated level of 100%.

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) arises due to mismatch between rate sensitive assets and liabilities which may adversely impact the earnings/economic value of equity of the Bank with the change in interest rates. The Bank uses risk management tools such as Traditional Gap Analysis, Earning at Risk and Modified Duration of Equity for the measurement and monitoring of Interest rate risk in the banking book. The short term impact of interest rate movements on Net Interest Income [NII] is calculated through the 'Earnings at Risk' approach. The long-term impact of interest rate movements is measured and monitored through change in Market Value of Equity (MVE).

The policy framework for liquidity and interest rate risk management is established in the Bank's ALM Policy and LCR & NSFR Policy which is guided by regulatory instructions. Bank's Asset Liability Committee (ALCO) ensures that liquidity risk and interest rate risk are within the tolerance limits. Additionally, our Bank has a comprehensive Board approved stress testing programme covering liquidity and interest rate risk which is aligned with the regulatory guidelines.

CREDIT RISK

Credit Risk is defined as the possibility of losses associated with the reduction in the credit quality of borrowers or counterparties from outright default of reduction in portfolio value. Credit Risk management is governed by a comprehensive and well-defined Loan Policy and Credit Risk Management Policy which is approved by the Board. To manage the undue



विवेकपूर्ण सीमाएं तय की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरुप बैंक वर्तमान में ऋण जोखिम के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण पर कार्य कर रहा है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम पोर्टफोलियों के मूल्यों में विपरीत बदलावों के कारण होने वाली आय या आर्थिक मूल्य की हानि हैं। विभिन्न बाजार—उत्पादों के आर्थिक मूल्य में बदलाव मुख्यतः बाजार—दर, आर्थिक वृद्धि और व्यापार में भरोसे जैसे कारकों में बदलाव के कारण होता है। बैंक के पास अपने बाजार जोखिम की स्थितियाँ ग्रहण करने वाले राजकोषीय क्रिया—कलापों के नियंत्रण और निगरानी के लिए सुपरिभाषित नीतियाँ है। बैंक अपनी ट्रेडिंग—बुक में बाजार—दर जोखिम का मापन और निगरानी तिमाही आधार पर संशोधित अविध दृष्टिकोण के माध्यम से करता है। लेनदेन के स्तर पर हानि—रोध सीमाएँ निर्धारित और कार्यान्वित की गई है। अपने स्ट्रेस टेस्टिंग ढाँचे के अंतर्गत बैंक तिमाही आधार पर अपने व्यापार पुस्तक पोर्टफोलियों का व्यापक स्ट्रेस टेस्टिंग करता है।

मिड—ऑफिस जोखिम प्रबंधन के एक भाग के रूप में, दैनिक आधार पर पिरेभाषित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुसार पोर्टफोलियो वार निवेश सीमा को मापता है और निगरानी करता है। बैंक के लिए बाजार जोखिम पूंजी प्रभार की गणना विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार की जाती है।

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त अथवा निष्फल आंतरिक परिचालन प्रक्रिया, लोगों तथा प्रणालियों अथवा बाहरी घटकों से हानि के कारण होने वाला जोखिम है। इसमें विधिक जोखिम भी शामिल है, लेकिन कार्यनीति तथा प्रतिष्ठा सम्बन्धी जोखिम इसमें शामिल नहीं हैं। बैंक में एक सुपरिभाषित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें बैंक ने बेसल ॥। दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालन जेखिम के लिए जोखिम वेटेड आस्ति की गणना हेतु बेसिक सूचक दृष्टिकोण को परिभाषित किया है। बैंक ने बैंक स्तर पर परिचालन जोखिम का विश्लेषण करने के लिए प्रमुख जोखिम सूचक भी परिभाषित किया है।

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

तरलता कवरेज अनुपात बैंक तरलता के लिए एक वैश्विक न्यूनतम मानक है। इस अनुपात का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण अत्यंत जिंटल पिरिस्थितियों में 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त भाररहित उच्च कोटि की आस्तियां रखे जिन्हें नकदी में बदला जा सके। जून, 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता मानकों पर तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और बेसल—॥। फ्रेमवर्क पर आधारित एलसीआर प्रकटीकरण, निगरानी टूल्स जारी किया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर एलसीआर दिनांक 1 जनवरी, 2015 से न्यूनतम 60 प्रतिशत आवश्यकता के साथ बराबर सालाना वृद्धि के साथ 1

concentration of risk in the portfolios, the Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers. In accordance with the RBI guidelines, Bank is currently on the Standardized Approach for credit risk.

MARKET RISK

Market Risk implies the risk of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices of trading portfolio. The change in economic value of different market products is largely a function of change in factors such as interest rates, exchange rates, economic growth and business confidence. The Bank has well defined policies to control and monitor its treasury functions which undertake Market Risk positions. The Bank measures and monitors interest rate risk in its trading book through modified duration approach on quarterly basis. At a transaction level, stop loss limits have been prescribed and implemented. Under its stress testing framework, the Bank conducts comprehensive stress tests of its trading book portfolio on a quarterly basis.

Mid-Office as a part of Risk Management, measures and monitors investment cap limits portfolio wise as per the defined prudential limits on a daily basis. The market risk capital charge for the Bank is computed as per the Standardised Duration Approach (SDA) in line with the regulatory guidelines.

OPERATIONAL RISK

Operational Risk implies the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This includes legal risk, but excludes strategic and reputation risks. Bank has a well-defined Operational Risk Management Policy where Bank has defined the Basic Indicator Approach for calculating the Risk weighted assets for Operational Risk as per BASEL III guidelines. Bank has also defined the Key Risk indicators for analyzing the Operational Risk at Bank level.

LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) is a global minimum standard for bank liquidity. The ratio aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high-quality liquid assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario. In June 2014, RBI released Basel III Framework on Liquidity Standards- Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. Based on the guidelines, LCR became effective on January 1, 2015 with minimum requirement for the ratio was at 60%, increasing in



जनवरी, 2019 तक 100 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ लागू हो गया। कोविड—19 महामारी के कारण बैंक के कैश फ्लो के भार से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17.04.2020 के अपने परिपत्र में बैंक के एलसीआर को निम्नानुसार रखने के लिए अनुमित दी है:

परिपत्र की तारीख से सितंबर 30, 2020 तक —	80 प्रतिशत
1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक —	90 प्रतिशत
1 अप्रैल 2021 और इसके बाद —	100 प्रतिशत

निवल स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एनएसएफआर)

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से एनएसएफआर (निवल स्थिर वित्त पोषण अनुपात) भी शुरू किया है जो दीर्घकालिक समय सीमा पर लचीलापन को बढ़ावा देता है जिसके तहत बैंकों को निरंतर आधार पर अधिक स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को वित्त पोषित करना आवश्यक है। एनएसएफआर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और ऑफ—बैलेंस शीट गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर वित्त पोषण प्रोफ़ाइल बनाए रखता है। एनएसएफआर अनुपात निरंतर आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए। बैंक का एनएसएफआर 100% के निर्धारित स्तर से काफी ऊपर रहा है।

बेसल—॥। कार्यान्वयन

बेसल—III पूंजी विनियमों का कार्यान्वयन भारतीय बैंकों द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2013 से किया गया है। बेसल—III में सरलता से पारगमन के लिए पूंजी आवश्यकता के अनुरुप समुचित पारगमनीय व्यवस्था की गई है और न्यूनतम बेसल—III पूंजी अनुपातों व पूंजी के घटकों से सम्बन्धित पूर्ण नियामकीय समायोजन की प्राप्ति के लिए वित्तीय परिणामों के प्रकाशन के साथ घोषित करने हेतु सभी आवश्यक घोषणाएं समेकित स्तर पर की गई हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए एक ओर पूंजी की परिवर्धित गुणवत्ता एवं मात्रा और दूसरी ओर अधिक प्रकटीकरण की आवश्यकता है। वर्तमान में बैंक की पूंजी बेसल—III के अन्तर्गत जरुरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

नैनी रिपो लिंक्ड रेट दर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपन्न आरबीआई / 2019–20 / 53 डीबीआरडीआईआर.बीसी.एनओ.14 / 13.03.00 / 2019–20, दिनांक 04.09 2019 में दिनांक 01.10.2019 से बाहरी बेंचमार्क आधारित ब्याज दर को बैंक द्वारा दिये जाने वाले सभी नए वैयक्तिक अथवा रिटेल ऋण फ्लोटिंग दर और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की फ्लोटिंग दर के लिए अनिवार्य कर दिया है।

उपर्युक्त परिपत्र के महेनजर, एएलसीओ (अल्को) ने अपनी दिनांक 26.09.2019 की मीटिंग में को बाहरी बेंचमार्क के आधार पर उधार दर की गणना करने का निर्णय लिया अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार दिनांक 1.10.2019 से मासिक आधार पर रेपो दर बैंक द्वारा प्रदत्तर सभी नए फ्लोटिंग वैयक्तिक अथवा रिटेल ऋण अथवा रिटेल ऋण (आवास, ऑटो आदि) और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पर लागू होंगी।

equal annual increments to reach 100% on January 1, 2019. In order to accommodate the burden on banks' cash flows on account of the Covid19 pandemic, RBI in its circular dated 17.04.2020 permitted to Banks' to maintain LCR as under:

From date of circular to September 30, 2020 -	80 per cent
Oct 1, 2020 to March 31, 2021 -	90 per cent
April 1, 2021 onwards -	100 per cent

NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

The RBI has also introduced NSFR (Net Stable Funding Ratio) with effect from 01st October 2021 which promotes resilience over a longer-term time horizon whereby Banks are required to fund their activities with more stable sources on an ongoing basis. The NSFR seeks to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of its assets and off-balance sheet activities. The NSFR ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis. The Bank's NSFR has been well above the stipulated level of 100%.

BASEL III IMPLEMENTATION

The Basel III capital regulations have been implemented by Indian banks with effect from April 1, 2013. To ensure smooth transition to Basel III, appropriate transitional arrangements have been made with capital requirement and disclosures at consolidated level which are to be disclosed with the publication of financial results, have been provided for meeting the minimum Basel III capital ratios, full regulatory adjustments to the components of capital. This implementation requires enhanced quality and quantity of capital on one side and more elaborate disclosure on the other. The bank is adequately capitalized as per the current requirements under Basel III.

NAINI REPO LINKED LENDING RATE

RBI in its circular RBI/2019-20/53 DBR.DIR. BC.No.14/13.03.00/2019-20 dated 04.09.2019 made External benchmark based Interest Rate mandatory for all new floating rate personal or retail loans (housing, auto, etc.) and floating rate loans to Micro and Small Enterprises extended by Banks with effect from 01.10.2019.

In view of the above mentioned Circular, ALCO in its meeting dated 26.09.2019 decided to compute lending rate based on external benchmark i.e. Repo Rate on monthly basis w.e.f. 01.10.2019, which will be linked to all new floating rate personal or retail loans (housing, auto, etc.) and floating rate loans to Micro and Small Enterprises extended by Banks from 01.10.2019 as per RBI directives.



इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26.02.2020 के अपने परिपत्र में बैंकों के लिए मध्यम उद्यम को दिए गए ऋणों हेतु दिनांक 01.04.2020 से सभी फ्लोटिंग दर ऋण को बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण दर से लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। इस संबंध में अल्को ने अपनी दिनांक 23.03.2020 की मीटिंग में बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण दर को अनुमोदित कर दिया है अर्थात् दिनांक 01.04.2020 से मध्यम उद्योगों को सभी नए फ्लोटिंग रेट ऋण नैनी रेपो आधारित ऋण दर एनआरएलएलआर हैं। नैनी रेपो आधारित ऋण दर मासिक अंतराल पर अर्थात प्रत्येक माह की 10 तारीख को पुनर्निधारित की जाएगी।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस)

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आर बी एस) ढांचे के तहत कार्य करता है। यह ढांचा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके हमारे पर्यवेक्षण प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है।

आर बी आई का जोखिम मूल्यांकन मॉडल पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, प्रबंधन गुणवत्ता, आय, तरलता और बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशीलता जैसे प्रमुख मानकों पर विचार करता है। इससे उन बैंकों की पहचान करने में मदद मिलती है जो वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए अधिक जोखिम पैदा कर सकते हैं।

हमारा आर बी एस विभाग, मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) को रिपोर्ट करता है और आर बी आई के ढांचे को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें नियामक को विभिन्न रिपोर्ट और डेटा प्रस्तुत करना तथा आर बी आई के पर्यवेक्षण कार्यक्रम (सीपीएआरसी टीम) द्वारा किए जाने वाले वार्षिक ऑनसाइट ऑडिट का समन्वय शामिल है।

बैंक के जोखिम प्रोफ़ाइल में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। समग्र जोखिम स्कोर 2022–23 में 2.279 (उच्च जोखिम) से घटकर 2023–24 में 2.140 (मध्यम जोखिम) हो गया है। सभी नियामकीय रिटर्न समय पर प्रस्तुत किए गए हैं।

आर बी एस विभाग, अनुपालन विभाग के साथ मिलकर प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की निगरानी करता है। नियामकीय दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और हम बैंक के जोखिम स्कोर में सुधार जारी रखे हुए हैं।

क्रेडिट मॉनिटरिंग

क्रेडिट मॉनिटरिंग बैंक के ऋण संचालन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता और प्रदर्शन सुनिश्चित करने में आधारशिला का कार्य करता है। वर्तमान वित्तीय परिवेश में, सतर्क निगरानी अग्रिम खातों में फिसलन को रोकने और बैंक के हितों की रक्षा हेतु समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए आवश्यक है।

एक संरचित और सक्रिय निगरानी ढांचे को संस्थागत रूप देने के लिए, बैंक ने मुख्य कार्यालय में एक समर्पित क्रेडिट मॉनिटरिंग विभाग स्थापित किया है, जिसका नेतृत्व एक एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। इसे क्षेत्रीय कार्यालयों Further RBI in its circular dated 26.02.2020, made mandatory for the Banks to link all new floating rate loans to medium enterprises with external benchmark based lending rate with effect from 01.04.2020. In view of this, ALCO in its meeting dated 23.03.2020 approved the external benchmark based lending rate i.e. Naini Repo Linked Lending Rate NRLLR to all new floating rate loans to medium enterprises also with effect from 01.04.2020. Naini Repo linked lending rate will be reset on monthly intervals i.e.10th of every month.

RISK BASED SUPERVISION (RBS)

The Bank operates under a Risk-Based Supervision (RBS) framework, aligning with the Reserve Bank of India's (RBI) guidelines for banks in the country. This framework aims to enhance the effectiveness and efficiency of our supervisory processes by focusing on areas of higher risk.

The RBI's risk assessment model considers key parameters such as capital adequacy, asset quality, management quality, earnings, liquidity, and sensitivity to market risk. This helps identify banks that may pose a higher risk to the financial system's stability and health.

Our RBS Department, reporting to the Chief Compliance Officer (CCO), is responsible for implementing the RBI's framework. This includes submitting various reports and data to the regulator and coordinating the annual onsite audit conducted by the RBI's Supervisory Program for Assessment of Risk and Capital (SPARC) team.

The Bank has witnessed a positive shift in our risk profile. The aggregate risk score decreased from 2.279 (High Risk) in 2022-23 to 2.140 (Medium Risk) in 2023-24. All regulatory returns have been submitted on time.

The RBS Department works closely with the Compliance Department to oversee key risk areas. Strict adherence to regulatory guidelines remains our top priority as we continue to improve the Bank's risk score.

CREDIT MONITORING

Credit Monitoring forms a critical component of the bank's lending operations, serving as a cornerstone in ensuring the quality and performance of its credit portfolio. In the current financial environment, vigilant monitoring is essential to prevent slippages in advance accounts and to facilitate timely corrective actions that safeguard the interest of the bank.

To institutionalize a structured and proactive monitoring framework, the bank has established a dedicated Credit Monitoring Department at the Head Office, led by an Associate



में तैनात अधिकारियों का सहयोग प्राप्त है, जिनका कार्य विशेष रूप से क्रेडिट मॉनिटरिंग गतिविधियों की देखरेख करना है।

बैंक की निगरानी प्रणाली में, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कठोर खाता—स्तरीय निगरानी और समय—समय पर स्टॉक ऑडिट शामिल हैं। ये उपाय उधार खातों पर निकट निगरानी बनाए रखने और आवश्यक होने पर शीघ्र सुधारात्मक कदम उठाने के लिए बनाए गए हैं, जिससे परिसंपत्ति गुणवत्ता के हास के जोखिम को न्यूनतम किया जा सके और बैंक के समग्र क्रेडिट अनुशासन को मजबूत किया जा सके।

मार्के टिंग

बैंक का मार्केटिंग विभाग नए व्यवसाय सृजन, ग्राहक अधिग्रहण को बढ़ावा देने और बैंक की वृद्धि को प्रोत्साहित करने में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। ग्राहक—केंद्रित अभियानों पर विशेष ध्यान देते हुए, विभाग ने उत्पाद विकास और सफल प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे हमारे विभिन्न उत्पादों की दृश्यता और पहुंच में वृद्धि हुई है।

वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं

हमारी वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं हमारे ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इस उद्देश्य से, हमने प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ रणनीतिक सहयोग स्थापित किया है तािक जीवन बीमा, सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा के साथ—साथ म्यूचुअल फंड और डीमैट सेवाओं का व्यापक पोर्टफोलियो उपलब्ध कराया जा सके। बैंक पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई जैसी सरकारी योजनाओं तक पहुंच भी प्रदान करता है।

जीवन बीमा के लिए, बैंक का एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉर्पोरेट करार है। इसी प्रकार, सामान्य बीमा के लिए हमारा फ्यूचर जेनेराली इंडिया इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस के साथ गठबंधन है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए, हमारा केयर हेल्थ इंश्योरेंस और नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के साथ करार है। म्यूचुअल फंड के लिए हमारा पार्टनर बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड है और डीमैट सेवाओं के लिए हम एसएमसी ग्लोबल के साथ जुड़े हैं। बैंक पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई जैसी सरकारी योजनाएं भी प्रदान करता है।

हमारा बैंक लगातार वेल्थ मैनेजमेंट उत्पादों की पहुंच का विस्तार करने और उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास करता रहा है। वेल्थ मैनेजमेंट सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता, हमारे ग्राहकों की वित्तीय आकांक्षाओं और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाती है। एक सुव्यवस्थित कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल और मजबूत साझेदारी के माध्यम से, हम बेजोड़ ग्राहक संतुष्टि प्रदान करने और एक विश्वसनीय वित्तीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करते हैं।

Vice President. This is further supported by officials stationed at Regional Offices, exclusively tasked with overseeing credit monitoring activities.

The bank's monitoring system encompasses rigorous accountlevel surveillance and periodic stock audits, conducted in accordance with the Board-approved policy. These measures are designed to maintain close oversight of borrowal accounts and to initiate prompt remedial steps wherever necessary, thereby minimizing the risk of asset quality deterioration and strengthening the bank's overall credit discipline.

MARKETING

The Marketing Department of the Bank continues to be a driving force in generating new business, facilitating customer acquisition, and promoting the Bank's growth. With a strong focus on customer-centric campaigns, the department has played a pivotal role in product development and successful promotions, enhancing visibility and outreach of our diverse range of offerings.

WEALTH MANAGEMENT SERVICES

Our Wealth Management Services are designed to cater to the diverse needs of our customers. We have established strategic collaborations with reputed companies to offer an extensive portfolio of insurance products, encompassing Life Insurance, General Insurance, and Health Insurance, along with Mutual Fund and Demat services. The Bank also facilitates access to government schemes such as PMJJBY, PMSBY, and APY.

For Life Insurance, the Bank has corporate tie-ups with HDFC Life Insurance Company, India First Life Insurance Company, and Reliance Nippon Life Insurance Company. Similarly, for General Insurance, the bank has partnered with Future Generali India Insurance and National Insurance. To address the essential component of Health Insurance coverage, the bank has tie-up with Care Health Insurance and Niva Bupa Health Insurance. For Mutual Funds, Baroda BNP Paribas Mutual Fund is our partner, and for Demat services, we are associated with SMC Global. The Bank also provides access to government schemes such as PMJJBY, PMSBY, and APY.

Our Bank has consistently aimed to expand its reach and enhance accessibility to Wealth Management products. Our commitment to offering a comprehensive range of Wealth Management Services reflects our dedication to fulfilling the financial aspirations and security needs of our clientele. Through a well-structured corporate agency model and robust partnerships, we strive to deliver unmatched customer satisfaction and reinforce our position as a trusted financial partner.



अनुपालन विभाग

बेंक ने पूरे संगठन में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति और तंत्र को संस्थागत रूप दिया है, जिसे एक व्यापक अनुपालन नीति और अनुपालन मैनुअल द्वारा समर्थित किया गया है। यह नियामकों, ग्राहकों, निवेशकों, सरकार, कर्मचारियों और जनता सहित सभी हितधारकों के बीच बेंक की प्रतिष्ठा बढ़ाने के हमारे रणनीतिक लक्ष्य के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य अनुपालन मामलों में दक्षता और प्रभावशीलता प्राप्त करना है। अनुपालन कार्य का फोकस नियामकीय और वैधानिक आवश्यकताओं, फेयर प्रैक्टिस कोड, अन्य निर्धारित कोड, सरकारी नीतियों, बैंक की आंतरिक नीतियों तथा मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण की रोकथाम पर है।

बैंक के पास मुख्य कार्यालय में मुख्य अनुपालन अधिकारी के नेतृत्व में एक समर्पित और स्वतंत्र अनुपालन विभाग है। इसके अलावा, सभी तीन क्षेत्रों में क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारी तैनात हैं। यह टीम जवाबदेही, पारदर्शिता और व्यावसायिक नैतिकता में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और मानकों को अपनाने और लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, तािक स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके और सभी व्यवसायों और संचालन में नियामकीय और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अनुपालन विभाग के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

- नए और संशोधित नियामकीय तथा वैधानिक दिशानिर्देशों को संबंधित कॉर्पोरेट ब्रांच / ऑफिस तक पहुँचाना।
- सभी शाखाओं और वर्टिकल्स का ऑन—साइट और ऑफ—साइट अनुपालन परीक्षण करना।
- नियामकीय अनुपालन के दृष्टिकोण से प्रक्रियाओं की समीक्षा करना।
- अनुपालन संबंधी मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करना।
- कर्मचारियों को अनुपालन पहलुओं पर प्रशिक्षण देना।
- बैंक के भीतर समग्र अनुपालन संस्कृति को मजबूत करना।

अनिवार्य दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय—समय पर अनुपालन परीक्षण लागू हैं। बैंक एक अनुपालन प्रमाणन और निगरानी समाधान को लागू करने की प्रक्रिया में भी है, जिसमें एकीकृत डैशबोर्ड होगा। यह प्रणाली विभिन्न नियामकों से प्राप्त संचार की निगरानी, नियंत्रण और अनुवर्ती कार्रवाई को सुगम बनाएगी। इसमें एक रिपोर्टिंग सिस्टम भी शामिल होगा, जो आत्म—प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से नियामकीय और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जिसमें शाखाएं और वर्टिकल्स अनुपालन प्रमाणपत्र अनुपालन विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

COMPLIANCE DEPARTMENT

The Bank has institutionalized a robust compliance culture and mechanism throughout the organization, supported by a comprehensive Compliance Policy and Compliance Manual. This aligns with our strategic goal of enhancing the Bank's reputation among all stakeholders—Regulators, Customers, Investors, Government, Employees, and the Public—by achieving efficiency and effectiveness in compliance matters. The compliance function focuses on adherence to regulatory and statutory requirements, fair practice codes, other prescribed codes, government policies, the Bank's internal policies, and the prevention of money laundering and funding of illegal activities.

The Bank has a dedicated and independent Compliance Department at its Head Office, led by the Chief Compliance Officer. Additionally, Regional Compliance Officers are stationed across all three regions. This team is committed to adopting and implementing best practices and standards in accountability, transparency, and business ethics to promote sustainability and ensure regulatory and legal compliance across all businesses and operations. The key functions of the Compliance Department include:

- Disseminating new and revised regulatory and statutory guidelines to relevant Corporate functions.
- Conducting on-site and off-site compliance test checks of all branches and verticals.
- Reviewing processes from a regulatory compliance perspective.
- Providing guidance on compliance-related matters.
- Imparting training to employees on compliance aspects.
- Strengthening the overall compliance culture within the Bank.

Periodic compliance test checks are in place to ensure the effective implementation of mandatory guidelines. The Bank is also in the process of implementing a Compliance Certification and Monitoring solution with an integrated dashboard. This system will facilitate the monitoring, control, and follow-up of communications received from various regulators. It will include a reporting system to ensure regulatory and statutory compliance through a self-certification process, with compliance certificates submitted by branches and verticals to the Compliance Department.



वैधानिक लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षकों की संलग्न रिपोर्ट को इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 व कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अपेक्षित सभी सूचनाएं बैंककारी कम्पनियों के लिये अपेक्षित विधि से दी गई हैं तथा यह दिनांक 31 मार्च, 2025 को बैंक के कामकाज की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं। तथा यह बैंक की 31 मार्च, 2025 को स्थिति एवं उस दिनांक को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ / हानि का सच्चा एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। साथ ही यह भी प्रमाणित किया गया है कि बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित की जाने वाली किसी भी राशि के हस्तांतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक ए.आर. एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के संबंध में वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वे पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र थे तथा उनकी पुनर्नियुक्ति को वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया गया एवं इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की गई।

शाखा वैधानिक लेखा परीक्षा के संबंध में, कुल 33 लेखा परीक्षा फर्मों (जिसमें केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक भी सम्मिलित हैं) को 85 शाखाओं का लेखा परीक्षण कार्य सौंपा गया, जिसमें समग्र रूप से बैंक का कुल 80% क्रेडिट पोर्टफोलियो शामिल है।

No need of complicated financial investments When you can earn interest plus save taxes with Naini tax saver scheme Follow Us Painital Bank Ltd nainital Dank Mainital Dank Ltd marketing@nainitalbank.co.in

STATUTORY AUDITORS

The appended Auditors Report is made part of this Report. Auditors Report contains opinion of auditor and confirms that the financial statements contain all the information required by The Banking Regulation Act, 1949 as well as The Companies Act, 2013, in the manner so required for the banking companies and give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2025 and of the Profit/loss for the year ended 31st March 2025. Further There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.

It is submitted that no changes were made in respect of Central Statutory Auditors A.R. & Co. Chartered Accountants during the year, as they were eligible for reappointment, the re-appointment were duly authorized by members in the Annual General Meeting and necessary approval was granted by Reserve Bank of India in this regard.

As regards, Branch Statutory Audit, -33- audit firms were assigned the audit job (including Central Statutory Auditor) of 85 branches, covering a total of 80% credit portfolio of the bank as a whole.





स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नैनीताल बैंक लिमिटेड के अंशधारकों के प्रति

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने नैनीताल बैंक लिमिटेड (बैंक') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, जिसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गई 20 शाखाओं के रिटर्न और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 65 शाखाओं के रिटर्न शामिल हैं, जिन्हें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित बैंक की शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम) द्वारा बैंकिंग कंपनियों के लिए अपेक्षित जानकारी देते हैं तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं तथा दिनांक 31 मार्च 2025 तक बैंक की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं।

राय का आधार

2. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषयवस्तु का प्रभाव

- 3. हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:
- क) अनुसूची 18 के नोट संख्या 4 (एच) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में—बैंक के आरटीजीएस चैनल पर साइबर अटैक के माध्यम से ₹ 16.02

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of The Nainital Bank Limited

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of The Nainital Bank Limited ('the Bank'), which comprise of the Balance Sheet as at 31st March 2025, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information which are included in the Returns for 20 branches audited by us and returns for 65 branches for the year ended on that date audited by the branch auditors of the Bank's branches located at Rajasthan, Haryana, Delhi, Uttarakhand and Uttar Pradesh.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013 ('the Act') in the manner so required for banking Companies and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2025, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

- 3. We draw attention to:
- Note no.4 (H) of Schedule 18 of accompanying statement of audited financial with regard to fraud reported during FY 2024-25. An amount of ₹ 16.02 crore was fraudulently



करोड़ की राशि धोखाधड़ीपूर्वक निकाली गई। इसमें से ₹ 0.54 करोड़ की राशि वसूल की गई और ₹ 15.48 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसके लिए ₹ 15.48 करोड़ का प्रावधान किया गया।

- ख) अनुसूची 18 के नोट संख्या 4 (एच) के अनुसार, बैंक की एक शाखा में गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं, जिसके लिए संभावित हानि हेतु ₹ 3.62 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- ग) अनुसूची 18 के नोट संख्या 14 (एस) के अनुसार, अंतर—शाखा समायोजन / क्लीयरिंग समायोजन आदि में सम्मिलित विभिन्न खातों में कुछ डेबिट / क्रेडिट प्रविष्टियाँ लंबित हैं, जो रिकंसिलिएशन के अधीन हैं।
- घ) बैंक को ऑटोमेटेड पिरसंपत्ति वर्गीकरण (ऋण/निवेश को एन पी ए/ एन पी आई के रूप में वर्गीकृत करना और उनका अपग्रडेशन), प्रावधान गणना तथा आय की मान्यता प्रक्रियाओं की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

हालाँकि, उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारे मत में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

4. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट तथा अध्यक्ष का कथन, यदि कोई हो, शामिल है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है तथा हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन या निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है तथा ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम अन्य सूचनाओं को पढ़ते हैं और यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं शासन की जिम्मेदारी

5. बैंक का निदेशक मण्डल कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के खण्ड 134 (5) में दिए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है जो इन एकल वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थितियों, वित्तीय कार्यनिष्पादन और बैंक के वित्तीय प्रवाह के जो उन लेखा सिद्धान्तों, जो सामान्यतः भारत

- siphoned off through a Cyber-attack on the bank's RTGS channel. Amount of $\ref{thmodel}$ 0.54 Crore has been recovered and bank has been put to loss of $\ref{thmodel}$ 15.48 Crore for which provisions of $\ref{thmodel}$ 15.48 Crores was made.
- o. Note no.4 (H) of Schedule 18 of accompanying statement of audited financial with regards to serious irregularities were observed in one of the branch, for which bank has made provision of ₹ 3.62 Cr for potential loss.
- c. Note no. 14 (S) of Schedule 18 of accompanying statement of audited financial with regard to some debit / credit entries outstanding in various heads of accounts included in Inter Branch Adjustments/ Clearing adjustments etc. which are subject to reconciliation.
- d. That the bank needs to ensure the completeness and integrity of the automated Asset Classification (classification of advances/investments as NPA/NPI and their upgradation), Provisioning calculation and Income Recognition processes.

However, our opinion is not modified in respect of above stated matter.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

4. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises of the management report and chairman's statement, if any. Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance or conclusion thereon. In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions necessitated by the circumstances and the applicable laws.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in



मं स्वीकार्य हैं तथा अधिनियम के खण्ड 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों जिन्हें कम्पनी (लेखा) के साथ तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय—समय पर जारी विभिन्न दिशा—निर्देशों व परिपत्रों का विवरण सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है। इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने, उचित लेखा नीतियों के चयन और कार्यान्वयन, यथोचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने और आंकलन करने तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रुपरेखा के कार्यान्वयन, क्रियान्वयन और रख—रखाव, जो ऐसी वित्तीय विवरणियों जो सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं और किसी भी अवास्तविकता चाहे वह धोखाधड़ी की वजह से हो या त्रुटिवश, से मुक्त हो, से सम्बन्धित लेखा रिकार्ड, को पूरा करने, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में, और उसकी यथार्थता को सुनिश्चित करने, लेखा रिकार्ड को पूरा करने और रख—रखाव की जिम्मेदारी भी सिम्मिलत है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक को लिक्विडेट करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक चल रहे गोइंग कंसर्न संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के आधार पर चलने वाली गोइंग कंसर्न के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी ज़िम्मेदार है।

वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से, धोखे से या गलती से, वास्तविक महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त है, और एक ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल हो। उपयुक्त आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, पर वह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा के मानदंडों (एसए) के अनुसार की गई लेखापरीक्षा किसी वास्तविक गलतबयानी के होने पर सदैव उसका पता लगा लेगी। गलतबयानियाँ धोखे या गलती से हो सकती हैं और तब वास्तविक समझी जाती हैं, जब उनसे, अकेले या सकल रूप में, प्रयोगकर्ताओं द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की काफी संभावना हो।

लेखापरीक्षा के मानदंडों (एसए) के अनुसरण में लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवराना संदेहवाद बनाए रखते हैं।

हम यह भी करते हैं :

 वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को तैयार accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, Bank's Board of Directors is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Bank's Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the audit of the Financial Statements

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.

We also:

 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to



और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधडी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जाल. साजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की प्रत्यादिष्ट करना शामिल हो सकती है।

- ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया निरूपित करने के लिए लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत हम इस बारे में अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि बैंक में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली मौजूद है या नहीं और ऐसे नियंत्रण परिचालन की दृष्टि से कितने कारगर हैं।
- इस्तेमाल की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखा अनुमानों तथा उनके संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटीकरणों की समुचितता का आकलन करते हैं।
- इस बात पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि प्रबंधन द्वारा लेखा प्रणाली के लाभकारी संस्था आधार का प्रयोग उपयुक्त है या नहीं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर बताते हैं कि घटनाओं और स्थितियों के संबंध में ऐसी कोई वास्तविक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है, जो एक लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की योग्यता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करता हो। अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम एकल वित्तीय विवरणों में सबंधित प्रकटीकरणों की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उसके प्रति ध्यान आकर्षित करें, या अगर वे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपना मत संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएँ या स्थितियाँ लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की योग्यता समाप्त कर सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, ढाँचे और विषयवस्तु का आकलन करते हैं और जाँच करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं का उस रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति हासिल होती हो।

महत्वपूर्णता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिणाम है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)
 (i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and



जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर गवर्नेस का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो संबंधित सुरक्षा उपाय हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार कर सकते हैं, और जहां लागू हो।

गवर्नेस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को संसूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अविध के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हैं. लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा विषय हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन विषयों का उल्लेख करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्यों कि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित प्रभावित होने की संभावना होती है।

अन्य मामले

7. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 65 शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी दिनांक 31 मार्च 2025 तक ₹ 1,705.68 करोड़ के कुल सकल अग्रिम और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 159.84 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाती है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना जाता है। दिनांक 31 मार्च 2025 तक ये शाखाएँ 34.32% अग्रिम, 46.01% जमा राशि और 29.96% गैर—निष्पादित आस्तियाँ तथा दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 21.26% राजस्व को कवर करती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण / सूचना का लेखा परीक्षण उन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

8. हमारे लेखापरीक्षण के दौरान, हमने बैंक की 88 शाखाओं के संबंध में अपिरशोधित रिटर्न को संज्ञान में लिया है, जिन्हें संबंधित शाखा के प्रबंधन तथा बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण / जानकारी में 31 मार्च 2025 को कुल सकल अग्रिम ₹ 1,007.55 करोड़ तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 97.28 करोड़ दर्शाया गया है। ये अप्रतिपरीक्षित शाखाएँ 31 मार्च 2025 को अग्रिमों का 20.27%, जमाओं का 28.06% और गैर—निष्पादित परिसंपत्तियों का 14.22% कवर करती हैं तथा उस वर्ष के लिए 12.94% राजस्व दर्शाती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण / जानकारी को संबंधित शाखा के प्रबंधन तथा

timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

- 7. We did not audit the financial statements / information of 65 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total gross advances of ₹ 1,705.68 crores as at 31st March 2025 and total revenue of ₹ 159.84 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches cover 34.32% of advances, 46.01% of deposits and 29.96% of non-performing assets as on 31st March 2025 and 21.26% of revenue for the year ended 31st March 2025. The financial statements / information of these branches have been audited by the statutory branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.
- 8. In the conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 88 branches certified by the respective branch's management and internal auditors of the bank whose financial statements/ information reflect total gross advances of ₹ 1007.55 crore as on 31st March 2025 and total revenue of ₹ 97.28 crore for the year ended on that date. These unaudited branches cover 20.27% of advances, 28.06% of deposits and 14.22% of non-performing assets as on 31st March 2025 and 12.94% of revenue for the year then ended. The financial statements / information of these branches has



बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया है।

हमारा मत इस विषय के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- 9. तुलन पत्र तथा लाभ—हानि खाता, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- 10. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 के उपधारा (3) के अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि—
- (क) हमने सभी आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षण के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, तथा उन्हें संतोषजनक पाया है।
- (ख) बैंक के जिन लेन—देन हमारे संज्ञान में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत रहे हैं।
- (ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न हमारे लेखापरीक्षण के प्रयोजन हेत् पर्याप्त पाए गए हैं।
- (घ) लाभ—हानि खाता, उस वर्ष के लिए लाभ का वास्तविक शेष दर्शाता है।
- इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं किः
- क) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
- ख) हमारी राय में, बैंक द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है और हमारे द्वारा न देखी गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणी प्राप्त हुए हैं;
- ग) बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित बैंक के शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उनका उचित तरीके से निपटान किया है;
- घ) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण लेखा पुस्तकों और हमारे द्वारा न देखी गई शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के अनुरूप हैं।
- ड) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं,

been certified by the respective branch's management and internal auditors of the bank.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- 9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and Section 133 of the Companies Act, 2013
- 10. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:
- (a) we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory;
- (b) the transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;
- the returns received from the offices; and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit;
- (d) the profit and loss account shows a true balance of profit for the year then ended.
- 11. Further, as required by section 143(3) of the Act, we report that:
- we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- the reports on the accounts of the branch offices of the bank audited under section 143(8) of the Act by branch auditors of the Bank have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
- d) the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows dealt with in this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us
- e) in our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;



- च) दिनांक 31 मार्च 2025 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए आधार पर, दिन. ंक 31 मार्च 2025 तक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं हैं:
- छ) बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- ज) अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16) में संशोधन किया गया है, हम रिपोर्ट करते हैं कि बैंक द्वारा अपने निदेशकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक इस धारा के प्रावधानों के अनुसार है।
- झ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः
 - बैंक ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 18, नोट 14 क्यू देखें;
 - ii) बैंक के पास डेरिवेटिव संविदा सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं है जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो
 - iii) बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है;
 - क. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में नोटों में बताए गए के अलावा, बैंक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) में, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ') शामिल हैं, कोई भी निधि अग्रिम, ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, बैंक की ओर से या उसके द्वारा किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा;
 - ख. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, वे अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में बताए गए नोट्स के अलावा, बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('निधि देने वाली

- f) on the basis of written representations received from the directors as at 31 March 2025 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as at 31 March 2025 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act;
- with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A"
- h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended, Section 197(16) of the Companies Act, 2013 we report that The remuneration paid by the bank to its directors is in accordance with the provisions of this section.
-) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. the Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements - Refer Schedule 18, Note 14 q to the financial statements;
 - ii. the Bank did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses
 - iii. there has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank;
 - A. The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the bank ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - B. The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Bank from any person(s) or entity(ies),

Auditor's Report



पार्टियां) शामिल हैं, इस समझ के साथ कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, बैंक, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, निधि देने वाली पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा; और

- ग. ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमारे द्वारा परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया था, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप खंड (क) और (ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- iv. पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश के संबंध में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।
- v. बैंक ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेन—देन के लिए पूरे वर्ष के दौरान इसका संच. ालन किया गया है और ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रासंगिक पूर्व वर्षों का लेखा—परीक्षा ट्रेल अभिलेख—संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा गया है और अभिलेख—संरक्षण हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार उन संबंधित वर्षों में बैंक द्वारा दर्ज किया गया है।

कृते मेसर्स ए.आर. एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या 002744सी

सीए अनिल गौर

साझेदार सदस्यता संख्या–017546 यूडीआईएन संख्या 25017546BMGYSW7660

स्थान : गाज़ियाबाद तिथि : 29.04.2025 including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Bank shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

- C. Based on such audit procedures that were considered reasonable and appropriate by us in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub clause (a) and (b) contain any material misstatement.
- iv. The Bank has not declared any dividend during the year. Hence, the compliance related to section 123 of the Act is not applicable.
- v. Based on our examination, which included test checks, the Bank has used accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2025 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with.

Additionally, the audit trail of relevant prior years has been preserved for record retention and recorded in those respective years by the Bank as Per the statutory requirements for record retention.

For M/s A.R. & Co. Chartered Accountants Firm's Registration No. 002744C

CA Anil Gaur

Partner M. No-017546 UDIN No. 25017546BMGYSW7660

Place: Ghaziabad Date: 29.04.2025



दि नैनीताल बैंक लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक (क)

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 11 (ज) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप—धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

1. हमने दिनांक 31 मार्च 2025 तक दि नैनीताल बैंक लिमिटेड (बैंक') स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के साथ किया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिये प्रबन्धन की जिम्मेदारी

बैंक का निदेशक मंडल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। (दि गाइडेंस नोट') इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किया गया। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों के पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रृटियों की राकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम) के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी की गयी।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

उ. हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपॉटिंग के ऊपर बैंक के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपना लेखा परीक्षण आईसीएआई द्वारा जारी एवं अधिनियम के भाग 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित समझे गये वित्तीय रिपॉटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर गाईडेन्स नोट और लेखा परीक्षण के मानकों के आधार पर जहां तक कि वे आन्तरिक लेखा नियन्त्रण के लेखा परीक्षण पर लागू हों, किया है। ये मानक एवं गाईडेन्स नोट द्वारा वांछित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखा परीक्षण की इस तरह योजना एवं क्रियान्वयन करें कि इस सम्बन्ध में उचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपॉटिंग पर पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण स्थापित है एवं बनाये रखा गया है एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी

Annexure A to the independent auditor's report of even date on the standalone financial statements of The Nainital Bank Limited

(Referred to in paragraph 11(g) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

 We have audited the internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements of The Nainital Bank Limited ('the Bank') as at 31 March 2025 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls over Financial Reporting

The Bank's Board of Directors is responsible for 2. establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('the ICAI')." These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ('the Act').

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') and the Standards on Auditing ('the Standards'), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated



ढंग से सभी तात्विक संदर्भों में संचालित हो रहे हैं।

- 4. हमारा लेखा परीक्षण वित्तीय रिपोंटिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता एवं उनकी परिचालन प्रभावशीलता के सम्बन्ध में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रदर्शन प्रक्रिया को शामिल करता है। वित्तीय रिपोंटिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोंटिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की समझा प्राप्त करने, यह जोखिम आकलन करने कि यदि तात्विक कमजोरी मौजूद है और आन्तरिक नियंत्रण की परिचालनात्मक कार्यक्षमता जो कि जोखिम आकलन निर्णय, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरण में मटेरियल गलत ब्यौरे के आकलन पर निर्भर करती है।
- 5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा लिया गया लेखा परीक्षण प्रमाण बैंक के वित्तीय रिपोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के विषय में एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं समृचित है।

वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

बैंक की वित्तीय विवरणी पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो कि वित्तीय रिर्पोटिंग की विश्वसनीयता एवं बाहरी उद्देश्य से सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के आधार पर तैयार की गई वित्तीय विवरणी की प्रस्तृति के विषय में एक उचित आश्वासन देने हेतू तैयार की गई है। बैंक की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण (1) उन अभिलेखों के रख-रखाव से संबद्ध है जो सही, स्पष्ट रुप से एवं समुचित विस्तार के साथ बैंक के लेन-देन एवं शाखा की संपतियों के निपटान को दर्शाता है। (2) पर्याप्त आश्वासन देता है कि बैंक के लेन-देन सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने हेतू अनुमत आवश्यक नियमों के अन्तर्गत दर्ज किये गये हैं तथा बैंक की प्राप्तियां एवं व्यय केवल बैंक के प्रबन्धन व निदेशकों के प्राधिकार के आधार पर किये जा रहे हैं। (3) समृचित आश्वासन देना कि बैंक की किसी आस्ति का जो कि बैंक के वित्तीय विवरण पर एक तात्विक प्रभाव डालता है अनधिकृत अधिग्रहण की समय पर पहचान व रोकथाम के सम्बन्ध में समुचित आश्वासन देता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

7. आन्तरिक वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों पर प्रबन्धन का अत्यधिक दबाव महत्वपूर्ण ग़लतियाँ जो कि त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण हों, हो सकते हैं और पता नहीं लगाया जा सकता। भविष्य के सम्बन्ध में वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के आकलन का कोई अनुमान यह जोखिम रखता है कि वित्तीय रिर्पोटिंग पर वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव

effectively in all material respects.

- 4. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.
- We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

7. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may



के साथ अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों एवं कार्यविधियों के सन्दर्भ में अनुपालन का स्तर घट सकता है।

हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर, वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त के लिए हमारे निम्नलिखित अवलोकन—

- वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ढाँचे में सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स को उपयुक्त रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए।
- समीक्षा नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं और सभी
 प्रकार की अनियमितताओं से बचने के लिए इन्हें सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।
- iii. इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट्स / क्लियरिंग एडजस्टमेंट्स आदि में शामिल विभिन्न खातों के अंतर्गत लंबित कुछ डेबिट / क्रेडिट प्रविष्टियों का मिलान किया जाना आवश्यक है।

राय

9. हमारे विचार में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा ऊपर दिए गए अनुच्छेद 8 में उल्लिखित हमारे अवलोकनों को पढ़ने के पश्चात, बैंक के पास, सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं। ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे। यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उस आंतरिक नियंत्रण मानदंड पर आधारित है, जिसे कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है और जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के घटकों को ध्यान में रखा गया है।

अन्य मामले

10. अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपर्युक्त रिपोर्टें, 85 शाखाओं के संबंध में, उन शाखाओं के संबंधित केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों / सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित हैं।

इस विषय के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

कृते मेसर्स ए.आर. एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 002744सी

सीए अनिल गौर

साझेदार

सदस्यता संख्या-017546

युडीआईएन संख्या 25017546BMGYSW7660

स्थानः गाज़ियाबाद दिनांकः 29.04.2025 become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

According to the information and explanations given to us and based on our audit, we have following observations in this regard for the year ended March 31, 2025:

- The framework of internal financial control over financial reporting needs improvement by suitably updating Risk Control Matrix
- Review controls are not operating effectively and need to be strengthened to avoid all kinds of irregularities
- some debit / credit entries outstanding in various heads of accounts included in Inter Branch Adjustments/ Clearing adjustments etc. need to be reconciled

Opinion

9. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and read with our observations stated in paragraph 8 above, the bank has, in all the material respects, adequate internal financial controls with reference to the Standalone Financial Statements in place and such internal financial controls with reference to the Standalone Financial Statements were operating effectively as of March 31, 2025, based on the internal controls over financial reporting criteria established by the Company considering the components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial reporting issued by ICAI.

Other Matters

10. Our aforesaid reports under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls with reference to Standalone financial statement of 85 branches, is based on the corresponding reports of the respective Central Statutory Auditors / Statutory Branch Auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For M/s A.R. & Co.

Chartered Accountants

Firm's Registration No. 002744C

CA Anil Gaur

Partner

M. No-017546

UDIN No. 25017546BMGYSW7660

Place: Ghaziabad Date: 29.04.2025



कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

नैनीताल बैंक की सीएसआर नीति का निर्माण, बैंक के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत निर्धारित पहलों की पहचान, समर्थन एवं निगरानी के उद्देश्य से, कंपनियों अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार किया गया है।

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135 को धारा 198 के साथ पढ़ते हुए, बैंक के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अर्जित औसत शुद्ध लाभ (जो धारा 198 के अनुसार गणना किया गया हो) का कम से कम 2% सीएसआर गतिविधियों पर व्यय किया जाए।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान व्यय की गई राशि

- क. वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली कुल राशि— ₹ 1,02,57,817.64
- ख. वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा खर्च की गई राशि —. ₹ 64.83.600.00
- ग. वित्तीय वर्ष में अव्ययित राशि ₹ 37,74,217.64 (जिसे अनुसूची
 VII में निर्दिष्ट कोष में, पीएम केयर्स फंड में स्थानांतिरत किया
 गया)
- घ. वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट—1 में दिया गया है।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Nainital Bank CSR Policy is formulated to identify, support, and monitor initiatives undertaken under the Bank's Corporate Social Responsibility (CSR) obligations, in accordance with Schedule VII of the Companies Act, 2013.

As per Section 135, read with Section 198 of the Companies Act, 2013, the Bank is required to spend at least 2% of the average net profits made during the three immediately preceding financial years, calculated in accordance with Section 198, on CSR activities every financial year.

DETAILS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY

Amount Spent during the Financial Year 2024-25

- A. Total amount, which was to be spent in the Financial Year ₹ 1,02,57,817.64
- B. Amount spent by bank during the Financial Year ₹64,83,600.00
- C. Amount which remained unspent in the Financial Year - ₹ 37,74,217.64/- (which was transferred to a Fund specified in Schedule VII to PM CARES Fund)
- D. Manner in which the amount spent during the Financial Year is mentioned in Annexure -1

वर्ग / Category	प्रतिशत आवंटन % Allocation	राशि (₹) Amount (₹)	व्यय (₹) Expenditure (₹)
पशु कल्याण, वनस्पति / जीव–जंतु / Animal Welfare, Flora/Fauna	5%	5,12,890.90	4,00,000.00
सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक / Armed Forces Veterans	2%	2,05,156.00	29,500.00
शिक्षा / Education	35%	35,90,236.30	24,39,750.00
पर्यावरण / Environment	10%	10,25,781.80	23,05,660.00
स्वास्थ्य सेवाएँ / Healthcare	10%	10,25,781.80	_
राहत एवं कल्याण / Relief and Welfare	3%	3,07,734.54	_
सुरक्षित पेयजल / Safe Drinking Water	5%	5,12,890.90	3,83,690.00
खेल / Sports	10%	10,25,781.80	2,50,000.00
अन्य परंपरागत कला एवं संस्कृति / Traditional Art & Culture	20%	20,51,563.60	6,75,000.00
अन्य (अनुसूची—VII में निर्दिष्ट कोष) Other (Fund specified in Schedule VII)	0%	-	37,74,217.64
कुल योग / Grand Total	100%	1,02,57,817.64	1,02,57,817.64

- * The unspent amount of ₹ 37,74,217.64 (Thirty-Seven Lakh Seventy-Four Thousand Two Hundred and Seventeen and Sixty-Four Paisa only) transferred to PM Cares fund.
- * अप्रयुक्त राशि ₹ 37,74,217.64 (रूपये सैंतीस लाख चौहत्तर हजार दो सौ सत्रह और चौसठ पैसे मात्र) को पीएम केयर्स फंड में हस्तांतरित कर दिया गया है।
- * The budget of Healthcare and Relief and welfare was used Environment category as per Interchangeability of Budget under various heads-
- * स्वास्थ्य सेवाएँ एवं राहत एवं कल्याण के अंतर्गत आवंटित बजट का उपयोग पर्यावरण श्रेणी में किया गया है, जो विभिन्न मदों के बीच बजट की के अंतर्गत अनुमत है।



वित्तीय वर्ष 2024—25 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के तहत किए गए व्यय की सूची List of Expenses incurred under CSR activities during FY 2024-25

क्रं. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई CSR Project or Activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला जहां परियोजनाएं शुरू की गई Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	परियोजना या कार्यक्रमवार परिव्यय राशि (बजट) Amount outlay (Budget) project or program-wise	संचयी व्यय Cumulative expenditure	स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी Sanctioning Authority	श्रेणी Category	प्रतिशत Percentage
1	महिला संशक्तीकरण Women Empowerment	लेक सिटी वेलफेयर क्लब द्वारा मातृ दिवस कार्यक्रम आयोजित Mother's Day Programme Conducted By Lake City Welfare Club	लेक सिटी वेलफेयर क्लब, नैनीताल Lake City Welfare Club, Nainital	25000	25000	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	0.24%
2	स्थानीय क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना Promoting Sports Activity in Local Area	नैनीताल में स्वतंत्रता दिवस बाल फुटबॉल टूर्नामेंट का प्रायोजन Sponsoring Independence Day Children Football Tournament at Nainital	सीआरएसटी, नैनीताल CRST, Nainital	100000	125000	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	खेल Sports	0.97%
3	शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देना Promoting Education Activities	"किताब कौतिक" के दौरान शिक्षा का उत्थान Upliftment of Education During 'Kitab Kautik'	टिहरी, द्वाराहाट, पंत नगर एवं देहरादून Tehri, Dwarahat, Pant Nagar - Dehradun	100000	225000	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	शिक्षा Education	0.97%
4	स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना Promoting local art and culture	"उत्तराखंड लोक संस्कृति प्रतियोगिता 2024" के दौरान कला एवं संस्कृति का उत्थान Upliftment of Art & Culture during "Uttarakhand Folk Culture Competition 2024" at Nainital	नैनीताल Nainital	50000	275000	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला एवं संस्कृति एवं अन्य Traditional art and culture and other	0.49%
5	सशस्त्र बलों के पूर्व से. निकों के लाभ हेतु कोष में योगदान Contribution to funds for the benefit of armed forces veterans	ओल्ड एज होम को एक कंप्यूटर दान हेतु बैंक का योगदान Bank contribution for donation of One Computer to Old Age Home	नीम करोली ओल्ड एज होम, रामपुर रोड, हल्द्वानी Neem Karori Old Age Home, Rampur Road, Haldwani	29500	304500	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	सशस्त्र बल पूर्व सैनिक Armed force veterans	0.29%
6	कला और साक्षरता का उत्थान Upliftment of art and literacy	छात्रों हेतु प्रेरणात्मक कार्यक्रम Motivational Function for Students	लेक सिटी वेलफेयर क्लब, नैनीताल Lake City Welfare Club, Nainital	20000	324500	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला एवं संस्कृति एवं अन्य Traditional art and culture and other	0.19%
7	কলা और साक्षरता का তথ্যান Upliftment of art and literacy	54जी शारदा संघ कला प्रतियोगिता 2024 के प्रायोजन हेतु योगदान Contribution for Sponsoring 54th Sharda Sangh Art Competition 2024	नगरपालिका उद्यान एवं डी.एस.ए. बास्केटबॉल कोर्ट, नैनीताल Municipal Garden and D.S.A Basketball Court Nainital	35000	359500	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला एवं संस्कृति एवं अन्य Traditional art and culture and other	0.34%
8	शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देना Promoting Education Activities	निबंध प्रतियोगिता का प्रायोजन Sponsoring of Essay Competition	नैनीताल Nainital	35000	394500	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	शिक्षा Education	0.34%
9	खेल Sports	5–ए साइंड गर्ल्स प्रतियोगिता का प्रायोजन Sponsoring 5-A side Girl's competition	नैनीताल Nainital	100000	494500	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	खेल Sports	0.97%
10	सुरक्षित पेयजल Safe Drinking water	उत्तराखंड पेयजल विभाग, पौड़ी में उपकरणों के लिए सहयोग Support for Equipment's in Uttrakhand peyjal department Pauri.	पेयजल विभाग, पौड़ी Peyjal Department Pauri	73700	568200	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	सुरक्षित पेयजल Safe Drinking Water	0.72%



क्रं. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई CSR Project or Activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला जहां परियोजनाएं शुरू की गई Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	परियोजना या कार्यक्रमवार परिव्यय राशि (बजट) Amount outlay (Budget) project or program-wise	संचयी व्यय Cumulative expenditure	स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी Sanctioning Authority	श्रेणी Category	प्रतिशत Percentage
11	पर्यावरण Environment	सीएसआर के अंतर्गत 7वें आरएसटी फोरम और 12वें एसएमडीएस के लिए ₹7,00,000 की स्वीकृति हेतु सहयोग Support for Approval of ₹7,00,000 for the 7th RST Forum and 12th SMDS under CSR	देहरादून Dehradun	700000	1268200	स्टीयरिंग समिति Steering Committee	पर्यावरण Environment	6.82%
12	स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना Promoting local art and culture	दुर्गा महोत्सव के दौरान कला और संस्कृति को बढ़ावा देना Promotion for Upliftment of Art and Culture During Durga Mahotsav	नैनीताल Nainital	51000	1319200	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला एवं संस्कृति एवं अन्य Traditional art and culture and other	0.50%
13	खेल Sports	"पागल जिमखाना कार्यक्रम" के दौरान खेल गतिविधियों के उत्थान हेतु योगदान Contribution for upliftment of Sports activities during "Pagal Jimkhana Program"	नैनीताल Nainital	25000	1344200	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	खेल Sports	0.24%
14	सुरक्षित पेयजल Safe Drinking water	एसएसजेजू एलएसएम परिसर, पिथौरागढ़ में आरओ वाटर प्यूरीफायर की स्थापना हेतु योगदान Contribution For Installation of Ro Water Purifier at SSJU LSM Campus Pithoragarh	पिथौरागढ़ Pithoragarh	63990	1408190	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	सुरक्षित पेयजल Safe Drinking Water	0.62%
15	सुरक्षित पेयजल Safe Drinking Water	उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में आरओ वाटर प्यूरीफायर की स्थापना Installation of Ro Water Purifier at Uttarakhand Tech- nical University Dehradun	देहरादून Dehradun	180000	1588190	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	सुरक्षित पेयजल Safe Drinking Water	1.75%
16	स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना Promoting local art and culture	उत्तरायणी मेला कृ उत्तरायणी जन कल्याण समिति, बरेली द्वारा आयोजित Uttarayani Mela Organised by Uttrayani Jan Kalyan Samiti Bareilly	बरेली Bareilly	100000	1688190	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला एवं संस्कृति एवं अन्य Traditional art and culture and other	0.97%
17	स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना Promoting local art and culture	जत्तरायणी कौथिग, लखनऊ—2025 का प्रायोजन Sponsorship of the Uttarayani Kauthig Lucknow – 2025.	লঅন্ড Lucknow	50000	1738190	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	0.49%
18	शिक्षा गतिविधियों को बढ़ावा देना Promoting Education Activities	"किताब कौतिक" के दौरान शिक्षा का उत्थान Upliftment Of Education During" Kitab Kautik"	श्रीनगर, कोटद्वार एवं नैनीताल Srinagar, Kotdwar and Nainital	75000	1813191	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	शिक्षा Education	0.73%
19	शिक्षा गतिविधियों को बढ़ावा देना Promoting Education Activities	पारंपरिक कला एवं संस्कृति के संवर्धन एवं विकास हेतु बैंक का योगदान Bank's Contribution for promotion and development of Traditional Art & Culture	লম্বন্ড Lucknow	200000	2013190	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	1.95%
20	अन्य Other	ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना Installation of Solar Street Lights in Rural Areas	रानीखेत Ranikhet	145000	2158190	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पर्यावरण Environment	1.41%



क्रं. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई CSR Project or Activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला जहां परियोजनाएं शुरू की गई Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	परियोजना या कार्यक्रमवार परिव्यय राशि (बजट) Amount outlay (Budget) project or program-wise	संचयी व्यय Cumulative expenditure	स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी Sanctioning Authority	श्रेणी Category	प्रतिशत Percentage
21	स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना Promoting local art and culture	हल्दूचौड़ महोत्सव में स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना Halduchaur Mahotsav for promotion of Arts and Culture	लालकुआं Lalkuan	30000	2188190	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	0.29%
22	अन्य Other	जिला परिवीक्षा कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल में फर्नीचर एवं वाटर डिस्पेंसर हेतु योगदान Contribution For Furniture & water dispenser at District Probation office, Pauri Garwal	पौड़ी Pauri	50000	2238190	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	0.49%
23	খিশ্বা Education	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार में फेस रिकग्निशन सिस्टम की स्थापना Installation of Face Recognition System at Govt. P.G. College, Kotdwar	कोटद्वार Kotdwara	15000	2253190	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	शिक्षा Education	0.15%
24	अन्य Other	नगर पालिका में सीएसआर के अंतर्गत एक कंप्यूटर सिस्टम की स्थापना Installation of one Computer System to Nagar Palika Under CSR	पोड़ी Pauri	28500	2281690	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	0.28%
25	खेल Sports	सीएसआर के अंतर्गत फुटबॉल टीम हेतु वित्तीय सहायता Financial assistance for football team Under CSR	हल्द्वानी Haldwani	25000	2306690	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	खेल Sports	0.24%
26	शिक्षा Education	नैनीताल बैंक चेली—भुली छात्रवृत्ति योजना Nainital Bank Cheli-Bhuli Chhatravritti Yojna'	उत्तराखंड Uttarakhand	1770000	4076690	बोर्ड Board	शिक्षा Education	17.26%
27	খিধা Education	श्रीमती गोविंदी देवी इंटर कॉलेज, बेलपोखरा, नैनीताल हेतु कंप्यूटर के बुनियादी ढांचे के प्रायोजन में बैंक का योगदान Bank's Contribution for Sponsoring Basic Infrastruc- ture of Computer Shrimati Govindi Devi Inter College, Belpokhra, Nainital	हल्द्वानी Haldwani	150000	4226690	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	शिक्षा Education	1.46%
28	पर्यावरण Environment	नैनीताल झील के आसपास सूचना बोर्ड स्थापित करने हेतु बैंक का योगदान Bank's Contribution for Establishment of Information board around Nainital Lake	नैनीताल जनपद Nainital District	486660	4713350	एमडी—सीईओ MD & CEO	पर्यावरण Environment	4.74%
29	वनस्पति एवं जीव Flora & Fauna	"वनस्पति एवं जीव संरक्षण" के अंतर्गत सड़क संकेतक बोर्ड हेतु सीएसआर वित्तपोषण Bank's Contribution of CSR Funding for Road Signage Boards under "Protection of Flora and Fauna	नैनीताल Nainital	400000	5113350	एमडी—सीईओ MD & CEO	वनस्पति एवं जीव Flora & Fauna	3.90%



क्रं. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई CSR Project or Activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला जहां परियोजनाएं शुरू की गई Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	परियोजना या कार्यक्रमवार परिव्यय राशि (बजट) Amount outlay (Budget) project or program-wise	संचयी व्यय Cumulative expenditure	स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी Sanctioning Authority	श्रेणी Category	प्रतिशत Percentage
30	शिक्षा को बढ़ावा देना Promoting Education	तड़ीखेत, रानीखेत के सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को स्कूल बैग प्रदान करना Providing School Bags to students of the government primary and upper primary school students of Tadikhet, Ranikhet	रानीखेत Ranikhet	25000	5138350	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	যিধ্রা Education	0.24%
31	अन्य Other	ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना Installation of Solar Street Lights in Rural Areas	नैनीताल जनपद Nainital District	974000	6112350	स्टीयरिंग समिति Steering Committee	पर्यावरण Environment	9.50%
32	शिक्षा Education	राजकीय इंटर कॉलेज, उचाकोट, नैनीताल हेतु बुनियादी ढांचे के प्रायोजन में बैंक का योगदान Bank's Contribution for Sponsoring Basic Infrastructure to Rajkiya Inter College, Uchakot, Nainital	नैनीताल Nainital	24750	6137100	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	शिक्षा Education	0.24%
33	अन्य Other	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत थाना परिसर हेतु 5 स्टील बेंच प्रदान करने हेतु योगदान Contribution for providing 5 steel benches to for Thana premises under Corporate Social Responsibility (CSR).	नैनीताल Nainital	35500	6172600	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला एवं संस्कृति एवं अन्य Traditional art and culture and other	0.35%
34	शिक्षा Education	एमबीपीजी कॉलेज, हल्द्वानी को 1 डिजिटल मॉनिटर एवं 25 कुर्सियाँ प्रदान करने हेतु योगदान Contribution for providing 1 Digital monitor & 25 chairs to MBPG Collage Haldwani	हल्द्वानी Haldwani	245000	6417600	एमडी और सीईओ MD & CEO	शिक्षा Education	2.39%
35	सुरक्षित पेयजल Safe Drinking water	नैनीताल के ठंडी रोड पर वाणिज्यिक आरओ वाटर प्यूरीफायर की स्थापना Installation of Commercial Ro Water Purifier at Thandi Road Nainital	नैनीताल Nainital	66000	6483600	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	सुरक्षित पेयजल Safe Drinking water	0.64%
36	पीएम केयर्स फंडविकास PM CARE*			3774217.64	10257817.64		अन्य Other	36.79%
	कुल Total			10257817.64				100.00%

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

- (क) ऊर्जा संरक्षण
 - (i) ऊर्जा संरक्षण हेतु उठाए गए कदम अथवा उनका प्रभाव
 - (ii) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु उठाए गए कदम
 - (iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

- (a) Conservation of energy
 - (i) the steps taken or impact on conservation of energy;
 - (ii) the steps taken by the company for utilising alternate sources of energy;
 - (iii)the capital investment on energy conservation equipments.





- (ख) प्रौद्योगिकी आत्मसात
 - (i) प्रौद्योगिकी आत्मसात हेतु किए गए प्रयास
 - (ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभ
 - (iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (संदर्भित वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के भीतर आयात की गई प्रौद्योगिकी): क) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण ख) आयात का वर्ष ग) क्या प्रौद्योगिकी पूर्ण रूप से समाहित की गई है, और यदि नहीं, तो किन क्षेत्रों में समाहित नहीं हो सका तथा उसके कारण
 - (iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय
- (ब) विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

वर्ष में अर्जित विदेशी मुद्रा की वास्तविक राशि तथा वर्ष में विदेशी मुद्रा व्यय की वास्तविक राशि का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। जहाँ इस प्रकार के प्रकटीकरण लागू नहीं होते हैं, वहाँ इस संबंध में ''लागू नहीं'' का स्पष्ट उल्लेख रिपोर्ट में किया जाएगा

आभार

बैंक के निदेशक मंडल भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक का उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सतत सहयोग हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल अपनी मूल संस्था बैंक ऑफ़ बड़ौदा का भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता है, जिन्होंने समय—समय पर महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया, जिसके बिना बैंक की वर्तमान प्रगति संभव नहीं थी। निदेशक मंडल बैंक के आदरणीय शेयरधारकों, सम्मानित ग्राहकों तथा अन्य सभी हितधारकों का भी उनके निरंतर विश्वास एवं सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है। साथ ही, निदेशक मंडल बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की निष्ठा, समर्पण एवं परिश्रम की सराहना करता है, जो बैंक की सतत प्रगति एवं सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

निदेशक मंडल भारतीय बैंक संघ द्वारा बैंक को संदर्भित विषयों पर प्रदान किए गए सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए अपना आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल की ओर से

स्थानः नैनीताल (सुशील कुमार लाल)

दिनांकः 01.09.2025 एमडी और सीईओ

- (b) Technology absorption
 - (i) the efforts made towards technology absorption;
 - (ii) the benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution
 - (iii)in case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the year under reference) a) b) c) details of the technology imported; the year of import; whether the technology has been fully absorbed and if not, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof;
 - (iv)the expenditure incurred on Research and Development.
- (c) Foreign exchange earnings and Outgo

The Foreign Exchange earned in terms of actual inflows during the year and the Foreign Exchange outgo in terms of actual outflows during the year shell be included in the report. In cases where such disclosures are not applicable, the Report shall include a statement to that effect.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors expresses its sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India for the valuable guidance and support. The Board also acknowledges with gratitude and special thanks to the Parent Bank, Bank of Baroda for their valuable guidance and well-timed support on all vital issues, without which it would not have been feasible for the Bank to achieve present growth. The Board also records its sincere gratitude to the Bank's valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders for their continued patronage. The Board also expresses its appreciation for every employee of the Bank for their dedicated service.

The Board of Directors places on record the support and guidance received from Indian Banking Association (IBA) on the issues referred by the Bank.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Place: Nainital (Sushil Kumar Lal)

Date: 01.09.2025 MD & CEO



फॉर्म संख्या एमआर-3 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2025 के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवा में.

सदस्यों.

नैनीताल बैंक लिमिटेड

नैनी बैंक हाउस, सेवन ओक मल्लीताल, नैनीताल, उत्तराखंड -263001

(सीआईएनः यु65923युआर1922पीएलसी000234)

हमने नैनीताल बैंक लिमिटेड, जिसका सीआईएन: U65923UR1922PLC000234 है (इसमें इसके पश्चात 'बैंक' कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

बैंक द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकें, प्रपत्र और विवरणी तथा अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन तथा की गई सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि (लेखा परीक्षा अवधि) के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी कि बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं, जो कि इस सीमा तक, तरीके से और इसमें इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं।

हमने दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तक, प्रपत्र और विवरणी तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए (i) नियम।
- प्रतिभृति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए) तथा (ii) उसके अधीन बनाए गए नियम (लागू नहीं, क्योंकि बैंक सूचीबद्ध नहीं है)
- डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए (iii) विनियम और उपनियम:
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाए गए (iv) नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश

Form No. MR-3 **SECRETARIAL AUDIT REPORT**

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 March, 2025

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act,2013 and Rule no.9 of the Companies Appointment and Remuneration on Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,

The Nainital Bank Limited

Naini Bank House, Seven Oaks Mallital, Nainital, Uttarakhand-263001

(CIN: U65923UR1922PLC000234)

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to the good corporate governance practices by The Nainital Bank Limited having CIN: U65923UR1922PLC000234 (hereinafter called "the Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliance and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the bank and also the information so provided by the bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, We report that in our opinion, the Bank has during the audit period covering the Financial Year ended on March 31, 2025, ('Audit Period') complied with statutory provisions listed hereunder and also that the bank has proper board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the Financial Year ended March 31, 2025 according the provisions of:

- The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder.
- The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder; (Not Applicable as the Bank is not Listed.)
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Byelaws framed thereunder;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of



तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक

- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश; (लागू नहीं, क्योंकि बैंक सूचीबद्ध नहीं है)
 - क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;
 - ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इंसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015.
 - ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018;
 - घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021
 - ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर—परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2021;
 - च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में
 - छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डी. लिस्टिंग) विनियम, 2021;
 - ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम 2018:
- (vi) बैंक के प्रबंधन ने कहा कि वित्तीय, श्रम और पर्यावरण कानून तथा अन्य कानून जो बैंक पर लागू होते हैं, उनका आम तौर पर अनुपालन किया जाता है।
- (vii) हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:
 - क. भारतीय बैंक सचिव संस्थान द्वारा जारी बोर्ड बैठक (एसएस-1)
 और आम बैठक (एसएस-2) के संबंध में भारतीय बैंक सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
 - ख. स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक द्वारा किए गए लिस्टिंग करार; (लागू नहीं, क्योंकि बैंक सूचीबद्ध बैंक नहीं है)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

क. बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है, जिसमें

- Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings.
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'); (Not Applicable as the Bank is not listed)
 - The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011;
 - The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015;
 - The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat equity) Regulation, 2021
 - e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulation, 2021;
 - f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993
 - g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021;
 - The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations 2018;
- (vi) The Management of the Bank represented that fiscal, labour environmental laws, banking laws and other Statutes which are applicable to the Bank, are generally complied with.
- (vii) We have also examined compliance of the applicable clauses of the following:
 - a. Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India with respect to Board Meeting (SS-1) and General meeting (SS-2).
 - The Listing Agreements entered into by the Bank with the Stock Exchanges; (Not applicable as the Bank is not a Listed Bank)

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulation Guidelines, Standards etc, as mentioned above.

We further report that:

a. The Board of Directors of the Bank is duly constituted with

Auditor's Report



कार्यकारी निदेशक, गैर-कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन बनाए रखा गया है। समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।

- बोर्ड की बैठक निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पूर्व में भेजे जाते हैं, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।
- बह्मत के निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है, जबकि असहमति जताने वाले सदस्यों के विचारों को मिनटस के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

समीक्षा अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित दंडों का भूगतान किया

- आरबीआई कानपुर के इश्यू विभाग द्वारा ₹ 1,02,150/- का 1. दंड लगाया गया, जो बैंक के करेंसी चेस्ट से भेजी गई नगदी में म्यूटीलेटेड नोट, नोटों की कमी तथा जाली नोट पाए जाने के कारण लगाया गया।
- ₹ 31.80 लाख का दंड, एमएसएमई को एमसीएलआर के बजाय 2. बाहरी बेंचमार्क दर से जोड़े बिना फ्लोटिंग रेट ऋण प्रदान करने
- बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेषराशि न रखने पर फ्लैट रेट्स पर 3 दंडात्मक शूल्क लगाने के लिए बैंक पर ₹ 29.60 लाख का जूर्माना

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, ऑडिट अवधि के दौरान, उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अनुरूप बैंक के कार्यों पर प्रभाव डालने वाली कोई घटना नहीं हुई।

> हस्ता / – कृते टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एफआरएन सं. — P2007WB067100 सीएस सुमना सुभाष मित्रा – पार्टनर एसीएसः 43291, सीओपीः 22915 यूडीआईएन:A043291G001007111 पीयर रिव्यू नंबरः 908 / 2020

दिनांकः 14.08.2025 स्थानः नई दिल्ली

यह रिपोर्ट हमारे समान दिनांकित पत्र के साथ पढी जानी चाहिए, जिसे परिशिष्ट ए के रूप में संलग्न किया गया है और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and independent Directors. During the period under review, Mr. Manas Biswal and Mr. Kuldeep Singh was appointed as an Independent Director and the Whole Time Director of the Company, respectively, in compliance with provision of the Act.

- Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meeting, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists of seeking and obtaining further information and clarification on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
- Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

During the period under review the, the Bank has paid the following penalties:

- 1. Penalty of ₹ 1,02,150/- levied by Issue Department, RBI Kanpur against the detection of Mutilated Notes, shortage of bank notes, the forged banknotes in remitted cash by Banks Currency Chest.
- 2. Penalty of ₹ 31.80 lacs for extending floating rate loans to MSMEs benchmarked to MCLR instead of an external benchmark rate.
- 3. Penalty of ₹ 29.60 lacs was imposed on the bank for levying penal charges at flat rates for non-maintenance of minimum balance in savings bank accounts.

We further report that during the audit period, no events occurred which had bearing on the bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standard etc.

Sd/-

For T. Chatterjee & Associates **Practicing Company Secretaries** FRN No. - P2007WB067100

CS Sumana Subhash Mitra-Partner ACS:43291, COP: 22915 UDIN: A043291G001007111 Peer Review No. 908/2020

Date: 14.08.2025 Place: New Delhi

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.



अनुलग्नक–क

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा में,

श्रीमान सदस्य नैनीताल बैंक लिमिटेड (सीआईएनः यू65923यूआर1922पीएलसी000234) जीबी पंत रोड, नैनीताल उत्तराखंड —263001

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी चाहिए।

- सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों पर हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर एक राय व्यक्त करना है।
- हमने सिचवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए आईसीएसआई ऑडिटिंग मानक, ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन नोटों का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिचवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
- जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
- कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
- 5. सचिवीय लेखापरीक्षा न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

हस्ता / –

कृते टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी

एफआरएन सं. — P2007WB067100

सीएस सुमना सुभाष मित्रा — पार्टनर एसीएसः ४३२९१, सीओपीः २२९१५ यूडीआईएनःA043291G001007111 पीयर रिव्यु नंबरः ९०८ / २०२०

दिनांकः 14.08.2025 स्थानः नई दिल्ली

Date: 14.08.2025 Place: New Delhi ANNEXURE -A

ANNEXURE TO SECRETARIAL AUDIT REPORT ISSUED BY COMPANY SECRETARY IN PRACTICE

To

The Members

The Nainital Bank Limited
(CIN: U65923UR1922PLC000234)
G B Pant Road Nainital
Uttaranchal-263001

Our report of even date is to be read along with this letter.

- Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
- We have followed the Guidance Notes on ICSI Auditing Standard, audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
- Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
- 4. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
- The Secretarial Audit is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Sd/-

For **T. Chatterjee & Associates**Practicing Company Secretaries
FRN No. - P2007WB067100

CS Sumana Subhash Mitra-Partner
ACS:43291, COP: 22915
UDIN: A043291G001007111
Peer Review No. 908/2020



बेसल III पिलर 3 प्रकटीकरण (31.03.2025)

तालिका डीएफ- 1: आवेदन का दायरा

बैंकिंग समूह के प्रधान का नाम, जिस पर यह ढांचा लागू होता है:

दि नैनीताल बैंक लिमिटेडः

- i) गुणात्मक प्रकटीकरणः
- क. समेकन हेत् विचार में लिए गए समूह इकाइयों की सूची

ऐसी कोई इकाई नहीं है जिस पर समेकन के लेखांकन दायरे के अंतर्गत विचार किया जा सके।

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURES (31.03.2025)

Table DF- 1: Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies:

The Nainital Bank Ltd.

- (i) Qualitative Disclosures:
- a. List of group entities considered for consolidation

There is no such entity which may be considered under accounting scope of consolidation.

संस्था का नाम/(निगमन का देश)	क्या इकाई समेकन के लेखांकन दायरे में शामिल है (हां / नहीं)	समेकन की विधि समझाइए	क्या इकाई समेकन के विनियामक दायरे में शामिल है (हां / नहीं)	समेकन की विधि समझाइए	समेकन की विधि में अंतर के कारणों की व्याख्या करें	यदि समेकन के केवल एक दायरे के अंतर्गत समेकित किया गया है तो इसके कारण बताएं
Name of the entity/ (Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation

- ख. समूह संस्थाओं की सूची जिन्हें लेखांकन और समेकन के विनियामक दायरे के तहत समेकन के लिए नहीं माना गया
- b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

संस्था का नाम/(निगमन का देश)	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन बैलेंस शीट में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का %	इकाई के पूंजीगत साधनों में बैंक के निवेश का विनियामक द्वारा किया गया उपयोग	कुल तुलन पत्र परिसंपत्तियां (जैसा कि कानूनी इकाई की लेखा तुलन पत्र में बताया गया है)
Name of the entity/(Country of Incorporation)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)

समूह में ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसे लेखांकन और विनियामक समेकन दायरे दोनों के अंतर्गत समेकन के लिए विचार किया गया हो।
There are no entities in the group which are considered for consolidation under both accounting and regulatory scope of consolidation.

- ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः / (ii) Qualitative Disclosures:
- ग. समेकन के लिए विचार की गई समृह संस्थाओं की सूची / c. List of group entities considered for consolidation

संस्था का नाम / निगमन का देश (जैसा कि ऊपर (i) क. में दर्शाया गया है)		कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई की लेखा तुलन पत्र में बताया गया है)	कुल तुलन पत्र परिसंपत्तियां (जैसा कि कानूनी इकाई की लेखा तुलन पत्र में बताया गया है)
Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i) a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
शून्य / Nil			

बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए किसी भी सहायक कंपनी में किसी भी सहायक कंपनी में कॉसिलिडेशन लागु नहीं होता है। There is no such entity which may be considered for consolidation.



- घ. सभी अनुषंगियों में पूंजी में कमियों की सकल राशि जिसे समेकन के विनियामक दायरे में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् जिसे घटाया गया है:
- d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted

संस्था का नाम/निगमन देश	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन बैलेंस शीट में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का %	पूंजी की कमी
Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
शून्य / Nil				

बैंक की ऐसी कोई सब्सिडियरी नहीं है इसलिए किसी सब्सिडियरी में पूंजी के अभाव का पूँजी की अपर्याप्तता की कोई गुंजाइश नहीं हैं। Bank does not have any subsidiary as such there is no scope of capital deficiency in any of subsidiary.

- ङ बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की कुल राशि (जैसे वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारित हैं
- e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are riskweighted

बीमा संस्थाओं का नाम / निगमन का देश	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन बैलेंस शीट में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का %	जोखिम भार विधि बनाम पूर्ण कटौती विधि का उपयोग करने से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
शून्य / Nil				

बैंक का बीमा इकाई में कोई हित नहीं है।

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूंजी के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएँ

कोई प्रतिबंध नहीं है।

तालिका डीएफ-2ः पूंजी पर्याप्तता

- ii) गुणात्मक प्रकटीकरण
- क) बैंक ने पूंजी अनुकूलन और लाभ अधिकतमीकरण पर उचित ध्यान देने के साथ एक मजबूत जोखिम प्रबंधन वास्तुकला स्थापित की है, अर्थात उपलब्ध पूंजी से अधिकतम व्यवसाय करना जो बदले में लाभ या इक्विटी पर रिटर्न को अधिकतम करता है। बैंक बेसल III ढांचे के अनुरूप वैश्विक रूप से स्वीकृत ध्विन जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर बेंचमार्किंग कर रहा है, जिससे संसाधनों का अधिक कुशल, न्यायसंगत और विवेकपूर्ण आवंटन संभव हो सके।

पुंजी नियोजन प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

• बैंक की वर्तमान पूंजी आवश्यकता

The bank has no interest in insurance entity.

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

There is no restriction.

TABLE DF-2: CAPITAL ADEQUACY

- (i) Qualitative Disclosures
- a) The Bank has put in place a robust Risk Management Architecture with due focus on Capital optimization and on profit maximization, i.e. to do maximum business out of the available capital which in turn maximize profit or return on equity. Bank is benchmarking on globally accepted sound risk management system, conforming to Basel III framework, enabling a more efficient equitable and prudent allocation of resources.

In Capital Planning process the bank reviews:

• Current capital requirement of the Bank



 व्यवसाय रणनीति और जोखिम उठाने की क्षमता के संदर्भ में लिक्षत और टिकाऊ पूंजी।

पूंजी की जरूरतों की निगरानी शीर्ष अधिकारियों वाली आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समय—समय पर की जाती है। अग्रिम, निवेश, जमा, एनपीए, परिचालन लाभ आदि में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूंजी की आवश्यकता का अनुमान वार्षिक आधार पर लगाया जाता है।

बैंक जोखिम, कारोबार आदि के मूल्य में नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए पूंजी रखता है तािक जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों को नुकसान से बचाया जा सके। बैंक के पास सभी जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन और दस्तावेज़ीकरण करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीित (आईसीएएपी) है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा—िनर्देशों के अनुरूप, बैंक ने सीआरएआर की गणना के लिए क्रेडिट जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण और बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है।

पूंजी की आवश्यकता आर्थिक माहौल, विनियामक आवश्यकता और बैंक की गतिविधियों से उत्पन्न जोखिम से प्रभावित होती है। बैंक की पूंजी नियोजन का उद्देश्य बदलती आर्थिक स्थितियों, यहाँ तक कि आर्थिक मंदी के समय में भी पूंजी की पर्याप्तता सुनिश्चित करना है। पूंजी नियोजन प्रक्रिया में बैंक द्वारा निम्नलिखित की समीक्षा किया जाता है:

- बैंक की वर्तमान पूंजी आवश्यकता।
- व्यवसाय रणनीति और जोखिम उठाने की क्षमता के संदर्भ में लक्षित और स्थायी पूंजी।
- भविष्य की पूंजी आयोजन तीन साल के दृष्टिकोण पर की जाती है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्रं सं.	मद	(राशि करोड़ में) 31.03.2025				
(ख)	ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं					
	 मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो 	533.85				
	• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर					
(ग)	बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएें					
	• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण					
	• ब्याज दर जोखिम					
	• विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)					
	• इक्विटी जोखिम					
(ঘ)	u) परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएें					
	• बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण	65.58				

 The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

Capital needs are monitored periodically by the Internal Risk Management Committee comprising Top Executives. Capital requirement is projected annually considering the expected growth in advances, investments, Deposits, NPA, Operating Profit etc.

Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses. Bank has a well-defined Internal Capital Adequacy Assessment Policy (ICAAP) to comprehensively evaluate and document all risks.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, the regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. The purpose of capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank.
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.

ii) QUANTITATIVE DISCLOSURES

S. No.	ltems	Amount (₹ in Crores) 31.03.2025				
(b)	Capital requirements for Credit R	lisk				
	 Portfolios subject to Standardized Approach 	533.85				
	Securitization Exposures					
(c)	Capital requirements for Market Risk					
	Standardized Duration Approach					
	Interest Rate Risk					
	Foreign Exchange Risk (including Gold)					
	Equity Risk					
(d)	d) Capital requirements for Operational Risk					
	Basic Indicator Approach	65.58				



(ঙ)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 तथा क्	व्रल पूंजी अनुपातः
	• समूह सीआरएआर	
	• सीईटी 1 अनुपात	
	• टियर 1 अनुपात	
	• टियर २ अनुपात	
	• सीआरएआर	
	• स्टैंडअलोन सीआरएआर	
	• सीईटी 1 अनुपात	15.84%
	• टियर 1 अनुपात	15.84%
	• टियर 2 अनुपात	0.92%
	• सीआरएआर	16.76%

तालिका डीएफ-3: ऋण जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

- क. बैंक की ऋण पिरसंपित्तयों को वर्गीकृत करने की बैंक की नीति निम्नानुसार है:
 - गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)ः गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) एक ऋण या अग्रिम है, जहाँ;
 - सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और / या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अविध के लिए अतिदेय रहती है,
 - ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है,
 - खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अविध के लिए अतिदेय रहता है।
 - अल्प अविध की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय रहती है.
 - दीर्घाविध की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहती है।

ओडी/सीसी खाते को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जाता है, यदि बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से लगातार अधिक रहती है। ऐसे मामलों में जहां मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम है, लेकिन बैलेंस शीट की तिथि पर 90 दिनों तक लगातार कोई क्रेडिट नहीं है या उसी अविध के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए क्रेडिट पर्याप्त नहीं हैं, इन खातों को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जाता है। किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत बैंक को देय राशि 'अतिदेय' है।

यदि बैंक द्वारा निर्धारित नियत तारीख पर इसका भुगतान नहीं किया जाता है।

(e)	Common Equity Tier 1, tier 1 and Total Capital ratios:				
	•	Group CRAR			
		CET 1 Ratio			
		• Tier 1 Ratio			
		• Tier 2 Ratio			
		• CRAR			
	•	Standalone CRAR			
		• CET 1 Ratio	15.84%		
		• Tier 1 Ratio	15.84%		
		• Tier 2 Ratio	0.92%		
		• CRAR	16.76%		

TABLE DF-3: CREDIT RISK

(i) Qualitative Disclosures

a. The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/ drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/ drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

An amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.



बैंक की गैर निष्पादक आस्तियों को आगे निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

अवमानक आस्तियाँ

अवमानक आस्तियाँ वह होती हैं, जो 12 महीने से कम या उसके बराबर अविध के लिए एनपीए बनी रहती हैं। अवमानक आस्तियों में भी सभी वसूली उपाय प्रासंगिक हैं। यदि नकद वसूली के माध्यम से संपूर्ण बकाया राशि वसूल की जाती है, तो खाते को तुरंत मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है। इसी तरह, यदि कोई खाता तकनीकी कारणों से एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो तकनीकी कारणों के समाधान के बाद खाते को अपग्रेड किया जाएगा।

संदेहास्पद आस्तियाँ

वे आस्तियाँ जो 12 महीने तक अवमानक श्रेणी में रहती हैं, तो उन्हें संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अवमानक और संदिग्ध खाते, जो पुनर्सरचना / पुनर्निर्धारण के अधीन हैं, उन्हें ब्याज या मूलधन का पहला भुगतान, जो भी पहले हो, देय तिथि से एक वर्ष की अवधि के बाद ही मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है, बशर्ते कि उस अवधि के दौरान प्रदर्शन संतोषजनक रहा हो।

हानि आस्तियाँ

हानि आस्ति वह होती है जिसमें बैंक या आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों या आरबीआई निरीक्षण द्वारा हानि की पहचान की गई हो। हानि आस्तियों में, उपलब्ध सुरक्षा का वसूली योग्य मूल्य बकाया/देय राशि के 10% से अधिक नहीं होता है। चूँिक सुरक्षा बैक अप उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए यदि आवश्यक हो तो पुनर्गठन/पुनर्वास पर अत्यधिक सावधानी से विचार किया जाता है।

रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ:

बैंक के पास एक अच्छी तरह से परिभाषित ऋण नीति, ऋण जोखिम नीति और निवेश नीति है जो ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है:

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं और उनके समूह और उद्योग के लिए जोखिम की अधिकतम सीमाएँ
- ऋण वितरण में निष्पक्ष व्यवहार संहिता।
- बैंक के विभिन्न स्तरों के लिए विवेकाधीन ऋण देने की शक्तियाँ।
- ऋण वितरण में शामिल प्रक्रियाएँ स्वीकृति से पहले निरीक्षण, अस्वीकृति, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेज़ीकरण, निगरानी और वसूली।
- कीमत का निर्धारण

बैंक का ऋण जोखिम दर्शन, आर्किटेक्चर और प्रणालियाँ निम्नानुसार हैं:

ऋण जोखिम दर्शनः

• क्रेडिट और प्रतिलाभ को अनुकूलित करने के लिए परिकल्पना की

Non-Performing Assets of the Bank are further classified in to three categories as under:

Sub standard Assets

A sub standard asset would be one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. All the recovery measures are relevant in substandard assets also. If the entire overdues are recovered by way of cash recovery, the account can be upgraded to standard category immediately. Similarly, if an account is classified as NPA due to technical reasons, the account shall be upgraded on clearance of technical reasons.

Doubtful Assets

An asset would be classified as doubtful if it remained in the sub standard category for 12 months. Substandard and Doubtful accounts which are subjected to restructuring/rescheduling, can be upgraded to standard category only after a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due, subject to satisfactory performance during the period.

Loss Assets

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection. In Loss assets, realizable value of security available is not more than 10% of balance outstanding/ dues. Since security back up will not be available, the restructuring/ rehabilitation, if required, is considered with utmost care.

Strategies and Processes:

The bank has a well defined Loan Policy, Credit Risk Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit.
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank.
- Processes involved in dispensation of credit pre sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing.

The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under:

Credit Risk Philosophy:

To Optimize the Credit and return envisaged in order



गई है तािक शेयरधारकों के लिए आर्थिक मूल्यवर्धन अधिकतम हो और बैंक के संसाधनों की सुरक्षा के साथ कॉर्पोरेट विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ—साथ सभी हितधारकों के हितों की रक्षा की जा सके।

- बैंक के वित्तीय संसाधनों को व्यवस्थित तरीके से विनियमित और सुव्यवस्थित करना, तािक विभिन्न चैनल बैंक के सामान्य लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में नियोजित विकास को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए संस्थागत वित्त की तैनाती के मामले में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का अनुपालन करना।
- उद्यम—व्यापी ऋण संस्कृति की भावना पैदा करना और परिचालन कर्मचारियों की सहायता करना।
- विभिन्न उधारकर्ता वर्गों को आवश्यकता—आधारित और समय पर ऋण उपलब्ध कराना।
- ऋण प्रबंधन कौशल को मजबूत करना, जैसे कि मंजूरी से पहले, मंजूरी के बाद निगरानी, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती उपाय, ताकि स्वस्थ ऋण संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके और बैंक में गुणवत्तापूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाए रखा जा सके।
- गुणवत्ता मूल्यांकन, गित और मौजूदा दिशा—निर्देशों के पूर्ण अनुपालन के साथ ऋण प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से निपटाना।
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना, विशेष रूप से एक्सपोजर मानदंड, प्राथमिकता क्षेत्र मानदंड, आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण दिशानिर्देश, पूंजी पर्याप्तता, आरबीआई/अन्य प्राधिकरणों के ऋण जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश आदि।

बैंक की वास्तुकला और प्रणालियाँ:

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यों की विशेष रूप से देखरेख और समन्वय करने के लिए बोर्ड द्वारा निदेशकों की एक उप—समिति गठित की गई है।
- ऋण नीति समिति की स्थापना ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम रणनीति तैयार करने और लागू करने तथा नियमित आधार पर बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्य की निगरानी करने के लिए की गई है।
- सीआरएमसी (ऋण जोखिम प्रबंधन सिमिति) निर्धारित सीमाओं के भीतर ऋण जोखिम को मापने, नियंत्रित करने और प्रबंधित करने तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर कार्य करने के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
- ऋण प्रस्तावों, वित्तीय अनुबंधों, रेटिंग मानकों और बेंचमार्क के लिए मानकों पर नीतियों का निर्माण।
- ऋण विभाग निर्धारित सीमाओं के भीतर ऋण जोखिम की पहचान.

- that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the Stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.
- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to incline and achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely presanction, post- sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speed and in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

Architecture and Systems of the Bank:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Risk Management function on a regular basis.
- The CRMC (Credit Risk Management Committee) is responsible for measuring, controlling and managing the credit risk within the prescribed limits and to ensure compliance to functioning within the prudential limits set by the Board.
- Formulating of policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Department deal with identification,



माप, निगरानी और नियंत्रण से संबंधित कार्य करता है।

- ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग ऋण जोखिम नीति के तहत परिभाषित विधियों के अनुसार तिमाही आधार पर पोर्टफोलियो विश्लेषण करता है।
- बोर्ड / विनियामक आदि द्वारा निर्धारित जोखिम मापदंडों और विवेकपूर्ण सीमाओं का प्रवर्तन और अनुपालन,
- जोखिम मूल्यांकन प्रणाली निर्धारित करना, एमआईएस विकसित करना, तथा ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की निगरानी करना, समस्याओं की पहचान करना, किमयों को सुधारना।
- निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन पर ऋण वितरण प्रणाली में सुधार करना।

जोखिम रिपोर्टिंग और/या मापन प्रणाली का दायरा और प्रकृतिः

बैंक ने अपने ऋण जोखिमों के लिए एक मजबूत ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली स्थापित की है। ऋण जोखिमों को कम करने का एक प्रभावी तरीका किसी विशेष परिसंपत्ति में संभावित जोखिमों की पहचान करना, एक स्वस्थ परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखना और साथ ही बैंक की समग्र रणनीति और ऋण नीति के अनुसार आवश्यक रिस्क रिटर्न मापदंडों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण में लचीलापन प्रदान करना है। हालाँकि बैंक की एक अलग ऋण जोखिम नीति है जहाँ परिभाषित विधियों के आधार पर तिमाही अंतराल पर पोर्टफोलियो ऋण जोखिम का विश्लेषण किया जाता है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजरः

विवरण	राशि (करोड़ रू. में) 31.03.2025
निधि आधारित बकाया	5482.42
गैर–निधि आधारित बकाया	45.50
कुल सकल ऋण	5527.92

ग) ऋण एक्सपोजर का भौगोलिक वितरणः

	राशि (करोड़ रू. में)			
एक्सपोजर	निधि आधारित	गैर निधि आधारित		
	बकाया	बकाया		
घरेलू परिचालन	5351.35	45.50		
विदेशी परिचालन				
कुल	5351.35	45.50		

measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.

- Credit Risk Management department does the portfolio analysis on quarterly basis as per the defined methods under credit risk policy.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, and monitoring quality of loan portfolio, identification of problems, correction of deficiencies.
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

The Scope and Nature of Risk Reporting and/or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy. However Bank has a separate Credit Risk Policy where portfolio credit risk is analysed on quarterly interval on the basis defined methods.

(ii) Quantitative Disclosures

(b) Total Gross Credit Risk Exposure:

Particulars	Amount (₹ in Crores) 31.03.2025		
Fund Based Exposure	5482.42		
Non-fund Based Exposure	45.50		
Total Gross Credit Exposure	5527.92		

c) Geographic Distribution of Exposures:

	Amount (₹ in Crores)		
Exposures	Fund Based Outstanding	Non-fund Based Outstanding	
Domestic operations	5482.42	45.50	
Overseas operations			
Total	5482.42	45.50	



घ) जोखिमों का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरणः

d) Industry Type Distribution of Exposures

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्रं.सं. S. No.	उद्योग / Industry		कुल वित्तपोषित ऋण जोखिम Total Funded Credit Exposure	कुल गैर—वित्तपोषित ऋण जोखिम Total Non-funded Credit Exposure	कुल ऋण जोखिम (वित्तपोषित और गैर—वित्त पोषित) Total Credit Exposure (Funded and Non-Funded)
A\y	खनन और उत्खनन	Minning and Quarrying	92.93	0.84	93.77
ए/A.1	कोयला	Coal	0.00	0.00	0.00
ए/A.2	अन्य	Other	92.93	0.84	93.77
बी / B	खाद्य प्रसंस्करण	Food Processing	19.56	0.00	19.56
बी / B.1	चीनी	Sugar	0.00	0.00	0.00
बी / B.2	खाने का तेल और वनस्पति	Edible Oils and Vanaspati	1.43	0.00	1.43
बी / B.3	चाय	Теа	0.00	0.00	0.00
बी / B.4	कॉफी	Coffee	0.00	0.00	0.00
बी / B.5	अन्य	Others	18.14	0.00	18.14
सी / c	पेय पदार्थ (चाय और कॉफी को छोड़कर) और तंबाकू	Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	0.26	0.00	0.26
सी / C.1	तम्बाकू व तम्बाकू उत्पाद	Tobacco and Tobacco Products	0.00	0.00	0.00
सी / C.2	अन्य	Others	0.26	0.00	0.26
डी / D	टैक्सटाईल	Textiles	9.05	0.00	9.05
डी / D.1	सूती	Cotton	1.14	0.00	1.14
डी / D.2	जूट	Jute	0.00	0.00	0.00
डी / D.3	हाथ से बने हुए	Man-made	0.00	0.00	0.00
डी / D.4	अन्य	Others	7.92	0.00	7.92
	डी में से (यानी, कुल वस्त्र) कताई मिलों को	Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	0.00	0.00	0.00
ई / E	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	Leather and Leather Products	1.74	0.00	1.74
एफ / F	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	Wood and Wood Products	4.94	0.00	4.94
जी / G	कागज और कागज के उत्पाद	Paper and Paper Products	4.21	0.00	4.21
एच/н	पेट्रोलियम (गैर–इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर–खनन) और परमाणु ईंधन	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	0.41	0.00	0.41
आई /।	रसायन और रासायनिक उत्पाद (रंग, पेंट, आदि)	Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.)	10.26	0.00	10.26
आई /।.1	उर्वरक	Fertilizers	0.00	0.00	0.00
आई / 1.2	ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	Drugs and Pharmaceuticals	6.37	0.00	6.37
आई / ।.3	पेट्रो—रसायन (बुनियादी ढांचे को छोड़कर)	Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	0.00	0.00	0.00
आई /।.4	अन्य	Other	3.89	0.00	3.89
जे/រ	रबड़ प्लास्टिक और उनके उत्पाद	Rubber Plastic and their Products	2.91	0.00	2.91



क्रं.सं. S. No.	उद्योग / Industry		कुल वित्तपोषित ऋण जोखिम Total Funded Credit Exposure	कुल गैर—वित्तपोषित ऋण जोखिम Total Non-funded Credit Exposure	कुल ऋण जोखिम (वित्तपोषित और गैर—वित्त पोषित) Total Credit Exposure (Funded and Non-Funded)
कें / K	कांच, कांच के बने पदा. र्थ और अन्य गैर—घात्विक खनिज उत्पाद (सीमेंट और सीमेंट उत्पादों को छोड़कर)	Glass, Glassware and other non-metallic mineral products (Except Cement and Cement products)/	1.22	0.00	1.22
एल ∕ ∟	सीमेंट और सीमेंट के उत्पाद	Cement and Cement Products	2.76	0.00	2.76
एम/M	मूलभूत धातु एवं धातु उत्पाद	Basic Metal and Metal Products	16.19	0.00	16.19
एम / M.1	लोहा एवं इस्पात	Iron and Steel	10.36	0.00	10.36
एम / M.2	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	Other Metal and Metal Products	5.83	0.00	5.83
एन/N	सभी इन्जीनियरिंग	All Engineering	105.65	0.06	105.71
एन/N.1	इलैक्ट्रोनिक्स	Electronics	0.56	0.00	0.56
एन / N.2	अन्य	Other	105.09	0.06	105.15
ओ / 0	वाहन, वाहन भागों और परिवहन उपकरण	Vehicle, Vehicle Parts and Transport Equipment's	9.92	0.00	9.92
पी / P	रत्न एवं आभूषण	Gems and Jewellery	0.14	0.00	0.14
क्यू / Q	निर्माण	Construction	3.73	0.48	4.21
आर / R	बुनियादी ढांचा (केवल उद्योग क्षेत्र से संबंधित)	Infrastructure (Pertaining to Industries Sector Only)	54.67	0.00	54.67
आर / R.1	परिवहन	Transport	14.77	0.00	14.77
आर / R.1.1	रेलवे	Railways			
आर / R.1.2	सड़क मार्ग	Roadways	14.77	0.00	14.77
आर / R.1.3	विमानन	Aviation	0.00	0.00	0.00
आर / R.1.4	जलमार्ग	Waterways	0.00	0.00	0.00
आर / R.1.5	अन्य परिवहन	Others Transport	0.00	0.00	0.00
आर / R.2	ऊर्जा	Energy	12.00	0.00	12.00
आर / R.2.1	गैर—नवीकरणीय ऊर्जा	Non-Renewable Energy	12.00	0.00	12.00
आर / R.2.2	नवीनीकृत ऊर्जा (सौर, पवन, जलविद्युत)	Renewable Energy (Solar, Wind, Hydel)	0.00	0.00	0.00
आर / R.2.3	ऑयल / गैस (भण्डारण एवं पाइपलाईन)	Oil & Gas (Storage & Pipeline)	0.00	0.00	0.00
आर / R.3	अन्य	Other	27.90	0.00	27.90
आर / R.3.1	दूरसंचार	Telecommunication	0.00	0.00	0.00
आर / R.3.2	जल स्वच्छता	Water Sanitation	0.00	0.00	0.00
आर / R.3.3	सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना	Social and Commercial Infrastructure	27.90	0.00	27.90
आर / R.3.4	अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर	Other Infrastructure	0.00	0.00	0.00
एस / s	अन्य उद्योग, कृपया निर्दिष्ट करें	Other Industries, pl. specify	266.26	3.23	269.49
	अन्य	OTHER	266.26	3.23	269.49
	सभी उद्योग (ए से एस)	All Industries (A to S)	603.60	4.61	608.21
	शेष अन्य अग्रिम	Residuary other advances	4878.82	40.89	4919.71
	कुल ऋण और अग्रिम	Total Loan & Advances	5482.42	45.50	5527.92



उन उद्योगों का ऋण जोखिम, जिनका बकाया ऋण बैंक के कुल सकल ऋण जोखिम का 5% से अधिक है जो निम्नानुसार है:

Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank is as follows:

क. सं.	उद्योग	कुल एक्सपोजर ∕ बकाया शेष (₹ करोड़ में)	कुल सकल ऋण जोखिम का%
S. No.	Industry	Total Exposure/(O/s bal.) (₹ in Crores)	% of Total Gross Credit Exposure
	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

ङ) परिसम्पतियों का अवशिष्ट परिपक्वता विवरण

(e) Residual maturity breakdown of assets

(₹ करोड़ में) **/ (₹ in Crore)**

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	.,, (t G.G.G)
	भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष/ Cash & Balances with RBI	अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि / Balances with other Banks & Money at call & short notice	निवेश / Investments	अग्रिम/ Advances	अचल आस्तियां/ Fixed Assets	अन्य आस्तियां / Other Assets
1 दिन / 1 Day	175.17	10.61	378.19	14.95	0.00	9.16
2-7 दिन / 2-7 Days	0.00	271.00	0.00	86.29	0.00	45.48
8-14 दिन / 8-14 Days	0.00	75.00	0.00	101.32	0.00	8.52
15-30 दिन / 15-30 Days	25.29	90.00	164.65	209.00	0.00	8.84
31 दिन — 2 माह तक / 31 days – upto 2 Months	11.29	60.00	56.78	127.77	0.00	20.97
2 माह से अधिक और 3 माह तक/ Over 2 Months upto 3 Months	12.50	25.00	72.18	131.13	0.00	20.97
3 माह से अधिक और 6 माह तक / Over 3 upto 6 Months	15.88	277.01	176.89	434.40	0.00	86.64
6 माह से अधिक और 12 माह तक / Over 6 upto 12 Months	36.60	818.50	308.94	217.45	0.00	9.62
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक / Over 1 year upto 3 Years	62.38	40.05	640.33	1881.25	0.00	215.17
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक / Over 3 upto 5 Years	137.24	0.00	4.54	494.81	0.00	94.12
5 वर्ष से अधिक / Over 5 Year	5.35	0.00	54.39	965.57	74.56	96.74
जोड़ / TOTAL	481.70	1667.17	1856.89	4663.94	74.56	616.23

(₹ करोड़ में) / **(**₹ in Crore)

	(4/19 1)/ (III clot				
क्र.सं. S.No.	परिसंपत्ति १	राशि़ / Amount			
क / a)	एनपीए (सकल)*:	NPAs (Gross)*:	386.20!		
	अवमानक	Substandard	55.84		
	संदिग्ध 1	Doubtful 1	32.59		
	संदिग्ध 2	Doubtful 2	48.92		
	संदिग्ध 3	Doubtful 3	169.36		
	हानिकर	Loss	79.49		
ख/b)	शुद्ध एनपीए	Net NPAs	25.92		
ग ∕ c)	एनपीए अनुपात	NPA Ratios			
	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए (%)	Gross NPAs to gross advances (%)	7.78%		
	शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए (%)	Net NPAs to net advances (%)	0.56%		



क्र.सं. S.No.	परिसंपत्ति श्र	राशि / Amount		
घ∕d)	एनपीए (सकल) में उतार–चढ़ाव	Movement of NPA(Gross)	Movement of NPA(Gross)	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance		398.67@
	वृद्धि	Additions		65.01
	कमी	Reductions		77.48
	विनिमय अंतर के कारण कोई अन्य समायोजन	Any other adjustments due to	Exchange Diff	0.00
	अंतिम शेष	Closing balance		386.20!
룡∕e)	विशिष्ट प्रावधान	SPECIFIC PROVISION		
	एनपीए के लिए प्रावधान में उतार–चढ़ाव	Movement of provisions for	NPAs	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance		292.86
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	Provisions made during the p	eriod	38.33
	अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ / राइट बैक करना	Write offs/ Write back of exce	ess provisions	36.14
	प्रावधानों के बीच स्थानांतरण सहित कोई अन्य समायोजन	Any other adjustments, inclu	ding transfers between provisions	0.00
	अंतिम शेष	Closing balance		295.05
	सामान्य प्रावधान	GENERAL PROVISION		
च∕f)	एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव	Movement of provisions for	NPAs	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance		62.85
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the p	eriod	0.00
	बट्टे खाते	Write offs		0.00
	अतिरिक्त प्रावधानों को वापस करना	Write back of excess provisio	ns	0.00
	प्रावधानों के बीच अंतरणों सहित कोई अन्य समायोजन	Any other adjustments, inclu	ding transfers between provisions	0.00
	अंतिम शेष्	Closing balance		62.85
	राइट–ऑफ जो सीधे आय विवरण में दर्ज किए गए हैं	Write-offs that have been boo	ked directly to the income statement	0.00
	वसूली जो सीधे आय विवरण में दर्ज की गई है	Recoveries that have been statement	booked directly to the income	1.81
छ∕g)	गैर निष्पादक निवेश की राशि	Amount of Non-Performing I	nvestments	0.00
ज∕h)	गैर-निष्पादित निवेश के लिए रखे गए प्रावधानों की राशि	Amount of provisions held fo	r Non-Performing Investments	0.00
झ/i)	निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों का संचलन	Movement of provisions for	depreciation on investments	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance		3.68
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	Provisions made during the period		0.00
	राइट—ऑफ	Write-off		
	अतिरिक्त प्रावधानों का राइट बैक	Write back of excess provisions		3.68
	अंतिम शेष	Closing balance		0.00
ञ/j)	प्रमुख उद्योग या काउंटर प्रकार के अनुसार	By major industry or counter type		
			एनपीए राशि / Amount of NPAs	प्रावधान/Provision
	शीर्ष 5 उद्योग	Top 5 Industries	111.45	111.45
ਟ∕k)	भौगोलिक क्षेत्रवार विश्लेषण	Geographic-wise breakup	सकल एनपीए / Gross NPA	प्रावधान/Provision
	घरेलू	Domestic	386.20	295.05

^{@ ₹ 7.33} करोड़ के ब्याज सस्पेंस को छोड़कर !₹ 8.49 करोड़ के ब्याज सस्पेंस को छोड़कर

[@]Excluding interest suspense of ₹ 7.33 crore lExcluding interest suspense of ₹ 8.49 crore



तालिका डीएफ-4ः मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिए क्रेडिट जोखिम प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरणः

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए:

बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी प्रभार की गणना के लिए जोखिम की रेटिंग और जोखिम भार निर्दिष्ट करने के उद्देश्य से निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को मान्यता दी है।

घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियांः

- क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई),
- क्रिसिल लिमिटेड
- आईसीआरए लिमिटेड,
- इंडिया रेटिंग्स (पूर्व में फिच इंडिया)
- ब्रिक्रवर्क्स
- एसएमईआरए

जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया जाता है:

उपर्युक्त सभी एजेंसियों को सभी प्रकार के जोखिमों की रेटिंग के लिए मान्यता प्राप्त है।

बैंकिंग पुस्तकों में तुलनीय परिसंपत्तियों पर सार्वजनिक निर्गम रेटिंग को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का विवरणः

- बैंक ने अनुमोदित बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई एक वर्ष तक की परिपक्वता वाली परिसंपत्तियों के लिए अल्पकालिक रेटिंग और एक वर्ष के बाद परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों के लिए दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग किया है।
- बैंक ने एक जोखिम के लिए एक सीआरए (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी)
 की एक रेटिंग और उसी प्रतिपक्ष पर एक अन्य जोखिम के लिए
 एक अन्य सीआरए की रेटिंग का उपयोग नहीं किया है, जब तक
 कि दिए गए जोखिम के लिए केवल एक रेटिंग उपलब्ध न हो।
- बैंक ₹ 20.00 करोड़ से अधिक की कुल स्वीकृत सीमा वाले नए क्रेडिट जोखिमों के मामले में आरबीआई द्वारा अनुमो. दित बाहरी एजेंसियों से रेटिंग प्राप्त करने के संबंध में बेसल मानदंडों का अनुपालन करेगा। हालांकि, ₹ 7.50 करोड़ और उससे अधिक तथा ₹ 20.00 करोड़ तक की कुल स्वीकृत ऋण सुविधाओं वाले उधारकर्ताओं से ऐसी रेटिंग प्राप्त करने / जमा करने के लिए एक वचनबद्धता प्राप्त की जानी है, जब भी नियामक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसकी आवश्यकता हो।
- बैंक ने मान्यता प्राप्त सीआरए से केवल मांगी गई रेटिंग का ही उपयोग किया है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः

(ख) बैंक के जोखिम की राशि- सकल प्रमुख जोखिम बकेट में

Table DF-4: Credit Risk Disclosures for portfolios subject to Standardized Approach

) Qualitative Disclosures

a) For portfolios under the Standardised Approach:

The Bank has recognized following credit rating agencies for the purpose of rating of an exposure & assigning risk weights for computation of capital charge under standardized approach.

Domestic credit rating agencies:

- Credit Analysis & Research Limited (CARE),
- CRISIL Limited,
- ICRA Limited.
- India Ratings (Formerly FITCH India)
- Brickwork
- SMERA

Types of exposure for which each agency is used:

All the above agencies are recognized for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- Bank has used short term ratings for assets with maturity up to one year and long term ratings for assets maturing after one year as accorded by the approved external credit rating agencies.
- Bank has not used one rating of a CRA (Credit Rating Agency) for one exposure and another CRA's rating for another exposure on the same counterparty unless only one rating is available for given exposure.
- The Bank will comply with the Basel norms in respect of obtaining rating from RBI approved external agencies in case of fresh credit exposures having aggregate sanctioned limit above ₹ 20.00 Crore. However, an undertaking from the borrowers having sanctioned aggregate credit facilities of ₹ 7.50 Crores and above and up to ₹ 20.00 Crores to be obtained for obtaining/submitting of such ratings as & when the same is required as per regulator's guidelines.
- Bank has used only solicited rating from the recognized CRAs.

(ii) Quantitative Disclosures

(b) Amount of the Bank's Exposures- Gross Advances



अग्रिम (रेटेड और अनरेटेड) — मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, जोखिम शमन (यानी संपार्श्विक) को ध्यान में रखने के बादः

निम्निलिखित तीन प्रमुख जोखिम बकेट में मानकीकृत दृष्टिकोण (रेटेड और अनरेटेड) के अधीन जोखिम शमन के बाद गैर—निधि आधारित सहित जोखिम की राशि निम्नानुसार है:

बकाया राशि (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	निधि आधारित 31.03.2025	निधीतर आधारित 31.03.2025
1	100% जोखिम भार से कम	2527.89	
2	100% जोखिम भार	1752.66	45.50
3	100% जोखिम भार से अधिक	85.07	
4	सीआरएम कटौती	595.75	27.35
	कुल एक्सपोजर	4961.37	72.85

तालिका डी.एफ.—5ः ऋण जोखिम न्यूनीकरणः मानकीकृत दृष्टिकोणों के लिए प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ: बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित संपार्श्विक प्रबंधन नीति है जो प्रक्रिया, उद्देश्य, स्वीकृत प्रकार के संपार्श्विक और प्रभावी संपार्श्विक प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली सिहत रूपरेखा निर्धारित करती है। संपार्श्विक और गारंटी को उचित रूप से लिया और प्रबंधित किया जाता है जो निम्न कार्य करेगाः

- अपेक्षित नकदी प्रवाह में अपर्याप्तता या नहीं होने के कारण ऋण सुविधा पर उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में पुनर्भुगतान का द्वितीयक स्रोत प्रदान करके जोखिम को कम करना;
- चूक की स्थिति में पुनर्भुगतान के स्रोत पर नियंत्रण प्राप्त करना;
- उधारकर्ता की बिगड़ती पुनर्भुगतान क्षमता की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करना; और
- जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुकूलन करना और अविशिष्ट जोखिमों को पर्याप्त रूप से संबोधित करना।

बैंक अपने सामने आने वाले ऋण जोखिमों को कम करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग करता है। बैंक की संपार्शिवक प्रबंधन प्रक्रिया और अभ्यास संपार्शिवक मूल्य की सुरक्षा और संरक्षण, संपार्शिवक और गारंटी की वैधता और मूल्यांकन/आविधक निरीक्षण सिहत संपूर्ण गतिविधियों को कवर करते हैं।

मुल्यांकन

बैंक द्वारा दिए गए ऋणों को सुरक्षित करने के लिए प्राप्त की गई संपत्तियों का मूल्यांकन बैंक द्वारा सूचीबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाता है। खातों की मौद्रिक सीमा, उधारकर्ता की संपत्ति का वर्गीकरण, जिसका मूल्यांकन किया जाना है, मूल्यांकन की आवधिकता, बैंकों की नीति दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई है। बैंक समय—समय पर मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा करता है।

(Rated & Unrated) in Major Risk Buckets -under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e. Collaterals):

The amount of exposure including non-fund based after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

Outstanding Amount (₹ in Crore)

S. No.	Particulars	Fund Based 31.03.2025	Non-Fund Based 31.03.2025
1	Below 100 % risk weight	2527.89	
2	100 % risk weight	1752.66	45.50
3	More than 100 % risk weight	85.07	
4	CRM Deducted	595.75	27.35
	Total Exposure	4961.37	72.85

Table Df-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

(i) Qualitative Disclosures

Policies and processes for collateral valuation and management: The Bank is having a Board approved collateral management policy which lays down the process, objectives, accepted types of collaterals and the framework including suitable management information system for effective collateral management. The Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Bank uses a number of techniques to mitigate the credit risks to which it is exposed. Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation /periodical inspection.

VALUATION:

Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Banks' policy guidelines. Bank reviews the guidelines on valuation periodically.



बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का विवरणः

बैंक द्वारा जोखिम कम करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले संपार्शिवक में शामिल हैं:

- 1. स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल आस्तियाँ।
- 2. भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी जैसी अचल संपत्तियां।
- 3. बैंक की अपनी जमाराशियाँ
- एनएससी, आईवीपी, केवीपी, सरकारी बॉन्ड, आरबीआई बॉन्ड, एलआईसी पॉलिसी, आदि।
- 5. गैर-निधि आधारित सुविधाओं के विरुद्ध नकद मार्जिन
- 6. सोने के आभूषण
- अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर

बैंक ने बैंक को दी जाने वाली प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर अच्छी नीति बनाई है। बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 3 से 6 में उल्लिखित प्रतिभूतियों को क्रेडिट जोखिम शमन के रूप में लागू किया है।

गारंटर प्रतिपक्ष के मुख्य प्रकार और उनकी साख योग्यताः

बैंक के ऋण जोखिम के विरुद्ध गारंटर के मुख्य प्रकार हैं:

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटी)
- कार्पोरेट्स
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- सीजीटीएमएसई

सीआरएम संपार्श्विक ज्यादातर बैंक की अपनी जमा राशि पर ऋण और सरकारी प्रतिभूतियों, एलआईसी पॉलिसियों/शेयरों पर ऋण में उपलब्ध हैं।

सीआरएम प्रतिभूतियाँ गैर—निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटी और साख पत्र में भी ली जाती हैं।

नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के तहत पूंजी की आवश्यकता को कम करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा क्रेडिट जोखिम शमन को मान्यता दी गई है।

बैंक ने नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के तहत पूंजी की आवश्यकता को कम करने के उद्देश्य से नकदी, बैंक की अपनी जमाराशियां, सोना और सोने के आभूषण, घोषित समर्पण मूल्य वाली एलआईसी पॉलिसियां, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों को क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन के रूप में मान्यता दी है।

DESCRIPTION OF THE MAIN TYPES OF COLLATERAL TAKEN BY THE BANK:

The collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of

- 1. Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
- 2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
- 3. Bank's own deposits
- NSCs, IVPs, KVPs, Govt. Bonds, RBI Bonds, LIC policies, etc.
- 5. Cash Margin against Non-fund based facilities
- 6. Gold Jewellery
- 7. Shares as per approved list

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank. The Bank has applied securities mentioned at sr.no.3 to 6 above as Credit Risk Mitigants.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness:

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are :

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate
- Central Government
- State Government
- CGTMSE

CRM collaterals are mostly available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies/ Shares.

CRM securities are also taken in non-fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework

The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery, LIC Policies with a declared surrender value, securities issued by Central and State Govts. as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework.



मात्रात्मक प्रकटीकरण ii)

राशि (₹ करोड़ में)

क्रं सं.	विवरण	31.03.2025
(ख)	कुल जोखिम (जहां लागू हो, बैलेंस शीट पर या बैलेंस शीट से बाहर नेटिंग के बाद) जो प्रत्येक अलग—अलग प्रकटित क्रेडिट जोखिम पोर्टफोलियो के लिए हेयरकट के आवेदन के बाद पात्र वित्तीय संपार्शिवक द्वारा कवर किया जाता है।	623.10
(ग)	कुल जोखिम (जहां लागू हो, बैलेंस शीट पर या बैलेंस शीट से बाहर नेटिंग के बाद) जो प्रत्येक अलग—अलग प्रकटित पोर्टफोलियो के लिए गारंटी /क्रेडिट डेरिवे. टिव (जब भी आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी जाती है) द्वारा कवर किया जाता है।	

तालिका डीएफ–6ः प्रतिभृतिकरण जोखिमः मानकीकृत दुष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

नीति दिशानिर्देश किसी भी प्रतिभूतिकरण जोखिम को शामिल नहीं करते

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

बैंकिंग बही

क्रं. सं.	विवरण	31.03.2025
	शून्य	

ट्रेडिंग बहीः

क्रं. सं.	विवरण	31.03.2025
	शून्य	

दिनांक 31.03.2025 तक बैंक के पास अपनी परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण का कोई मामला नहीं है।

तालिका डीएफ-7ः ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बाजार जोखिम को संभावित नुकसान के रूप में परिभाषित करता है जो बैंक को बाजार मूल्यों में प्रतिकूल विकास के कारण उठाना पड़ सकता है।

बैंक ने आरबीआए के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना के लिए एक उचित प्रणाली स्थापित की है, अर्थात, मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण। इस प्रकार गणना की गई पूंजी प्रभार को जोखिम भारित परिसंपत्तियों में परिवर्तित किया जाता है। सीआरएआर पर पहुंचने के लिए क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए एकत्रित जोखिम भारित परिसंपत्तियों को ध्यान में रखा जाता है।

संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना और संगठनः बैंक में बाजार जोखिम प्रबंधन संरचना निम्नानुसार हैः

Quantitative Disclosures

Amount (₹ in Crore)

S. No.	PARTICULARS	31.03.2025
(b)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	623.10
(c)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	

Table DF-6: Securitization Exposures: Disclosures for **Standardized Approach**

Qualitative disclosures

The policy guidelines do not undertake any securitization exposures.

(ii) Quantitative Disclosures

Banking Book

S.No. Particulars		31.03.2025
	NIL	

Trading Book

S.No.	Particulars	31.03.2025
	NIL	

The bank does not have any case of its assets securitised as on 31.03.2025.

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

(i) Qualitative Disclosures

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregated Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken in to consideration for arriving at the CRAR.

The structure and organization of the relevant risk management function: The Market Risk Management Structure in the Bank is as under:



- निदेशक मण्डल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- एल्को समिति
- आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति
- निवेश समिति
- निवेश और जोखिम विभाग

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	विवरण	पूंजी की आवश्यकता की राशि 31.03.2025
क)	ब्याज दर जोखिम	
ख)	इक्विटी स्थिति पर जोखिम	
ग)	विदेशी मुद्रा जोखिम	

तालिका डीएफ-8ः परिचालन जोखिम

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति और ठोस परिचालन प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होती है, जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, दृष्टिकोण, योग्यताएं, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आकस्मिक योजना शामिल होती है। बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए नीतियां बनाई जाती हैं।

संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना और संगठन

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन संरचना इस प्रकार है:

- निदेशक मण्डल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- आईआरएमसी (आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति)
- जोखिम प्रबंधक
- परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए सहायता समूह

जोखिम रिपोर्टिंग और / या मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र और प्रकृति

जोखिम रिपोर्टिंग में लोगों, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और बाहरी घटनाओं से संबंधि ति शाखाओं / कार्यालयों में हुई परिचालन जोखिम हानि घटनाएँ / घटनाएँ शामिल हैं।

जोखिम को कम करने और/या कम करने की नीतियाँ और हेजिंग/शमन की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ।

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियाँ लागू की हैं। नीति ढाँचे

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMC)
- ALCO Committee
- Internal Risk Management Committee
- Investment Committee
- Investment and Risk Department

ii) Quantitative Disclosures

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	Amount of capital requirement 31.03.2025
a)	Interest Rate Risk	
b)	Equity Position Risk	
c)	Foreign Exchange Risk	

Table DF-8: Operational Risk

i) Qualitative Disclosures

Strategies and processes:

The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function

The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- · Risk Management Committee of Board
- IRMC (Internal Risk Management Committee)
- Risk Managers
- Support Group for Operational Risk Management

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems

The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/ events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants

Bank has put in place policies for management of Operational



में परिचालन जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जैसे कि परिचालन जोखिम क्षेत्रों की पहचान, प्रबंधन, निगरानी एवं न्युनकरण।

गतिविधियों के आउटसोर्सिंग में निहित जोखिमों से निपटने के लिए, बैंक ने आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियाँ लागू की हैं।

परिचालन जोखिम पूंजी मूल्यांकन

बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरणः ii)

31.03.2025 को परिचालन जोखिम के लिए पूँजी प्रभार ₹ 65.58 करोड़ था तथा 31.03.2025 को परिचालन जोखिम के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ ₹ 570.23 करोड थीं।

तालिका डीएफ–9ः बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरणः

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जहां बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है। चूंकि बैंक का तूलन पत्र विभिन्न परिपक्वता / पूनः कीमत, करैन्सी, बाजार एवं बैंचमार्क दरों के प्रति संवेदनशील होता है और इन मानकों में कोई विपरीत घट-बढ़ बैंक को ब्याज दर जोखिम में डाल देती है। बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम बैंक की आय पर (लघू अवधि का प्रभाव) और शुद्ध संपति (दीर्घावधि प्रभाव) को दर्शाता है। ब्याज दर में विपरीत उतार-चढ़ाव के कारण इसका मापन मासिक आधार पर किया जाता है।

संगठनात्मक रुपरेखाः

बैंक की आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (एल्को), निदेशक मण्डल/ जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा स्थापित जोखिम सहनशीलता के अनुसार विकास, ब्याज दर जोखिम प्रबन्धन कार्ययोजना के कार्यान्वयन और प्रबन्धन के प्रति उत्तरदायी है।

कार्ययोजना और प्रक्रियाएं:-

बैंक उचित परिपक्वता मिलान के साथ अपनी उन आस्तियों और देयताओं की कीमतों के मिलान के लिये प्रयास करता है जो अलग–अलग समय में परिपक्व हो रही हैं या जिनकी पुनः कीमत लगायी जा रही है के लिए प्रयास करता है ताकि उनकी समय श्रेणी के अन्तर को कम किया जा सके। आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र के मदों जो दरों के प्रति संवेदनशील है घरेलू स्थिति के ब्याज दर जोखिम को मापने और उसके प्रबन्धन के लिए बैंक पारंपरिक अन्तर (अल्पावधि) विश्लेषण और ड्यूरेशन गैप विश्लेषण दोनों को लागू कर रहा है।

ब्याज दर जोखिम पुनः कीमत लगाने, प्राप्ति रेखा में परिवर्तन और आध गर जोखिम के कारण उत्पन्न होता है। बैंक का लक्ष्य इन जोखिमों जो परिपक्वता और पुनः कीमत लगाने के गलत मिलान की वजह से उत्पन्न

Risk management. The policy framework contains various aspects of Operational risk management such as identification, management, monitoring & mitigation of Operational risk

In order to address risks involved in Outsourcing of activities, bank has put in place policies for management of Outsourcing

Operational Risk capital assessment

The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.

(ii) Quantitative Disclosures

Capital charge for operational Risk as on 31.03.2025 was ₹ 65.58 Cr. and Risk Weighted Assets for Operational Risk as on 31.03.2025 was ₹ 570.23 Cr.

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book(IRRBB)

i) **Qualitative Disclosures**

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest rate risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. As the bank holds rate sensitive on and off balance- sheets items of different maturity/repricing, currencies, markets and benchmark rates, and any adverse movement in these parameters exposes bank to interest rate risk. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) reveals the impact on bank's earnings (short-term impact) and net worth (long-term impact) due to adverse movement of interest rates and is measured on a monthly basis.

Organizational Framework

Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible for developing, implementing and managing interest rate risk management strategy as per the risk tolerance established by the Board of Directors/Risk Management Committee.

Strategies and Processes

The Bank strives to match the price of its assets and liabilities coupled with proper maturity matching in-order to reduce the gap in different time buckets which are maturing or getting repriced. For measurement and management of interest rate risk, Bank adopts both the Traditional Gap Analysis (TGA) and the Duration Gap Analysis (DGA) to its domestic position of assets, liabilities and off-balance sheet items, which are rate sensitive.

The interest rate risk arises on account of re-pricing, yield curve change, basis risk. The Bank aims at capturing these risks arising from the maturity and re- pricing mismatches both



होते हैं को आय और आर्थिक मूल्य के परिपेक्ष में निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग करते हुए रोकना है।

अंतर विश्लेषणः ब्याज दर जोखिम को मापने का मूलभूत टूल ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी को दरों के प्रति संवेदनशील आस्तियों और दरों के प्रति संवेदनशील अास्तियों और दरों के प्रति संवेदनशील दायित्वों और तुलनपत्र के अलग—अलग समय श्रेणी के विभिन्न मदों को समूहीकृत करके बची हुई परिपक्वता के अनुसार या अगली पुनः कीमत लगाने जो पहले हो विवरणी बनाना और शुद्ध अन्तर पर पहुंचना है।

एक सकारात्मक या आस्ति संवेदनशील अंतर का मतलब है बाजार में ब्याज दर में वृद्धि जिसके परिणाम स्वरुप शुद्ध ब्याज आय में वृद्धि हो। एक नकारात्मक या देयता के प्रति संवेदनशील अंतर यह सूचित करता है कि बाजार ब्याज दरों में वृद्धि के परिणामस्वरुप बैंक की शुद्ध ब्याज आय में कमी आ रही है।

- 2. जोखिम से आयः जोखिम से आय सूचित करती है कि क्या बैंक इस स्थिति में है कि वह सकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याज दर में वृद्धि से लाभ कमा सके या नकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याज दर में कमी से लाभ कमा सके। ब्याज दर में समानान्तर शिफ्ट के कारण आय पर पुनः कीमत लगाने के जोखिम के प्रभाव का विभिन्न दर समूहों पर आकलन किया जाता है।
- 3. इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई): बदलती हुई ब्याज दर का दीर्घ अवधिप्रभाव बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) या शुद्ध सम्पति (नेट वर्थ) पर होता है क्योंकि बैंक की आस्तियों का आर्थिक मूल्य, देयताएं और तुलन पत्र की स्थिति बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण प्रभावित होते हैं। समूचे बैंक में संवेदनशील परिस्थितियों में ब्याज दर में परिवर्तन से निर्धारित रेट—शाक के परिणाम स्वरुप इक्विटी के बाजार मूल्य में आकलित कमी अवधि अन्तर विश्लेषण (डी.जी.ए.) द्वारा अनुमानित है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः

आय जोखिम (परम्परागत अन्तर विश्लेषण) (लघु अविध) :

बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के त्वरित प्रभाव का विश्लेषण इसके द्वारा किया जाता है। घरेलू परिचालन के लिए जोखिम से आय का विश्लेषण विभिन्न परिदृश्यों के अन्तगर्त निम्नानुसार किया जाता है।

- प्राप्ति रेखा (कर्व) जोखिमः आस्ति और देयताओं के लिये 02
 प्रतिशत का समानान्तर परिवर्तन (शिफ्ट) मान लिया गया है।
- आस्तियों के लिये समूहवार विभिन्न प्राप्ति परिवर्तनों को मान लिया
 गया है और यही बात देयताओं के लिये भी लागू होती है।

(₹ करोड़ में)

		(
आय पर जोखिम	–200 बीपीएस	200 बीपीएस
	-29.46	29.46

from earnings perspective and economic value perspective using techniques viz.,

1. Gap Analysis: The basic tool for measuring interest rate risk is preparation of Interest Rate Sensitivity Statement (IRS) by grouping various items of Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) and off balance-sheet items into different time buckets according to the residual maturity or next re-pricing, whichever is earlier and arriving at the net gap (i.e., RSA - RSL).

A positive or asset sensitive Gap means that an increase in market interest rates result in an increase in NII. Conversely, a negative or liability sensitive Gap implies that the Bank's NII could decline as a result of increase in market interest rates.

- 2. Earnings at Risk (EaR): Earnings at Risk (EaR) indicates whether the bank is in a position to benefit by the rise in interest rate by having positive gap or benefits by fall in interest rate by having a negative gap. The impact of repricing risk on the earnings due to the parallel shift in interest rate is assessed for different rate shocks. Impact on the earnings is also estimated for yield curve change and basis risk.
- 3. Market Value of Equity (MVE): A long-term impact of changing interest rates is on bank's Market Value of Equity (MVE) or Net-worth as the economic value of bank's assets, liabilities and off balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates. The estimated drop in the Market Value of Equity (MVE) as a result of prescribed rate shock is estimated by the Duration Gap Analysis (DGA) arising from changes in the value of interest rate sensitive positions across the whole Bank.

(ii) Quantitative Disclosures

Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach. The Earning at Risk is analyzed under different scenarios for domestic operations as under:

- Yield curve risk: A parallel shift of 2% is assumed for assets as well as liabilities.
- Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.

(₹ in Crore)

Earning at Risk	-200 bps	200 bps
	-29.46	29.46



इक्विटी का आर्थिक मुल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण) (दीर्घावधि)

इक्विटी का आर्थिक मूल्य परिसंपत्तियों की संशोधित अवधि और देनदारियों की गणना करके इक्विटी की संशोधित अवधि पर पहुंचने के लिए किया जाता है। अवधि अंतराल विधि के माध्यम से घरेल परिचालन के लिए मासिक अंतराल पर 200 बीपीएस दर के झटके के लिए इक्विटी के आर्थिक मुल्य पर प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन	–200 बीपीएस	200 बीपीएस
	(-)3.00%	3.00%

तालिका डीएफ-10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम उसे कहा जाता है जिसमें प्रतिपक्षी नकदी प्रवाह के फाइनल निपटान से पहले अपना संव्यवहार पुरा कर लेता है। यह डेरीवेटिव तथा प्रतिभृति वित्तपोषण संव्यवहार के लिए जोखिम का प्रमुख स्रोत है। इसी प्रकार लोन के माध्यम से ऋण जोखिम के संबंध में बैंक का एक्सपोजर के समान ही जहां ऋण जोखिम संबंधी एक्सपोजर एक पक्षीय है और इसमें उधार देने वाला बैंक हानि–जोखिम का सामना करता है। प्रतिपक्षी ऋण जोखिम द्विपक्षीय है अर्थात संव्यवहार का बाजार मूल्य प्रतिपक्षी संव्यवहार से इतर पाजीटिव या निगेटिव हो सकता है और बाजार घटकों के संचालन के साथ ही भिन्न हो सकता है।

चूक के समय यदि संव्यवहार या प्रतिपक्षी के साथ संव्यवहार पोर्टफोलियों में सकारात्मक आर्थिक मूल्य परिलक्षित होते हैं तो आर्थिक हानि उठानी पड सकती है।

बैंक किसी पार्टी को डेरीवेटिव उत्पाद देने से पहले सुनिश्चित करता है कि सभी गुणवत्ताओं–अर्थात् केवाईसी मानदंडों, संतुष्टिपूर्ण व्यवहारों, पार्टी की ऋण पात्रता का पालन किया जाए।

मात्रात्मक प्रकटीकरण ii)

राशि ₹ करोड में

क्र. सं.	विवरण	कल्पित राशि 31.03.2025	वर्तमान एक्सपोजर 31.03.2025
1	फॉरवर्ड फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स		
2	करेंसी पयूचर		
3	करेंसी ऑप्शन		
4	ब्याज दर फ्यूचर		
5	क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप		
6	सिंगल करेंसी ब्याज दर स्वैप		
	कुल		

Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

Economic Value of Equity is done by calculating modified duration of assets and the liabilities to arrive at the modified duration of equity. Impact on the Economic Value of Equity is analyzed for a 200 bps rate shock at monthly intervals for domestic operations through Duration Gap Method.

Change in Economic Value of Equity	-200 bps	200 bps
Change in Economic value of Equity	(-)3.00%	3.00%

Table DF-10: General Disclosures for exposures related to **Counterparty Credit Risk**

Qualitative Disclosures

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.

Banks ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party.

(ii) Quantitative Disclosures

(Amount ₹in Crore)

S. No.	Particulars	Notional Amount 31.03.2025	Current Exposure 31.03.2025
1	Forward forex Contracts		
2	Currency Future		
3	Currency Options		
4	Interest rate future		
5	Cross Currency Interest Rate Swap		
6	Single Currency Interest Rate Swap		
	Total		



सारणी डीएफ—11: पूंजी की संरचना Table DF-11: Composition of Capital भाग ।: टेम्पलेट का उपयोग केवल 31 मार्च, 2025 से किया जाएगा Part I: Template to be used only from March 31, 2025

(₹ मिलियन में) / **(₹ in Million)**

	(₹ मिलियन में) / (₹ in Mil l			
क्र. सं. S. No.	सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां Basel III common disclosure template to be used from 31st March, 2017			संदर्भ सं./ Ref No
	न्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां non Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	सीधे जारी की गयी अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टाक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	2548.66	a = a1 + a2
2	प्रतिधारित आय	Retained earnings		
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियां)	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	5893.19	
4	सीईटी 1 से धीरे-धीरे समाप्त होने के आधीन सीधे जारी की गयी पूंजी (केवल गैर संयुक्त स्टाक कम्पनियों के लिए लागू)	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गयी और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	8441.85	
1	न्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन non Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	Prudential valuation adjustments		
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	Goodwill (net of related tax liability)		
9	अमूर्त (शुद्ध संबंधित कर देयता)	Intangibles (net of related tax liability)	184.81	
10	आस्थगित कर संपत्ति	Deferred tax assets		
11	नकदी–प्रवाह हेज रिजर्व	Cash-flow hedge reserve		
12	अपेक्षित हानिं के लिए प्रावधानों की कमी	Shortfall of provisions to expected losses		
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	Securitisation gain on sale		
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हांनि	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	परिभाषित—लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति	Defined-benefit pension fund net assets		
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर क्रास–होल्डिंग	Reciprocal cross-holdings in common equity		
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्टपोजिशन (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि, संबंधित कर देयता का निवल)	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	Amount exceeding the 15% threshold		
23	जिनमें सेः वित्तीय संस्थाओं के समान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	of which: significant investments in the common stock of financial entities		
24	जिनमें सेः मार्टगेज सर्विसिंग अधिकार	of which: mortgage servicing rights		
25	जिनमें सेः अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थगितकर आस्तियां	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		



화 .				संदर्भ
₹.	सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां	2017		सं./
S. No.	Basel III common disclosure template to be used from 31st March, 2017 Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			Ref No
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (२६ए + २६बी + २२६सी २६डी)	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
26a	जिसमें सेः असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries		
26b	जिसमें सेः असमेकित गैर—वित्तीय सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries		
26c	जिसमें सेः बैंक के साथ गैर—समेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं के ईक्विटी पूंजी में कमी	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
26d	जिसमें सेः अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	of which: Unamortised pension funds expenditures		
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	184.81	
29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	8257.04	
अतिर्ा	रेक्त टियर 1 पूंजीः लिखत / Additional Tier 1 capital: instruments			
30	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31 + 32)	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)		
31	जिसमें सेः लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रुपमें वर्गीकृत (सतत गैर–संचयी अधिमानी शेयर)	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)		
32	जिसमें सेः लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रुप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रुप से बाहर (फंज आउट) होने के आधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1		
34	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी 1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी1 लिखत)	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)		
35	जिसमें सेः चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
36				
अतिरिक्त टियर पूंजी 1: विनियामक समायोजन Additional Tier 1 capital : regulatory adjustments				
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रास–होल्डिंग्स	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिकका स्वामित्व नहीं है।	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन का निवल।	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (४१ए + ४१बी)	National specific regulatory adjustments (41a+41b)		
41a	जिनमें सेः गैर—समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	Of which: Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
41b	बहमुत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	Of which: Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital		
	·			



æ	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल— III सामान्य प्र	करीकाण वासिका		
क्र. सं.	सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां		संदर्भ	
S.	Basel III common disclosure template to be used from 31st March, 2017			सं. / Ref No
No.	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			IVEL 140
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी11)	Additional Tier 1 capital (AT1)	0.00	
45	टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44)	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44)	8257.04	
1	् 2 पूंजीः लिखत एवं प्रावधान ! capital: instruments and provisions			
46	सीधे जारी किए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टाक अधिशेष	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	टियर 2 पूंजी से चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2		
48	अनुषंगियों द्वारा जारी किये गये एवं ततृीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समहू टियर 2 में अनमुत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीइटी1 और एटी1 लिखत)	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
49	जिनमें सेः चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए लिखत	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
50	प्रावधान	Provisions	481.52	
51	विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी	Tier 2 capital before regulatory adjustments	481.52	
	2 पूंजीः विनियामक समायोजन			
	capital: regulatory adjustments			
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश	Investments in own Tier 2 instruments		
53 54	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रास—होल्डिंग्स	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments Investments in the capital of banking, financial and insur-		
34	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है।	ance entities that are outside the scope of regulatory con- solidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश कापात्र शार्ट पोजिशन निवल	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	जिसमें से: गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries		
56b	जिसमें सेः बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital		
58	टियर 2 पूंजी (टी2)	Tier 2 capital (T2)	481.52	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)	8738.56	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	52123.81	
60a	जिसमें सेः कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां	of which: total credit risk weighted assets	46183.42	
60b	जिसमें सेः कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	of which: total market risk weighted assets	238.08	
60c	जिसमें सेः कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	of which: total operational risk weighted assets	5702.31	
पूंजी				
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	15.84%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	15.84%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	16.76%	



			ı	
क्र. सं. S. No.	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल— III सामान्य प्र सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां Basel III common disclosure template to be used from 31st March Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			संदर्भ सं./ Ref No
64	संस्था विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी1 अपेक्षा और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में व्यक्त)	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	8.00%	
65	जिसमें सेः पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षाएं	of which: capital conservation buffer requirement	2.50%	
66	जिसमें सेः बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं	of which: bank specific countercyclical buffer requirement		
67	जिसमें सेः जी–एसआईबी बफर अपेक्षाएं	of which: G-SIB buffer requirement		
68	बफर की अपेक्षा पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	7.84%	
	य न्यूनतम (बासेल III से भिन्न हो तो) onal minima (if different from Basel–III)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.00%	Including CCB
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.50%	Including CCB
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	11.50%	Including CCB
	ती के लिए अधिकतम सीमा के नीचे की राशि (जोखिम भार से unts below the thresholds for deduction (before risk weighting)	पहले)		
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर—महत्वपूर्ण निवेश	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टाक में महत्वपूर्ण निवेश	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	मार्टगेज सर्विसिंग राइट्स (संबंधित कर देयता का निवल)	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	अस्थायी भिन्नताओं से उत्पन्न आस्थिगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
	2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने पर लागू सीमाएं (कैप्स) icable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के आधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	481.52	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा पर कैप	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के आधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		
	आऊट व्यवस्थाओं के आधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 201 al instruments subject to phase-out arrangements (only applicable			
80	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन सीईटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements		
81	कैप के कारण सीईटी 1 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
82	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन एटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements		



क्र. सं. S. No.	सं. सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां S. Basel III common disclosure template to be used from 31st March, 2017		संदर्भ सं./ Ref No
83	कैप के कारण एटी 1 में शामिल नहीं की गई राशि (भूनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	
84	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन टी 2 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	
85	कैप के कारण टी 2 में नहीं शामिल की गई राशि (भूनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	

टेम्प्लेट के लिए नोट/NOTES TO THE TEMPLATES

टेम्प्लेट की पंक्ति सं. Row No. of the template	विवरण / Pari	(रु. मिलियन में) / (₹ in Million)	
10	संचित हानियों से संबद्ध आस्थागित कर आस्तियां	Deferred tax assets associated with accumulated losses	
	आस्थिगित कर देयता से घटाई गई (संचित हानियों से जुड़ी हुई को छोड़कर आस्थिगित कर आस्तियां	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	
	पंक्ति 10 में इंगित किये गये कुल	Total as indicated in row 10	
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों को पूंजी से पूरी तरह नहीं घटाया गया और उसकी बजाय कटौती की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत मान्य किया गया तो बैंक की पूंजी में परिणामी वृद्धि	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	
	जिसमें सेः सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	जिसमें सेः अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	
	जिसमें सेः टियर 2 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Tier 2 capital	
26 बी / b	यदि गैर-समेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश को नहीं घटाया गया और इसलिए जोखिम भार लगाया गया तोः	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	
	i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	(ii) Increase in risk weighted assets	
50	50 टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान Eligible Provisions included in Tier 2 capital		481.52
टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन रिजर्व Eligible Revaluation Reserves include capital		Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	
	पंक्ति 50 का कुल	Total of row 50	481.52

सारणी डीएफ—12: पूंजी की संरचना—मिलान संबंधी अपेक्षाएं Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements चरण 1/Step 1

				समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
Α	पूंजी तथा देयताएं	Capital & Liabilities		
i	प्रदत्त पूंजी	Paid-up Capital	1174.46	1174.46



			I	
			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र रिपोटिंग तिथि की रिथति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	Reserves & Surplus	7597.30	7597.30
	अल्प शेयर धारियों को ब्याज	Minority Interest		
	कुल पूंजी	Total Capital	8771.76	8771.76
ii	जमाराशियां	Deposits	82558.19	82558.19
	जिनमें सेः बैंकों की जमाराशियां	of which: Deposits from banks	3945.40	3945.40
	जिनमें सेः ग्राहकों की जमाराशियां	of which: Customer deposits	78612.79	78612.79
l I	जिनमें सेः अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Other deposits (pl. specify)		
iii	उधार	Borrowings	0.00	0.00
	जिनमें से:भारतीय रिजर्व बैंक से	of which: From RBI		
	जिनमें से: बैंकों से	of which: From banks	0.00	0.00
	जिनमें सेः अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	of which: From other institutions & agencies		
	जिनमें सेः अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Others (pl. specify)		
	जिनमें सेः पूंजी लिखत	of which: Capital instruments		
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities & provisions	2274.87	2274.87
	कुल	Total	93604.82	93604.82
В	आस्तियां	Assets		
	नकद एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	4817.02	4817.02
l I	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balance with banks and money at call and short notice	16671.68	16671.68
iii	निवेश:	Investments:	18568.86	18568.86
	जिनमें सेः सरकारी प्रतिभूतियां	of which: Government securities	17576.00	17576.00
	जिनमें सेः अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	of which: Other approved securities		
	जिनमें सेः शेयर	of which: Shares		
	जिनमें सेः डिबेंचर तथा बाण्ड	of which: Debentures & Bonds	992.86	992.86
	जिनमें सेः अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates		
	जिनमें सेः अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड आदि)	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds & shares etc.)		
	घटा मूल्यहास	Less Depreciation		
iv	ऋण तथा अग्रिम	Loans and advances	0.00	0.00
	जिनमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to banks	48191.26	48191.26
	जिनमें सेः ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to customers	3012.82	3012.82
-	` `		700 59	790.58
	समायोजन मदें	Netting items	790.58	790.36



			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र रिपोटिंग तिथि की रिथति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
vi	अन्य आस्तियां	Other assets	36.81	36.81
	जिनमें सेः साख (गुडविल) तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets		
	जिनमें सेः आस्थगित कर आस्तियां	of which: Deferred tax assets		
vii	समेकन पर गुडविल	Goodwill on consolidation		
viii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	Debit balance in Profit & Loss account		
	कुल आस्तियां	Total Assets	93068.22	93068.22

चरण 2/**Step 2**

				समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
Α	पूंजी तथा देयताएं	Capital & Liabilities			
i	प्रदत्त पूंजी	Paid-up Capital	1174.46	1174.46	a1
	जिसमें सेः सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	of which: Amount eligible for CET1	1174.46	1174.46	
	जिसमें सेः एटी 1 के लिए पात्र राशि	of which: Amount eligible for AT1			
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	Reserves & Surplus	7597.30	7597.30	
	जिसमें सेः	of which:			
	– सांविधिक आरक्षितियां	- Statutory Reserve	2104.25	2104.25	
	– शेयर प्रीमियम	- Share Premium	1374.19	1374.19	a2
	– केपिटल रिजर्व	- Capital Reserve	213.53	213.53	
	• स्थाई आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन	 Revaluation of Fixed Assets 	213.53	213.53	
	• अन्य आरक्षितियां	Other Reserve	0.00	0.00	
	– रेवेन्यू और अन्य आरक्षितियां	- Revenue and Other Reserve	3905.33	3905.33	
	• आरक्षिति या खराब और संदिग्ध ऋण	Reserve or Bad and Doubtful Debts	0.00	0.00	
	• अन्य आरक्षिति—आस्थगित कर	Other reserve-deferred tax	0.00	0.00	
	– अन्य आरक्षिति	Other Reserve	3367.84	3367.84	
	• निवेश उतार—चढ़ाव आरक्षित	Investment Fluctuation Reserve	212.47	212.47	
	• एएफएस रिज़र्व	Afs Reserve	36.11	36.11	
	• निवेश प्रारक्षित निधि खाता	Investment Reserve Account			
	• धारा 36 के अन्तर्गत विशेष आरक्षित	Special reserve u/s36	288.91	288.91	
	– लाभ एवं हानि खाता में संतुलन	– Balance in Profit & Loss Account			
	– वर्तमान समय हानि	- Current period Loss			
	कुल पूंजी	Total Capital	8771.76	8771.76	



			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
ii	जमाराशियां	Deposits	82558.19	82558.19	
	जिनमें सेः बैंकों की जमाराशियां	of which: Deposits from banks	3945.40	3945.40	
	जिनमें सेः ग्राहक की जमाराशियां	of which: Customer deposits	78612.79	78612.79	
	जिनमें से:अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Other deposits (pl. specify)			
iii	उधार	Borrowings	0.00	0.00	
	जिनमें सेः भारतीय रिजर्व बैंक से	of which: From RBI			
	जिनमें सेः बैंकों से	of which: From banks	0.00	0.00	
	जिनमें सेः अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	of which: From other institutions & agencies	0.00	0.00	
	जिनमें सेः अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Others (pl. specify)			
	जिनमें सेः पूंजी लिखत	of which: Capital instruments			
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities & provisions	2274.87	2274.87	
	जिनमें से:गुडविल से संबंधित डीटीएल	of which: DTLs related to goodwill			
	जिनमें सेः अमूर्त आस्तियों से संबंधित मांग तथा मीयादी देयताएं	of which: DTLs related to intangible assets			
	कुल	Total	93604.82	93604.82	
В	आस्तियां	Assets			
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	4817.02	4817.02	
ii	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balance with banks and money at call and short notice	16671.68	16671.68	
iii	निवेश:	Investments:	18568.86	18568.86	
	जिनमें सेः सरकारी प्रतिभूतियां	of which: Government securities	17576.00	17576.00	
	जिनमें सेः अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	of which: Other approved securities			
	जिनमें सेः शेयर	of which: Shares			
	जिनमें सेः डिबेंचर तथा बाण्ड	of which: Debentures & Bonds	992.86	992.86	
	जिनमें सेः अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates			
	जिनमें सेः अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड आदि)	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds, shares etc.)			
	घटा मूल्यह्रास	Less Depreciation			
iv	ऋण तथा अग्रिम	Loans and advances	46639.37	46639.37	
	जिनमें से:बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to banks	0.00	0.00	
	जिनमें सेः ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to customers	49698.63	49698.63	
	समायोजन मदें	Netting items	3059.26	3059.26	



	f		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
V	अचल आस्तियां	Fixed assets	745.58	745.58	
	जिनमें सेः गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets	184.81	184.81	
vi	अन्य आस्तियां	Other assets	6162.30	6162.30	
	जिनमें सेः गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets			
	जिनमें सेः आस्थगित कर आस्तियां	of which: Deferred tax assets			
vii	समेकन पर गुडविल	Goodwill on consolidation			
viii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	Debit balance in Profit & Loss account			
	कुल आस्तियां	Total Assets	93604.82	93604.82	

चरण 3 / Step 3

बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेंम्प्लेट (जोड़े गए स्तंभ सहित) का उद्धरण —सारणी डीएफ—11 (भाग I/II जो भी लागू हो) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजीः लिखत तथा आरक्षित निधियां

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable) Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

			बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक Component of regulatory capital reported by bank	चरण 2 से समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के संदर्भ संख्या / पत्रों पर आधारित स्रोत Source based on reference numbers /letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolida- tion from step 2
1	सीधे निर्गमित किये गये अर्हक सामान्य शेयर (तथा संयुक्त-गैर-स्टाक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टाक अधिशेष का जोड़	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock com- panies) capital plus related stock surplus	2548.66	अ1 व अ2 a1 & a2
2	प्रतिधारित आय	Retained earnings		
3	संचयित अन्य व्यापक आय आरक्षित (तथा अन्य निधियां)	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	5708.38	
4	सीईटी1 से हटाए जाने के अधीन सीधे निर्गमित पूंजी (केवल असंयुक्त नान स्टाक कंपनियों पर लागू)	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	अनुषंगी संस्थाओं द्वारा निर्गमित तथा थर्ड पार्टी द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	8257.04	
7	विवेकपूर्ण मूल्यन समायोजन	Prudential valuation adjustments		
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	Goodwill (net of related tax liability)		



सारणी डीएफ—13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

बैंक ने किसी प्रकार की विनियामक पूंजी लिखत जारी नहीं किए हैं। Bank has not issued any kind of regulatory instruments.

बैंक ने किसी प्रकार की विनियामक पूंजी लिखत जारी नहीं किए हैं Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	जारीकर्ता	Issuer
2	युनीक आइडेंटिफायर (उदाहरण, निजी प्लेसमेंट के लिए CUSIP, ISIN या Bloomberg आइडेंटिफायर	Unique identifier (e.g., CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)
3	साधन के शासी कानून (ओं)	Governing law(s) of the instrument
नियामव	क उपचार/Regulatory treatment	
4	ट्रांज़िशनल बेसल III नियम	Transitional Basel III rules
5	पोस्ट ट्रांज़िशनल बेसल III नियम	Post-transitional Basel III rules
6	एकल / समूह / समूह – एकल में पात्र	Eligible at solo/group/ group & solo
7	उपकरण प्रकार	Instrument type
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (सबसे हालिया रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, ₹ मिलियन में)	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)
9	साधन का बराबर मूल्य	Par value of instrument
10	लेखांकन वर्गीकरण	Accounting classification
11	जारी करने की मूल तिथि	Original date of issuance
12	शाश्वत या दिनांकित	Perpetual or dated
13	मूल परिपक्वता तिथि	Original maturity date
14	जारीकर्ता कॉल पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन	Issuer call subject to prior supervisory approval
15	वैकल्पिक कॉल तिथि, आकस्मिक कॉल तिथियां और रिडम्पशन राशि	Optional call date, contingent call dates and redemption amount
16	बाद की कॉल तिथियां, यदि लागू हो	Subsequent call dates, if applicable
कूपन/	लामांश/Coupons / dividends	
17	फिक्स्ड या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	Fixed or floating dividend/coupon
18	कूपन दर और कोई भी संबंधित सूचकांक	Coupon rate and any related index
19	लाभांश डाट का अस्ति	Existence of a dividend stopper
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
21	रिडीम करने के लिए स्टेप अप या अन्य प्रोत्साहन का अस्तित्व	Existence of step up or other incentive to redeem
22	गैर-संचयी या संचयी	Noncumulative or cumulative
23	परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	Convertible or non-convertible
24	यदि परिवर्तनीय है, तो रूपांतरण ट्रिगर	If convertible, conversion trigger(s)
25	यदि परिवर्तनीय है, तो पूरी तरह या आंशिक रूप से	If convertible, fully or partially
26	यदि परिवर्तनीय है, तो रूपांतरण दर	If convertible, conversion rate
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	If convertible, mandatory or optional conversion
28	यदि परिवर्तनीय है, तो उपकरण प्रकार निर्दिष्ट करें जो इसमें परिवर्तनीय है	If convertible, specify instrument type convertible into



29	यदि परिवर्तनीय है, तो उस उपकरण के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें जिसमें वह परिवर्तित होता है	If convertible, specify issuer of instrument it converts into
30	राइट—डाउन सुविधा	Write-down feature
31	यदि लिखें, तो लिखें–डाउन ट्रिगर	If write-down, write-down trigger(s)
32	यदि लिखें, पूर्ण या आंशिक	If write-down, full or partial
33	यदि लिखें, स्थायी या अस्थायी	If write-down, permanent or temporary
34	यदि अस्थायी राइट–डाउन है, तो राइट–अप तंत्र का विवरण	If temporary write-down, description of write-up mechanism
35	परिसमापन में अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (साधन के लिए तुरंत वरिष्ठ उपकरण प्रकार निर्दिष्ट करें)	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)
36	गैर–अनुपालन संक्रमणित सुविधाएँ	Non-compliant transitioned features
37	यदि हाँ, तो गैर–अनुपालन सुविधाएँ निर्दिष्ट करें	If yes, specify non-compliant features

सारणी डी.एफ. 16: इक्विटीज: बैंकिंग बुक स्थिति का प्रकटीकरण DF-16: Equities- Disclosure for Banking Book Positions as on 31.03.2025

गुणात्मक प्रकटीकरण /Qualitative Disclosures:

1	इक्विटी जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण, जिसमें शामिल हैं: The general qualitative disclosure with respect to equity risk, including:	
	ऐसे निवेशों के बीच अंतर, जिन पर पूँजीगत लाभ की अपेक्षा की जाती है, और ऐसे निवेश जो अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत, जैसे संबंध या रणनीतिक कारणों से, लिए जाते हैं	
	Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons	Bank does not have any equities under banking book
	बैंकिंग बुक में इक्विटी निवेश के मूल्यांकन और लेखांकन को कवर करने वाली महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इसमें प्रयुक्त लेखांकन तकनीकें और मूल्यांकन पद्धतियाँ, प्रमुख मान्यताएँ और मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली प्रथाएँ, साथ ही इन प्रथाओं में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं	बैंक के पास बैंकिंग बुक के अंतर्गत कोई इक्विटी नहीं है।
	Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book- This includes the accounting techniques and valuation methodologies used] including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant	Bank does not have any equities under banking book

गुणात्मक प्रकटीकरण /Qualitative Disclosures:

		रुपये (मिलियन में) (₹ in Million)	
		पुस्तकीय मूल्य BOOK VALUE	उचित मूल्य FAIR VALUE
1	निवेशों का बैलेंस शीट में प्रकटीकृत मूल्य तथा उन निवेशों का उचित मूल्य; सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए, जहाँ उचित मूल्य से शेयर मूल्य में भिन्नता महत्वपूर्ण हो, वहाँ सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों से तुलना। Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.		
	जिनमें सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्य, जहाँ शेयर मूल्य और उचित मूल्य में महत्वपूर्ण भिन्नता हो। Of which Publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.		
2	निवेशों के प्रकार और प्रकृति, जिसमें निम्न के रूप में वर्गीकृत की जा सकने वाली राशि शामिल हैः The types and nature of investments including the amount that can be classified as		
	सार्वजनिक रूप से कारोबार की जाने वाली / Publicly traded		
	निजी स्वामित्व वाली / Privately held		



		रुपये (मि (₹ in N	लियन में) Iillion)
		पुस्तकीय मूल्य BOOK VALUE	उचित मूल्य FAIR VALUE
3	रिपोर्टिंग अवधि में बही और परिसमापन से उत्पन्न संचयी वास्तविक लाभ (हानि) The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period		
4	कुल अप्राप्त लाभ (हानि)1 Total unrealised gains (losses)1		
5	कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)2 Total latent revaluation gains (losses)2		
6	उपरोक्त में से कोई भी राशि जो टियर 1 और / या टियर 2 पूँजी में शामिल हो Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.		
7	उपयुक्त इक्विटी समूहों के अनुसार पूँजी आवश्यकताएँ, जो बैंक की कार्यप्रणाली के अनुरूप हों, साथ ही नियामक पूँजी आवश्यकताओं के संबंध में किसी भी पर्यवेक्षी संक्रमण या ग्रैंडफादरिंग प्रावधान के अंतर्गत आने वाले इक्विटी निवेशों की कुल राशि और प्रकार Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.		

- 1 अप्राप्त लाभ (हानि) जो बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है, परंतु लाभ-हानि खाते में नहीं।
- 2 अप्राप्त लाभ (हानि) जो न तो बैलेंस शीट में और न ही लाभ–हानि खाते में मान्यता प्राप्त है।
- 1 Unrealised gains (losses) recognised in the balance sheet but not through the profit and loss account.
- 2 Unrealised gains (losses) not recognised either in the balance sheet or through the profit and loss account

लीवरेज अनुपात प्रकटीकरण

बेसल III लीवरेज अनुपात को पूँजी माप (जोखिम—आधारित पूँजी ढाँचे की टियर—1 पूँजी) को एक्सपोज़र माप से विभाजित करके परिभाषित किया जाता है, और इस अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। बैंक को न्यूनतम 3.50% का लीवरेज अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च 2025 को बैंक के लिए लीवरेज अनुपात के प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

Leverage Ratio Disclosures

The Basel III leverage ratio is defined as the capital measure (Tier-1 capital of the risk based capital framework) divided by the exposure measure, with this ratio expressed as a percentage. The Bank is required to maintain a minimum leverage ratio of 3.50%. As per RBI guidelines, disclosures required for leverage ratio for the Bank as of **March 31st, 2025** is as follows:

सारणी डीएफ 17— लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन का तुलनात्मक सारांश DF-17: Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure

क्र.सं. S.No.	मद / Item		रुपये (मिलियन में) (₹ in Million)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	Total consolidated assets as per published financial statements	93604.82
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में ऐसे निवेश के लिए समायोजन जो विनियामक समेकन के दायरे के बाहर हैं तथापि लेखांकन प्रयोजनों के लिए जिनका समेकन किया गया है।	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	
3	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुसार तुलन पत्र की मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन जिन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं किया गया है।	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिये समायोजन	Adjustments for derivative financial instruments	
5	प्रतिभूतियों के वित्तीयन संबंधी लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात् रेपो और इसी तरह की सुरक्षित उधार)	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	



क्र.सं. S.No.	मद / Item		रुपये (मिलियन में) (₹ in Million)
6	तुलनपत्रेतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की राशि के समकक्ष क्रेडिट में रुपांतरण)	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	7835.31
7	अन्य समायोजन	Other adjustments	-5001.52
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	Leverage ratio exposure	96438.61


सारणी डीएफ 18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट Table DF-18: Leverage Ratio Common Disclosure Template

क्रं. सं. S. No.		लीवरेज अनुपात संरचना Leverage ratio framework	
	तुलनपत्र का एक्सपोजर	On-balance sheet exposures	
1	तुलनपत्र पर मौजूद मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोड़कर परन्तु संपार्शिवक को शामिल करते हुए)	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	93604.82
2	(बेसल IIII टियर 1 पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्तियों की राशि)	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	0.00
3	तुलनपत्र पर मौजूद कुल एक्सपोजर (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	93604.82
	डेरिवेटिव एक्सपोजर	Derivative exposures	
4	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़ी प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी रुपांतरण मार्जिन का कुल जोड़)	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	0.00
5	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़े पीएफई के लिए पूरक राशि	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	0.00
6	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुरुप तुलनपत्र आस्तियों से घटाए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए समग्र प्रावधान	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0.00
7	(डेरिवेटिव लेनदेनों में दर्शाए गए नकदी घट—बढ़ मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0.00
8	(ग्राहक—समाशोधित कारोबारी एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0.00
9	लिखित क्रेंडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0.00
10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियां)	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0.00
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति सं. 4 से 10 का जोड़)	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	0.00
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर	Securities financing transaction exposures	0.00
12	सकल एसएफटी आस्तियों (नेटिंग के लिए मान्य नहीं), बिक्री लेखांकन लेनदेनों को समायोजित करने के बाद)	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	0.00
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के लिए नकद देय राशियों तथा नकद प्राप्य राशियों की निवल राशि)	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0.00
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	CCR exposure for SFT assets	0.00



क्रं. सं. S. No.	मद / Item		लीवरेज अनुपात संरचना Leverage ratio framework
15	एजेंट लेनदेन एक्सपोजर	Agent transaction exposures	0.00
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (पंक्ति सं.12 से 15 का जोड़)	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	
	अन्य तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	Other off-balance sheet exposure	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	7835.31
18	(ऋण समतुल्य राशि के रुपांतरण के लिए समायोजन)	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-5001.52
19	तुलनपत्रेतर मदें (पंक्ति सं. 17 और 18 का जोड़)	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	2833.78
	पूंजी और कुल एक्सपोजर	Capital and total exposures	
20	टियर 1 पूंजी	Tier 1 capital	8257.04
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति सं. 3,11,16 और 19 का जोड़)	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	96438.61
	लीवरेज अनुपात	Leverage ratio	
22	बेसल III लीवरेज अनुपात	Basel III leverage ratio	8.56%







सीआईएन/CIN U65923UR1922PLC000234 31 मार्च, 2025 को नैनीताल बैंक लिमिटेड का तुलन पत्र **BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2025 OF THE NAINITAL BANK LIMITED**

(₹ हजार में) / (₹ in Thousands)

		(
अनुसूची SCHEDULE	31.03.2025 की स्थिति As on 31.03.2025	31.03.2024 की स्थिति As on 31.03.2024
1	117,44,63	117,44,63
2	759,73,02	700,28,79
3	8255,81,88	8267,74,44
4	-	-
5	227,48,69	221,34,34
कुल / Total	9360,48,22	9306,82,20
6	481,70,25	529,97,62
7	1667,16,85	1642,22,76
8	1856,88,62	1989,07,34
9	4663,93,71	4517,84,44
10	74,55,81	79,05,84
11	616,22,98	548,64,20
कुल / Total	9360,48,22	9306,82,20
12	99,74,43	106,37,09
17		
18		
	SCHEDULE 1 2 3 4 5	SCHEDULE As on 31.03.2025 1 117,44,63 2 759,73,02 3 8255,81,88 4 - 5 227,48,69 कुल / Total 9360,48,22 6 481,70,25 7 1667,16,85 8 1856,88,62 9 4663,93,71 10 74,55,81 11 616,22,98 कुल / Total 9360,48,22 12 99,74,43

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं। Schedules referred above form an integral part of Balance Sheet

एन.के. चारी N.K. Chari

गैर कार्यकारी स्वतंत्र अध्यक्ष Non Executive Independent Chairman डीआईएन / DIN - 07409731

गोपाल सिंह गुंसाई Gopal Singh Gusain

गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक Non Executive Independent Director डीआईएन / DIN - 03522170

राकेश नेमा Rakesh Nema

गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक Non Executive Non-Independent Director डीआईएन / DIN - 07207816

एम के गोयल M.K. Goyal

मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer

स्थान / Place : नैनीताल / Nainital दिनांक / Date: 29.04.2025

सुशील कुमार लाल Sushil Kumar Lal प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Managing Director & CEO डीआईएन / DIN - 11029008

मनोज शर्मा Manoj Sharma

गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक Non-Executive Independent Director डीआईएन / DIN - 09085665

नीलम दामोधरन **Neelam Damodharan**

कुलदीप सिंह

Kuldeep Singh

कार्यकारी निदेशक

Executive Director

डीआईएन / DIN - 11018445

गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक Non-Executive Independent Director Non-Executive Independent Director डीआईएन / DIN - 07759291

मानस रंजन बिस्वाल Manas Ranjan Biswal अतिरिक्त निदेशक

Additional Director डीआईएन / DIN - 08162008

बिनीता शाह **Binita Shah**

गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक Non Executive Independent Director डीआईएन / DIN - 01538965

उत्तम चंद नाहटा **Uttam Chand Nahta**

गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक डीआईएन / DIN - 08533075

> हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार as per our report of even date कृते ए. आर. एंड कंपनी For AR & Co.

> > सनदी लेखाकार **Chartered Accountants**

एफआरएन 002744सी FRN-002744C

(सी.ए. अनिल गौर) / (CA Anil Gaur) साझेदार / Partner

एम.एन. नं. / M.N.No. 017546

विवेक साह Vivek Sah कंपनी सचिव **Company Secretary**



सीआईएन/CIN U65923UR1922PLC000234 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए लाभ व हानि लेखा PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

(₹ हजार में) / (₹ In Thousands)

			,,,
	अनुसूची	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
	SCHEDULE	Period Ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
ı. आय/INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	710,41,43	692,13,26
अन्य आय/Other Income	14	41,43,98	62,78,63
कुल / Total		751,85,41	754,91,89
II. व्यय/EXPENDITURE			
खर्च किया गया ब्याज / Interest Expended	15	399,58,99	372,04,58
परिचालन खर्च / Operating Expenses	16	263,23,81	275,58,97
प्रावधान और आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies		38,41,61	60,18,68
कुल / Total		701,24,41	707,82,23
Ⅲ. लाभ / PROFIT		50,61,00	47,09,66
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / Net profit for the year			
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ / Profit available for appropriation		50,61,00	47,09,66
IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
सांविधिक रिजर्व / Statutory Reserve		12,65,25	11,77,42
राजस्व और अन्य आरक्षितियांः / Revenue & Other Reserves:		-	-
।) निवेश आरक्षित खाता / Investment Reserve Account		0	14,40,65
ii) निवेश उतार—चढ़ाव आरक्षित / Investment Fluctuation Reserve		-	0
iii) धारा 36 (i) (viii) के तहत बनाया गया विशेष रिजर्व		1,56,12	1,79,35
special reserve created u/s 36(i)(viii)		1,30,12	1,79,55
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		-	-
तुलनपत्र में ले जायी गई शेषराशि / Balance Carried over to Balance Sheet		36,39,63	19,12,24
कुल / Total		50,61,00	47,09,66
प्रति शेयर आय (₹) / Earnings per Share (₹)			
मूल / Basic		4.31	4.01
तनु / Diluted		4.31	4.01

एन.के. चारी N.K. Chari

गैर कार्यकारी स्वतंत्र अध्यक्ष Non Executive Independent Chairman डीआईएन / DIN - 07409731

गोपाल सिंह ग्ंसाई Gopal Singh Gusain गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक

Non Executive Independent Director डीआईएन / DIN - 03522170

राकेश नेमा Rakesh Nema

गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक Non Executive Non-Independent Director डीआईएन / DIN - 07207816

एम के गोयल M.K. Goyal मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer

स्थान / Place : नैनीताल / Nainital दिनांक / Date: 29.04.2025

सुशील कुमार लाल Sushil Kumar Lal प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO डीआईएन / DIN - 11029008

मनोज शर्मा Manoj Sharma

गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक Non-Executive Independent Director डीआईएन / DIN - 09085665

> मानस रंजन बिस्वाल अतिरिक्त निदेशक

विवेक साह Vivek Sah कंपनी सचिव **Company Secretary**

कुलदीप सिंह Kuldeep Singh कार्यकारी निदेशक Executive Director डीआईएन / DIN - 11018445

नीलम दामोधरन

Neelam Damodharan गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक Non-Executive Independent Director Non-Executive Independent Director डीआईएन / DIN - 07759291

Manas Ranjan Biswal **Additional Director** डीआईएन / DIN - 08162008 बिनीता शाह **Binita Shah**

गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक Non Executive Independent Director डीआईएन / DIN - 01538965

उत्तम चंद नाहटा **Uttam Chand Nahta** गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक डीआईएन / DIN - 08533075

> हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार as per our report of even date कृते ए. आर. एंड कंपनी For AR & Co. सनदी लेखाकार **Chartered Accountants** एफआरएन 002744सी

FRN-002744C (सी.ए. अनिल गौर) / (CA Anil Gaur) साझेदार / Partner

एम.एन. नं. / M.N.No. 017546





सीआईएन/CIN U65923UR1922PLC000234 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह का विवरण STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE PERIOD ENDED 31st March 2025

(₹ हजार में) / (₹ in Thousands)

	समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2024
	Year Ended 31.03.2025	Year Ended 31.03.2024
क)/A) परिचालनगत गतिविधियां से नकदी प्रवाह / Cash flow from operating activities :		
कर पूर्व शुद्ध लाभ / Net profit before taxes	63,30,48	74,11,99
समायोजन / Adjustments for		
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed Assets	15,28,02	14,59,71
प्रतिलेखित निवेश पर मूल्यहास / Depreciation on investment Written back	0	-30,66,75
निवेश पर किया गया प्रावधान / Provision made on Investment	-	-
एनपीए के संबंध में प्रावधान / Provision in respect of NPA	2,19,53	40,89,52
पुर्नगठित मानक संपत्ति के लिए प्रावधान / Provision for standard assets restructured	3,71,25	-1,136
अन्य मदों के लिए प्रावधान (नए सर्कुलर के अनुसार निवेश (परिपक्वता तक धारण (HTM) का मूल्यह्रास	1,88,08	-
Provision for other items(amortisation of investment(HTM) as per new circular अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) / Profit (Loss) on sale of fixed Assets	52,22	-101
	1,46,71	-3.68.53
चालू वर्ष के लिए आस्थागित कर / Deferred Tax for Current year	· · ·	-3,08,53
प्रावधान जो प्रतिलेखित किया गया / Excess Provision written back	3,61,12 91,97,41	05 42 57
निम्नलिखित के लिए समायोजन / Adjustment for :	91,97,41	95,13,57
निवेशों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/Decrease in investments	135,86,85	171,83,28
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/Decrease in advances	-146,09,27	-200,80,62
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/Decrease in advances अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/Decrease in other assets	-140,03,27	-162,23,89
	-07,36,76	-102,23,69
उधार में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in Borrowings	11.02.57	F0F 01 72
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in deposits	-11,92,57	585,91,72
अन्य देयता और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	-123,14	-25,81,26
भुगतान किया प्रत्यक्ष कर / Direct Taxes paid	-12,69,49	-27,02,31
परिचालनगत गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ए) / Net cash from operating activities (A)	-11,68,99	437,00,47
ख)/B) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह / Cash flow from investing activities		
अचल संपत्तियों में कमी (वृद्धि) / (Increase)/Decrease in fixed Assets	-11,64,29	-6,30,97
व्यापार से सम्बन्धित निवेश में परिवर्तन / Changes in Trade related investments	-	-
अनुषंगियों / अन्य से प्राप्त लाभांश / Dividend received from subsidiaries/others	-	-
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (बी) / Net Cash from investing activities (B)	-11,64,29	-6,30,97
ग)/C) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह / Cash flow from financing activities		
शेयर पूंजी / शेयर प्रीमियम / Share Capital / Share Premium	0	0
लाभाश / Dividend	-	-
असुरक्षित प्रतिदेय बांडों पर भुगतान / देय ब्याज/Interest paid/payable on unsecured redeemable bonds	-	-
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद (सी) / Net Cash from financing activities (C)	0	0
नकदी और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (ए)+(बी)+(सी) / Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	-23,33,28	430,69,50
नकद और नकद समकक्ष का प्रारंभिक शेष / Opening Cash & cash equivalents	2172,20,37	1741,50,87
नकद और नकद समकक्ष का अंतिम शेष/Closing Cash & cash equivalents	2148,87,09	2172,20,37

एन.के. चारी N.K. Chari

गैर कार्यकारी स्वतंत्र अध्यक्ष Non Executive Independent Chairman डीआईएन / DIN - 07409731

गोपाल सिंह गुंसाई Gopal Singh Gusain गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक Non Executive Independent Director डीआईएन / DIN - 03522170

राकेश नेमा Rakesh Nema गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक Non Executive Non Independent Director

एम के गोयल M.K. Goyal मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer

डीआईएन / DIN - 07207816

स्थान / Place : नैनीताल / Nainital दिनांक / Date: 29.04.2025

स्शील कुमार लाल Sushil Kumar Lal प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO डीआईएन / DIN - 11029008

मनोज शर्मा

विवेक साह

Vivek Sah

कंपनी सचिव

Company Secretary

Manoj Sharma गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक Non-Executive Independent Director डीआईएन / DIN - 09085665

मानस रंजन बिस्वाल Manas Ranjan Biswal अतिरिक्त निदेशक Additional Director डीआईएन / DIN - 08162008

कुलदीप सिंह

Kuldeep Singh

कार्यकारी निदेशक

नीलम दामोधरन

Executive Director

डीआईएन / DIN - 11018445

Neelam Damodharan

गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन / DIN - 07759291

बिनीता शाह **Binita Shah** गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक Non Executive Independent Director डीआईएन / DIN - 01538965

उत्तम चंद नाहटा **Uttam Chand Nahta** गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक Non-Executive Independent Director Non-Executive Independent Director डीआईएन / DIN - 08533075

> हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार as per our report of even date कृते ए. आर. एंड कंपनी For AR & Co. सनदी लेखाकार **Chartered Accountants** एफआरएन 002744सी FRN-002744C (सी.ए. अनिल गौर) / (CA Anil Gaur)

साझेदार / Partner एम.एन. नं. / M.N.No. 017546



तुलन-पत्र की अनुसूचियां / Schedules to Balance Sheet

अनुसूची 1-पूंजी/SCHEDULE 1- CAPITAL

(₹ हजार में) / (₹ in Thousands)

	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
प्राधिकृत पूंजी (पिछले वर्ष ₹ 10 / — प्रत्येक के 15,00,00,000 इक्विटी शेयर) Authorised Capital (last year 15,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)/	230,00,00	230,00,00
जारी की गई पूंजी 11,74,46,250 इक्विटी शेयर ₹ 10 /— प्रत्येक Issued Capital 11,74,46,250 Equity Shares of ₹ 10/- each अभिदत्त पूंजी 11,74,46,250 इक्विटी शेयर ₹ 10 /— प्रत्येक	117,44,63	117,44,63
Subscribed Capital 11,74,46,250 Equity Shares of ₹ 10/- each मांगी गई पूंजी 11,74,46,250 इक्विटी शेयर ₹ 10 / — प्रत्येक Called Up Capital 11,74,46,250 Equity Shares of ₹ 10/- each	117,44,63	117,44,63
(बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पास 98.57 प्रतिशत हिस्सेदारी है) (Bank of Baroda holds 98.57%)	117,44,63	117,44,63
अदत्त मांग Calls Unpaid	NIL	NIL
कुल / Total	117,44,63	117,44,63

अनुसूची 2 — आरक्षितियाँ और अधिशेष / SCHEDULE 2- RESERVES & SURPLUS

a 3 18 au	11 2 SITTEMENT SITT SITEMENT & SURFLUS		(EVIT 4)/ (CIN Thousands
		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार
		As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I	सांविधिक रिजर्व / Statutory Reserve :		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	197,77,30	185,99,88
	वर्ष के दौरान परिवर्धन $/$ Addition during the year	12,65,25	11,77,42
	अंतिम शेष / Closing Balance	210,42,55	197,77,30
II	कैपिटल रिजर्व / Capital Reserve :	21,35,26	21,80,67
क) / a)	पुनर्मूल्यांकन रिजर्व / Revaluation Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	21,80,67	16,08,67
	वर्ष के दौरान जोड़ना / हटाना / addition/deletion during the year	-45,41	5,85,03
	पुनर्मूल्यांकन परिसंपत्तियों के कारण मूल्यह्रास Depreciation pertaing to revalued Asset	-	(1,303)
	अंतिम शेष / Closing Balance	21,35,26	21,80,67
ख) / b)	अन्य / Others		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition/deletion during the year	-	-
	अंतिम शेष/Closing Balance	-	-
III	शेयर प्रीमियम / Share Premium :		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	137,41,94	137,41,94
	वर्ष के दौरान राशि में वृद्धि / Addition During the Year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां* / Deduction During the Year*	-	-
	अंतिम शेष/Closing Balance	137,41,94	137,41,94
IV	राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ / Revenue & Other Reserves	-	-
(i)	निवेश विचलन आरक्षितियाँ / Investment Fluctuation Reserve :		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	21,24,74	21,24,74
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Addition During the Year	-	-
	घटाएं : सामान्य प्रावधान में स्थानांतरित / Less: Transferred To General Provision	-	-
	अन्तिम शेष / Closing Balance	21,24,74	21,24,74



		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार
		As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
(ii)	निवेश आरक्षित खाता / Investment Reserve A/C		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	18,83,47	4,42,84
·	वर्ष के दौरान वृद्धि / Addition During the Year	-18,83,47	14,40,65
	वर्ष के दौरान कटौती / Deduction During the year	-	-
	अन्तिम शेष / Closing Balance	0	18,83,49
(iii)	विशेष आरक्षित धारा 36 (I) (VIII) के तहत/ Special Reserve u/s 36(1) (VIII)	-	-
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	27,32,93	25,53,58
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Adition During the Year	1,56,13	1,79,35
	वर्ष के दौरान कटौती / Deduction During the year	-	-
	अंतिम शेष / Closing Balance	28,89,06	27,32,93
	कुल / Total (IV)	50,13,80	67,41,16
(iv)	उपलब्ध बिक्री हेतु आरक्षित निधि AFS Reserve	-	-
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Adition During the Year	3,61,12	-
	वर्ष के दौरान कटौती / Deduction During the year	-	-
	अन्तिम शेष / Closing Balance	3,61,12	
(V)	लाभ और हानि खाते का शेष / Balance in Profit & Loss Account	-	-
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	275,87,72	256,62,45
	लाभ और हानि खाते में वृद्धि Addition : Surplus in profit & Loss Account	60,90,64	19,12,24
	जोड़े : / Addition : Depreciation pertaining to revalued Assets	-	13,03
	अन्तिम शेष / Closing Balance	336,78,36	275,87,72
	कुल (, , , V और V) / Total (, , , V & V)	759,7302	700,28,79

अनुसूची 3 — जमाएँ / SCHEDULE 3 -DEPOSITS

		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
क/A	I) माँग जमाएं / Demand Deposits		
	i) बैंकों से / From Banks	1,37,82	64,37
	ii) अन्य से / From Others	487,01,91	500,76,69
	कुल / Total	488,39,73	501,41,06
	II) बचत बैंक जमाएँ / Savings Bank Deposits	2935,66,11	2950,20,66
	III) सावधि जमाएँ / Term Deposits		
	i) बैंकों से / From Banks	393,16,13	461,76,54
	ii) अन्य से / From Others	4438,59,91	4354,36,18
	कुल / Total	4831,76,04	4816,12,72
	कुल (।,॥ और ॥॥) / Total (।,॥ & ॥।)	8255,81,88	8267,74,44
ख/B	।) भारत में शाखाओं के जमाएँ / Deposits of Branches in India	8255,81,88	8267,74,44
	॥) भारत के बाहर शाखाओं के जमाएँ / Deposits of Branches outside India	-	-
	कुल (। और ॥) / Total (। & ॥)	8255,81,88	8267,74,44



अनुसूची 4— उधार/schedule 4-Borrowings

(₹ हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
1	भारत में उधार/Borrowings in India		
	i) भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India	-	-
	ii) अन्य बेंक / Other Banks	-	-
	iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां / Other Institutions and Agencies	-	-
II	भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India	-	-
	कुल (। और ॥) / Total (। &॥)	-	-
III	ऊपर । में शामिल सुरक्षित उधारी Secured Borrowings Included in I above	-	-

अनुसूची 5- अन्य दायित्व और प्रावधान / SCHEDULE 5 -OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
- 1	देय बिल / Bills Payable	22,28,26	26,58,72
II	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) / Inter Office Adjustments (Net)	-	-
III	अर्जित ब्याज / Interest Accrued	16,21,67	10,20,14
IV	अन्य (प्रावधानों सहित) / Others (Including Provisions)	188,98,76	184,55,48
	कुल (।, ॥, ॥। और IV) / Total (।,॥ ,॥। & IV)	227,48,69	221,34,34

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष

SCHEDULE 6 -CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
I	नकदी (विदेशी मुद्रा नोटो सहित) Cash in hand (Including foreign currency notes)	22,70,06	18,26,47
II	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अतिशेष Balances with Reserve Bank of India		
	i) चालू खातों में / In Current Accounts	459,00,19	511,71,15
	ii) अन्य खातों में / In Other Accounts	-	-
	कुल (। और ॥) / Total (। & ॥)	481,70,25	529,97,62



अनुसूची 7 — बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन SCHEDULE 7- BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
ı	भारत में / In India		
	i) बैंकों में बैलेंस / Balances with Banks		
	चालू खातों में / In Current Accounts	10,65,85	17,21,76
	अन्य जमा खातों में / In Other Deposit Accounts	1526,51,00	1503,01,00
	कुल / Total	1537,16,85	1520,22,76
	ii) माँग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice		
	बैंकों में / With banks	47,00,00	47,00,00
	अन्य संस्थाओं में / With other institutions	83,00,00	75,00,00
	कुल / Total	130,00,00	122,00,00
	कुल (। और ॥) / Total (। &॥)	1667,16,85	1642,22,76
Ш	भारत के बाहर / Outside India	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	कुल (। और ॥) / Total (। &॥)	1667,16,85	1642,22,76

अनुसूची — 8 निवेश/schedule 8-Investment

		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
ı	भारत में निवेश (सकल) / Investments in India (Gross)	1856,88,62	1992,75,47
	घटाएँ : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Less : Provision for Depreciation	-	3,68,13
	भारत में शुद्ध निवेश / Net Investments in India	1856,88,62	1989,07,34
	अलग—अलग विवरण / Break up		
	i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	1757,59,99	1882,89,78
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities		
	iii) शेयर / Shares		
	iv) डिबेंचर और बांड्स / Debentures and Bonds	99,28,63	106,17,56
	v) सहायक और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures		
	vi) अन्य (यू.टी.आई. की यूनिट्स और अन्य म्यूचूअल फंडस, वाणिज्यिक पत्र आदि) / Others (units of UTI and other mutual funds comm. papers)	-	-
	कुल् / Total	1856,88,62	1989,07,34
Ш	भारत के बाहर निवेश / Investments outside India	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	कुल (। और ॥) / Total (। &॥)	1856,88,62	1989,07,34



अनुसूची — ९ अग्रिम/schedule 9- Advances

(₹ हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
क)/A	i) खरीदे और भुनाए गए बिल Bills Purchased and Discounted	1,25,75	4,69,61
	ii) कैशक्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाने योग्य ऋण Cash Credit, Overdrafts and Loans repayable on demand	2540,92,98	2528,82,57
	iii) सावधि ऋण / Term Loans	2121,74,98	1984,32,26
	कुल् / Total	4663,93,71	4517,84,44
ख)/B	i) मूर्त सम्पत्तियों द्वारा सुरक्षित / Secured by Tangible Assets	4550,58,43	4421,40,81
	ii) बैंक / सरकार द्वारा कवर की गयी गारंटी Covered by Bank/Govt. Guarantees	23,08,23	-
	iii) असुरक्षित / Unsecured	90,27,05	96,43,63
	कुल् / Total	4663,93,71	4517,84,44
ग) / c	।) भारत में ऋण / Advances in India		
	i) प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector	1956,67,73	2197,90,03
	शुद्ध प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Net Priority Sector	1956,67,73	2197,90,03
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	-	-
	iii) बैंक / Banks	-	-
	iv) अन्य / Others	2707,25,98	2319,94,41
	शुद्ध अन्य / Net Others	4663,93,71	4517,84,44
	॥) भारत के बाहर अग्रिम / Advances outside India		
	कुल / Total	4663,93,71	4517,84,44

अनुसूची — 10 अचल आस्तियां / SCHEDULE 10- FIXED ASSETS

		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
- 1	परिसर / Premises		
	(पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत / पुनर्मूल्यांकन राशि) / At cost/revalued amount as on 31st March of the preceeding year	28,39,61	22,54,58
	अवधि के दौरान परिवर्धन / Addition during the Period	0	5,85,03
	अवधि के दौरान कटौती / Deduction during the Period	3,12,60	-
	अद्यतन मूल्यहास — (पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धिशील मूल्यहास सहित) Depreciation to date (including incremental depreciation due to revaluations)	3,73,81	3,25,18
	ब्लाक । का अतिम शेष / Closing Block I	21,53,20	25,14,43
II	अन्य अचल संपत्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
	पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत पर At cost as on 31 st March of the preceeding year	135,17,01	128,84,97
	अवधि के दौरान वृद्धि / Addition during the period*	13,92,76	6,32,43
	अवधि के दौरान कटौती / Deductions during the period	2,16	39
	अद्यतन मूल्सहास / Depreciation to date	96,05,00	81,25,60
	ब्लाक ॥ का अंतिम शेष/Closing Block II	53,02,61	53,91,41
	कुल (। और ॥)/Total(। & ॥)	74,55,81	79,05,84



अनुसूची — 11— अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11- OTHER ASSETS

(₹ हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
1	अंतर कार्यालय समायोजन (नेट)/Inter Office Adjustment (Net)	27,90	27,54
II	अर्जित ब्याज / Interest Accrued	95,02,25	91,03,28
III	अग्रिम में भुगतान किया गया कर / स्नोत पर कर कटौती (प्रावधानों को छोड़कर) Tax Paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	11,15,53	14,08,09
IV	स्टेशनरी और स्टाम्प / Stationery and Stamps	83	86
V	अन्य / Others	509,76,47	443,24,43
	कुल (।, ।।, ।।।, ।∨ और ∨) / Total (।, ।।, ।।।, ।∨ & ∨)	616,22,98	548,64,20

अनुसूची - 12 आकिस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12- CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
I	बैंक के विरुद्ध दावें जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए Claims against the Bank not acknowledged as Debts	49,78	49,78
II	धोखाधड़ी के विरुद्ध दायित्व Liability against frauds	-	-
III	घटकों की ओर से दी गई गारंटी — भारत में Guarantees given on behalf of constituents - IN INDIA	45,50,06	55,63,88
IV	स्वीकृतियां, अनुमोदन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	-	-
V	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the bank is contingently liable	53,74,59	50,23,43
	कुल (।,॥,॥,।v औरv)/Total(।,॥,॥,।v & v)	99,74,43	106,37,09

अनुसूची — 13— अर्जित ब्याज/schedule 13- Interest Earned

		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
ı	अग्रिम / बिलों पर ब्याज / छूट Interest/Discount on Advances/Bills	428,12,92	421,43,31
II	निवेश पर आय (शुद्ध) / Income on Investments (NET) वर्ष के दौरान परिशोधित कम राशि Less:amount amortised during the year	136,23,98 71,80	148,81,30 -10,849
III	भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेषों और अन्य अन्तर—बैंक निवेशों पर ब्याज / Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Placements	128,01,64	111,19,47
IV	अन्य / Others	17,31,07	11,77,67
	कुल (।,॥,॥। और ।V)/Total(।,॥,॥। &।V)	710,41,42	692,13,26



अनुसूची - 14- अन्य आय/SCHEDULE 14- OTHER INCOME

(₹ हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
1	कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज Commission, Exchange & Brokerage	1,16,74	1,46,60
II	निवेश की बिक्री पर लाभ / हानि Profit / Loss on sale of investments घटाएं: निवेश की बिक्री पर हानि Less: Loss on sale of investments	7,92,30	-60,20
III	निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ Profit on revaluation of investments घटाएं: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि Less: Loss on revaluation of investments	0	25,67,08
IV	भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets घटाएं: भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	-52,22	0
V	विविध आय / Miscellaneous Income	31,06,13	34,02,60
VI	तृतीय पक्षकार कमीशन / Third party commission	1,81,03	2,21,54
	कुल (I, II, III, IV, V और VI) / Total (I, II, III, IV,V & VI)	41,43,98	62,78,63

अनुसूची—15— ब्याज व्यय/schedule 15-Interest expended

(₹ हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
1	जमाओ [·] पर ब्याज / Interest on Deposits	399,43,38	372,00,21
II	आरबीआई / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज Interest on RBI /Inter Bank Borrowings	15,61	4,37
III	अन्य / Others	-	-
	कुल (।,॥ और ॥।) / Total (।,॥ & ॥।)	399,58,99	372,04,58

अनुसूची — 16— परिचालन व्यय/schedule 16- Operating expenses

		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
1	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and Provisions for Employees	165,23,16	183,77,89
Ш	किराया, कर और लाईटिंग / Rent, Taxes and Lighting	18,53,17	18,03,01
III	मुद्रण और स्टेशनरी / Printing and Stationery	1,26,99	1,24,55
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and Publicity	59,13	58,13
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास/Depreciation on Bank's Property घटाएं: पूंजी से समायोजित मूल्यहास परिसर के पुनर्मूल्यांकन के कारण आरक्षित/Less: Depreciation adjusted from Capital reserve on account of revaluation of premises	15,28,02	14,59,71
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Director's Fees Allowances and Expenses	52,91	34,53
VII	लेखापरीक्षक की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय सहित) / Auditor's Fees & Expenses (including Branch Auditor's fee & expenses)	78,25	52,98
VIII	विधि प्रभार / Law Charges	1,81,25	90,07
IX	डाक, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones etc	97,33	1,06,76
Х	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and Maintenance	97,36	1,45,68
XI	बीमा / Insurance	9,77,11	9,04,02
XII	अन्य व्यय/Other Expenditure	47,49,13	44,01,64
	कुल (। से XII) / Total (I to XII)	263,23,81	275,58,97



अनुसूची 17 – महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. पृष्ठभूमि

नैनीताल बैंक लिमिटेड, वर्ष 1922 में नैनीताल, उत्तराखंड में निगमित, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित एक बैंकिंग कंपनी है और वाणिज्यिक बैंकिंग और ट्रेजरी संचालन सहित बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में लगी हुई है।

2. तैयारी का आधारः

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर गोइंग कंसर्न अवधारणा के बाद तैयार किए जाते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप होते हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय—समय पर निर्धारित वैधानिक प्रावधान, नियामक मानदंड शामिल होते हैं।, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत जारी अधिसूचित लेखा मानक (एएस), कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के पैराग्राफ 7 को शामिल किया गया है, साथ ही भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं भी सम्मिलित है। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

3. अनुमानों का उपयोगः

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्टिंग अविध के लिए रिपोर्ट की गई आय और व्यय के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों (आक. स्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से मिन्न हो सकता है। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अविधयों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

4 निवेश:

4.1 निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है-

- (i) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- (ii) ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) और
- (iii) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

आरबीआई के दिशा—िनर्देशों के अनुसार बैलेंस शीट में प्रकटीकरण के उद्देश्य से, निवेशों को अनुसूची 8 ('निवेश') में छह श्रेणियों में वर्गीकृत और प्रदर्शित किया जाता है, जिनमें प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उप-श्रेणियाँ होती हैं, जैसे: (i) सरकारी प्रतिभृतियाँ,

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BACKGROUND

The Nainital Bank Limited, incorporated in Nainital, Uttarakhand in the year 1922, is a banking company governed by the Banking Regulation Act, 1949, The Companies act, 2013 and other applicable regulations/guidelines issued from time to time by regulator(RBI) and Govt. of India, the Bank is engaged in providing a wide range of banking and financial services including commercial banking and treasury operations.

2. BASIS OF PREPARATION:

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis and on the accrual/mercantile basis of Accounting, unless otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, notified Accounting Standards (AS) issued under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, to the extent applicable and current practices prevailing in the banking industry in India. The accounting policies adopted in the preparation of financial statements are consistent with those followed in the previous year.

3. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

4. INVESTMENTS:

4.1 Investments are categorized into three categories -

- (i) Held to Maturity (HTM),
- (ii) Fair Value through profit & loss account (FVTPL), (with a sub category as "Held for Trading") (HFT), and
- (iii) Available for Sale (AFS)

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified and disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups with sub-classification under each category viz., (i) Government Securities, (ii)



(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर, (iv) डिबेंचर और बॉन्ड, (v) सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उपक्रम, तथा (vi) अन्य-म्यूचअल फंड की इकाइयाँ, डिपॉजिट प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, प्रतिभूति रसीदें और अन्य निवेश।

4.2 अधिग्रहण की लागत

अधिग्रहण के समय भूगतान किए गए निवेश से संबंधित ब्रोकरेज, कमीशन और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि लाभ और हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

4.3 विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकरण-सामान्य मापदंड

निवेशों को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, इसका निर्णय अधिग्रहण के समय लिया जाता है।

- ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक बनाए रखने का इरादा रखता है, अर्थातु वित्तीय परिसंपत्तियाँ इस उद्देश्य से रखी जाती हैं कि अनुबंधित नकद प्रवाह एकत्र किए जा सकें; और जिन प्रतिभृतियों की अनुबंधीय शर्तें ऐसे नकद प्रवाह उत्पन्न करती हैं जो केवल मूलधन और उस पर ब्याज के भूगतान से संबंधित हों (जिसे 'एसपीपीआई मापदंड' कहा गया है), उन्हें ''परिपक्वता तक रखे गए निवेश"के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एएफएस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगाः
 - क) प्रतिभृति इस उद्देश्य से प्राप्त की गई है कि अनुबंधित नकद प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों को बेचने, दोनों उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके; और
 - ख) प्रतिभृति की अनुबंधीय शर्तें उपरोक्त 'एसपीपीआई मापदंड' को पूरा करती हैं।
- जो प्रतिभृतियाँ एचटीएम या एएफएस में शामिल किए जाने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफ वी टी पी एल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। इनमें अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित शामिल होंगीः

बैंक के पास निवेशों की पहचान, मूल्यांकन और संचालन के लिए एक पृथक नीति है, जो आरबीआई के परिपत्र संख्या RBI/DOR/2023-24/104 दिनांक 12 सितंबर 2023 के अनुरूप है।

4.4 प्रतिभृतियों का मूल्यांकन

प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी भी प्रीमियम / डिस्काउंट को शेष परिपक्वता अवधि के दौरान अनुपातिक रूप से समाप्त किया जाता है। ए एफ एस और एफ वी टी पी एल श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मार्क-टू-मार्केट मूल्यांकन किया जाता है। 'ए एफ एस' और 'एफ वी टी पी एल' श्रेणियों में शामिल सूचीबद्ध निवेशों का बाजार / उचित मूल्य संबंधित स्क्रिप के शेयर बाजारों में हुए व्यापार / उल्लेख, एस जी एल खाता लेनदेन, भारतीय रिज़र्व बैंक की मुल्य सूची या फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बी आई एल) द्वारा समय-समय पर घोषित मुल्यों के अनुसार मापा जाता है। Other Approved Securities, (iii) Shares, (iv) Debentures & Bonds, (v) Subsidiaries and Joint Ventures and (vi) Others - Units of Mutual Funds, Certificate of Deposits, Commercial Paper, Security Receipts and other investments, in accordance with RBI guidelines.

4.2 Cost of acquisition

Brokerage, commission and securities transaction tax (STT) etc., pertaining to investment, paid at the time of acquisition are charged to the profit and loss account.

4.3 Classification under various categories - broad parameters

The category under which the investments would be classified is decided at the time of acquisition.

- Investments which the bank intends to hold till maturity i.e., the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows; and the contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ('SPPI criterion') on specified dates are classified as "Held to Maturity".
- Securities that meet the following criteria shall be classified under AFS
 - a. The security is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities; and
 - b. The contractual terms of the security meet the 'SPPI criterion' as given above.
- Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS shall be classified under FVTPL. These shall inter-alia include:

The Bank has separate policy for recognition, measurement and operation of investment, in line with RBI circular RBI/ DOR/2023-24/104 DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 dated September 12, 2023.

4.4 Valuation of Securities

Any premium/discount on acquisition of securities are amortized over the remaining maturity of the security. Investments classified under the AFS and FVTPL categories are marked-to-market. The market / fair value of quoted investments included in the 'AFS' and 'FVTPL' categories is measured with respect to the Market Price of the Scrip as available from the trades / quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI or prices declared by Financial Benchmark India Private Limited (FBIL), periodically.



प्रत्येक निवेश श्रेणी में, यदि कोई शुद्ध मूल्य हास होता है तो उसे ए एफ एस रिज़र्व में मान्यता दी जाती है। वहीं, यदि किसी श्रेणी के अंतर्गत कोई शुद्ध मूल्य वृध्दि होती है, तो उसे नजरअंदाज किया जाता है। जब तक अस्थायी से अधिक मूल्य हास के लिए प्रावधान नहीं बनाया गया हो, तब तक निवेशों के आवधिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत प्रतिभूतियों की पुस्तकीय कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता।

बैंक निवेश की खरीद / बिक्री के लिए "निपटान तिथि पद्धति" का पालन करता है तथा बिक्री पर लाभ के लेखांकन और लागत निर्धारण के लिए "भारित औसत लागत पद्धति" अपनाता है। ऋण साधनों और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्रोकर्न पीरियड़ का ब्याज एक राजस्व मद के रूप में लिया जाता है। ट्रेज़री बिल, वाणिज्यिक पत्र और डिपॉज़िट प्रमाण पत्र जैसे छूट पर जारी किए गए उपकरणों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है। म्यूचुअल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य / एनएवी पर किया जाता है।

4.5 निवेशों का निपटान

निवेशों का विक्रय/मोचन एचएफटी एवं एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों के संबंध में बिक्री / मोचन पर लाभ अथवा हानि लाभ एवं हानि खाते में शामिल की जाती है। एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ लाभऔर हानि खाते में शामिल किया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुसार कर के समायोजन और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण के बाद पूंजी आरक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

वित्तीय विवरणों पर आरबीआई मास्टर निर्देश के आधार पर 30 अगस्त, 2021 को जारी प्रस्तुति और प्रकटीकरणः प्रावधानों और आकस्मिकताओं के हिस्से के रूप में पहले वर्गीकृत मानक निवेश करने पर मूल्यड्रास के प्रावधान को अन्य आय के हिस्से के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

4.6 निवेश में उतार-चढाव आरक्षित

आय में वृद्धि के सापेक्ष संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रेषित निधि तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपन्न संख्या आरबीआई / 2017—18 / 147 डीबीआर.सं.बीपी के माध्यम से। बीसी.102 / 21.04.048 / 2017—18 दिनांक 2 अप्रैल 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2018—19 से आईएफआर बनाने की सलाह दी।

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित (i) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ या (ii) वर्ष के शुद्ध लाभ में से अनिवार्य विनियोजन को घटाकर, जो न्यून होगा, जब तक कि आईएफआर की राशि सतत आधार पर एच एफ टी और ए एफ एस पोर्टफोलियो का कम से कम 2% नहीं होती है।

5. अग्रिमों और उस पर प्रावधानः

अग्रिमों को मानक और गैर—निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के Net depreciation, if any, within each category of investment classification is recognised in AFS reserve. The net appreciation, if any, under each category of Investment is ignored, Except in cases where provision for diminution other than temporary is created, the book value of individual securities is not changed consequent to the periodic valuation of Investments.

The Bank follows settlement date method of accounting for purchase / sale of investments, and weighted average cost method for determining cost and accounting of profit on sale of investments. Broken period interest on debt instruments and government securities is treated as a revenue item. Treasury Bills, Commercial Paper and Certificate of Deposits, being discounted instruments, are valued at carrying cost. Units of Mutual Funds are valued at the latest repurchase price / NAV declared by the Mutual Fund.

4.5 Disposal of Investments

Sale / Redemption of Investments Profit or loss on sale / redemption in respect of securities in HFT and AFS category is included in the Profit and Loss account. Profit on sale / redemption of investments in HTM category is included in the Profit and Loss Account and is appropriated to Capital Reserve after adjustments for tax and transfer to Statutory Reserve, as per RBI guidelines.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India.

Based on RBI Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures issued on August 30, 2021: Provision for depreciation on performing standard investments earlier classified as part of provisions and contingencies has been reclassified as part of other income.

4.6 Investment fluctuation reserve

To ensure building up of adequate reserves and protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP. BC.102/21.04.048/2017- 18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transfer to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2% of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

5. ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:

Advances are classified as standard and non-performing assets and provisions are made as per the prudential norms



अनुसार किए जाते हैं। तूलन–पत्र में उल्लिखित अग्रिमों के प्रावधानों ब्याज उचंत, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावों और विनियोग के लंबित और विविध खाते में रखे गए वसूलियों को घटाकर दिखाया गया है। गैर–निष्पादित अग्रिमों पर ब्याज एक अप्राप्त ब्याज खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है और प्राप्त होने तक लाभ और हानि खाते में मान्यता नहीं दी जाती है। बटटे खाते में डाले गए ऋणों के विरुद्ध वसूल की गई राशि को आय के रूप में मान्यता दी जाती है और उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के आधार पर अब आवश्यक नहीं समझे जाने वाले प्रावधानों को लाभ और हानि खाते में वापस कर दिया जाता है।

पुनर्गठन / पुनर्निर्धारित आस्तियों के संबंध में, प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिसमें पुनर्गठन पर प्रदान की जाने वाली आस्तियों के उचित मूल्य में कमी, जैसा भी लागू हो, शामिल है। आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किया जाता है।

अंतर बैंक भागीदारी के माध्यम से अग्रिमों का हस्तांतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम के साथ और बिना जोखिम के किया जाता है। जोखिम के साथ भागीदारी के मामले में, बैंक द्वारा बेची / खरीदी गई भागीदारी की कुल राशि को अग्रिम में से घटाया / शामिल किया जाता है। जोखिम रहित भागीदारी के मामले में, बैंक द्वारा बेची / खरीदी गई भागीदारी की कुल राशि को उधार / निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

फ्लोटिंग प्रावधानः

फ्लोटिंग प्रावधानों का उपयोग केवल भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में और भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से आकस्मिकताओं के लिए किया जाता है।

7. अचल संपत्तिः

परिसर और अन्य अचल संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर लिखा जाता है क्योंकि मूल्यहास को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। लागत में खरीद की लागत और साइट की तैयारी, स्थापना लागत, सॉफ्टवेयर के विकास के लिए किए गए व्यय, और जीएसटी (शृद्ध आईटीसी) जैसे सभी व्यय शामिल हैं। पहले से उपयोग में आने वाली परिसम्पत्तियों पर होने वाले बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभों में वृद्धि होती है ।

अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन

वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाने के लिए दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा समय-समय पर (हर तीसरे वर्ष) परिसर का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यांकन, यदि कोई हो, पूंजी भंडार के तहत पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन संपत्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है और पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अन्य राजस्व रिजर्व में विनियोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाली संपत्ति की वहन राशि में कमी को लाभ और हानि के विवरण पर आरोपित किया जाना चाहिए। हालांकि, कमी को उस परिसंपत्ति के संबंध

prescribed by RBI. Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions, interest suspense, claims received from credit guarantee institutions and recoveries pending appropriation and held in sundry account. Interest on non-performing advances is transferred to an unrealized interest account and not recognized in profit and loss account until received. Amounts recovered against debts written off is recognised as income and provisions no longer considered necessary based on the current status of the borrower, is reversed to the profit and loss account.

In respect of restructured / rescheduled assets, provision is made in accordance with RBI guidelines, including diminution in the fair value of the assets to be provided on restructuring, as applicable. Provision for standard assets, is made in accordance with the guidelines and at levels stipulated by RBI from time to time.

Transfer of advances through inter-bank participation is undertaken with and without risk in accordance with RBI guidelines. In case of participation with risk, the aggregate amount of participation sold / purchased by the Bank is reduced from / included in advances. In case of participation without risk, the aggregate amount of participation sold / purchased by the Bank is classified under borrowings / investments.

FLOATING PROVISIONS:

The floating provisions are utilized only for contingencies under extraordinary circumstances specified in extant guidelines of RBI and with prior permission of Reserve Bank of India.

FIXED ASSETS:

Premises and other fixed assets are accounted for at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), as reduced by depreciation written off. The cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation cost, expenditure incurred for development of software, and GST (net of ITC). Subsequent expenditure incurred on the assets already in use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capacity.

Revaluation of Fixed Assets

Premises are revalued periodically (every 3rd year) by two independent valuers, to reflect current market valuation. Appreciation, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve. A decrease in the carrying amount of an asset arising on revaluation should be charged to the statement of profit and loss. However, the decrease should be debited directly



में पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में मौजूद किसी भी क्रेडिट शेष की सीमा तक सीधे पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को डेबिट किया जाना चाहिए।

अमूर्त संपत्ति

यह भौतिक पदार्थ के बिना एक पहचान योग्य संपत्ति है जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की उम्मीद है और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 26 और नियामक जैसे आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों में निर्धारित मान्यता मानदंडों को पूरा करती है। उदाहरण सॉफ्टवेयर लाइसेंस शुल्क (सीबीएस ट्रेजरी / थर्ड पार्टी एप्लिकेशन), कार्यान्वयन लागत।

8. मूल्यहासः

8.1 अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास ख्यैराग्राफ 7.2 में संदर्भित के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ॥ के अनुसार लिखित मूल्य पद्धित के अनुसार, निम्नलिखित तालिका के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन के मामले में, जिसके संबंध में मूल्यह्रास इन पुनर्मूल्यांकित संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है.

क्र. सं	अचल संपत्तियों का विवरण	मूल्यह्रास / परिशोधन चार्ज करने की विधि	उपयोगी जीवन (वर्ष)	मूल्यहास/ परिशोधन दर/
1.	कंप्यूटर (अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण जैसे लैपटॉप डेस्कटॉप)	सीधी रेखा विधि	3	33.33% हर साल
2.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग बना रहा है	सीधी रेखा विधि	3	33.33% हर साल
3.	सर्वर और नेटवर्क / नेटवर्क डिवाइस (डेटा सेंटर आदि)	सीधी रेखा विधि	6	16.67% हर साल
4.	अमूर्त सम्पत्तियाँ	सीधी रेखा विधि	6	16.67% हर साल
5.	सामान्य फर्नीचर और फिटिंग	अवशिष्ट मूल्य विधि	10	25.89% हर साल
6.	कार्यालय उपकरण	अवशिष्ट मूल्य विधि	5	45.07% हर साल
7.	संयंत्र और मशीनरी	अवशिष्ट मूल्य विधि	15	18.10% हर साल
8.	वाहन — मोटर साइकिल, स्कूटर और अन्य 2 पहिया वाहन	अवशिष्ट मूल्य विधि	10	25.89% हर साल
9.	वाहन – मोटर कार और अन्य चार पहिया वाहन	अवशिष्ट मूल्य विधि	8	31.23% हर साल
10.	पुनर्मूल्यांकित भवन	अवशिष्ट मूल्य विधि	पुनर्मूल्यांकन के अनुसार उपयोगी आयु	उपयोगी आयु के अनुसार

from revaluation surplus to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset.

Intangible Assets

- It is an identifiable asset without physical substance form which future economic benefits are expected to generate and meets recognition criteria as prescribed in Accounting Standard 26 issued by ICAI and applicable guidelines of Regulator viz RBI. Example – Software License fees (CBS, Treasury/Third party applications), Implementation cost.

8. **DEPRECIATION:**

8.1 Depreciation on Fixed Assets [other than those referred in Paragraph 7.2] is provided in accordance with Schedule II of the Companies Act, 2013 as per written down value method, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

Sr. No.	Description of fixed assets	Method of charging depreciation/ Amortization	Useful Life (Years)	Depreciation/ amortization rate
1.	Computers (End user device such as laptop, desktop)	Straight Line Method	3 Years	33.33% Per annum
2.	Computer software's,forming an integral part of hardware	Straight Line Method	3 Years	33.33% Per annum
3.	Servers and networks/ Network devices (Data Centers/Data Recovery Centre etc)	Straight Line Method	6 Years	16.67 % Per annum
4.	Intangible Assets	Straight Line Method	6 Years	16.67 % Per annum
5.	General furniture and fittings	Written Down Value method	10 Years	25.89 % Per annum
6	Office Equipment's	Written Down Value method	5 Years	45.07 % Per annum
7	Plant and Machinery	Written Down Value method	15 Years	18.10 % Per annum
8	Vehicles - Motor cycles, Scooters and other 2 wheelers	Written Down Value method	10 Years	25.89 % Per annum
9	Vehicles – Motor Cars and other four wheelers	Written Down Value method	8 Years	31.23 % Per annum
10	Revalued buildings	Written Down Value method	Useful life as per revalu ation	As per useful life



कंप्यूटर (लैपटाप / डेस्कटॉप / प्रिंटर) तथा कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा बनने वाले सॉफ्टवेयर पर हास, आर बी आई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 33.33: प्रतिवर्ष की दर से सीधे रेखा विधि द्वारा प्रदान किया जाता है। जोड़े गए परिसंपत्तियों पर हास की गणना उनकी खरीद / उपयोग में लाने की तिथि से अनुपातिक रूप से की जाती है।

रिजर्व और अधिशेष

आय और अन्य रिज़र्व में सांविधिक रिज़र्व, पूंजी आरक्षित, शेयर प्रीमियम, निवेश में उतार-चढाव और निवेश रिजर्व, लाभ और हानि खाते में संचित अधिशेष शामिल हैं।

कर्मचारी लाभ

10.1 भविष्य निधि

नैनीताल बैंक लिमिटेड पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है, बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान का भूगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। योगदान लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है। फंड का प्रबंधन द नैनीताल बैंक लिमिटेड प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

10.2 ग्रेच्युटी

नैनीताल बैंक लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड नियम और विनियम और ग्रेच्युटी भूगतान अधिनियम 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भूगतान एक वैधानिक दायित्व है। यह एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

10.3 पेंशन

नैनीताल बैंक लिमिटेड (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभ दायित्व है, और यह उन कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जो 31.03.2010 तक बैंक में शामिल हुए हैं और पेंशन का विकल्प चुना है। पेंशन देयता नैनीताल बैंक लिमिटेड (कर्मचारी) पेंशन फंड ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित है।

नई पेंशन योजना— बैंक, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत नामांकित कुछ कर्मचारियों के कुल मूल वेतन डीए का 14% योगदान देता है, जो एक परिभाषित योगदान योजना है, जिसे पेंशन फंड प्रबंधन कंपनियों द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाता है। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा एनपीएस में इस प्रकार योगदान / भुगतान की गई राशि को लाभ और हानि खाते से दी जाती है।

10.4 वेतन संशोधन— बैंक कर्मचारियों का वेतन संशोधन हर पांच साल के बाद इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए), (बैंकों के प्रबंधन का एक प्रतिनिधि निकाय) और कर्मचारी संघों और अधिकारी संघों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से होता है। पिछला वेतन संशोधन 01 नवंबर, 2022 से लागू हो गया।

8.2 Depreciation on Computers (Laptops/Desktop/Printer) and Software forming an integral part of Computer Hardware, is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include, Investment fluctuation reserve, Special reserve created under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 and AFS reserves.

10. EMPLOYEE BENEFITS

10.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per The Nainital Bank Limited PF Rules, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by The Nainital Bank Limited Provident Fund Trust.

10.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per The Nainital Bank Limited Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation.

10.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under The Nainital Bank Ltd (Employees) Pension Regulations 1995, and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by The Nainital Bank Limited (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme of the Bank contributes 14% of the total basic salary + DA of certain employees enrolled under National Pension Scheme (NPS), a defined contribution plan, which is managed and administered by pension fund management companies. The amounts so contributed/paid by the Bank to the NPS during the year are recognized in the profit and loss account.

10.4 Wage revision- The wage revision of Bank employees takes place after every five years through bilateral talks between Indian Bank Association (IBA), (a representative body of management of Banks) and Employees Unions & Officers' Associations. The last wage revision had become applicable w.e.f. November 01, 2022.



11. आय अभिज्ञान

मौजूदा एन पी ए खातों, जिनमें मुकदमा दायर नहीं किया गया है, के संबंध में समय—समय पर खाते में की गई वसूली (जिसमें पब्लिक मनी रिकवरी एक्ट के अंतर्गत की गई वसूली भी शामिल है) को निम्नलिखित क्रम में समायोजित किया जाएगाः

- बैंक द्वारा भुगतान या किए गए सभी खर्च, कमीशन, प्रभारों और वर्षों के लिए
- बैंक को देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आगे का ब्याज, पेनल ब्याज के लिए।
- iii. मूलधन (किस्त) ।

सूट फाइल्ड / डिक्री किए गए खातों में वसूली न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विनियोजित की जाती है और निर्देशों के अभाव में जैसा कि गैर— सूट फाइल्ड खाते पर लागू होता है।

एनसीएलटी या समझौता स्वीकृत खाते के माध्यम से समाधान / निपटान के मामले में, वसूली समझौता मंजूरी / समाधान निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित की जाती है।

मानक खातों में वसूली का विनियोजन मांग की तारीख के अनुसार किया जाता है और मांग निम्नलिखित क्रम में संतुष्ट की जा रही है:

- बैंक द्वारा भुगतान या की गई सभी लागतों, कमीशन, प्रभारों और खर्चों के लिए
- बैंक को देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आगे ब्याज, पेनल ब्याज के लिए
- मूल धन के भुगतान के लिए

बैंक गारंटी / साख पत्र, लॉकर किराया, बैंक गारंटी और तृतीय पक्ष उत्पादों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र व्यापार, कार्ड पर वार्षिक शुल्क पर कमीशन प्राप्ति के आधार पर हिसाब रखा जाता है।

अनुमोदित / वितरित ऋणों पर एकत्र किए गए प्रसंस्करण / अन्य शुल्कों के साथ—साथ संबंधित ऋण अधिग्रहण लागतों को सुविधा की शुरुआत / नवीनीकरण के समय मान्यता दी जाती है।

अनुपयोज्य आस्तियों / निवेशों के मामलों में आय के संग्रहण की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, ऐसी आय का लेखा—जोखा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुसार वसूली होने पर ही किया जाता है

आय (ऊपर उल्लिखित के अलावा) / व्यय की पहचान आम तौर से प्रोद्भवन आधार पर की जाती है। लाभांश आय और आयकर वापसी पर ब्याज को मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है। माल और सेवा कर इनपुट क्रेडिट को संशोधित सीजीएसटी नियम, 2017 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर पुस्तकों में शामिल किया जाता है।

12. संपत्ति की हानि

अचल संपत्तियों (पूर्नमूल्यांकन परिसंपत्तियों सहित) पर हानि (यदि

11. REVENUE RECOGNITION

In respect of existing NPAs, where suit is not filed, recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act.) from time to time shall be appropriated in the following manner:

- Towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- Towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank.
- iii. Towards Principal (Instalment).

Recovery in suit filed/decreed accounts shall be appropriated as per the directives of the Court, in case of absence of directives, as applicable to non-suit filed account.

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery should be appropriated as per the terms of compromise sanction/resolution settlement.

The appropriation of recovery in Standard Accounts is effected as per the date of demands raised and the earliest demand is being satisfied in the following order:

- Towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- Towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- Towards payment of the principal money

Commission on bank guarantees / letters of credit, locker rent, banc assurance and third party products, Priority Sector Lending Certificate trading, annual fee on cards are accounted on receipt basis.

Processing / other fees collected on loans approved / disbursed, along with related loan acquisition costs are recognised at inception / renewal of the facility.

In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

Income (other than mentioned above)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. Dividend income and interest on Income Tax refund is recognised when the right to receive payment is established. Goods & Service Tax input credit is accounted for in the books within the time limit prescribed under CGST Rules, 2017, as amended.

12. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including re-



कोई हो) आईसीएआई द्वारा जारी एएस 28 (परिसंपतियों की हानि) के अनुसार मान्यता प्राप्त है और लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है।

यदि आंतरिक / बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है तो प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है। एक हानि को मान्यता दी जाती है जहां किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। वसूली योग्य राशि संपत्ति शुद्ध बिक्री मुल्य और उपयोग में मुल्य से अधिक है। उपयोग में मुल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और संपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। हानि के बाद, शेष उपयोगी जीवन पर परिसंपत्ति की संशोधित वहन राशि पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

13. आय पर कर:

आयकर व्यय में न्यायिक घोषणाओं और कानूनी राय (यानी आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि, उसके तहत बनाए गए नियमों और निर्धारित महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार करने के बाद किए गए वर्तमान कर प्रावधान शामिल हैं। आय गणना और प्रकटीकरण मानकों में) और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में शुद्ध परिवर्तन को दर्शाता है।

आस्थगित आय कर कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर को पहचानते हैं जो एक अवधि में उत्पन्न होते हैं और एक या अधिक बाद की अवधि में उलटने में सक्षम होते हैं। आस्थिगित कर आस्तियों को उनकी भविष्य की प्रतिवर्तिता की सीमा तक खाते की पुस्तकों में मान्यता दी जाती है। आस्थिगत कर देनदारियों को प्रोद्भवन के वर्ष में पूरी तरह से मान्यता दी जाती है। आस्थिगत कर को कर दरों और तुलन पत्र की तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर मापा जाता है।

कर दरों में परिवर्तन का प्रभाव स्थगित कर परिसंपत्तियों और दायित्वों पर उसी अवधि की आय विवरणी में मान्यता प्राप्त करता है जिसमें वह परिवर्तन अधिनियमित होता है।

प्रति शेयर आय

बैंक आईसीएआई द्वारा जारी किए गए एएस 20 (न्नति शेयर आय) के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर मूल और डाइल्युटेड आय की रिपोर्ट करता है। प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से शुद्ध आय को विभाजित करके की गई है। प्रति इक्विटी शेयर पतला आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और अवधि के दौरान बकाया कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की गई है।

valued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

The carrying amount of assets is reviewed in each Balance Sheet date to determine whether there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

13. TAXES ON INCOME:

Income Tax expense comprises of current tax provision made after due consideration of the judicial pronouncements and legal opinion (i.e. the amount of tax for the period determined in accordance with the Income Tax Act, 1961, the rules framed there under and considering the material principles set out in Income Computation and Disclosure Standards) and the net change in the deferred tax asset or liability during the

Deferred income taxes recognize timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred Tax Assets are recognized in the books of account to the extent of their future reversibility. Deferred Tax Liabilities are recognized fully in the year of accrual. Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date.

The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

14. EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share have been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.



प्रावधान, आकिस्मक देयताएं और आकिस्मक संपत्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी एएस 29 (प्रावधान, आकिस्मिक देयताएं और आकिस्मिक संपत्ति) के अनुसार, बैंक केवल प्रावधानों को मान्यता देता है जब पिछली घटना के पिरणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह होगा दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक है और जब दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकिस्मिक दायित्व का खुलासा तब तक किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूर—दूर तक न हो। आकिस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आय की पहचान हो सकती है जिसे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

16. खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

17. नकदी और नकद समकक्ष

नकदी और समकक्ष नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के साथ शेष और कॉल और शॉर्ट नोटिस पर धन शामिल है।

18. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी गई है।

19. अन्य / विविध

यदि ऋण की परिपक्वता अवधि 12 महीनों से कम है, तो उसे अल्पकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पकालिक के अतिरिक्त सभी ऋण दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।



15. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote. Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

16. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

17. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice.

18. Corporate Social Responsibility

Expenditure towards corporate social responsibility, in accordance with Companies Act, 2013 is recognised in the Profit and Loss Account.

19. OTHERS/MISC.

Loan are classified as short term in case the maturity is less than 12 months. Loans other than short term are classified as long term.





अनुसूची 18: 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए खातों में टिप्पणियां SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

- 1. नियामक पूंजी / Regulatory Capital
- क) नियामक पूंजी की संरचना / a) Composition of Regulatory Capital

क्र.सं / Sr No.	विवरण /Particulars	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) / Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	825.70	711.18
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी / Additional Tier 1 capital	शून्य / NIL	शून्य / NIL
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)/(i + ii)/Tier 1 capital (i + ii)	825.70	711.18
iv)	टियर 2 पूंजी /Tier 2 capital	48.15	47.95
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2) / Total capital (Tier 1+Tier 2)	873.85	759.13
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडबल्यूए) / Total Risk Weighted Assets (RWAs)	5212.38	4986.48
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)/ CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	15.84%	14.26%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी) Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	15.84%	14.26%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी) Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	0.92%	0.96%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीएसआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) / Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.76%	15.22%
xi)	लिवरेज अनुपात / Leverage Ratio	8.56%	7.40%
xii)	शेयरधारिता का प्रतिशत / Percentage of the shareholding of भारत सरकार / Government of India राज्य सरकार / State Government प्रायोजक बैंक / Sponsor Bank		
	बैंक एवं वित्तीय संस्थान / Banks and financial institution	98.57%	98.57%
xiii)	वर्ष के दौरान बढ़ाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि / Amount of paid-up equity capital raised during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
xiv)	वर्ष के दौरान बढ़ाई गई गैर–इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
xv)	वर्ष के दौरान बढ़ाई गई टियर 2 पूंजी की राशि Amount of Tier 2 capital raised during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL

रिजर्व से निकासी

₹ 45.40 लाख को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से राजस्व रिज़र्व में स्थानांतिरत किया गया है, जो कि एएस—00 (स्थिर परिसंपत्तियों के लेखांकन) के अनुपालन में किया गया है। यह स्थानांतरण पुनर्मूल्यांकित स्थिर परिसंपत्तियों के हिस्से पर किए गए ह्रास को दर्शाता है।

Draw down from Reserves

An amount of \ref{thm} 45.40 lacs have been appropriated from revaluation reserve to revenue reserve in compliance of AS-00 (accounting for fixed asset) the same reflects the depreciation on revalued portion of fixed asset.



ए) संपत्ति देयता प्रबंधन

31.03.2025 को संपत्ति और देनदारियों की कुछ वस्तुओं की परिपक्वता पैटर्न

a) Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2025

(राशि ₹ करोड़ में)

(Amount in ₹ Crore)

देयताएं / Liabilities	1 दिन / 1 day	2 से 7 दिन/ 2 to 7 days	8 से 14 दिन/ 8 to 14 days	15 से 30 दिन / 15 to 30 days	31 दिन से 2 माह/31 days to 2 months	2 माह से अधिक — और 3 माह तक/ Over 2 months & up to 3 months	3 माह से अधिक — और 6 माह तक/ Over 3 months & up to 6 months	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक/ Over 6 months & up to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक/ Over 1 year & up to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक/ Over 3 years & up to 5 years	5 वर्ष से अधिक / Over 5 years	कुल / Total
जमा / Deposits	68.73 (54.14)	299.81 (326.93)	272.78 (269.71)	299.67 (171.54)	341.11 (360.02)	434.33 (380.59)	1004.34 (1091.65)	1717.64 (2254.13)	3786.03 (3310.58)	23.22 (37.04)	8.16 (11.41)	8255.82 (8267.74)
अग्रिम / Advances	14.95 (14.28)	86.29 (85.67)	101.32 (100.59)	209.00 (202.14)	127.77 (120.81)	131.13 (222.33)	434.40 (332.14)	217.45 (175.32)	1881.25 (1763.30)	494.81 (431.70)	965.57 (1069.56)	4663.94 (4517.84)
निवेश / Investments	378.19 (515.54)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	164.65 (169.09)	56.78 (64.77)	72.18 (64.28)	176.89 (178.07)	308.94 (363.81)	640.33 (571.11)	4.54 (6.78)	54.39 (55.62)	1856.89 (1989.07)
उधारियां / Borrowings	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	0.00 (0.00)	0.00	0.00 (0.00)
विदेशी मुद्रा आस्तियां/ Foreign Currency assets	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
विदेशी मुद्रा देयताएं/ Foreign Currency liabilities	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकडे पिछले वर्ष की इसी अवधि (31 मार्च 2024) के आंकडे दर्शाते हैं।

Note: Figures in bracket indicates previous year figures for corresponding period (i.e 31st March 2024)







बी) तरलता कवरेज अनुपात (LCR)

b) Liquidity coverage ratio (LCR)

(राशि ₹ करोड़ में)

(Amount in ₹ Crore)

		पहली तिमाही 20 Q1 2024		दूसरी तिमाही 20 Q2 2024		तीसरी तिमाही 2 Q3 2024		चौथी तिमाही 20 Q4 2024	·
		कुल अभारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल मारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत)/ Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत)/ Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)
उच्च	गुणवत्ता वाली तरल उ	आस्तियां / High	Quality Liqu	uid Assets					
1.	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) / Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	1920.26	1920.26	1902.50	1902.50	1848.61	1848.61	1757.93	1757.93
	प्रवाह / Cash Outflo	l e		T					
2.	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा और खुदरा जमा, जिनमें से / Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	5849.40	432.57	5833.56	432.56	5928.95	440.83	5768.31	429.33
(i)	स्थिर जमा / Stable deposits	3047.41	152.37	3015.84	150.79	3041.30	152.06	2950.03	147.50
(ii)	कम स्थिर जमा / Less stable deposits	2801.99	280.20	2817.73	281.77	2887.65	288.77	2818.27	281.83
3.	असुरक्षित थोक वित्त पोषण, जिनमें से / Unsecured wholesale funding of which	1678.73	820.76	1671.10	819.61	1680.94	791.77	1595.33	705.50
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्ष)/ Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर—परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकार) / Non-operational deposits (all counterparties)	1678.73	820.76	1671.10	819.61	1680.94	791.77	1595.33	705.50
(iii)	असुरक्षित ऋण/ Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	सुरक्षित थोक वित्त पोषण / Secured wholesale funding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		पहली तिमाही २०		दूसरी तिमाही 2		तीसरी तिमाही 2		चौथी तिमाही २०	
		Q1 2024-2025		Q2 2024		Q3 2024 कुल गैर		Q4 2024	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)/ Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत)/ Total Weighted Value (average)	कुल गर भारित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)
5.	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से/ Additional requirements, of which	977.84	59.07	933.39	51.91	903.08	50.06	879.00	49.14
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्वक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह / Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह / Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और तरलता सुविधाएं / Credit and liquidity facilities	977.84	59.07	933.39	51.91	903.08	50.06	879.00	49.14
6.	अन्य संविदात्मक वित्त पोषण दायित्व/ Other contractual funding obligations	169.05	169.05	315.78	315.78	241.02	241.02	196.02	196.02
7.	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व/ Other contingent funding obligations	81.86	2.46	78.92	2.37	75.46	2.26	74.64	2.24
8.	कुल नकद बहिर्वाह / Total Cash Outflows	8756.88	1483.90	8832.75	1622.24	8829.45	1525.94	8513.29	1382.23
नकर्द	ो इनफ्लो / Cash Inflo	ws							
9.	सुरक्षित उधार (जैसे रिवर्स रेपो)/ Secured lending (e.g. reverse repos)	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		पहली तिमाही 20 Q1 2024		दूसरी तिमाही 20 Q2 2024		तीसरी तिमाही 2		चौथी तिमाही 20 Q4 2024	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)/ Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत)/ Total Weighted Value (average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल मारित मूल्य (औसत)/ Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत)/ Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)
10.	पूरी तरह से प्रदर्शन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह / Inflows from fully performing exposures	336.35	248.65	560.75	434.26	357.38	266.57	529.79	351.98
11.	अन्य नकदी अंतर्वाह / Other cash inflows	157.49	78.74	201.58	100.79	209.81	104.90	177.44	88.72
12.	कुल नकद अंतर्वाह/ Total Cash Inflows	493.84	327.40	762.33	535.05	567.18	371.48	707.23	440.70
			कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value
13.	कुल एचक्यूएलए / Total HQLA	1920.33	1920.33	1902.50	1902.50	1848.61	1848.61	1757.93	1757.93
14.	कुल नकद बहिर्वाह घटा कुल नकद अंतर्वाह / Total Cash Outflows less Total Cash Inflows	8263.04	1156.50	8070.42	1087.19	8262.27	1154.47	7806.06	941.53
15.	कुल नकदी बहिर्वाह का 25% / 25% of Total Cash outflows	2189.22	370.97	2208.19	405.56	2207.36	381.49	2128.32	345.56
16.	कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह (14 या 15 से अधिक)/ Total Net Cash Outflows [Higher of 14 or 15]	8263.04	1156.50	8070.42	1087.19	8262.27	1154.47	7806.06	941.53
17.	तरलता कवरेज अनुपात(%) (एचक्यूएलए / कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह / Liquidity Coverage Ratio (%) (HQLA*100/ Total Net Cash Outflows)		166.04%		174.99%		160.13%		186.71%



गुणात्मक

बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बेसल सिमित (बीसीबीएस) ने तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का प्रस्ताव दिया था तािक यह सुनिश्चित किया जा सकें कि बैंक के पास 30 दिनों की अविध तक चलने वाले एक महत्वपूर्ण तरलता तनाव से बचने के लिए बिना भार वाली उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है। LCR को अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए अनुमानित कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह के लिए HQLA के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। आरबीआई के दिशा—निर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम एलसीआर 1 जनवरी 2015 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा जैसा कि नीचे दिया गया है।

1 जनवरी से शुरू	2015	2016	2017	2018	2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

इसके अलावा कोविड 19 महामारी के कारण आरबीआई ने 17.04.2020 से एलसीआर दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।, विवरण नीचे दिया गया है:

सर्कुलर की तिथि से 30 सितंबर, 2020 तक	80%
1 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021	90%
1 अप्रैल, 2021 से आगे	100%

LCR में दो घटक होते हैं:

- (ए) स्ट्रेस्ड परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य।
- (बी) कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाहः शब्द "कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह" को बाद के 30 कैलेंडर दिनों (स्ट्रेस्ड अवधि) के लिए निर्दिष्ट तनाव परिदृश्य में "कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह" घटा "कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह" के रूप में परिभाषित किया गया है।

एलसीआर = अगले 30 कैलेंडर दिनों में उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति / कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह का स्टॉक>=100%

एलसीआर के मुख्य कारकः उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)ः

तरल संपत्ति में उच्च गुणवत्ता वाली संपत्तियां शामिल होती हैं जिन्हें आसानी से बेचा या उपयोग किया जा सकता है तािक विभिन्न प्रकार के तनाव परिदृश्यों में धन प्राप्त किया जा सके। उन्हें बिना किसी कानूनी, नियामक या परिचालन बाधाओं के भारमुक्त होना चािहए। संपत्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति माना जाता है यदि उन्हें आसानी से और तुरंत नकद में परिवर्तित किया जा सकता है या मूल्य का कोई नुकसान नहीं होता है।

एचक्यूएलए की बैंक की संरचना में मुख्य रूप से न्यूनतम वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत अनुमत सीमा और एलसीआर (एफएएलएलसीआर) के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां, इसके अतिरिक्त, नकद, आरबीआई के पास नकदी आरक्षित आवश्यकता से अधिक शेष, शामिल हैं। लेवल 2 एचक्यूएलए में मुख्य रूप से एए— और उससे ऊपर के कॉरपोरेट बॉन्ड और कमर्शियल पेपर शामिल थे।

Qualitative

The Basel Committee for Banking Supervision (BCBS) had proposed the liquidity coverage ratio (LCR) in order to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high quality liquid assets (HQLA) to survive a significant liquidity stress lasting for a period of 30 days. LCR is defined as a ratio of HQLA to the total net cash outflows estimated for the next 30 calendar days. As per the RBI guidelines the minimum LCR required to be maintained by banks shall be implemented in the phased manner from January 1, 2015 as given below.

Starting from January 1	2015	2016	2017	2018	2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

Further due to Covid 19 pandemic RBI has revised the LCR guidelines w.e.f. 17.04.2020, details as given below:

From date of circular to September 30, 2020	80%
Oct 1, 2020 to March 31, 2021	90%
April 1, 2021 onwards	100%

The LCR has two components:

- (a) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions.
- (b) Total net cash outflows: The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).

LCR = Stock of High Quality Liquid Assets/Total Net Cash Outflows over the next 30 calendar days >=100%

Main Drivers of LCR:

High Quality Liquid Assets (HQLA):

Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value.

Bank's composition of HQLA mainly consists of government securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR), the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally, cash, balances in excess of cash reserve requirement with RBI. Level 2 HQLA primarily consisted of AA- and above rated corporate bonds and commercial papers.



अंतर-अविध परिवर्तन के साथ-साथ समय के साथ परिवर्तन

समेकित आधार पर एल सी आर जनवरी 2025, फरवरी 2025 और मार्च 2025 की समाप्ति पर क्रमशः 180.72%, 199.08% तथा 227.52% रहा, जो नियामकीय आवश्यकता 100% के मुकाबले कहीं अधिक है।

धन स्रोतों का संकेंद्रणः

एक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष को उस एकल प्रतिपक्ष या आपस में जुड़े / संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनकी कुल देनदारियों में साझा हिस्सेदारी बैंक की कुल देनदारियों के 1% से अधिक हो। दिनांक 31 मार्च 2025 को बैंक की कुल देनदारियों में "बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक" और "यू एस डी एम ए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड" से प्राप्त महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष जमा क्रमशः 2.25% एवं 1.15% रही।

बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ता कुल जमाओं का 10.13% योगदान करते हैं।

डेरीवेटिव एक्सपोजर और संभावित संपार्श्विक कॉलः

31 मार्च 2025 तक, डेरिवेटिव के लिए बैंक का एक्सपोजर शून्य है.

एलसीआर में करेंसी मिसमैचः

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एलसीआर मानक को एक ही मुद्रा पर पूरा करना आवश्यक है, बैंक भारतीय रूपये में दैनिक आधार पर एलसीआर बनाए रख रहा है। 31 मार्च 2025 तक, बैंक केवल भारतीय रूपये में डील करता है, इसलिए कोई करेंसी बेमेल नहीं है.

नकदी प्रबंधन के केंद्रीकरण की डिग्री और समूह की इकाइयों के बीच का विवरणः

बैंक में नकदी प्रबंधन की ज़िम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है। निदेशक मंडल ने इस ज़िम्मेदारी को "बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति" नामक समिति को सौंपा है। यह समिति विभिन्न प्रकार के जोखिमों के आपसी संबंध और उनके तरलता पर प्रभाव की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

बैंक के पास एक परिसंपत्ति—देयता प्रबंधन (ए एल एम) नीति है, जो तरलता एवं ब्याज दर जोखिम के संदर्भ में बैंक के संचालन हेतु व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करती है। बैंक के परिचालन में तरलता एवं ब्याज दर जोखिम प्रबंधन की निगरानी, बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग के ए एल एम सेल द्वारा की जाती है।

एलसीआर गणना में अन्य प्रवाह और बहिर्वाहः

बैंक के नकद बहिर्वाह में मुख्य रूप से खुदरा जमा, असुरक्षित थोक निधिकरण, और अन्य कानूनी इकाई ग्राहकों से धन, आहरित कमिटेड क्रेडिट शामिल हैं।

Intra-period changes as well as changes over time

LCR on consolidated basis were 180.72%, 199.08% and 227.52% as at the months ended January 2025, February 2025 and March 2025 respectively as against the regulatory requirement of 100%.

Concentration of Funding Sources:

A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities. The significant counterparty Deposit as of 31st March 2025 was from "Baroda UP Gramin Bank" and "USDMA state disaster response fund" i.e 2.25% and 1.15% of our Total Liabilities.

Top 20 depositors of the Bank constitute 10.13% of our total deposit.

Derivative Exposures and potential collateral calls:

As on 31 March 2025, Bank's exposure to Derivative is NIL.

Currency Mismatch in the LCR:

As per the RBI guidelines, the LCR standard is required to be met on one single currency, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR. As on 31st March 2025, Bank deals only in INR, hence no currency mismatch.

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:

The liquidity management for the Bank is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board". The Committee is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has a ALM Policy which provides the broad guidelines under which all the bank operates in terms of liquidity and interest rate risk. The monitoring of liquidity and interest rate risk management of the Bank's operations of the bank is being done by the Bank's ALM Cell of Risk Management Department.

Other inflows and outflows in the LCR calculation:

Bank's Cash Outflow mainly consists of Retail Deposit, Unsecured Wholesale Funding, and Funding from other legal entity customers, Undrawn Committed Credit & Liquidity Facilities, Guarantees Letter Of Credit & Trade Finance, and Other Contractual Outflows.



कैश इनफ्लो में मुख्य रूप से रिटेल और लघु व्यवसाय प्रतिपक्ष से, गैर—वित्तीय थोक प्रतिपक्षों, वित्तीय संस्थाओं से और आर बी आई और अन्य संविदात्मक से प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

शुद्ध नकदी बिहर्वाह की गणना आरबीआई द्वारा निर्धारित बिहर्वाह कारकों को देनदारियों की विभिन्न श्रेणियों के साथ—साथ गैर—आहरण प्रतिबद्धताओं को, आंशिक रूप से 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों से अंतर्वाह द्वारा ऑफसेट लागू करके की जाती है।

मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए औसत एल सी आर 186.71% रहा, जो आर बी आई द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता यानी 100% से काफी अधिक है। इस तिमाही के दौरान औसत नकद निकासी ₹ 1382.23 करोड़, औसत नकद प्रवाह ₹ 440.70 करोड़ तथा औसत उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियाँ ₹ 1757.93 करोड़ रहीं।

ग) एनएसएफआर प्रकटीकरण मानक

एनएसएफआर गुणात्मक प्रकटीकरण

आरबीआई के दिशानिर्देशों ने दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही से प्रकटीकरण के साथ समेकित स्तर पर 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी एनएसएफआर के कार्यान्वयन को निर्धारित किया। तदनुसार, बैंक समेकित एनएसएफआर की गणना कर रहा है। NSFR को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है;

NSFR= (उपलब्ध स्थिर फंडिंग (ASF)) / (आवश्यक स्थिर फंडिंग (RSF))

उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ) को फंडिंग स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इसकी देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के फंडिंग प्रदाताओं की अपनी फंडिंग वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है। आवश्यक स्थिर निधिकरण (आरएसएफ) तुलन—पत्र से बाहर एक्सपोजर सहित बैंक द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की तरलता विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं का एक कार्य है।

इसके साथ संलग्न तालिका में लेखापरीक्षित वित्तीय के आधार पर 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार एनएसएफआर घटकों का भारित और भारित मुल्य निर्धारित किया गया है।

समेकित स्तर पर, बैंक का एनएसएफआर 31 मार्च 2025 को 197.05% था, जबिक आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 100% की आवश्यकता थी।

एनएसएफआर से संबंधित प्रकटीकरण की निरंतरता और उपयोगिता को बढ़ावा देने और बाजार अनुशासन को बढ़ाने के लिए, बैंक को आरबीआई द्वारा दिए गए एक सामान्य टेम्पलेट के अनुसार अपना एनएसएफआर प्रकाशित करना आवश्यक है। इसलिए बैंक को वित्तीय विवरणों के प्रकाशन के साथ

The cash Inflow mainly consists of amount received from Retail & Small Business Counterparties, amount to be received from Non-Financial Wholesale Counterparties, amount to be received from Financial Institutions & RBI, and from Other Contractual Cash Inflows.

The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities as well as to undrawn commitments, partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

The average LCR for the quarter ended March 2025 was 186.71% comfortably above RBI prescribed minimum requirement i.e.100%. Average cash outflows were ₹ 1382.23 Crore, Average cash inflows were ₹ 440.70 Crores. Average High Quality Liquid Assets were ₹ 1757.93 Crores of the quarter ended March 2025.

c) NSFR Disclosure Standards

NSFR Qualitative Disclosure

The RBI guidelines stipulated the implementation of NSFR effective from 1st October 2021 at a consolidated level with disclosure from quarter ended December 2021. Accordingly, the bank is computing the Consolidated NSFR. The NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding;

NSFR= (Available Stable Funding (ASF)) / (Required Stable Funding (RSF))

Available stable funding (ASF) is measured based on the broad characteristics of relative stability of funding sources, including contractual maturity of its liabilities and the differences in the tendency of different types of funding providers to withdraw their funding. Required Stable Funding (RSF) is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by the bank including Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

The table attached herewith sets out the un-weighted and weighted value of the NSFR components as on 31st March 2025 based on audited financials.

At a consolidated level, the NSFR of the bank comes out to 197.05% as on 31st March 2025 against the requirement of 100% as per RBI guidelines.

To promote the consistency and usability of disclosures related to the NSFR and to enhance market discipline, bank is required to publish its NSFR according to a common template given by RBI. Bank is therefore required to publish this



इस प्रकटीकरण को प्रकाशित करना आवश्यक है (अर्थात आमतीर पर त्रैमासिक या अर्ध—वार्षिक), बिना आक्षेप के ही वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की गई हो। एनएसएफआर जानकारी की गणना समेकित आधार पर की जाती है और भारतीय ₹ में प्रस्तुत की जाती है।

आंकड़ों को तिमाही—अंत टिप्पणियों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एनएसएफआर घटकों के भारित और भारित दोनों मूल्यों का घोषित तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया गया हो। भारित मूल्यों की गणना एएसएफ (उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण) या आरएसएफ (आवश्यक स्थिर वित्त पोषण) कारकों को लागू करने के बाद मूल्यों के रूप में की जाती है।

आरबीआई ने अपने परिपत्र दिनांक 05.02.2021 में निर्णय लिया कि एनएसएफआर दिशानिर्देश 1,2021 अक्टूबर से प्रभावी होंगे।

disclosure along with the publication of financial statements (i.e. typically quarterly or semi-annually), irrespective of whether the financial statements are audited. The NSFR information is calculated on a consolidated basis and presented in Indian Rupee.

Data must be presented as quarter-end observations. Both un-weighted and weighted values of the NSFR components are to be disclosed unless otherwise indicated. Weighted values are calculated as the values after applying ASF (Available stable funding) or RSF (Required stable funding) factors.

RBI in its circular dated 05.02.2021 decided that NSFR guidelines will come into effect from October 1,2021.

	(₹ करोड़ में) /(₹ in Crore) परिशिष्ट ॥/Appendix II						
	एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पले			ure Template-	31.03.2025		
			अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य / Unweighted value by residual maturity				
		परिपक्वता नहीं / No maturity	<6 महीने से / < 6 months	<6 महीने से <1 साल/ 6 months to <1 year	≥एक साल / ≥ 1 year	मूल्य / Weighted value	
एएसए	फ आइटम / ASF Item						
1	पूंजी / Capital: (2+3)	0.00	0.00	0.00	873.85	873.85	
2	विनियामक पूंजी / Regulatory capital	0.00	0.00	0.00	873.85	873.85	
3	अन्य पूंजीगत साधन / Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	खुदरा जमा और छोटे व्यापार ग्राहक से जमा/ Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	2,979.14	1,849.90	1,328.99	0.00	5,693.56	
5	स्थिर जमा / Stable deposits	1,798.78	708.70	519.31	0.00	2,875.45	
6	कम स्थिर जमा/Less stable deposits	1,180.36	1,141.20	809.68	0.00	2,818.11	
7	थोक निधि /Wholesale funding: (8+9)	190.47	243.35	291.64	0.00	362.73	
8	परिचालन जमा / Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	अन्य थोक वित्त पोषण / Other wholesale funding	190.47	243.35	291.64	0.00	362.73	
10	अन्य देयता / Other liabilities: (11+12)	0.00	744.70	0.00	871.37	881.83	
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयता / NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00		
12	अन्य सभी देयता और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं / All other liabilities and equity not included in the above categories	0.00	744.70	0.00	871.37	881.83	
13	कुल एएसएफ ∕ Total ASF (1+4+7+10)					7,811.97	



			शिष्ट परिपक्वता द्व eighted value b			भारित
		परिपक्वता नहीं / No maturity	<6 महीने से / < 6 months	6 महीने से <1 साल/ 6 months to <1 year	≥एक साल/ ≥1 year	मूल्य / Weighted value
आरएर	मएफ आइटम / RSF Item					
14	कुल NSFR उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA) / Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					0.00
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां / Deposits held at other financial institutions for operational purposes	13.01	0.00	0.00	0.00	6.51
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादनः/ Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0.00	5,659.51	1,004.95	1,015.78	3,142.51
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना/ Performing loans to Financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	वित्तीय संस्थानों को गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए सुरक्षित ऋण देना और असुरक्षित प्रदर्शन द्वारा वित्तीय संस्थानों को ऋण / Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	गैर—वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना ग्राहकों, खुदरा छोटे व्यवसाय ग्राहकों को ऋण और संप्रभुओं को ऋण, केंद्रीय बैंक और सार्वजनिक उपक्रम, जिनमें सेः / Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0.00	2,817.64	131.32	432.32	1,666.80
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल ॥ मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ/ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	परफार्मिंग आवासीय मॉर्टगेज Performing residential mortgages, of which:	0.00	462.80	12.50	493.57	561.42



		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य / Unweighted value by residual maturity				भारित
		परिपक्वता नहीं / No maturity	<6 महीने से/ <6 months	6 महीने से <1 साल/ 6 months to <1 year	≥एक साल/ ≥1 year	मूल्य / Weighted value
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल ॥ मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ / With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	462.80	12.50	493.57	561.42
23	प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज—ट्रेडेड इक्विटीज सहित एचक्यूएलए के रूप में अर्हता प्राप्त है / Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	2,379.07	861.13	89.89	914.29
24	अन्य संपत्तियांः (25 से 29 पंक्तियों का योग) / Other assets: (sum of rows 25 to 29)	0.00	1321.65	0.00	0.00	813.30
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं / Physical traded commodities, including gold		0.00	0.00	0.00	0.00
26	डेरिवेटिव के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां डिफ़ॉल्ट निधियों में अनुबंध और योगदान/ CCPs /Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव सम्पत्तियाँ / NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियां भिन्नता मार्जिन पोस्ट किया गया / NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	अन्य सभी संपत्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं / All other assets not included in the above categories	0.00	1,321.65	0.00	0.00	813.30
30	ऑफ–बैलेंस शीट आइटम/ Off-balance sheet items		72.85	0.00	0.00	2.19
31	कुल आरएसएफ / Total RSF (14+15+16+24+30)					3,964.51
32	शुद्ध स्थिर निधि अनुपात / Net Stable Funding Ratio (%)					197.05%



	एनएसएफआर डेटा–31.03.2025 तक / NSFR DATA AS OF 31.03.2025					
	एनएसएफआर का विवरण / S	tatement of NSFR				
क्र. सं. SI No	आइटम Items		बीएलआर 7 BLR 7			
तालिका 1 Table 1	एएसएफ श्रेणी के घटक (देयता श्रेणियां) Components of ASF category (liability categories)	संबद्ध एएसएफ कारक Associated ASF factors	अभारित राशि (करोड़ ₹ में) Unweighted Amount (₹ Crore)	भारित राशि (करोड़ ₹ में) Weighted Amount (₹ Crore)		
1	कुल नियामक पूंजी (एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाले टियर 2 उपकरणों को छोड़कर) Total regulatory capital (excluding Tier 2 instruments with residual maturity of less than one year)	100%	873.85	873.85		
2	एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता के साथ अन्य पूंजीगत लिखत और दायित्व Other capital instruments and liabilities with effective residual maturity of one year or more	100%	0.00	0.00		
3	1 वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता के साथ अन्य दायित्व Other liabilities with effective residual maturity of 1 year or more	100%	881.83	881.83		
4	स्थिर गैर—परिपक्वता (मांग) जमाराशियां और सावधि जमाएं जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष से कम है जो खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की जाती है Stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers	95%	3026.79	2875.45		
5	कम स्थिर गैर—परिपक्वता जमा और खुदरा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ सावधि जमा Less stable non-maturity deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers	90%	3131.24	2818.12		
6	गैर—वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्त पोषण Funding with residual maturity of less than one year provided by non-financial corporate customers	50%	111.75	55.88		
7	परिचालन जमा Operational deposits	50%	0.00	0.00		
8	सावरेन, PSE, बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंकों से एक वर्ष से कम की अविशष्ट परिपक्वता के साथ वित्त पोषण Funding with residual maturity of less than one year from sovereigns, PSEs, and multilateral and national development banks	50%	330.17	165.09		



9	छह महीने और एक वर्ष से कम के बीच अवशिष्ट परिपक्वता वाले अन्य फंडिंग उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जिसमें केंद्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया गया धन शामिल है Other funding with residual maturity between six months and less than one year not included in the above categories, including funding provided by central banks and financial institutions	50%	283.54	141.77
10	अन्य सभी दायित्व और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जिसमें परिपक्वता के बिना देनदारियां शामिल हैं (आस्थगित कर देनदारियों और अल्पसंख्यक हितों के लिए एक विशिष्ट उपचार के साथ) All other liabilities and equity not included in the above categories, including liabilities without a stated maturity (with a specific treatment for deferred tax liabilities and minority interests)	0%	734.24	0.00
11	व्युत्पन्न देनदारियां NSFR व्युत्पन्न परिसंपत्तियों का शुद्ध यदि NSFR व्युत्पन्न देनदारियां NSFR व्युत्पन्न परिसंपत्तियों से अधिक हैं NSFR derivative liabilities net of NSFR derivative assets if NSFR derivative liabilities are greater than NSFR derivative assets NSFR	0%	0.00	0.00
12	"व्यापार तिथि" वित्तीय साधनों, विदेशी मुद्राओं की खरीद से उत्पन्न होने वाले देय "Trade date" payables arising from purchases of financial instruments, foreign currencies	0%	0.00	0.00
	कुल एएसएफ / Total Available Stable Funding		9373.41	7811.98
तालिका 2 Table 2	आरएसएफ श्रेणी के घटक Components of RSF category	एसोसिएटेड आरएसएफ फैक्टर Associated RSF Factor	अभारित राशि (करोड़ रु में) Unweighted Amount (₹ Crore)	भारित राशि (करोड़ रु में) Weighted Amount (₹ Crore)
			((0.0.0)	•
A	बैलेंस शीट आइटम पर On Balance Sheet Items		(Colors)	
A		0%	22.70	0.00
	On Balance Sheet Items सिक्के और बैंकनोट	0%		
1	On Balance Sheet Items सिक्के और बैंकनोट Coins and banknotes अतिरिक्त सीआरआर सहित आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)		22.70	0.00
1 2	On Balance Sheet Items सिक्के और बैंकनोट Coins and banknotes अतिरिक्त सीआरआर सहित आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) Cash Reserve Ratio (CRR) including excess CRR छह महीने से कम की अविशष्ट परिपक्वता वाले केंद्रीय बैंकों पर सभी दावे All claims on central banks with residual maturities	0%	22.70 459.00	0.00



6	अभारित एसएलआर प्रतिभूतियां Unencumbered SLR Securities	5%	1757.6	87.88
7	छह महीने से कम की अविशष्ट परिपक्वता वाले वित्तीय संस्थानों को भारमुक्त ऋण, जहां ऋण 9 जून 2014 के एलसीआर परिपत्र में परिभाषित स्तर 1 परिसंपत्तियों के खिलाफ सुरक्षित है, और जहां बैंक के पास ऋण के जीवन के लिए प्राप्त संपार्शिवक को स्वतंत्र रूप से पुनर्निर्मित करने की क्षमता है Unencumbered loans to financial institutions with residual maturities of less than six months, where the loan is secured against Level 1 assets as defined in LCR circular dated June 9, 2014, and where the bank has the ability to freely rehypothecate the received collateral for the life of the loan	10%	0.00	0.00
8	छह माह से कम की अवशिष्ट परिपक्वताओं वाले वित्तीय संस्थाओं को दिए गए अन्य सभी अभारित ऋण उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए हैं All other 'standard' unencumbered loans to financial institutions with residual maturities of less than six months not included in the above categories	15%	498.75	74.81
9	अभारित स्तर 2क सम्पत्तियाँ Unencumbered Level 2A assets	15%	0.00	0.00
10	अभारित स्तर 2ख सम्पत्तियाँ Unencumbered Level 2B assets	50%	0.00	0.00
11	छह महीने या उससे अधिक और एक वर्ष से कम की अवधि के लिए अभारित है HQLA encumbered for a period of six months or more and less than one year HQLA	50%	0.00	0.00
12	वित्तीय संस्थानों और केंद्रीय बैंकों को छह महीने और एक वर्ष से कम अवधि के बीच अवशिष्ट परिपक्वता वाले 'मानक' ऋण 'Standard' Loans to financial institutions and central banks with residual maturities between six months and less than one year	50%	3.64	1.82
13	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में रखी गई जमाराशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes	50%	13.01	6.51
14	अन्य सभी परिसंपत्तियां जो एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जिनमें गैर–वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को 'मानक' ऋण, खुदरा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों के लिए, और संप्रभु और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को 'मानक' ऋण शामिल हैं All other assets not included in the above categories with residual maturity of less than one year, including 'standard' loans to non-financial corporate clients, to retail and small business customers, and 'standard' loans to sovereigns and PSEs	50%	4379.66	2189.83



		650/	402.57	220.02
15	भारमुक्त 'मानक' आवासीय बंधक एक वर्ष या उससे अधिक की अविशष्ट परिपक्वता के साथ और मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत न्यूनतम जोखिम भार सौंपा गया है Unencumbered 'standard' residential mortgages with a residual maturity of one year or more and assigned the minimum risk weight under the Standardised Approach	65%	493.57	320.82
16	अन्य भारमुक्त 'मानक' ऋण जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋणों को छोड़कर, जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता अविध एक वर्ष या उससे अधिक है और जिनका जोखिम भार मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर है Other unencumbered 'standard' loans not included in the above categories, excluding loans to financial institutions, with a residual maturity of one year or more and with a risk weight of less than or equal to 35% under the Standardised Approach	65%	0.00	0.00
17	डेरीवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई नकद, प्रतिभूतियां या अन्य संपत्ति और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान करने के लिए प्रदान की गई नकद या अन्य संपत्ति Cash, securities or other assets posted as initial margin for derivative contracts and cash or other assets provided to contribute to the default fund of a CCP	85%	0.00	0.00
18	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से अधिक जोखिम भार वाले अन्य भारमुक्त निष्पादनकारी ऋण और वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋणों को छोड़कर एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता अविध वाले ऋण Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the Standardised Approach and residual maturities of one year or more, excluding loans to financial institutions	85%	432.32	367.47
19	भारमुक्त प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक वर्ष या उससे अधिक की शेष परिपक्वता के साथ मुख्यालय के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करती हैं और एक्सचेंज—ट्रेडेड इक्विटी Unencumbered securities that are not in default and do not qualify as HQLA with a remaining maturity of one year or more and exchange-traded equities	85%	64.89	55.16
20	सोने सहित भौतिक व्यापारिक वस्तुएं Physical traded commodities, including gold	85%	0.00	0.00
21	सभी संपत्तियां जो एक वर्ष या उससे अधिक की अविध के लिए अभारित हैं All assets that are encumbered for a period of one year or more	100%	0	0.00



27	वर्तमान में उत्पादों और उपकरणों सहित अन्य आकस्मिक वित्त पोषण दायित्वों की अनाहरित स्थिति (ए) + (बी) + (सी) Currently Undrawn Position of Other contingent funding obligations, including products and instruments (a) + (b) + (c)	वर्तमान में अनाहरित भाग का 5% 5% of the currently undrawn portion	72.85	2.19
26	वर्तमान में किसी भी ग्राहक को अपरिवर्तनीय और सशर्त रूप से प्रतिसंहरणीय क्रेडिट और तरलता सुविधाओं की अनाहरित स्थिति Currently Undrawn Position of Irrevocable and conditionally revocable credit and liquidity facilities to any client	वर्तमान में अनाहरित भाग का 5% 5% of the currently undrawn portion	0.00	0.00
ख B	ऑफ–बैलेंस शीट एसेट्स Off-Balance Sheet Assets	एसोसिएटेड आरएसएफ फैक्टर Associated RSF Factor		
क A	आवश्यक स्टेबल फण्ड — बैलेंस शीट परिसंपत्तियों पर [1 से 25 का योग] Required Stable Funding – On Balance Sheet Assets [Sum of 1 to 25]		8983.17	3962.33
25	सभी पुनर्गठित 'मानक' ऋण जो उच्च जोखिम भार और अतिरिक्त प्रावधान को आकर्षित करते हैं All restructured 'standard' loans which attract higher risk weight and additional provision	100%	14.73	14.73
23	20% of derivative liabilities उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी संपत्तियां, जिनमें गैर–निष्पादित ऋण, एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तीय संस्थानों को ऋण, गैर–एक्सचेंज–ट्रेडेड इक्विटी, अचल संपत्तियां, नियामक पूंजी से काटी गई वस्तुएं, प्रतिधारित ब्याज, बीमा संपत्तियां, सहायक ब्याज और डिफ़ॉल्ट प्रतिभूतियां शामिल हैं All other assets not included in the above categories, including non-performing loans, loans to financial institutions with a residual maturity of one year or more, non-exchange-traded equities, fixed assets, items deducted from regulatory capital, retained interest, insurance assets, subsidiary interests and defaulted securities	100%	843.3	843.30
22	डेरीवेटिव परिसंपत्तियाँ NSFR डेरीवेटिव देनदारियों का शुद्ध यदि NSFR डेरीवेटिव परिसंपत्तियाँ NSFR डेरीवेटिव दायित्वों से अधिक हैं NSFR derivative assets net of NSFR derivative liabilities if NSFR derivative assets are greater than NSFR derivative liabilities NSFR डेरिवेटिव देनदारियों का 20%	100%	0.00	0.00



27 (a)	वर्तमान में बिना शर्त प्रतिसंहरणीय ऋण और चलनिधि सुविधाओं की अनाहरित स्थिति Currently Undrawn Position of Unconditionally revocable credit and liquidity facilities	वर्तमान में अनाहरित भाग का 5% 5% of the currently undrawn portion	0.00	0.00
27 (b)	व्यापार वित्त से संबंधित दायित्व (गांरटी और क्रेडिट के पत्र सहित) Trade finance-related obligations (including guarantees and letters of credit)	वर्तमान में अनाहरित भाग का 3% 3% of the currently undrawn portion	0.00	0.00
27 (c)	गारंटी और साखपत्र जो व्यापार वित्त दायित्वों से असंबंधित हैं Guarantees and letters of credit unrelated to trade finance obligations	वर्तमान में अनाहरित भाग का 3% 3% of the currently undrawn portion	72.85	2.19
28	गैर—संविदात्मक दायित्व 28 (ए) + 28 (बी) + 28 (सी) Non-contractual obligations 28(a) + 28(b) + 28(c)		0.00	0.00
28 (a)	बैंक के स्वयं के ऋण या संबंधित नली, प्रतिभूति निवेश वाहनों और ऐसी अन्य वित्तपोषण सुविधाओं के ऋण पुनर्खरीद के लिए संभावित अनुरोध potential requests for debt repurchases of the bank's own debt or that of related conduits, securities investment vehicles and other such financing facilities	5%	0.00	0.00
28 (b)	संरचित उत्पाद जहां ग्राहक तैयार विपणन क्षमता की आशा करते हैं, जैसे समायोजन दर नोट और परिवर्तनीय दर मांग नोट (वीआरडीएन) structured products where customers anticipate ready marketability, such as adjustable rate notes and variable rate demand notes (VRDNs)	5%	0.00	0.00
28 (c)	प्रबंधित फंड जो एक स्थिर मूल्य बनाए रखने के उद्देश्य से विपणन किए जाते हैं managed funds that are marketed with the objective of maintaining a stable value	5%	0.00	0.00
	आवश्यक स्थिर वित्त पोषण – बैलेंस शीट आइटम			
ख B	(26 से 28 का योग) Required Stable Funding – Off Balance Sheet Items (Sum of 26 to 28)		72.85	2.19
	कुल आवश्यक स्थिर फंडिंग (ए+बी) Total Required Stable Funding (A+B)		9056.02	3964.51
	कुल उपलब्ध स्थिर फंडिंग *100 कुल आवश्यक स्थिर फंडिंग (एनएसएफआर) (Total Available Stable Funding)*100 Total Required Stable Funding (NSFR)			197.05



3. निवेश / Investment

31 मार्च 2025 तक निवेश पोर्टफोलियो की संरचनाः/ Composition of Investment Portfolio as on 31st March 2025

(राशि ₹ करोड़ में) / Amount in (Crore)

				(राशि ₹ करोड़ में) / Amount in ((
			भारत में ि	भारत व						
	Investments in India							ents outsi	ide India	
	सरकारी प्रतिभूतियाँ / Govt.	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ /	शेयर / Shares	शेयर डिबेंचर बांड/	अन्य / Others	भारत में कुल निवेश/ Total	सरकारी प्रतिभूतियाँ / Govt.	अन्य / Others	भारत के बाहर निवेश /Total	कुल निवेश / Total
	Securities	Other approved		Deben- tures/		Invest- ment in	Securities		Invest- ments out-	Invest- ments
		Securities		Bonds		India			side India	
परिपक्वता के लिए										
आयोजित / Held to										
Maturity										
कुल / Gross	951.25	0	0	0	0	951.25	0	0	0	951.25
घटाएं: गैर–निष्पादित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेशों के लिए प्रावधान										
(एनपीआई) / Less:										
Provision for non-										
performing investments										
(NPI)										
शुद्ध / Net	951.25	0	0	0	0	951.25	0	0	0	951.25
बिक्री के लिए उपलब्ध/										
Available for Sale										
कुल / Gross	806.35	0	0	88.34	0	894.69	0	0	0	894.69
घटाः मूल्यहास और	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एनपीआई के लिए प्रावधान/										
Less: Provision for										
depreciation and NPI	806.35	0	0	88.34	0	894.69	0	0	0	894.69
शुद्ध / Net	800.33	0	U	88.34	U	894.09	0	0	U	894.09
एफवीटीपीएल / ट्रेडिंग के लिए धारित										
FVTPL/Held for Trading										
कुल / Gross	0	0	0	10.95	0	10.95	0	0	0	10.95
घटाः मूल्यहास के लिए प्रावधान और एनपीआई / Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	10.95	0	10.95	0	0	0	10.95
शुद्ध / Net कुल निवेश / Total	1757.60	0	0	99.29	0	1856.89	0	0	0	1856.89
कुल निवश / Iotal	1/3/.00	U	U	33.23	0	1030.09	U	U	U	1030.09
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेशों	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
के लिए प्रावधान/										·
Less: Provision for non-										
performing investments										
घटाः मूल्यहास और	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एनपीआई के लिए प्रावधान/										
Less: Provision for										
depreciation and NPI										



31 मार्च 2024 तक निवेश पोर्टफोलियो की संरचना / Composition of Investment Portfolio as on 31st March 2024

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ Crore)

	(राश र कराड़ म)/ (Amount ii										
	भारत में निवेश/							के बाहर नि	-		
		lı .	nvestment	s in India		1	Investm	ents outsi	ide India		
	सरकारी प्रतिभूतियाँ / Govt. Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूति / Other approved Securities	शेयर / Shares	शेयर डिबेंचर बांड / Deben- tures/ Bonds	अन्य / Others	मारत में कुल निवेश / Total Invest- ment in India	सरकारी प्रतिभूतियाँ / Govt. Securities	अन्य / Others	भारत के बाहर निवेश /Total Invest- ments out- side India	कुल निवेश / Total Invest- ments	
परिपक्वता के लिए											
आयोजित / Held to											
Maturity											
कुल/Gross	951.87	0	0	0	0	951.87	0	0	0	951.87	
घटाएं: गैर–निष्पादित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)/Less: Provision for non- performing investments (NPI)											
शुद्ध / Net	951.87	0	0	0	0	951.87	0	0	0	951.87	
बिक्री के लिए उपलब्ध / Available for Sale											
कुल/Gross	931.02	0	0	109.86	0	1040.88	0	0	0	1040.88	
घटाः मूल्यङ्गास और एनपीआई के लिए प्रावधान / Less: Provision for depreciation and NPI	0	0	0	3.68	0	3.68	0	0	0	3.68	
शुद्ध / Net	931.02	0	0	106.18	0	1037.20	0	0	0	1037.20	
ट्रेडिंग के लिए धारित/ Held for Trading											
कुल / Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
घटाः मूल्यह्रास के लिए प्रावधान और एनपीआई / Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
शुद्ध / Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
कुल निवेश / Total Investments	1882.89	0	0	109.86	0	1992.75	0	0	0	1992.75	
घटाएं: गैर—निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान / Less: Provision for non- performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
घटाः मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान / Less: Provision for depreciation and NPI	0	0	0	3.68	0	3.68	0	0	0	3.68	
शुद्ध ∕ Net	1882.89	0	0	106.18	0	1989.07	0	0	0	1989.07	



बी) मूल्यहास और निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(राशि ₹. करोड़) / (Amount in ₹ Crore)

		•	• , , ,
	निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments	31 मार्च, 2025 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 31st March, 2024
(i)	निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(a)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	3.68	29.35
(b)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provisions made during the year	0.00	0.83
(c)	घटाः वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को राइट—ऑफ़ खाते Less: Write off / write back of excess provisions during the year	3.68	26.5
(d)	अंतिम शेष / Closing Balance	0.00	3.68
(ii)	सुरक्षा प्राप्तियों के प्रावधान / Provisions for Security Receipts		
(a)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	0.00	4.46
(b)	जोड़ें: तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान/ Add: Provisions made during the year	0.00	0.00
(c)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को राइट—ऑफ़ खाते में डालना Less: Write back of excess provisions during the year (Other reserves)	0.00	4.46
(d)	अंतिम शेष / Closing Balance	0.00	0.00
(iii)	एनपीआई के प्रावधानों का संचलन / Movement of provisions for NPI		
(a)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	0.00	0.54
(b)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/ Add: Provisions made during the Year	0.00	0.00
(c)	घटाएं: तिमाही के दौरान की गई वसूली Less: Recovery during the quarter	0.00	0.54
(d)	अंतिम शेष / Closing Balance	0.00	0.00
4 A		. 5 . 6	15 1 (5: .:)

^{*}As per Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), June, ₹ 3.68 Crore has been transferred to Other reserve on account of reversal of provision for depreciation as of 01.04.2024. *मास्टर निर्देश — वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (दिशानिर्देश), जून के अनुसार, 01.04.2024 को मूल्य ह्रास के लिए किए गए प्रावधान की वापसी के कारण ₹ 3.68 करोड़ की राशि अन्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित की गई है।

(राशि रू. करोड़) / (Amount in ₹ Cr)

	निवेश उतार—चढ़ाव रिजर्व में संचलन Movement in Investment Fluctuation Reserve	31 मार्च, 2025 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 31st March, 2024
(1)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	21.25	21.25
(2)	वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि / Amount transferred during the year	0.00	3.46
(3)	कमः ड्राडाउन / Less: Drawdown	0.00	3.46
(4)	अंतिम शेष / Closing balance	21.25	21.25



निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments	31 मार्च, 2025 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 31st March, 2024
AFS' और HFT/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में IFR में अंतिम शेष राशि / Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS* and HFT@Current category	2.35%	2.04%
एएफएस और एचएफटी / चालू श्रेणी' में निवेश की समापन शेष राशि Closing balance of investments in AFS and HFT/Current category*	905.63	1040.88

(राशि ₹ करोड़) / (Amount in ₹ Crore)

	निवेश आरक्षित खाता (आईआरए) में परिवर्तनों का विवरण Movement in Investment Reserve Account (IRA)	31 मार्च, 2025 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 31st March, 2024
(1)	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक शेष राशि / Opening Balance for FY	18.83	4.43
(2)	घटाएं: आहरण / स्थानांतरित राशि/Less: Drawdown/ Transferred	18.83	0.47
(3)	जोड़ें: स्थानांतरित की गई राशि / Add: Amount transferred	0	14.87
(4)	अंतिम शेष / Closing balance	0	18.83

^{*}As per Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023, ₹ 18.83 Crore has been transferred to Other reserve as of 01-04-2024.

(राशि ₹ करोड़) / (Amount in ₹ Crore)

	एएफएस रिज़र्व में परिवर्तन Movement in AFS Reserve	31 मार्च, 2025 31st March, 2025
(1)	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक शेष राशि (01—04—2024 की स्थिति में) / Opening Balance for FY (As of 01-04-2024)	0.00
(2)	इस अवधि के दौरान कमी / Decrease during the period	-5.62
(3)	इस अवधि के दौरान वृद्धि / Increase during the period	9.23
(4)	अंतिम शेष / Closing balance	3.61

^{*}As per Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023, new AFS reserve created.

सी) एचटीएम श्रेणी से / को बिक्री और स्थानान्तरण एचटीएम पोर्टफोलियो से एएफएस में 5ः से अधिक प्रतिभूतियों के स्थानांतरण का विवरणः शून्य

डी) एएफएस से एचटीएम तथा एचटीएम से एएफएस में प्रतिभूतियों के स्थानांतरण का विवरण–शून्य

c) Sale and transfers to/from HTM category

Details of Transfer of Securities to/from HTM portfolio to AFS in excess of 5%: NIL.

d) The details of shifting of securities from AFS to HTM and vice versa.-NIL

^{*}मास्टर निर्देश — वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (दिशानिर्देश), 2023 के अनुसार, ₹ 18.83 करोड़ की राशि 01—04—2024 को अन्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित की गई है।

^{*}मास्टर निर्देश — वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (दिशानिर्देश), 2023 के अनुसार, नया एएफएस रिज़र्व बनाया गया है।



ई) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियों / e) Non-SLR investment portfolio

i) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश i) Non-performing non-SLR investments

(राशि ₹ करोड़) / (Amount in ₹ Crore)

क्रमांक संख्या Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2025 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 31st March, 2024
(ক) (a)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	0.00	0.54
(ख) (b)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	0.00	0.00
(ग) (c)	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती Reductions during the above period	0.00	0.54
(ঘ) (d)	अंतिम शेष / Closing balance	0.00	0.00
(ङ) (e)	कुल प्रावधान / Total provisions held	0.00	0.00

ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

ii) Issuer composition of non-SLR investments

(राशि ₹ करोड़) / (Amount in ₹ Crore)

क्र. सं./ S. No.	जारीकर्ता / Issuer		शे / ount	की Exte Pri	नियोजन सीमा ent of vate ement	से नीचे' प्रतिभूतियों की सीमा / Extent of 'Below Investment Grade' Securities		प्रतिभूतियों की सीमा / Extent of 'Below Investment Grade' Securities		सार्वजनिक निर्गम / Public Issue		प्रतिभूरि सीमा / of 'Ur	'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा / Extent of 'Unrated' Securities		गीबद्ध' तेयों की Extent llisted' rities
	(1)	(2)	(3)	(-	4)	(5)	(6)	(7)		
		31 मार्च, 2025 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 31st March, 2024	31 मार्च, 2025 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 31st March, 2024	31 मार्च, 2025 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 31st March, 2024	31 मार्च, 2025 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 31st March, 2024	31 मार्च, 2025 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 31st March, 2024	31 मार्च, 2025 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 31st March, 2024		
(i)	पीएसयू / PSU	39.45	40	39.45	40	0	0	0	0	0	0	0	0		
(ii)	एफआई / Fls	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(iii)	बैंक / Banks	49.94	49.82	49.94	49.82	0	0	0	0	0	0	0	0		
(iv)	निजी कॉर्पोरेट / Private Corporate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(v)	सहायक / संयुक्त उद्यम / Subsidiaries/Joint Ventures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(vi)	अन्य /Others	9.90	20.04	9.90	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0		
(vii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Provisions held for depreciation	0	3.68	0	3.68	0	0	0	0	0	0	0	0		
	कुल / Total	99.29	106.18	99.29	106.18	0	0	0	0	0	0	0	0		



एफ) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में) — बैंक ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान कोई रेपो या रिवर्स रेपो लेनदेन नहीं किया था। f) Repo transactions (in face value terms) - The Bank had not entered into any Repo or reverse repo transactions during the current year and last year.

जी) एसआर (सिक्योरिटी रिसीप्ट्स) में निवेश / g) Investment in SRs (Security Receipts)

विवरण Particulars	पिछले 5 वर्षों में जारी एसआर/ SRs issued within past 5 years/	5 वर्ष से अधिक परंतु पिछले 8 वर्षों के भीतर जारी एसआर/ SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्ष से अधिक पुराने जारी एसआर/ SRs issued more than 8 years ago
(i) बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए पर आधारित एसआर का पुस्तकीय मूल्य/(i) Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	0.00	0.00	0.00
(i) के विरुद्ध प्रावधान/ Provision held against (i)	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / एनबीएफसी द्वारा बेचे गए एनपीए पर आधारित एसआर का पुस्तकीय मूल्य / (ii) Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks / FIs / NBFCs as underlying	0.00	0.00	0.00
(ii) के विरुद्ध प्रावधान / Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
अंतिम शेष / Closing balance	0.00	0.00	0.00

*नोट : आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड (एनपीए खाता) के लिए एनसीएलटी प्रस्ताव के तहत समझौता किया गया, और बैंक को 400000 आई एन वी आईटी यूनिटें प्राप्त हुईं, प्रत्येक की अंकित मूल्य ₹ 100.00 है और कुल राशि ₹ 4.00 करोड़ है। बैंक ने इन सभी 400000 आई एन वी आईटी यूनिटों को केवल ₹ 1.00 के नाममात्र मूल्य पर एनपीआई निवेश के रूप में दर्ज किया है।

4. संपत्ति की गुणवत्ता /4. Asset quality

- ए) (i) 31 मार्च 2025 तक धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरणः
- a) (i) Classification of advances and provisions held as on March 31st 2025:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ Crore)

	मानक / Standard			पादित / rforming		योग / Total
	कुल मानक अग्रिम/Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर-परफार्मिंग अग्रिम/Total Non- Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए/Gross St	andard Advances	and NPAs				
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	4413.12	62.99	312.30	23.38	398.67@	4811.79
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Add: Additions during the year					65.01	
कमः वर्ष के दौरान कटौती / Less: Reductions during the year					77.48	
अंतिम शेष / Closing balance	4575.17	55.84	250.87	79.49	386.20!	4961.37
सकल एनपीए में कटौती के कारणः/ Reductions in Gross NPAs due to:						
i) अपग्रेडेशन / i) Upgradation					42.78	-
ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों से वसूली को छोड़कर)/ ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					31.17	-



	मानक / Standard		गैर—निष Non-Pe		योग / Total	
	कुल मानक अग्रिम / Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर-परफार्मिंग अग्रिम/Total Non-Performing Advances	
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट—ऑफ़ खाते / iii) Technical/ Prudential Write-offs					0.00	-
iv) उपरोक्त (iii) के तहत अन्य के अलावा अन्य राइट—ऑफ़ खाते / iv) Write-offs other than those under (iii) above					3.53	-
प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर)/ Provisions (excluding Floating Provisions)				-	-	
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष / Opening balance of provisions held	24.76	9.58	259.93	23.35	292.86	317.62
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान/ Add: Fresh provisions made during the year					38.33	-
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान रिवर्सड / राइट—ऑफ़ खाते में डाले गए ऋण / Less: Excess provi- sion reversed/ Write-off loans					36.14	-
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष/ Closing balance of provisions held	28.47	8.67	207.52	78.86	295.05	323.52
शुद्ध एनपीए / Net NPAs						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance					41.88	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए जोड़ / Add: Fresh additions during the year					0.00	
कमः वर्ष के दौरान कटौती / Less: Reductions during the year					15.96	
अंतिम शेष / Closing Balance					25.92	-

@Excluding interest suspense of ₹ 7.33 crore. @ ₹ 7.33 करोड़ के ब्याज सस्पेंस को छोड़कर !Excluding interest suspense of ₹ 8.49 crore ! ₹ 8.49 करोड़ के ब्याज सस्पेंस को छोड़कर

	मानक / Standard	गैर-	orming	योग / Total		
	कुल मानक अग्रिम/ Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर—परफार्मिग अग्रिम/Total Non- Performing Advances	
फ्लोटिंग प्रावधान/ Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance						62.85
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान / Add: Additional provisions made during the year						0
घटाः वर्ष के दौरान आहरित राशि / Less: Amount drawn down during the year						0
फ्लोटिंग प्रावधानों का अंतिम शेष / Closing balance of floating provisions						62.85
तकनीकी राइट—ऑफ़ खाते और उस पर की ग	ाई वसूली / Technical w	rite-offs and the	e recoverie	s made t	hereon	
तकनीकी / पूडेंशियल राइट—ऑफ़ खातों का प्रारंभिक शेष / Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						181.49



	मानक / Standard	ndard गैर–निष्पादित / Non-Performing					
	कुल मानक अग्रिम/ Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर—परफार्मिंग अग्रिम/Total Non- Performing Advances		
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट—ऑफ़ खाते / Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						0.00	
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट—ऑफ़ खाते में की गई वसूली / Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						1.81	
अंतिम शेष Closing balance						179.68	

ii) 31 मार्च 2024 तक अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरणः

(ii) Classification of advances and provisions held as on March 31st 2024:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹crore)

	मानक / गैर-निष्पादित / योग /							
	मानक / Standard							
	कुल मानक अग्रिम/ Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि/Loss	कुल गैर—परफार्मिंग अग्रिम/Total Non- Performing Advances			
सकल मानक अग्रिम और एनपीए/Gross St	andard Advances a	and NPAs						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	4175.86	59.21	361.46	22.59	443.26@	4619.12		
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Add: Additions during the year					97.25			
कमः वर्ष के दौरान कटौती* / Less: Reductions during the year*					141.84			
अंतिम शेष / Closing balance	4413.12	62.99	312.30	23.38	398.67**	4811.79		
*सकल एनपीए में कटौती के कारणः/ *Reductions in Gross NPAs due to:								
i) अपग्रेडेशन / i) Upgradation					48.38			
ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों से वसूली को छोड़कर)/ ii) Recoveries (exclud- ing recoveries from upgraded accounts)					44.46			
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट—ऑफ़ खाते / iii) Technical/ Prudential Write-offs					44.93			
iv) उपरोक्त (iii) के तहत अन्य के अलावा अन्य राइट—ऑफ़ खाते / iv) Write-offs other than those under (iii) above			4.07					
प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर) / Provisions (excluding Floating Provisions)								
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष / Opening balance of provisions held	24.87	8.93	269.44	22.59	300.96	325.83		
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान/ Add: Fresh provisions made during the year					64.74			



	मानक / Standard		गैर—निष्पादित / Non-Performing				
	कुल मानक अग्रिम/ Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर—परफार्मिंग अग्रिम/Total Non-Performing Advances		
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान रिवर्सड / राइट—ऑफ़ खाते में डाले गए ऋण / Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					72.84		
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष/ Closing balance of provisions held	24.76	9.58	259.93	23.35	292.86	317.62	
शुद्ध एनपीए / Net NPAs #							
प्रारंभिक शेष / Opening Balance					78.33		
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए जोड़ / Add: Fresh additions during the year				0.00			
कमः वर्ष के दौरान कटौती / Less: Reductions during the year				36.45			
अंतिम शेष / Closing Balance					41.88		

[@] Excluding Interest suspense of ₹ 4.47 Crore. @ ब्याज सस्पेंस ₹ 4.47 करोड़ की राशि शामिल नहीं है।

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹crore)

	मानक / Standard					
	कुल मानक अग्रिम/ Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	कुल मानक अग्रिम/ Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful
फ्लोटिंग प्रावधान / Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance						62.85
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान / Add: Additional provisions made during the year						0
घटाः वर्ष के दौरान आहरित राशि / Less: Amount drawn down during the year						0
फ्लोटिंग प्रावधानों का अंतिम शेष / Closing balance of floating provisions						62.85
तकनीकी राइट–ऑफ़ खाते और उस पर की ग	ाई वसूली / Techni	cal write-offs and	d the recove	ries made ther	eon	
तकनीकी / प्रूडेंशियल राइट—ऑफ़ खातों का प्रारंभिक शेष / Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts						140.55
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट—ऑफ़ खाते / Add: Technical / Prudential write-offs during the year						44.93

^{**} Excluding Interest suspense of ₹ 7.33 Crore **ब्याज सस्पेंस के ₹ 7.33 करोड़ छोड़कर।



	मानक / Standard		गैर—निष्पादित / Non-Performing			
	कुल मानक अग्रिम/ Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	कुल मानक अग्रिम/ Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट—ऑफ़ खाते में की गई वसूली / Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						3.99
अंतिम शेष Closing balance						181.49

अनुपात (प्रतिशत में)	Ratios (in per cent)	31 मार्च, 2025 31st March 2025	31 मार्च, 2024 31st March 2024
सकल एनपीए से सकल अग्रिम/	Gross NPA to Gross Advances	7.78%	8.29%
शुद्ध एनपीए से शुद्ध अग्रिम/	Net NPA to Net Advances	0.56%	0.94%
प्रावधान कवरेज अनुपात/	Provision coverage ratio	92.67%	89.22%

(ii) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(ii) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹crore)

क्र.	सेक्टर / Sector	31 मार्च	, 2025 / 31 st N	March 2025	31 मार्च, 2024 / 31st March 2024		
सं. Sr. No.		बकाया कुल अग्रिम/ Outstanding Total Advances#	सकल एनपीए / Gross NPAs#	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत / Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम/ Outstanding Total Advances	सकल एनपीए## / Gross NPAs##	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत / Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector						
a)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ / Agriculture and allied activities	824.52	125.06	15.17	901.76	123.05	13.65
b)	प्राथमिकता—प्राप्त क्षेत्र में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम/ Advances to industries sector eligible as priority sector lending	339.93	119.81	35.25	384.03	131.97	34.36
c)	(i) सेवाएं / Services	607.32	57.39	9.45	728.83	59.71	8.19
d)	व्यक्तिगत ऋण / Personal Loan	434.57	11.29	2.60	443.90	13.42	3.02
	उप—योग / Subtotal (i)	2206.34	313.55	14.21	2458.52	328.15	13.35
ii)	गैर-प्राथमिकता वाला क्षेत्र / Non-prior	ity Sector					
a)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ / Agriculture and allied activities	8.52	6.31	74.06	3.46	1.18	34.10
b)	उद्योग / Industry	215.71	13.31	6.17	310.31	14.31	4.61
c)	सेवाएं / Services	165.64	9.61	5.80	209.43	17.59	8.40
d)	व्यक्तिगत ऋण / Personal Loan	2365.16	43.42	1.84	1830.07	37.44	2.05
	उप—कुल (ii) / Sub-total (ii)	2755.03	72.65	2.64	2353.27	70.52	3.00
	कुल (l+ii) Total (I+ii)	4961.37	386.20	7.78	4811.79	398.67	8.29

#ब्याज सस्पेंस ₹ 8.49 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। #Excludes Interest suspense of ₹ 8.49 Crore ## ₹7.33 करोड़ का ब्याज सस्पेंस शामिल नहीं है। ##Excludes Interest suspense of ₹ 7.33 Crore



ख) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

- b) Particulars of resolution plan and restructuring
- i) 7 जून 2019 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018–19 के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण शून्य
- i) Particulars of resolution plan implemented vide circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 NIL
- ii) पुनर्रचना के अधीन खातों का विवरण
- ii) Details of accounts subjected to restructuring

		गतिवि Agric and	ौर संबद्ध धियाँ / ulture allied vities	को छ Corp	(एमएसएमई ोड़कर) / porates ing MSME)	उद्यम (एम Micro, S Medium	्र और मध्यम मएसएमई)/ Small and Enterprises SME)	एमएस छोड़ Retail (agricul	(कृषि और एमई को कर) / excluding lture and SME)		ल / otal
		चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year
	उधारकर्ताओं की संख्या/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य /	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/
	Number of borrowers	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
मानक	सकल राशि (₹ करोड़)/	शून्य/	शून्य/	शून्य /	शून्य/	शून्य /	शून्य/	शून्य /	शून्य/	शून्य /	शून्य/
Standard	Gross Amount (₹ crore)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	प्रावधान (₹ करोड़)/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य /	शून्य/	शून्य/	शून्य/
	Provision held (₹ crore)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
अवमानक /	उधारकर्ताओं की संख्या/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य /	शून्य/	शून्य/	शून्य/
Sub-	Number of borrowers	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
standard	सकल राशि (₹ करोड़)/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य /	शून्य/	शून्य/	शून्य/
	Gross Amount (₹ crore)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	प्रावधान (₹ करोड़)/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य /	शून्य /	शून्य /	शून्य/	शून्य/	शून्य/
	Provision held (₹ crore)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
संदिग्ध	उधारकर्ताओं की संख्या/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य /	शून्य/	शून्य/	शून्य/
Doubtful	Number of borrowers	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	सकल राशि (₹ करोड़)/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य /	शून्य/	शून्य/	शून्य /
	Gross Amount (₹ crore)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	प्रावधान (₹ करोड़)/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य /	शून्य /	शून्य/	शून्य/	शून्य/
	Provision held (₹ crore)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	उधारकर्ताओं की संख्या/	शून्य /	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य /	शून्य /	शून्य /	शून्य/	शून्य/	शून्य /
	Number of borrowers	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
कुल /	सकल राशि (₹ करोड़)/	शून्य /	शून्य /	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य /	शून्य /	शून्य/	शून्य/	शून्य /
Total	Gross Amount (₹ crore)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	प्रावधान (₹ करोड़)/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/	शून्य/
	Provision held (₹ crore)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

- (iii) आरबीआई परिपन्न संख्या डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.18/21.04.048/2018—19 दिनांक 01.01.2019, आरबी. आई परिपन्न संख्या डीओआर न. बीपी. बीसी. 34/21.04. 048/2019—20 दिनांक 11.02.2020 और आरबीआई परिपन्न संख्या डीओआर न. बीपी बीसी/4/21.04.048/2020—21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार 'अग्निमों का पुनर्गठन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र' (एकमुश्त पुनर्गठन) पर, एमएसएमई पुनर्गठित उधारकर्ताओं का 31.03.2025 तक विवरण नीचे है:
- (iii) In accordance with RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, RBI circular No DOR. No. BP. BC. 34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 & RBI circular No DOR. No. BP. BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 on 'Restructuring of Advances Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring), the details of MSME restructured borrowers as on 31.03.2025 is as under:



खातों की संख्या	31.03.2025 को राशि
शृ	न्य

(iv) आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 12/21.04.048/2021—22 दिनांक 05.05.2021 और दिनांक 04.06.2021 के आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर. आरईसी.21/21.04.048/2021—22 रेज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 पर — सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड —19 संबंधित स्ट्रेस का समाधान, पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है।

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या	फंडेड आउट स्टैंडिंग 31.03.2025	प्रावधान धारित
54	5.31	0.56

(v) आरबीआई सर्कुलर के अनुसार सं. DOR.STR.REC.11/21.04. 048/2021—22 दिनांक 05.05.2021 पर "समाधान फ्रेम. वर्क — 2.0% COVID—19 का समाधान व्यक्तियों 'और लघु व्यवसाय''से संबंधित स्ट्रेस, उधारकर्ता खातों की संख्या जहां संशोधन स्वीकृत और कार्यान्वित किए गए थे और ऐसे उधारकर्ता. ओं के लिए कुल एक्सपोजर निम्नानुसार है: —

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता की संख्या	कुल एक्सपोजर 31.03.2025	प्रावधान धारित
85	9.70	1.04

- 1. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओआर के अनुसार व्यक्ति केवल व्यक्तिगत ऋण खंड को कवर करता है। सं. बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020—21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 और अब आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर. आरईसी.11/21.04.048/2021—22 दिनांकित 5 मई 2021पैरा 5(ए) में शामिल है।
- 2. लघु व्यवसाय (खुदरा व्यापार और थोक व्यापार सहित) उन व्यक्तियों के लिए विस्तारित है जो भारतीय रिजर्व बैंक के परिपन्न संख्या डीओआर के अनुसार एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। सं. बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020—21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 और अब आरबीआई के परिपन्न संख्या डीओआर.एसटीआर. आरईसी.11/21.04.048/2021—22 दिनांकित 5 मई, 2021 पैरा 5(बी) में शामिल है।



No of Accounts	Amount as on 31.03.2025
N	lil

(iv) In accordance with RBI circular No DOR.STR. REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 & RBI circular No DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated 04.06.2021 on Resolution Framework 2.0—Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured is as under.

(Amount in ₹crore)

No of Accounts	Funded O/s as on 31.03.2025	Provision Held
54	5.31	0.56

(v) In accordance with the RBI Cir. No. DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework – 2.0: Resolution of COVID – 19 related stress of Individuals* and Small Business**", the number of borrower accounts where modification were sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers are as under:-

(Amount in ₹crore)

No of Borrowers	Aggregate exposure as on 31.03.2025	Provision Held
85	9.70	1.04

- 1. Individual covers only Personal Loan segment as per RBI circular No DOR. No. BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 and now covered in to para 5(a) of RBI circular No DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021.
- 2. Small Business (including retail trade and wholesale trade) extended to individual which were covered under MSME as per RBI circular No DOR. No. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 and now covered in to para 5(b) of RBI circular No DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021.)





- (vi) भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र संख्या DOR.STR.REC.11/21.04. 048/2021–22 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार "संकल्प रूपरेखा–2.0 : व्यक्तियों और लघु व्यवसायों पर कोविड–19 से संबंधित दबाव का समाधान" के तहत 31.03.2025 की स्थिति में प्रकटीकरण इस प्रकार है:-
- (vi) Disclosure as per the RBI Cir. No. DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework 2.0: Resolution of COVID 19 related stress of Individuals and Small Business" as on 31.03.2025, is as under: -

क्र. सं.	विवरण / Description	व्यक्तिगत उधारकर्ता Individual Borrowers छोटे व्यवस		छोटे व्यवसाय	कुल
S. No	3.140		व्यवसायिक ऋण Business Loans	Small businesses	Total
(A)	भाग ए के तहत समाधान प्रक्रिया को लागू करने के लिए प्राप्त अनुरोधों की संख्या Number of requests received for invoking resolution process under Part A	80	2	3	85
(बी) (B)	इस विंडो के तहत उन खातों की संख्या जहां समाधान योजना लागू की गई है Number of accounts where resolution plan has been Implemented under this window	80	2	3	85
(सी) (C)	योजना के कार्यान्वयन से पहले (बी) में उल्लिखित खातों का एक्सपोजर Exposure to accounts mentioned at (B) before implementation of the plan	7.65	0.38	1.68	9.71
(ৱী) (D)	(सी), ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था Of (C), aggregate amount of debt that was converted into other securities				
(ई) (E)	अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत, यदि कोई हो, जिसमें योजना को लागू करने और कार्यान्वयन के बीच शामिल है Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation				
(एफ) (F)	समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि (₹ करोड़ में) Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan (₹ in crore)	0.83	0.04	0.17	1.04

(vi) (31.03.2025 की स्थिति अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पुनर्गठन के अंतर्गत आए ऋण परिसंपत्तियों का विवरण) (vii) Details of Loan Assets subjected to restructuring during Financial Year 2020-21, status as on 31.03.2025

(राशि ₹ करोड़ में) /(Amount in ₹crore)

पुर्नगढित राशि /		पूर्नगठित की तिथि/	प्रावधान /
उधारकर्ता / Borrower Restructured Amount		Date of Restructure	Provision
	शून्य / NIL		

सी) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं DBR.BP.BC.No.32 / 21.04.018 / 2018—19 दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के अनुसार, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किये गये NPA के लिए अतिरिक्त प्रावधानों और आकिस्मकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 10% से अधिक है और / अथवा आरबीआई द्वारा पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल

C) Divergence in asset classification and provisioning

As per RBI circular No. DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies and/or additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental Gross NPAs for the reference

Notes of Accounts



एनपीए के 15% से अधिक हैं तो बैंकों को आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन का खुलासा करना आवश्यक है।

उपरोक्त आरबीआई परिपत्र के संदर्भ में प्रकटीकरण-शून्य।

- डी) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण बैंक ने वर्तमान तथा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में डिफ़ॉल्ट में न होने वाले / तनावग्रस्त ऋणों से संबंधित कोई भी ऋण प्रवर्तन किसी अन्य संस्था को स्थानांतरित या प्राप्त नहीं किया है।
- ई) सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में) – बैंक ने चालू और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया।
- एफ) बैंकों द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का प्रकटीकरण दृ बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लेटर ऑफ कंफर्ट जारी नहीं किया है
- जी) ग्रीन डिपॉजिट से जुटाए गए फंड के उपयोग पर पोर्टफोलियो–स्तरीय जानकारी – शून्य

एच) घोखाघड़ी खाते

विवरण	31 मार्च 2025 के अनुसार	31 मार्च 2024 के अनुसार
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	111	111
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़ में)	23.76	3.24
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधानों की राशि (₹ करोड़ में)	22.14	1.89
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित निधियों' से डेबिट किए गए बिना परिशोधित प्रावधान की राशि (र करोड़ में)	0	0

नोटः वित्तीय वर्ष 2024—25 के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामलों में, ऋण से संबंधित धोखाधड़ी (एडवांसेस) के 7 मामले ₹7.48 करोड़ की राशि के, परिचालन संबंधी धोखाधड़ी (ऑपरेशंस) के 2 मामले ₹2.38 लाख की राशि के, 101 डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के मामले ₹24.03 लाख की राशि के तथा बैंक के आरटीजीएस चैनल में साइबर—हमले से ₹16.02 करोड़ की राशि का मामला सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2023—24 में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी में, ऋण से संबंधित धोखाधड़ी (एडवांसेस) के 8 मामले ₹2.94 करोड़ की राशि के और 103 डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के मामले ₹30.79 लाख की राशि के थे।

आई) जांच के दौरान, बैंक की एक शाखा में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके लिए संभावित हानि के मद्देनज़र बैंक ने ₹3.62 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है।

जे) कोविड—19 से संबंधित स्ट्रेस के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2020—21/16 डीओआर.सं. बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020—21 दिनांक 06. अगस्त 2020 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक COVID 19 संबंधित स्ट्रेस के लिए समाधान ढांचे के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण। period then banks are required to disclose divergences from prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning.

In view of said circular of RBI, the disclosure is NIL.

- D) Disclosure of transfer of loan exposures The Bank has not transferred and acquired to / from other entities any loan exposure relating to the loans not in default / stressed loans in current and previous financial year.
- E) Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms) - The Bank did not undertake any such transactions during current and last financial year
- F) Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by banks The Bank has not issued any letter of comfort during the current financial year or last financial year
- G) Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits NIL

h) Fraud accounts

Particulars	As on March 31, 2025	As on March 31, 2024
Number of frauds reported during the year	111	111
Amounts Involved in Fraud (in ₹ Cr)	23.76	3.24
Amount of Provisions made for such frauds (in ₹ Cr)	22.14	1.89
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (in ₹ Cr)	0	0

Note: Fraud reported during FY 2024-25 Fraud (Advances) 7 incidents of amount ₹ 7.48 crore, Fraud (Operations) 2 incidents of amount ₹ 2.38 lakh,101 digital payment fraud incidents amount ₹ 24.03 lakh cyber-attack in bank's RTGS channel amount of ₹ 16.02 crores. In FY 2023-24 fraud reported accounts were Fraud(Advances) 8 incidents of ₹ 2.94 crore and 103 digital payment fraud incidents of amount ₹ 30.79 lakh.

I) During investigation, serious irregularities were observed in one of the branch, for which bank has made provision of \mathbb{Z} 3.62 Cr for potential loss.

J) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19related Stress

Details of Resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular RBI/2020-21/16 DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated 06. August 2020 as of March 31, 2025.



(राशि ₹ करोड़ में) /(Amount in ₹crore)

उधारकर्ता का प्रकार/ Type of borrower	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर — पिछले वर्ष के अंत में स्थिति यानि 31.03.2024 (ए)/ Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan – Position as at the end the Previous year i.e 31.03.2024 (A)	(ए) का, कुल ऋण जो वर्ष के दौरान एनपीए में बदल गया समाप्त वर्ष 31.03.2025 के दौरान/Of (A), Aggregate debt that slipped into NPA during the year ended 31.3.2025	(ए) वर्ष के दौरान राइट ऑफ खाते में डाली गई राशि समाप्त वर्ष 31.03.2025 के दौरान/ Of (A), amount written off during the year ended 31.3.2025	(ए) वर्ष के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि समाप्त वर्ष 31.03.2025 के दौरान/ Of (A), amount paid by the borrowers during the year ended 31.3.2025	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर — स्थिति 31.03. 2025 को समाप्त अवधि के अनुसार (ए) / Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan — Position as at period ended 31.03.2025(A)
व्यक्तिगत ऋण/ Personal Loans					
कॉर्पोरेट व्यक्ति* / Corporate persons*					
जिनमें से, एमएसएमई / Of which, MSMEs			शून्य / NIL		
अन्य / Others					
कुल Total					

5. एक्सपोजर / Exposures

क) अचल संपत्ति क्षेत्र के लिए एक्सपोजर / a) Exposure to real estate sector

(राशि ₹ करोड़ में) / (₹ In Crore)

श्रेणी / Category	31.03.2025	31.03.2024
क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर /a) Direct exposure		
(i) आवासीय मोर्टगेज / (i) Residential Mortgages		
आवासीय संपत्ति पर मोर्टगेज द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित उधार देना जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया है या किराए पर लिया गया है; ('आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत व्यक्तिगत आवास ऋण अलग से दिखाए जा सकते हैं)/ Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (*Individual housing loans classified as Priority Sector as per RBI guidelines may be shown separately)	1300.17 (395.35)	1074.34 (379.76)
(ii) वाणिज्यिक अचल संपत्ति — / (ii) Commercial Real Estate –		
** वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर, बहु—परिवार आवासीय भवन, बहु—िकरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर मोर्टगेज द्वारा सुरक्षित ऋण ।) एक्सपोजर में गैर—िनिध आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी)/ **Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include nonfund based (NFB) limits;	156.13	169.32



श्रेणी / Category	31.03.2025	31.03.2024	
(iii) मोर्टगेज समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर में निवेश —/ (iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures —			
ए. आवासीय / a. Residential,			
बी. व्यावसायिक अचल संपत्ति / b. Commercial Real Estate.	0.00	0.00	
बी) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर b) Indirect Exposure			
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर—निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)			
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर/ Total Exposure to Real Estate Sector	1456.30	1243.66	
**वाणिज्यिक रियल एस्टेट में एक्सपोजर जिसमें शामिल हैं / **Exposure to Commercial Real Estate includes			
फंडेड एक्सपोजर / Funded Exposure	156.13	169.32	
गैर—वित्तपोषित एक्सपोजर / Non Funded Exposure	0.00	0.00	
कुल एक्सपोजर / Total Exposure	156.13	169.32	
*कर्मचारी आवास ऋण शामिल /*include staff housing loans.			

- बी) पूंजी बाजार में एक्सपोजर शून्य/ b) Exposure to capital market NIL
- सी) जोखिम श्रेणी—वार देशीय एक्सपोजर लागू नहीं / c) Risk category-wise country exposure Not Applicable

डी) गैर जमानती अग्रिम

D) Unsecured advances

(राशि ₹ करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024
बैंक के कुल गैर जमानती अग्रिम / Total unsecured advances of the bank	90.27	96.44
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे कि अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर चार्ज लिया गया है। / Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	शून्य / NIL	शून्य / NIL
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य / Estimated value of such intangible securities	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
(नोटः आईबीपीएस (IBPC) के प्रति कुल एक्सपोज़र / Note: Out of exposure towards IBPC	0.00	0.00

ई) फैक्टरिंग एक्सपोजर - शून्य/e) Factoring exposures - NIL



एफ) इंट्रा ग्रुप एक्सपोजरः / f) Intra Group Exposures

(राशि ₹ करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

	31 मार्च 2025 त	क/As on March	31, 2025	31 मार्च 2024 तक/As on March 31, 2024		
विवरण / Particulars	फंड आधारित/ Fund Based	निवेश आधारित / Investment Based	कुल / Total	फंड आधारित / Fund Based	निवेश आघारित / Investment Based	कुल / Total
इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि / Total Amount of Intra Group Exposures	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि / Total amount of Top 20 Intra Group Exposures	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर का इंट्रा—ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत / Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
इंट्रा—ग्रुप एक्सपोजर और उस पर नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो, पर सीमा के उल्लंघन का विवरण / Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL







संबंधित पार्टी प्रकटीकरण — (लेखा मानक — 18) Related party Disclosure – (Accounting Standard - 18)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

		I	Y	l .	(tilet (4) tig -1) (Aillean	
लेन—देन की प्रकृति / Nature of Transaction	पेरेंट (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) / Parent (as per ownership or control)	पेरेंट सहायक कंपनियों / Parent's Subsidiaries	सहयोगी / संयुक्त उपक्रम / Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक / Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार / Relatives of Key Management Personnel	कुल / Total
अर्जित ब्याज/ Interest Earned	0.68	शून्य / NIL	शून्य/NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.68
कमीशन आय/ Commission Income	शून्य/NIL	0.37	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.37
लाभांश दिया / Dividend Paid	0.00	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.00
कमीशन का भुगतान/ Commission Paid	0.00	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.00
पारिश्रमिक / Remuneration	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.41	शून्य / NIL	0.41
सेवाओं का प्रतिपादन / Rendering of services	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य/ NIL
जमा (कासा) / Deposits (CASA) —प्लेसमेंट / Placements — प्राप्त हुआ /— Received — जमा (अवधि) /— Deposit (Term)	9.82	3.77	266.00	शून्य ∕ NIL		9.82 3.77 266.00
गैर—वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं वर्ष के अंत में / Non-funded commitments at the year end	0.25	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य ∕ NIL	शून्य / NIL	0.25



बैंक की संबंधित पक्षों के प्रति देय / प्राप्य अधिकतम शेष राशियाँ, जो 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के दौरान रही हैं, नीचे दी गई हैं:

The maximum balances payable to/receivable from the related parties of the Bank during the period ended 31st March, 2025 are given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

आइटम / संबंधित पार्टी / Items/ Related Party	पेरेंट (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)/ Parent (as per Ownership or control)	पेरेंट सहायक /Parent' s Subsidiaries	सहयोगी / संयुक्त उद्यम / Associates/ Joint ventures #	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक / Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार/ Relatives of Key Management Personnel	कुल/ Total
प्राप्त जमा / Deposit Received		3.77	266.00			269.77
जमा का प्लेसमेंट/ Placement of deposits	9.82					9.82
अग्रिम * / Advances *						
निवेश / Investments						
गैर—वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं / Non-funded commitments						
कॉल लेंडिंग / Call Lending						
स्वैप / फॉरवर्ड अनुबंध / Swap/ Forwards Contract						
हाइब्रिड कैपिटल में संबंधित पार्टी का निवेश / बैंक के बांड / Investment of related party in Hybrid Capital/Bonds of the Bank						
प्रबंधन अनुबंधों के तहत देय / Payable under management contracts						
अन्य प्राप्य (शुद्ध) / Other receivables (net)		0.14				0.14
अन्य देय (शुद्ध) / Other payables (net)						
नॉन फडिंग (बीजी) / Non Funded (BG)	0.25					0.25

संबंधित पक्षों के नाम और बैंक के साथ उनके संबंध :

Names of the related parties and their relationship with the Bank

i)	मूल संस्था / Parent	बैंक उ	ॉफ बड़ौदा (98.57 प्रतिशत इक्विटी के साथ प्रमुख शेयरधारक)/
		Bank	of Baroda (Major Shareholder with 98.57% equity)
ii)	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक /	(1)	श्री निखल मोहन (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ)
	Key Management		(05 अप्रैल, 2025 को बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रत्यावर्तित)
	Personnel		Shri Nikhil Mohan (Managing Director & CEO)
			(Repatriated to BOB on 5th April,2025)
		(11)	सुशील कुमार लाल (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
			(०५ अप्रैल, २०२५ को कार्यभार ग्रहण किया)
			Sushil Kumar Lal (Managing Director & CEO)
			(Resumed office on 5th April,2025)
		(111)	श्री कुलदीप सिंह (कार्यकारी निदेशक)
			Shri Kuldeep Singh (Executive Director)



ii)	मूल सहायक कंपनियों	घरेलू	सहायक कंपनियां / Domestic Subsidiaries
	Parent's Subsidiary	(1)	बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड / BOB Capital Markets Limited.
		(11)	बीओबी कार्ड्स लिमिटेड (पहले बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) BOB Cards Limited (Formerly known as BOB Financial Solutions Limited)
		(111)	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड India First Life Insurance Company Limited
		(IV)	बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड / Baroda Sun Technologies Ltd.
		(V)	बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पहले बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।) / Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (formerly known as BNP Paribas Asset Management India Private Limited)
		(VI)	बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड Baroda Global Shared Services Limited
		(VII)	बड़ौदा बीएनपी परिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)/ Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited (Formerly Baroda Trustee India Private Limited)
		विदेश	सहायक / Overseas Subsidiaries
		(1)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोतसवाना) लिमिटेड / Bank of Baroda (Botswana) Ltd.
		(11)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड / Bank of Baroda (Kenya) Ltd.
		(111)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड / बड़ौदा कैपिटल मार्केट (युगांडा) लिमिटेड / Bank of Baroda (Uganda) Ltd., / Baroda Capital Market (Uganda) Limited
		(IV)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुवाना) लिमिटेड / Bank of Baroda (Guyana) Ltd.
		(V)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूज़ीलैड) लिमिटेड / Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
		(VI)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड / Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.
		(VII)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यू.के.) लिमिटेड / Bank of Baroda (UK) Ltd.
iv)	मूल सहयोगी /	(1)	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक / Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
	Parents' Associates	(11)	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
		(111)	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक / Baroda Gujrat Gramin Bank
		(IV)	इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड / Indo Zambia Bank Limited
v)	मूल संयुक्त उद्यम/	(1)	इंडिया इंफ्राडेट लिमिटेड / India Infradebt Limited
	Parents' Joint Ventures		इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद / India International Bank (Malaysia) Berhad



जी) अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर – शून्य

जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रण

ए) जमा की संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	890.00	881.83
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	10.78%	10.67%

बी) (i) अग्रिमों की संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	327.39	504.13
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	6.53%	10.34%

(ii) मानक अग्रिमों पर प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	26.86	22.15
कोविड राहत खातों के लिए प्रावधान	-	-
पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	1.61	2.61
मानक खातों के लिए कुल प्रावधान	28.47	24.76

सी) एक्सपोजर की संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर	397.55	567.21
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के प्रति बैंक के उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	7.06%	10.28%

g) Unhedged foreign currency exposure - NIL

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

a) Concentration of deposits

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	31 March 2025	31 March 2024
Total deposits of the twenty largest depositors	890.00	881.83
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	10.78%	10.67%

b) (i) Concentration of advances

Amounts in ₹ crore)

Particulars	31 March 2025	31 March 2024
Total advances to the twenty largest borrowers	327.39	504.13
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	6.53%	10.34%

(ii) Provision on Standard Advances

Amounts in ₹ crore)

Particulars	31 March 2025	31 March 2024
Provisions towards Standard Assets	26.86	22.15
Provision for Covid Relief Accounts	-	-
Provisions towards Restructured Standard Assets	1.61	2.61
Total Provision for Standard Accounts	28.47	24.76

C) Concentration of exposures

Amounts in ₹ crore)

Particulars	31 March 2025	31 March 2024
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	397.55	567.21
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/ customers to the total exposure of the bank on borrowers/Customers	7.06%	10.28%



डी) एनपीए की संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	156.48	172.71	
बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर में एक्सपोजर का प्रतिशत कुल सकल एनपीए के लिए	40.52	43.32	

- डेरिवेटिव्स बैंक ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान 7. डेरिवेटिव लेनदेन नहीं किया है।
- प्रतिभृतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण हमारा कोई भी एक्सपोज़र नहीं है।
- ऑफ बैलेंस शीट एसपीवी प्रायोजित-शून्य
- 10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईए फंड) में स्थानांतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
i)	डीईए फंड में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	35.33	30.77
ii)	जोड़ें वर्ष के दौरान डीईए फंड में अंतरित राशि	7.19	5.58
iii)	घटाएं: दावों के लिए डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	0.82	1.02
iv)	डीईए फंड में अंतरित राशि का अंतिम शेष	41.7	35.33

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकाय	तिं		
वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	21	40	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2004*	2899	
कमः वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1991	2918	
जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	58	1	
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	34	21	

^{*}इसमें सभी आंतरिक सीएमएस पोर्टल शिकायतें, सीपीग्राम / पीजी पोर्टल, सभी आरबीआई बीओ शिकायतें तथा ई-कॉम/एटीएम/यूपीआई/ पीओएस आदि सम्मिलित हैं।

D) Concentration of NPAs

Amounts in ₹ crore)

Particulars	31 March 2025	31 March 2024	
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	156.48	172.71	
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	40.52	43.32	

- Derivatives The Bank did not enter into the derivative transactions during the current year and previous year.
- Disclosures relating to securitization We don't have any exposure.
- Off Balance Sheet SPV sponsored -NIL
- 10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amounts in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	31 March 2025	31 March 2024
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	35.33	30.77
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year	7.19	5.58
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	0.82	1.02
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	41.7	35.33

11. Disclosure of complaints

Particulars	31 March 2025	31 March 2024
Complaints received by the Bank fro	om its custon	ners
No. of complaints pending at the beginning of the year	21	40
Add: No. of complaints received during the year	2004*	2899
Less: No. of complaints disposed during the year	1991	2918
Of which, number of complaints rejected by the bank	58	1
No. of complaints pending at the end of the year	34	21

^{*}includes all internal CMS portal complaints, CPGRAM/PG Portal, all RBI BO complaints and including Ecom/ATM/UPI/POS etc.



एटीएम लेनदेन विवादः

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	1	17
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	268*	1876
कमः वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	263	1892
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	6	1

^{*-268-} एटीएम लेनदेन विवादों में बीओ से प्राप्त एटीएम लेनदेन विवाद शामिल नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में बैंक को ओबीओ से प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
लोकपाल के कार्यालय से बैंक को प्राप्त अन्	नुरक्षणीय शिका	यतें
ओबीओ से बैंक को प्राप्त शिकायतों की संख्या	42**	84*
बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	32	78
बीओ द्वारा जारी सुलह / मध्यस्थता / सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	10	4
बैंक के खिलाफ बीओ द्वारा अवार्ड पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	0	0
निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए अवार्ड की संख्या (अपील किए गए के अलावा) /	0	0

नोटः रखरखाव योग्य शिकायतें विशेष रूप से बीओ योजना 2021 में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं।

ATM transaction disputes:

Particulars	31 st March, 2025	31 st March, 2024
No. of complaints pending at	1	17
the beginning of the year		
Add: No. of complaints	268*	1876
received during the year		
Less: No. of complaints	263	1892
redressed during the year		
No. of complaints pending at	6	1
the end of the year		

^{* -268-}ATM transaction disputes are exclusive of BO received ATM transaction disputes

Summary information on Maintainable complaints received by the bank from the OBOs FY 2024-25

Particulars	31 st March, 2025	31 st March, 2024		
Maintainable complaints received by the Bank from Office of ombudsman				
No. of complaints received by the bank from OBOs	42**	84*		
No. of complaints resolved in favour of the bank by BOs	32	78		
No. of complaints resolved through conciliation/ mediation/advisories issued by BOs	10	4		
No. of complaints resolved after passing of Awards By BOs against the Bank.	0	0		
Number of awards unimplem ented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0		

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in BO Scheme 2021 and covered within the ambit of the Scheme.

^{*} वित्तीय वर्ष 2024—25 की चौथी तिमाही में प्राप्त —3— अतिरिक्त आरबीआई बीओ शिकायतें अभी भी खुली हैं, जिनकी अंतिम स्थिति—अनुरक्षणीय / गैर—अनुरक्षणीय —31.03.2025 तक निर्धारित नहीं की जा सकी है। परिणामस्वरूप, उपरोक्त —42— शिकायतों में ये —3— खुली आरबीआई बीओ शिकायतें शामिल नहीं हैं।

^{*} वित्तीय वर्ष 2023—24 की चौथी तिमाही में ओबीओ से प्राप्त कुल 16 अनुरक्षणीय शिकायतों में से 2 शिकायतें 31.03.2024 को लंबित थीं, जैसा कि 31—03—2024 को आरबीआई बीओ पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार है। इनमें से एक शिकायत को बाद में अनुरक्षणीय घोषित किया गया।

^{**} There are -3- additional open RBI BO complaints (received in quarter 4 FY 24-25) whose final status Maintainable/Non Maintainable is still not ascertained as on 31.03. 2025. Consequently above -42-complaints does not include the still open -3- RBI BO complaints.

^{*2} maintainable complaints out of total 16 maintainable complaints received in quarter 4 FY-2023-24 from OBO were pending on 31.03.2024 as per the information available on RBI BO portal as on 31-03-2024. One complaint was subsequently declared as Maintainable.



ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार Top five grounds of complaints received by the bank from customers

क्र. सं. / S.No	शिकायतों के आघार, (अर्थात संबंधित शिकायतें) / Grounds ofcomplaints, (i.e. complaintsrelating to)	वर्ष के शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या/ Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या / Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि / कमी साल/ Increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या/ Number of complaints pending at the end of the year	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या / Of 5, number of complaints pending be- yond 30 days
1	2	3	4	5	6	7
		2024-25				
ग्राउंड–1 / Ground - 1	एटीएम / डेबिट कार्ड / ATM/Debit Cards	2	273*	-85.51%	6	1
ग्राउंड—2 / Ground - 2	ऋण और अग्रिम/ Loans and advances	2	98	-3.92%	3	2
ग्राउंड–3 / Ground - 3	इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग / Internet/Mobile/Electronic Banking	1	1061	124.31%	12	3
ग्राउंड—4 / Ground - 4	खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई/ Account opening/difficulty in operation of accounts	1	35	-45.31%	0	0
ग्राउंड—5 / Ground - 5	शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/ शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन आदि। Facilities for customers visiting the branch/ adherence to prescribed working hours by the branch, etc.	0	0	0	0	0
	अन्य / Others	15	537	42.82%	13	1
	कुल / Total	21	2004	-30.87%	34	7

^{*} उपरोक्त उल्लेखित –268– एटीएम शिकायतों के अतिरिक्त, इसमें पहली और दूसरी तिमाही से –2– आरबीआई बीओ एटीएम संबंधित शिकायतें तथा तीसरी तिमाही से –1– आरबीआई बीओ एटीएम शिकायत शामिल हैं।

^{*}includes -2- RBI BO ATM related complaints from Q1 & Q2 each and -1- RBI BO ATM Complaint from Q3 in addition to above-mentioned -268-ATM complaints.

2023-24						
ग्राउंड–1/	एटीएम/डेबिट कार्ड/	17	1884**	-60.01%	2	1
Ground - 1	ATM/Debit Cards					
ग्राउंड-2/	ऋण और अग्रिम/	1	102	20.00%	2	0
Ground - 2	Loans and advances					
ग्राउंड-3/	इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग /	8	473	176.60%	1	0
Ground - 3	Internet/Mobile/Electronic Banking					
ग्राउंड–4/	खाता खोलना / खातों के संचालन में कठिनाई /	3	64	1.58%	1	0
Ground - 4	Account opening/difficulty in					
	operation of accounts					
ग्राउंड–5/	शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/	0	0	-100.00%	0	0
Ground - 5	शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन आदि।/ Facilities for customers visiting the branch/ adherence to prescribed working hours by the branch, etc.					
	अन्य / Others	11	376	62.06%	15	12
	कुल / Total	40	2899	-45.16%	21	13

^{**2023–24} के दौरान आरबीआई बीओ के तहत प्राप्त –8– एटीएम से संबंधित शिकायतें सम्मिलित हैं।

^{**}includes -8- complaints received under RBI BO during the year 2023-24 related to ATM.



12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

- ए) आरबीआई / विदेशी नियामकों द्वारा लगाए गए दंड का खुलासा
- 12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India
- a) Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

(राशि ₹ करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

Commercial Control of the Control of	उल्लंघन की प्रकृति/	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए/ For the year ended March 31, 2025		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए/ For the year ended March 31, 2024	
विवरण / Particulars	Nature of	मामलों की संख्या/	राशि /	मामलों की संख्या/	राशि /
	Breach	No of Cases	Amount	No of Cases	Amount
आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना / Penalties Imposed by RBI	नियामक और	2*	0.63	1**	0.004
अपने संबंधित नियामकों द्वारा विदेशी क्षेत्रों पर लगाए गया जुर्माना / Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators	परिचालन / Regulatory & Operational	0	0	0	0

*2 मामले इस प्रकार है / *2 Cases are as follows:

प्राधिकारी / Authority	कारण / Reason	राशि (लाख रुपए में) Amount (in lakh)
आरबीआई कानपुर RBI Kanpur	आरबीआई चेस्ट, कानपुर को प्रेषण में कमी पाई गई, कटे—फटे एवं खराब मुद्रा नोट पाए गए। Shortage detected, mutilated and soiled currency notes found in remittance to RBI Chest Kanpur.	1.02
आरबीआई RBI	बैंक एमएसएमई अग्रिम खातों को बाह्य बेंचमार्क से लिंक करने में विफल रहा और न्यूनतम शेष राशि में कमी के अनुपात में न्यूनतम शेष शुल्क लगाया गया। Bank failed to link MSME advance accounts to External benchmark and charged minimum balance charges in proportion to the shortfall in minimum balance	61.40

*1 मामले इस प्रकार है / *1 Cases are as follows:

प्राधिकारी / Authority	कारण / Reason	राशि (लाख रुपए में) Amount (in lakh)
आरबीआई कानपुर RBI Kanpur	करेंसी चेस्ट के निरीक्षण के दौरान पाई गई किमयों तथा बैंक शाखाओं (करेंसी चेस्ट सिहत) द्वारा आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में नियामकीय दिशा—निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में। For Deficiencies observed during the inspection of currency chest and non-compliance to regulatory guidelines in providing customer service to the general public for bank branches including currency chests	0.40

बी) अन्य विनियामकों / प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

b) Disclosure of penalties imposed by other Regulators/ authorities

(राशि ₹ करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

	(, , , , , , , , , , , , , , , , ,						
प्राधिकारी	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए				
Authority	For the year ended March 31, 2025		For the year ende	ed March 31, 2024			
	मामलों की संख्या राशि		मामलों की संख्या	राशि			
	No of Cases	Amount	No of Cases	Amount			
बैंकिंग लोकपाल	1*	0.0025	3**	0.0045			
Banking Ombudsman							
उपभोक्ता न्यायालय	1*	0.006	0	0			
Consumer Court							



वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान लगाए गए दंड का विवरण/Details of penalties during 2024-25

प्राधिकारी / Authority	कारण / Reason	राशि (लाख रुपए में) Amount (in lakh)
बैंकिंग लोकपाल	मॉर्गेज रखे गए सुरक्षा दस्तावेजों की रिलीज में विलंब	0.25
Banking Ombudsman	Delay in release of mortgaged security documents	
उपभोक्ता न्यायालय	बैंक के ग्राहक सेवियर बायोटेक द्वारा उपभोक्ता न्यायालय में अपील, जिसमें अनुचित व्यापार	0.60
Consumer Court	व्यवहार का आरोप लगाया गया	
	Based on appeal by bank's customer M/s Saviour Biotech at Consumer	
	Court alleging unfair trade practice	

^{**} वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लगाए गए दंड का विवरण / **Details of penalties during 2023-24

प्राधिकारी / Authority	कारण / Reason	राशि (लाख रुपए में) Amount (in lakh)
बैंकिंग लोकपाल Banking Ombudsman	बंधक संपत्ति दस्तावेज़ों की रिलीज़ में देरी Delay in release of mortgaged Security Documents	0.10
बैंकिंग लोकपाल Banking Ombudsman	शिकायतकर्ता की सिबिल रिपोर्ट को अपडेट करने में देरी Delay in updating CIBIL of the complainant	0.10
बैंकिंग लोकपाल Banking Ombudsman	शिकायतकर्ता की सिबिल रिपोर्ट को अपडेट करने में देरी Delay in updating CIBIL of the complainant	0.25

सी) एसजीएल फॉर्म के बाउंस होने पर जुर्माना लगाने पर प्रकटीकरण

वर्ष समाप्त	एसजीएल फॉर्म के बाउंस होने की तिथि	राशि	टिप्पणियां
2024-25	शून्य	शून्य	शून्य
2023-24	शून्य	शून्य	शून्य

- डी) रिवर्स रेपो लेनदेन में आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण (डिफॉल्ट करने वाले प्रतिमागी के लिए लागू)। शून्य
- ई) विभिन्न प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य जुर्माने का विवरणः
 - 1) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, शून्य
 - 2) भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007,- शून्य
 - 3) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006। शून्य

13) पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

(भारतीय शाखाओं सहित भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों सहित बैंकिंग कंपनियों पर लाग्)

बैंकों को पूर्णकालिक निदेशकों / मुख्य कार्यकारी अधिकारियों / महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर वार्षिक आधार पर, न्यूनतम रूप से, अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण करना आवश्यक है। बैंक यह प्रकटीकरण तालिका या चार्ट प्रारूप में करेंगे और वर्तमान तथा पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग वर्ष दोनों के लिए जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, निजी

Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

Year ended	Date of bouncing SGL form	Amount	Remarks
2024-25	NIL	NIL	NIL
2023-24	NIL	NIL	NIL

- d) Disclosure of penalty imposed by RBI in a reverse repo transaction (Applicable for Defaulting participant).
 Nil
- e) Details of any other penalty imposed by RBI under the various provisions of :
 - 1) Banking Regulation Act, 1949, NIL
 - 2) Payment and Settlement Act, 2007,- NIL
 - 3) Government Securities Act, 2006. NIL

13. Disclosures on remuneration

(Applicable to Banking Companies, including Foreign Banks operating in India)

Banks are required to make disclosure on remuneration of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers on an annual basis at the minimum, in their Annual Financial Statements. Banks shall make the disclosures in table or chart format and make disclosures for previous as well as



क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक (जहां लागू हो), निम्नलिखित जानकारी का भी प्रकटीकरण करेंगे: the current reporting year. Further, private sector banks and foreign banks (to the extent applicable), shall disclose the following information:

		/Information	
प्रकटीकरण के प्रकार / Type		जानकारी / Information	
of disclosure			
गुणात्मक /	(अ)/	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन	एनआरसी समिति के सदस्यों की वर्तमान संरचना —
Qualitative	(a)	एवं अधिदेश से संबंधित सूचना / Information relating to the	1. मनोज शर्मा — अध्यक्ष
		composition and mandate of the	2. एन.के. चारी — सदस्य
		Nomination and Remuneration	3. बिनिता शाह – सदस्य
		Committee.	4. नीलम दामोधरन—सदस्य
			5. गोपाल सिंह गुसाईं — सदस्य
			Present composition of NRC Committee Members -
			1. Manoj Sharma - Chairman
			2. N.K. Chari - Member
			3. Binita Shah - Member
			4. Neelam Damodharan - Member
			5. Gopal Singh Gusain- Member
	(ৰ) / (b)	पारिश्रमिक प्रक्रिया की रूपरेखा एवं संरचना तथा पारिश्रमिक नीति की प्रमुख विशेषताएं एवं उद्देश्य से संबंधित जानकारी Information relating to the design and structure of remuneration processes and the key features and objectives of remuneration policy.	बैंक ने कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रासंगिक प्रावधानों, उसके अधीन बनाए गए नियमों, कॉरपोरेट गवर्नेस से संबंधित नियमों तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के गैर—कार्यकारी अध्यक्ष एवं गैर—कार्यकारी निदेशकों के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार की है एवं उसे अपनाया गया है। The Bank has formulated and adopted the Remuneration Policy for Non-Executive Chairperson and Non-Executive Directors of the Bank in terms of the relevant provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013, the relevant Rules made thereunder, rules relating to Corporate Governance and the Guidelines issued by the RBI, in this regard.
	(स) /(c)	वर्तमान एवं भविष्य के जोखिमों को पारिश्रमिक प्रक्रिया में किस प्रकार शामिल किया जाता है, इसका विवरण। इसमें इन जोखिमों को ध्यान में रखने के लिए उपयोग में लाई गई प्रमुख मापदंडों की प्रकृति एवं प्रकार शामिल होने चाहिए।/ Description of the ways in which current and future risks are taken into account in the remuneration processes. It should include the nature and type of the key measures used to take account of these risks.	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, उद्योग मानकों एवं बैंक की जोखिम प्रोफाइल के आधार पर जोखिम का मूल्यांकन करती है।/ Nomination and remuneration committee undertakes risk evaluation based on industry standards and risk profile of the Bank.



प्रकटीकरण के		जानकारी / Information	
प्रकार / Type of disclosure		on total morniagon	
	डी / (d)	प्रदर्शन मापन अवधि के दौरान प्रदर्शन को पारिश्रमिक के स्तर से जोड़ने के तरीकों का विवरण / Description of the ways in which the bank seeks to link performance during a performance measurement period with levels of remuneration.	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा मानव संसाधन समिति (NRHR) प्रत्येक निदेशक के कौशल, ज्ञान, क्षेत्रीय एवं उद्योग से संबंधित अनुभव, कार्य निष्पादन, विशेषज्ञता एवं अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ—साथ "उपयुक्त एवं पात्र" मानदंडों का पालन करने की स्थिति पर विचार करती है। इसके पश्चात समिति नियुक्तिध्पुनः नियुक्ति के संबंध में निदेशक मंडल को उपयुक्त अनुशंसाएं प्रस्तुत करती है। यह प्रक्रिया इस प्रकार से तैयार की गई है कि निदेशक मंडल को ऐसे सदस्य प्राप्त हों जिनके पास विविध ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और आवश्यक कौशल हों, जिससे बैंक के व्यावसायिक हितों की सेवा की जा सके और निदेशक मंडल की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। निदेशक मंडल की नीति के अनुसार, समिति निदेशक की नियुक्तिध्पुनः नियुक्ति पर विचार करने से पूर्व और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को 'उपयुक्त एवं पात्र' स्थिति का आकलन करती है। /The Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) considers, the skill set, knowledge, regional and industry experience, track record, expertise and other relevant information and adherence to the fit and proper norms by each Director, before making appropriate recommendations to the Board with regard to their appointment/reappointment, which is designed to provide the Board with Members who have diverse knowledge, practical experience and requisite set of skills to serve the business interests of the Bank and enhance the overall effectiveness of the Board. In terms of the Policy for Board of Directors, the NRHR assesses the 'Fit and Proper' status of the Director, before considering his candidature for appointment/re-appointment as a Director of the Bank and annually i.e. as on 31st March every year
	(इ) /(e)	परिवर्ती पारिश्रमिक के स्थगन और नि. हतता (vesting) से संबंधित बैंक की नीति पर चर्चा, तथा पारिश्रमिक के स्थ. गित भाग को निहितता से पूर्व एवं पश्चात समायोजित करने की नीति एवं मापदंडों पर चर्चा A discussion of the bank's policy on deferral and vesting of variable remuneration and a discussion of	बैंक के पास सभी ऐसे अनुबंधों को समाहित करते हुए एक प्रतिफल नीति है। Bank has a compensation policy with due incorporation of all such covenants
		the bank's policy and criteria for adjusting deferred remuneration before vesting and after vesting.	
	(एफ) /(f)	परिवर्ती पारिश्रमिक के विभिन्न रूपों (जैसे नकद और शेयर–लिंक्ड साधनों के प्रकार) का विवरण, जिन्हें बैंक उपयोग करता है, तथा इन विभिन्न रूपों के उपयोग का औचित्यः	बैंक के पास सभी ऐसे अनुबंधों को समाहित करते हुए एक प्रतिफल नीति है। Bank has a compensation policy with due incorporation of all such covenants
		Description of the different forms of variable remuneration (i.e., cash and types of share-linked instruments) that the bank utilizes and the rationale for using these different forms.	



प्रकटीकरण के प्रकार / Type of disclosure		जानकारी / Information	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024
मात्रात्मक प्रकटीकरण Quantitative disclosures (मात्रात्मक प्रकटीकरण केवल पूर्णकालिक निदेशकों / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाले कर्मचारियों तक सीमित होना चाहिए) (The quantitative disclosures should only cover Whole Time Directors/ Chief Executive Officer/ Material Risk Takers)	(जी)/ (g)	वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या तथा समिति के सदस्यों को दिया गया पारिश्रमिक। / Number of meetings held by the Nomination and Remuneration Committee during the financial year and remuneration paid to its members.	7	9
	(एच) / (h)	(i) वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्ती पारिश्रमिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या। (i) Number of employees having received a variable remuneration award during the financial year. (ii) वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए साइन—ऑन/ऑइनिंग बोनस की संख्या एवं कुल राशि। (ii) Number and total amount of sign-on/joining bonus made during the financial year. (iii) अर्जित लाभों के अतिरिक्त, यदि कोई हो, तो सेवा समाप्ति भुगतान (सेवरेंस पे) का विवरण। (iii) Details of severance pay, in addition to accrued benefits, if any.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
	(आई) /(i)	(i) स्थगित पारिश्रमिक की कुल बकाया राशि, जिसे नकद, शेयर, शेयर—लिंक्ड साधनों और अन्य रूपों में विभाजित किया गया है। (i) Total amount of outstanding deferred re- muneration, split into cash, shares and share linked instruments and other forms. (ii) वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई स्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि। (ii) Total amount of deferred remuneration paid out in the financial year.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
	जे / (j)	वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक पुरस्कारों की राशि का विवरण, जिसमें स्थिर एवं परिवर्ती, स्थगित एवं गैर—स्थगित पारिश्रमिक को दर्शाया गया हो। Breakdown of amount of remuneration awards for the financial year to show fixed and variable, deferred and non-deferred.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
	के / (k)	(i) कुल बकाया स्थगित पारिश्रमिक एवं रोकी गई पारिश्रमिक की राशि, जो पश्चात स्पष्ट और / या अप्रत्यक्ष समायोजनों के अधीन है। (i) Total amount of outstanding deferred remuneration and retained remuneration exposed to ex post explicit and / or implicit adjustments.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA



प्रकटीकरण के प्रकार / Type of disclosure		जानकारी / Information	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024
		(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चात स्पष्ट समायोजन के कारण की गई कुल कटौती की राशि।	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
		(ii) Total amount of reductions during the financial year due to ex post explicit adjustments.		
		(iii) वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चात अप्रत्यक्ष समायोजन के कारण की गई कुल कटौती की राशि।		
		(iii) Total amount of reductions during the financial year due to ex post implicit adjustments.		
	एल / (I)	पहचान किए गए एमआरटी की संख्या। Number of MRTs identified.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं ⁄ NA
	एम / (m)	(i) जिन मामलों में मालेस (Malus) का प्रयोग किया गया–उनकी संख्या।	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
		(i) Number of cases where malus has been exercised		
		(ii) जिन मामलों में क्लॉ बैक का प्रयोग किया गया— उनकी संख्या।		
		(ii) Number of cases where clawback has been exercised		
		(iii) जिन मामलों में मालेस एवं क्लॉ बैक दोनों का प्रयोग किया गया—उनकी संख्या		
		(iii) Number of cases where both malus and clawback have been exercised		
सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण General Quantitative Disclosure	एन / (n)	बैंक (उप-कर्मचारियों को छोड़कर) के लिए औसत वेतन तथा प्रत्येक पूर्णकालिक निदेशक के वेतन का औसत वेतन से विचलन।	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
		The mean pay for the bank as a whole (excluding sub-staff) and the deviation of the pay of each of its WTDs from the mean pay.		

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशक / अध्यक्ष को दिया गया पारिश्रमिक ₹ 9,49,354.84 है, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) को ₹ 38,08,624.00 तथा कार्यकारी निदेशक (ईडी) को ₹ 2,66,776.00 का पारिश्रमिक दिया गया है।

The remuneration paid to non-executive director/chairman during current financial year is ₹ 949354.84, to the MD & CEO is ₹ 38,08,624.00 and to the ED is ₹ 2,66,776.00.



14. अन्य डिस्क्लोजर

ए) बिज़नेस अनुपात

3/ 149/14/813/14			
विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	
i. कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	7.55%	7.62%	
ii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय(%)	0.44%	0.69%	
iii.कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाम(%)	0.95%	1.18%	
ivपरिसंपत्तियों पर रिटर्न (%)	0.61%	0.52%	
v. व्यापार (जमा और अग्निम बैंक जमा को छोड़कर) प्रति कर्मचारी (₹ करोड़ में)	10.81	10.79	
vi. प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	0.04	0.04	
VII. शुद्ध ब्याज मार्जिन	3.30%	3.53%	
VIII. जमाओं की लागत	5.04%	4.85%	
IX. अग्रिमों पर आय	8.94%	9.05%	

बी) बैंक एश्योरेंस बिजनेस

31.03.2025 को समाप्त अवधि के दौरान बैंक की बीमा व्यवसाय के संबंध में कुल आय ₹ 1.79 करोड़ थी जिसका विवरण निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

큙.	बीमा कंपनी	राशि	
सं.		31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
1.	एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.189	0.754
2.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.023	0.039
3.	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.507	0.295
4.	पयूचर जेनराली इंश्योरेंस लिमिटेड	0.234	0.272
5.	केयर स्वास्थ्य बीमा	0.153	0.148
6.	रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस	0.678	0.687
7.	नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड	0.006	0.00
	कुल	1.790	2.195

14. Other Disclosures

a) Business ratios

Item	As on 31st March, 2025	As on 31 st March, 2024
i. Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	7.55%	7.62%
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds(%)	0.44%	0.69%
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds(%)	0.95%	1.18%
iv. Return on Assets(%)	0.61%	0.52%
v. Business (Deposits plus Advances excluding Bank deposits) per employee (₹ in crore)	10.81	10.79
vi. Net Profit per employee (₹ in crore)	0.04	0.04
vii. Net Interest Margin	3.30%	3.53%
viii. Cost of Deposits	5.04%	4.85%
ix. Yield on Advances	8.94%	9.05%

b) Banc assurance business

The total income of the bank in respect of bank assurance business was ₹ 1.79 Crores during the period ended 31.03.2025 with details as under:

(₹ in crore)

Sr.	Insurance Company	Amount		
No.		As on 31 st March, 2025	As on 31 st March, 2024	
1.	HDFC Life Insurance Company Ltd.	0.189	0.754	
2.	National Insurance Company Ltd	0.023	0.039	
3.	India First Life Insurance Co. Ltd	0.507	0.295	
4.	Future Generali Insurance Ltd.	0.234	0.272	
5.	Care Health Insurance	0.153	0.148	
6.	Reliance Nippon Life Insurance	0.678	0.687	
7.	Niva Bupa Health Insurance Ltd.	0.006	0.00	
	Total	1.790	2.195	



31.03.2025 को समाप्त अवधि के दौरान अन्य उत्पादों के संबंध में बैंक की कुल आय 0.054 करोड़ थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(₹ लाख में)

क्र.	कंपनी	राशि	
सं.		31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
1.	पीएफआरडीए	0.046	0.048
2.	बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचल फंड	0.002	0.00
3.	भारतीय जीवन बीमा निगम	0.006	0.0005*
4.	बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड	0	0.017
	कुल	0.054	0.065

*वित्तीय वर्ष 2023—24 के दौरान एलआईसी से ₹ 5938 /— का कमीशन प्राप्त हुआ।

बी) विपणन और वितरण

शून्य

डी) प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

के संबंध में प्रकटीकरण – शून्य

ई) रिज़र्व और अधिशेष

सांविधिक रिजर्व :— बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2000 को जारी दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को सांविधिक आरक्षित खाते में शेष राशि ₹210.42 करोड़ है।

पूंजी आरक्षित निधि —पूंजी आरक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न प्रशंसा (मूल्यवृद्धि) शामिल है।

निवेश फ्लक्वुएशन रिजर्व निधि (आईएफआर)—भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपने एचएफटी और एएफएस निवेश पोर्टफोलियो का 2% निवेश फ्लक्चुएशन रिजर्व निधि (IFR) के रूप में, वैधानिक आरक्षण के पश्चात लाभ की उपलब्धता के अधीन, वित्तीय वर्ष 2019 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध में बनाना अनिवार्य है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष की स्थिति में इस आरक्षित निधि में शेष राशि ₹ 21.25 करोड़ है।

ई) लेखा मानक —19 — लीज़ पर लिए गए परिसर का विवरण नीचे दिया गया है:

ऑपरेटिंग लीज़ मुख्यतः कार्यालय परिसरों से संबंधित हैं, जिन्हें बैंक के विकल्प पर नवीनीकृत किया जा सकता है।

 नीचे दी गई तालिका में, निर्दिष्ट अविध के लिए, अपरिवर्तनीय ऑपरेटिंग लीज़ पर लिए गए पिरसरों के भविष्य के किराया भुगतान का विवरण प्रस्तुत किया गया है: The total income of the bank in respect of other products was 0.054 Crores during the period ended 31.03.2025, with details as under.

(₹ in lakh)

Sr.		Amount	
No.	Company	As on 31 st March, 2025	As on 31 st March, 2024
1.	PFRDA	0.046	0.048
2.	Baroda BNP Paribas Mutual Fund	0.002	0.00
3.	Life Insurance Corp of India (PMJJBY)	0.006	0.0005*
4.	Bob Financial Solution Limited	0	0.017
	Total	0.054	0.065

*₹ 5938/- Commission Received From LIC during the FY 2023-24.

c) Marketing and distribution

NIL

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) – NIL

e) Reserves and Surplus

Statutory Reserve :- pursuant to the requirements of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 and RBI guidelines dated September 23, 2000, the Balance in statutory reserve account as on 31st March, 2025 is ₹ 210.42 Crore.

Capital Reserve - Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties-

Investment Fluctuation Reserve - In accordance with RBI guidelines, banks are required to create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) equivalent to 2% of their HFT and AFS investment portfolios, within a period of three years starting fiscal 2019, subject to profit availability after statutory appropriation. The balance as at the Year ended , 31st March, 2025 is ₹ 21.25 Crores to the said reserve.

e) Accounting Standard -19 - "Lease" Premises taken on operating lease are given below

The operating leases primarily comprise office premises, which are renewable at the option of the Bank.

i) The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:



(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण — लीज रेंट दायित्व	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
एक वर्ष के भीतर	11.25	10.63
एक वर्ष से अधिक लेकिन पाँच वर्ष के भीतर	34.92	20.62
पाँच वर्ष से अधिक	17.20	11.27
कुल	63.37	42.53

एफ) अविध के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अविध की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (लेखा मानक —5)

- (i) पूर्व अविध की मदें: वर्ष के दौरान, कोई महत्वपूर्ण पूर्व अविध आय / व्यय मद नहीं थे।
- (ii) लेखा नीतिः वर्ष के दौरान, बैंक ने उच्च स्तरीय सर्वर / नेटवर्क (जैसे कि डेटा सेंटर) और सीबीएस एप्लिकेशन (FINACLE 10) पर ह्रास की लेखांकन नीति में परिष्कार किया है। इन परिसंपत्तियों की अनुमानित आयु कंपनियों अधिनियम, 2013 के अनुसार 6 वर्ष निर्धारित की गई है और इन्हें स्ट्रैट लाइन मेथड (Straight Line Method) के अनुसार 6 वर्षों की अविध में ह्रासित किया जाएगा

जी) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया प्रावधान	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
i) एनपीआई के लिए प्रावधान/सिक्योरिटी रिसीप्ट	शून्य	(5.00)
ii) एनपीए के लिए प्रावधान	5.73	40.90
iii) आयकर के लिए किया गया प्रावधान	12.69	27.02
iv) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताए		
—मानक अग्रिम	3.71	(0.11)
— विविध प्रावधान	(0.67)	1.06
—बैंक के खिलाफ दावों के लिए प्रावधान जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	_	_
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	15.48	0.00
डेफर्ड टैक्स के लिए प्रावधान	1.47	(3.68)
कुल	38.41	60.19

एच) बैलेंस शीट एवं लाम—हानि खाते में "अन्य" मदों का विवरण, जो कुल परिसंपत्तियों/दायित्वों तथा कुल आय के 1% से अधिक है:

(Amount in ₹ Crores)

(
Particulars -Lease Rent Obligations	31st March 2025	31st March 2024
Not later than one year	11.25	10.63
Later than one year and not later than five years	34.92	20.62
Later than five years	17.20	11.27
Total	63.37	42.53

(f) Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (Accounting Standard -5)

- (i) **Prior Period Items:** During the year, there were no material prior period income / expenditure items.
- (ii) Accounting policy: During the year the Bank has refined the accounting policy relating to depreciation on high end servers/networks (viz data centres) and CBS application (FINACLE 10), having estimated life of 6 years as per Companies Act, 2013 and shall be depreciated as per Straight Line Method over a period of 6 years

g) Provisions and contingencies

(Amount in ₹ Crores)

(Amount in victoria		
Provision debited to Profit and Loss Account	31st March 2025	31st March 2024
i) Provision for NPI/Security Receipt	NIL	(5.00)
ii) Provision towards NPA	5.73	40.90
iii) Provision made towards Income tax	12.69	27.02
iv) Other Provisions and Contingencies	5	
- Standard Advance	3.71	(0.11)
- Miscellaneous Provisions	(0.67)	1.06
- Provision for claims against the bank not acknowledged as debt	-	-
Provision for fraud	15.48	0.00
Provision for Deffered Tax	1.47	(3.68)
Total	38.41	60.19

h) Breakup of others in Balance Sheet and Profit and Loss Account which is in excess of 1% of total assets/liabilities and total income respectively:



अनुसूची 11–अन्य परिसम्पत्तियों के अंतर्गत अन्य का मदवार ब्यौरा

(राशि ₹ करोड़ में)

खाता शीर्ष	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
ग्रामीण इंफ्रास्ट्रचर विकास निधि (आरआईडीएफ) जमाराशियां (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में कमी के बदले जमा)	443.58	408.27
संड्री डेटर	15.73	0.49
महायोग	459.31	408.76

अनुसूची 13 के अंतर्गत "अन्य' का ब्रेकअप- अर्जित ब्याज जो कुल आय राशि के एक प्रतिशत से अधिक

(राशि ₹ करोड़ में)

खाता शीर्ष	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
आरआईडीएफ जमाराशियों पर ब्याज	17.31	11.77
महायोग	17.31	11.77

अनुसूची 14 के अंतर्गत अन्य आय का ब्यौरा – अन्य आय जो कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक

(राशि ₹ करोड़ में)

खाता शीर्ष	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
आकरिमक / प्रोसेसिंग प्रभार	12.08	10.18
सेवा प्रभार	6.50	11.81
महायोग	18.58	21.99

अनुसूची 16 के अंतर्गत 'अन्य' का ब्रेकअप- परिचालन व्यय, कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक

(राशि ₹ करोड़ में)

खाता शीर्ष	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
सीबीएस/आईटी शुल्क	15.44	13.79
महायोग	15.44	13.79

ज) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एएस)

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 2015 में कंपनियों (भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) नियम 2015 को अधिसूचित किया था, जिसने लेखा अवधि 2016-17 से शुरू होने वाले चरणबद्ध तरीके से आईएनडीएएस को अपनाने और प्रयोज्यता को निर्धारित किया था, जैसा कि उक्त अधिसूचना के अनुसार बैंकों को इन मानकों का पालन 01 अप्रैल 2018 से यानि आईएनडी-एएस कार्यान्वयन के तीसरे चरण के दौरान Item wise breakup of 'Others' under "SCHEDULE 11- OTHER **ASSETS"**

(Amount in ₹ Crores)

Account Head	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) deposits (deposits in lieu of shortfall in priority sector lending)	443.58	408.27
Sundry Debtor	15.73	0.49
Grand Total	459.31	408.76

Breakup of "Others" under SCHEDULE 13- INTEREST EARNED, exceeding one per cent of total income

(Amount in ₹ Crores)

Account Head	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Interest on RIDF deposits	17.31	11.77
Grand Total	17.31	11.77

Breakup of "Others" under SCHEDULE 14- OTHER INCOME, exceeding one per cent of total income

(Amount in ₹ Crores)

Account Head	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Incidental/Processing Charges	12.08	10.18
Service Charges	6.50	11.81
Grand Total	18.58	21.99

Breakup of "Others" under SCHEDULE 16- OPERATING EXPENSES, exceeding one per cent of total income

(Amount in ₹ Crores)

Account Head	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
CBS/IT charges	15.44	13.79
Grand Total	15.44	13.79

Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

The Ministry of Corporate Affairs (MCA), in 2015, had notified the Companies (Indian Accounting Standards (IND AS) Rules 2015, which stipulated the adoption and applicability of IND AS in a phased manner beginning from the Accounting period 2016-17, as per said notification banks were required to comply with these standards from 01st April 2018 onwards i.e. during Phase-III of IND-AS implementation, however, RBI vide



करना था, हालांकि, आरबीआई ने अधिसूचना संख्या "डीबीआर.बीपी.बीसी. सं.29 / 21.07.001 / 2018 – 19" दिनांक 22 मार्च, 2019 ने इन मानकों की प्रयोज्यता को अगली सूचना तक के लिए टाल दिया है।

इसके अलावा, आरबीआई समय—समय पर बैंकों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन के लिए तैयार रहने और 30 सितंबर, 2016 को समाप्त छमाही से प्रोफार्मा इंड —एएस वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देता रहा है। ये प्रोफार्मा स्टेटमेंट नियामक विश्लेषण उद्देश्य के लिए हैं और जरूरी नहीं कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए जाने वाले परीक्षण प्रारूप का पूरी तरह से इंड एएस अनुपालन या संकेत हो।

हमारा बैंक नियमित रूप से निर्धारित समय के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को अर्धवार्षिक प्रोफार्मा इंड एएस प्रस्तुत कर रहा है।

जे) निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दी गई सुविधाओं का प्रकटीकरण

बैंक ने निदेशकों, उनके रिश्तेदारों, कंपनियों या फर्मों, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को फंड आधारित या गैर–निधि आधारित (गारंटी, साख पत्र, आदि) कोई सुविधा नहीं दी है।

के) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि ₹ करोड़ में)

큙.	विवरण	31 मार्च	31 मार्च
सं.		2025	2024
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	10.83	10.42
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

एल) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

बैंक ने आईबीए संयुक्त नोट / द्विपक्षीय निपटान दिनांक 11 नवंबर, 2020 के अनुसार कवर किए गए कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया था, जो कि ₹ 8.39 करोड़ था । आरबीआई ने अपने सर्कुलर नं. "RBI / 2021–22 / 105 DOR.ACC. REC.57 / 21.04.018 / 2021–22" दिनांक 4 अक्टूबर 2021, ने बैंकों को 5 (पांच) वर्षों से अधिक नहीं की अविध में उक्त अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमित दी है, 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के साथ शुरू, हर साल खर्च की जाने वाली कुल राशि का न्यूनतम 1 / 5 भाग बैंक ने उक्त विकल्प को नहीं चुना और 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में पूरी राशि का प्रभारित किया।

बैंक ने उक्त विकल्प का विकल्प नहीं चुना और 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में पूरी राशि चार्ज कर दी। notification no. "DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19" dated March 22nd, 2019, has deferred the applicability of these standards till further notice.

Further RBI from time to time have been instructing Banks to be in preparedness for implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS), and submit Proforma Ind AS Financial Statements from the half year ended September 30th, 2016 onwards. These Proforma Statements are for the regulatory analysis purpose and may not be necessarily be completely IND AS compliant or indicative of the trial format to be specified in the third schedule to the Banking Regulation Act 1949.

Our Bank is regularly submitting half yearly proforma of IND AS to RBI within stipulated time.

j) Disclosure of facilities granted to directors and their relatives

The Bank has not granted any facility whether fund based or non-fund based (guarantees, letters of credit, etc.) to the directors, their relatives, companies or firms in which they are interested.

k) Payment of DICGC Insurance Premium

(Amount in ₹ Crores)

Sr. No.	Particulars	31st March 2025	31st March 2024
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	10.83	10.42
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	NIL	NIL

L) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

The Bank had estimated the additional liability on account of revision in family pension for employees covered as per IBA Joint Note/Bipartite settlement dated November 11, 2020, amounting to ₹ 8.39 Crores. RBI vide their Circular no. "RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22" dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year ending 31st March 2024, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year.

Bank did not opt the said option and charged the entire amount to the Profit & Loss account for the FY ended 31st March 2024.

Notes of Accounts



- एम) परिभाषित लाभ योजनाएं (वित्त पोषित दायित्व-पेंशन, छुट्टी नकदीकरण और उपदान)
- m) Defined Benefit Plans (Funded Obligation Pension, Leave Encashment and Gratuity)
- ए) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन
- a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(राशि ₹ करोड़ में /Amount in ₹ Crore)

	पेंशन/P	पेंशन/Pension		छुट्टी नकदीकरण/ Leave Encashment		ਟੀ / tuity
विवरण /Particulars	31 मार्च, 2025 तक / As on 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2025 तक / As on 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31 st March, 2024	31 मार्च, 2025 तक / As on 31 st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31 st March, 2024
प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व / Opening Defined Benefit Obligation	431.58	383.01	26.34	20.89	29.16	29.36
प्रारंभिक समायोजित / Opening Adjusted						
जोड़ें— अधिग्रहण समायोजन / Add- Acquisition Adjustment						
जोड़ें: ब्याज लागत / Add: Interest Cost	30.86	28.42	1.88	1.55	2.08	2.18
जोड़ें : पिछली सेवा लागत / Add : Past Service Cost						
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत / Add: Current Service Cost	4.60	4.29	3.28	2.59	2.61	2.33
कमः भुगतान किए गए लाभ / Less: Benefits Paid	(3.09)	(4.26)	(2.50)	(2.99)	(4.55)	(6.31)
जोड़ें: बीमांकिक (लाम)/ दायित्व पर हानि/ Add: Actuarial (Gain)/ loss on obligation	(10.19)	20.12	2.78	4.30	2.67	1.6
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व / Closing Defined Benefit Obligation	453.76	431.58	31.78	26.34	31.97	29.16



ख) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(राशि ₹ करोड़ में /Amount in ₹ Crore)

विवरण /	पेंशन/Pension		छुट्टी नक Leave En	न्दीकरण / cashment	ग्रेच्युटी / Gratuity	
Particulars	31 मार्च, 2025 तक / As on 31 st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31 st March, 2024	31 मार्च, 2025 तक / As on 31 st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31 st March, 2024	31 मार्च, 2025 तक / As on 31 st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31 st March, 2024
योजना संपत्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य / Opening Fair Value of plan assets	122.45	121.76	23.47	18.46	29.42	29.79
प्रारंभिक समायोजन / Opening Adjusted						
जोड़ें — प्लान एसेट्स पर अपेक्षित रिटर्न / Add- Expected Return on Plan Assets	7.96	7.91	1.53	1.20	1.91	1.94
जोड़ें—अंशदान / Add- Contributions	17.15	31.51	5.75	6.55	4.35	2.60
कम— भुगतान किए गए लाभ/ Less- Benefits Paid	(27.99)	(46.63)	(2.5)	(2.99)	(4.55)	(6.31)
जोड़ें— बीमांकिक लाभ / (–) हानि / Add- Actuarial gain/(-)loss						
योजनागत आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य/ Closing Fair Value of Plan Assets	119.57	114.55	28.25	23.22	31.13	28.02



- सी) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि
- Amount recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में /Amount in ₹ Crore)

	पेंशन/Pension		छुट्टी नकदीकरण/ Leave Encashment		ग्रेच्युटी / Gratuity	
विवरण /Particulars	31 मार्च, 2025 तक / As on 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31 st March, 2024	31 मार्च, 2025 तक / As on 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2025 तक / As on 31 st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31 st March, 2024
ए) परिभाषित लाभ दायित्व को अंतिम मूल्य/ a) Closing Defined Benefit Obligation	453.76	431.58	31.78	26.34	31.97	29.16
ख) योजनागत आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य/ b) Closing Fair Value of Plan Assets	119.57	114.55	28.25	23.22	31.13	28.02
ग) अंतर / c) Difference	334.19	317.02	3.53	3.12	0.84	(1.14)
डी) अमान्यता प्राप्त ट्रांजिशनल देयता / d) Unrecognized transitional liability						
ई) तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त देयता / e) Liability Recognized in the BS	334.19	317.02	3.53	3.12	0.84	(1.14)

- घ) लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि
- d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में /Amount in ₹ Crore)

	पेंशन/Pension		छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment		ग्रेच्युटी / Gratuity	
विवरण /Particulars	31 मार्च, 2025 तक / As on 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2025 तक / As on 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2025 तक / As on 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31 st March, 2024
ए) वर्तमान सेवा लागत/ a) Current Service Cost	4.60	4.29	3.28	2.59	2.61	2.33
बी) पिछली सेवा लागत / b) Past Service Cost						
ग) ब्याज लागत / c) Interest Cost	30.86	28.42	1.88	1.55	2.08	2.18
घ) योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ / d) Expected Return on Plan Assets	(7.96)	(7.91)	(1.53)	(1.20)	(1.91)	(1.94)



विवरण /Particulars	पेंशन/Pension		छुट्टी नक Leave En	न्दीकरण / cashment	ग्रेच्युटी / Gratuity		
	31 मार्च, 2025 तक / As on 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2025 तक / As on 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2025 तक / As on 31st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31 st March, 2024	
ई) शुद्ध बीमांकिक हानि / लाभ (–)/ e) Net Actuarial Loss/gain(-)	(10.19)	20.12	2.78	4.30	2.67	1.60	
च) लाभ हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय/ f) Expenses Recognized in P&L	17.31	44.91	6.42	7.24	5.45	4.17	

ई) प्रमुख बीमांकिक धारणाएं

e) Principal Actuarial Assumptions

विवरण / Particulars	पेंशन/Pension		छुट्टी नक Leave En	न्दीकरण / cashment	ग्रेच्युटी / Gratuity		
	31 मार्च, 2025 तक / As on 31 st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31 st March, 2024	31 मार्च, 2025 तक / As on 31 st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31 st March, 2024	31 मार्च, 2025 तक / As on 31 st March, 2025	31 मार्च, 2024 तक / As on 31 st March, 2024	
छूट की दर/ Discount rate	7.14%	7.15%	7.14%	7.15%	7.14%	7.15%	
वेतन वृद्धि दर / Salary Escalation Rate	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	
योजना परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर / Expected Rate of Return on plan Assets	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	

आय पर कर के लिए लेखांकन (लेखा मानक 22)

एन) वर्तमान कर

20 सितंबर, 2019 के कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 के तहत आयकर अधिनियम 1961 ("अधिनियम") में नई शुरू की गई धारा 115BAA के मद्देनजर, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019—20 निर्धारण वर्ष 2020—21 से नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना था और इसे चालू वित्त वर्ष में भी जारी रखने का निर्णय लिया, तदनुसार प्रभावी कर दर 25.168% है।

Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard 22)

N) Current Tax

In view of the newly introduced section 115BAA in the Income Tax Act 1961 ("Act") vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 dated September 20, 2019, the bank had opted for new tax regime from Financial year 2019-20 i.e. Assessment year 2020-21, and decided to continue with the same in current financial year, accordingly effective tax rate is 25.168%.



बैंक ने नीचे सारणी के अनुसार आयकर का प्रावधान किया है:

(राशि ₹ करोड़ में

वस्तु	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
आयकर के लिए	12.69	27.02
प्रावधान		

बी) आस्थगित कर

31 मार्च, 2025 की समाप्ति पर स्थिगित कर देयता ₹ 5.91 करोड़ रही, (पिछले वर्ष की इसी अविध में स्थिगित कर देयता ₹ 4.44 करोड़ थी)। आस्थिगित कर दायित्व के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

		•	
अवयव	अंतिम शेष	डीटीए / 25.168%	डीटीएल / 25 .168%
वेतन पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधान	0.35	0.09	
अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान	0.18	0.04	
एलएफसी के लिए प्रावधान	1.74	0.44	
कर्मचारी बैगेज के लिए प्रावधान	0.10	0.03	
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार सृजित आरक्षित निधियां	28.89		7.27
ए एफ एस रिज़र्व	3.61		0.91
आयकर अधिनियम और पुस्तकों के अनुसार डब्ल्यूडीवी में अंतर	6.65	1.67	
कुल डीटीए/डीटीएल (वर्तमान वर्ष)	41.52	2.27	8.18
31 मार्च 2025 तक नेट डीटीएल (ए)			5.91
31 मार्च 2024 को डीटीएल की प्रारंभिक शेष राशि (बी)			4.44
मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ–हानि खाते में डेबिट की गई राशि (बी–ए)			1.47

ओ) तकनीकी प्रगति

बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सिस्टम (सी बी एस) फिनक्राफ्ट को उद्योग विशिष्ट और अधिक मजबूत सी बी एस एप्लिकेशन "फिनेकल10.X" के साथ अपग्रेड किया है और 11 फरवरी 2022 से नए सी बी एस में माइग्रेट किया है। परियोजना पर दावा की The bank has made a provision for income tax as tabulated below:

(Amount in ₹ crore)

Item	As on 31 st March, 2025	As on 31st March, 2024
Provision for	12.69	27.02
Income Tax		

B) Deferred Tax

As at the end of 31st March, 2025, the deferred tax Liability stood at ₹ 5.91 Crore, (during corresponding period in previous year, deferred tax liability was ₹ 4.44 Crore). Major components of Deferred Tax Liabilities as on 31st March, 2025 are as under:

(Amount in ₹ crore)

(Amount in < cro					
Components	Closing balance	DTA @25.168%	DTL @ 25.168%		
Provision Related to wage revision	0.35	0.09			
Provision For Ex-Gratia	0.18	0.04			
Provision For LFC	1.74	0.44			
Provision For baggage	0.10	0.03			
Reserves created as per section 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	28.89		7.27		
AFS Reserve	3.61		0.91		
Difference in WDV's as per Income Tax Act & Books	6.65	1.67			
Total DTA/ DTL (CURRENT YEAR)	41.52	2.27	8.18		
Net DTL as on 31st March 2025 (A)			5.91		
Opening Balance of DTL as on 31st March, 2024(B)			4.44		
A) Amount Debited to PL a/c during the year ended March 2025 (B-A)			1.47		

o) Technological advancements

The Bank has upgraded its Core Banking System (CBS) FINCRAFT with industry specific and more robust CBS application "FINACLE10.X" and has migrated to new CBS with effect from 11th February 2022. The detailed



गई लागत और मूल्यह़ास का विस्तृत विवरण नीचे सारणीबद्ध है: breakup of cost incurred and depreciation claimed on the project is tabulated below:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	AS—10 और अन्य लागू नियमों के अनुसार पूंजीकृत राशि/	मार्च 2025 तक मूल्यड्रास	मार्च 2025 तक मूल्यहास
1	मूर्त आइटम जैसे उच्चस्तरीय सर्वर और नेटवर्क/	39.76	17.93	21.83
2.	लाइसेंस, कार्यान्वयन, नए सीबीएस/ ट्रेजरी और अन्य सहायक मॉड्यूल का अनुकूलन/	31.01	12.53	18.48

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Amount capitalised as per AS-10 and other applicable regulations	Depreciation till March 2025	Book Value as on March 2025
1	Tangible items viz high end servers & networks.	39.76	17.93	21.83
2.	Licences, implemen-tation, customisation of new CBS/ treasury and other ancillary modules.	31.01	12.53	18.48

पी) खंड रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17) / p) Segment Reporting (Accounting Standard 17)

भाग एः व्यापार खंड / Part A: Business segments

(राशि ₹ करोड़ में /Amount in ₹ crore)

व्यावसायिक क्षेत्रों / Business Segments	ट्रेजरी / Treasury	कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग/Corporate/ Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग/ Retail Banking	अन्य बैंकिंग संचालन / Other Banking Operation	कुल / Total
विवरण /Particulars	31 मार्च, 2025 तक / As on 31 st March, 2025	31 मार्च, 2025 तक / As on 31 st March, 2025	31 मार्च, 2025 तक / As on 31 st March, 2025	31 मार्च, 2025 तक / As on 31 st March, 2025	31 मार्च, 2025 तक / As on 31 st March, 2025
आय / Revenue	272.90 (258.32)	45.33 (59.60)	430.44 (434.78)	3.18 (2.22)	751.85 (754.92)
परिणाम / Result	67.89 (73.12)	4.84 (6.15)	85.41 (84.44)	3.18 (2.22)	161.32 (165.93)
असंबद्घ व्यय/ Unallocated expenses					98.01 (91.81)
कर पूर्व कुल लाभ / Total profit before tax					63.30 (74.12)
आय कर/ Income taxes					12.69 (27.02)
असाधारण लाभ / हानि / Extraordinary profit/ loss					0.00 (0.00)
शुद्ध लाम / Net profit					50.61 (47.10)
खंड आस्ति / Segment assets	3797.60 (3861.70)	1277.25 (1279.74)	4211.07 (4086.32)	0.00 (0.00)	9285.92 (9227.76)



व्यावसायिक क्षेत्रों / Business Segments	ट्रे जरी / Treasury	कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग/ Retail Banking	अन्य बैंकिंग संचालन / Other Banking Operation	कुल / Total
विवरण /Particulars	31 मार्च, 2025 तक / As on 31st March, 2025	31 मार्च, 2025 तक / As on 31 st March, 2025	31 मार्च, 2025 तक / As on 31st March, 2025	31 मार्च, 2025 तक / As on 31 st March, 2025	31 मार्च, 2025 तक / As on 31 st March, 2025
असंबद्ध संपत्ति/ Unallocated assets					74.56 (79.06)
कुल संपत्ति / Total assets					9360.48 (9306.82)
खंड देयताए /Segment liabilities	3455.44 (3543.28)	1175.59 (1187.66)	3872.66 (3789.69)	0.00 (0.00)	8503.69 (8520.64)
असंबद्घ देयताए / Unallocated liabilities					856.79 (786.19)
कुल देयताए / Total liabilities					9360.48 (9306.82)

नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े (अर्थात मार्च 2024 के आंकड़े) दर्शाते हैं। Note: Figures in bracket indicates previous year figures (i.e March 2024 figures)

क्यू) आकस्मिक देयता और प्रावधानों का विवरण (लेखा मानक 29)

q) Statement of contingent Liability & Provisions (Accounting Standard 29)

(राशि ₹ करोड़ में /Amount in ₹ crore)

वस्तु / Item		एएस — 29 . के अनुसार प्रावधान / Provision As per AS – 29						
	राशि जिसके लिए बैंक आकरिमक रूप से उत्तरदायी है / Amt. for which the Bank is contingently Liable	वर्ष की शुरुआत में प्रावधान / Provision as at the beginning of the Year	वर्ष के दौरान वृद्धि / Addition during the year	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि/ Amount used during the year	अप्रयुक्त राशि जो वर्ष के दौरान वापस की गई/ Unused amount reversed during the year	वर्ष के अंत में प्रावधान / Provision as at the close of the year	मविष्य की घटनाओं के संबंध में प्रमुख घारणा / Major assumption regarding future events	टिप्पणियां / Remarks
बैंक के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया*/ Claims against the Bank not acknowledged as debt*	2.14 (1.83)	1.33	0.41	शून्य/ NIL शून्य/ NIL	शून्य/ NIL शून्य/ NIL	1.74 (1.33)	शून्य / NIL शून्य / NIL	शून्य / NIL शून्य / NIL
घटकों की ओर से जारी गारंटियां / Guarantees issued on behalf of constituents	45.50 (55.64)	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA



वस्तु / Item		एएस — 29 . के अनुसार प्रावधान/Provision As per AS – 29							
	राशि जिसके लिए बैंक आकरिमक रूप से उत्तरदायी है / Amt. for which the Bank is contingently Liable	वर्ष की शुरुआत में प्रावधान / Provision as at the beginning of the Year	वर्ष के दौरान वृद्धि / Addition during the year	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि / Amount used during the year	अप्रयुक्त राशि जो वर्ष के दौरान वापस की गई/ Unused amount reversed during the year	वर्ष के अंत में प्रावधान / Provision as at the close of the year	मविष्य की घटनाओं के संबंध में प्रमुख घारणा / Major assumption regarding future events	टिप्पणियां / Remarks	
स्वीकृति अनुमोदन और अन्य दायित्व / Acceptance Endorsements and other obligations	0.00	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	
अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकरिमक रूप से उत्तरदायी है / Other items, for which the Bank is contingently liable	53.75 (50.23)	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	

नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े (अर्थात मार्च 2024 के आंकड़े) दर्शाते हैं।

Note: Figures in bracket represents the amount outstanding as at 31st March 2024

एस) प्रति शेयर आय–

	विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
ए)	प्रति शेयर आय	4.31	4.01
	मूल (वार्षिक)	4.31	4.01
	डाइल्यूटेड	4.31	4.01
बी)	अंश के रूप में प्रयुक्त राशि (कर पश्चात लाभ) (₹ करोड़ में)	50.61	47.09
सी)	शेयरों की नॉमिनल मूल्य/	₹ 10.00/- प्रति शेयर	₹ 10.00/- प्रति शेयर
डी)	डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या/	117446250 संख्या	117446250 संख्या

एस) अतिरिक्त प्रकटीकरणः

 पुनः समूहीकरण और पुनः वर्गीकरणः पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक होने पर पुनः समूहित किया गया है।

इंटर ब्रांच समायोजन / क्लियरिंग समायोजन आदि में सिम्मिलित विभिन्न खाता शीर्षों में कुछ डेबिट / क्रेडिट प्रविष्टियाँ लंबित हैं, जो मिलान के अधीन हैं।

s) Earnings per share-

Particulars		Particulars As on 31st March, 2025	
a)	Earnings per share	4.31	4.01
	Basic (annualized)	4.31	4.01
	Diluted	4.31	4.01
b)	Amount used as numerator (Profit after tax) Amount in ₹ crore)	50.61	47.09
c)	Nominal value of shares	₹10/- per share	₹10/- per share
d)	Weighted average number of equity shares used as the denominator	117446250 No's	117446250 No's

s) Additional Disclosures:

Re-grouping & Re-classification: Previous year's figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification.

Some debit / credit entries outstanding in various heads of accounts included in Inter Branch Adjustments/ Clearing adjustments etc. are subject to reconciliation.

^{*}ऐसी देयतायां क्रमशः अदालत / मध्यस्थता / अदालत के बाहर निपटान, अपीलों के निपटान, मांग की जा रही राशि, संविदात्मक दायित्वों की शर्तों, विकास और संबंधित पक्षों द्वारा मांग बढाने पर निर्भर हैं।

^{*}Such liabilities are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively.



सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतानः सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के विलंबित भूगतान का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और इसलिए भूगतान के लिए प्रकटीकरण एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज लागू नहीं है ।

Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006: There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro & Small Enterprises and hence disclosure for payment of interest on delayed payments to MSME is not applicable.













दिल्ल	fi∕delhi	(15)
1.	पंचकुंइया रोड / Panchkuian Road	(M)
2.	लाजपत नगर / Lajpat Nagar	(M)
3.	शालीमार बाग / Shalimar Bagh	(M)
4.	तिलक नगर / Tilak Nagar	
5.	पटपड़गंज / Patparganj	(M)
6.	पीतमपुरा / Pitampura	
7.	आई.पी. एक्सटैन्सन / I.P.Extension	(M)
8.	पप्पनकलां / Pappankala	(M)
9.	विकास मार्ग / Vikas Marg	(M)
10.	न्यू कोंडली / New Kondli	(M)
11.	रोहिणी सेक्टर 16 / Rohini Sector 16	(M)
12.	रोहतक रोड / Rohtak Road	(M)
13.	सुरहेड़ा (नजफगढ़) / Surhera (Najafgarh)	(R)
14.	द्वारका / Dwarka	(M)
15.	दिलशाद गार्डन / Dilshad Garden	(M)
उत्तराख	बंड / Uttarakhand	(100)
जिला -	– अल्मोड़ा / DISTTALMORA	(4)
16.	अल्मोड़ा (मुख्य) / Almora (Main)	(SU)
17.	रानीखेत / Ranikhet	(SU)
18.	लोअर माल रोड, अल्मोड़ा / Lower Mall Road, Almora	(SU)
19.	द्वाराहाट / Dwarahat	(R)
जिला	– बागेश्वर / DISTTBAGESHWAR	(3)
20.	बागेश्वर / Bageshwar	(R)
21.	बनलेख / Banlekh	(R)
22.	कपकोट / Kapkot	(R)
जिला	– चम्पावत / DISTT. – CHAMPAWAT	(7)
23.	लोहाघाट / Lohaghat	(R)
24.	चम्पावत / Champawat	(R)
25.	देवीधुरा / Devidhura	(R)
26.	चौमेल / Chaumel	(R)
27.	भिंगराड़ा / Bhingrara	(R)
28.	टनकपुर / Tanakpur	(SU)
29.	बनबसा—चम्पावत / Banbasa-Champawat	(R)
जिला	– नैनीताल / DISTTNAINITAL	(25)
30.	नैनीताल (मुख्य) / Nainital (Main)	(SU)
31.	रेलवे बाजार, हल्द्वानी / Railway Bazar, Haldwani	(U)
32.	रामनगर / Ramnagar	(SU)
33.	भीमताल / Bhimtal	(R)
34.	रामगढ़ / Ramgarh	(R)
35.	लाल कुंआ / Lalkuan	(R)

36.	बैल पड़ाव/Bailparao	(R)
37.	पहाड्पानी / Paharpani	(R)
38.	रानीबाग / Ranibagh	(R)
39.	तल्लीताल, नैनीताल / Tallital, Nainital	(SU)
40.	कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी /Kaladhungi Road, Haldwani	
41.	एमबीपीजी कालेज, हल्द्वानी / MBGPG College, Haldwani	
42.	रामपुर रोड, हल्द्वानी / Rampur Road, Haldwani	(U)
43.	भवाली / Bhowali	(R)
44.	अर्जुनपुर (गोरापड़ाव), हल्द्वानी / Arjunpur (Goraparao), Haldwani	(R)
45.	लोहरियासाल मल्ला (कठघरिया), हल्द्वानी Lohariasal Malla (Kathgharia), Haldwani	(R)
46.	कमलुवागांजा हल्द्वानी / Kamaluaganja, Haldwani	(R)
47.	जगतपुर (गौलापार) / Jagatpur (Gaulapar)	(R)
48.	दमुवा ढूंगा (बन्दोबस्ती) / Damua Dhunga (Bandobasti)	(R)
49.	पीरुमादारा (रामनगर) / Peerumadara (Ramnagar)	(R)
50.	उदयलालपुर (हल्द्वानी) / Udaylalpur (Haldwani)	(R)
51.	जेल राड (हल्द्वानी)/Jail Road (Haldwani)	(U)
52.	तल्ली बमोरी (हल्द्वानी) / Talli Bamori (Haldwani)	(R)
53.	छरयाल, गैस गोदाम रोड / Chharayal, Gas Godam Road	(R)
54.	लामाचौड़, हल्द्धानी / Lamachaur, Haldwani	(R)
जिला -	– पिथौरागढ़ / DISTTPITHORAGARH	(2)
जिला - 55.	– पिथौरागढ़ / DISTTPITHORAGARH पिथौरागढ़ / Pithoragarh	(2) (SU)
55. 56.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh	(SU)
55. 56.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh धारचूला / Dharchula	(SU) (R)
55. 56. जिला -	पिथौरागढ़ / Pithoragarh धारचूला / Dharchula – ऊधम सिंह नगर / DISTT U.S. NAGAR	(SU) (R) (28)
55. 56. जिला - 57.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh धारचूला / Dharchula — कंघम सिंह नगर / DISTT U.S. NAGAR काशीपुर / Kashipur	(SU) (R) (28) (U)
55. 56. जिला - 57. 58.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh धारचूला / Dharchula - ऊधम सिंह नगर/DISTT U.S. NAGAR काशीपुर / Kashipur किच्छा / Kichha	(SU) (R) (28) (U) (SU)
55. 56. जिला - 57. 58. 59.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh धारचूला / Dharchula — ऊधम सिंह नगर / DISTT U.S. NAGAR काशीपुर / Kashipur किच्छा / Kichha बाजपुर / Bazpur	(SU) (R) (28) (U) (SU) (SU)
55. 56. जिला - 57. 58. 59. 60.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh धारचूला / Dharchula — ऊधम सिंह नगर / DISTT U.S. NAGAR काशीपुर / Kashipur किच्छा / Kichha बाजपुर / Bazpur किलाखेड़ा / Kilakhera	(SU) (R) (28) (U) (SU) (SU) (SU)
55. 56. जिला - 57. 58. 59. 60.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh धारचूला / Dharchula — ऊधम सिंह नगर / DISTT U.S. NAGAR काशीपुर / Kashipur किच्छा / Kichha बाजपुर / Bazpur किलाखेड़ा / Kilakhera नगला / Nagla	(SU) (R) (28) (U) (SU) (SU) (SU) (SU)
55. 56. जिला - 57. 58. 59. 60. 61.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh धारचूला / Dharchula — ऊधम सिंह नगर / DISTT U.S. NAGAR काशीपुर / Kashipur किच्छा / Kichha बाजपुर / Bazpur किलाखेड़ा / Kilakhera नगला / Nagla बरा / Bara	(SU) (R) (28) (U) (SU) (SU) (SU) (SU) (R)
55. 56. जिला - 57. 58. 59. 60. 61. 62.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh धारचूला / Dharchula — ऊधम सिंह नगर / DISTT U.S. NAGAR काशीपुर / Kashipur किच्छा / Kichha बाजपुर / Bazpur किलाखेड़ा / Kilakhera नगला / Nagla बरा / Bara श्रीपुर बिछवा / Sripur Bichhwa	(SU) (R) (28) (U) (SU) (SU) (SU) (SU) (R) (R)
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh धारचूला / Dharchula — कधम सिंह नगर / DISTT U.S. NAGAR काशीपुर / Kashipur किच्छा / Kichha बाजपुर / Bazpur किलाखेड़ा / Kilakhera नगला / Nagla बरा / Bara श्रीपुर बिछवा / Sripur Bichhwa रूद्रपुर / Rudrapur	(SU) (R) (28) (U) (SU) (SU) (SU) (SU) (R) (R) (U)
55. 56. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh धारचूला / Dharchula — ऊधम सिंह नगर / DISTT U.S. NAGAR काशीपुर / Kashipur किच्छा / Kichha बाजपुर / Bazpur किलाखेड़ा / Kilakhera नगला / Nagla बरा / Bara श्रीपुर बिछवा / Sripur Bichhwa रुद्रपुर / Rudrapur जसपुर / Jaspur	(SU) (R) (28) (U) (SU) (SU) (SU) (SU) (R) (R) (U) (SU)
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh धारचूला / Dharchula — कद्यम सिंह नगर / DISTT U.S. NAGAR काशीपुर / Kashipur किच्छा / Kichha बाजपुर / Bazpur किलाखेड़ा / Kilakhera नगला / Nagla बरा / Bara श्रीपुर बिछवा / Sripur Bichhwa रूद्रपुर / Rudrapur जसपुर / Jaspur गदरपुर / Gadarpur	(SU) (R) (28) (U) (SU) (SU) (SU) (R) (R) (U) (R) (R)
55. 56. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh धारचूला / Dharchula — ऊधम सिंह नगर / DISTT U.S. NAGAR काशीपुर / Kashipur किच्छा / Kichha बाजपुर / Bazpur किलाखेड़ा / Kilakhera नगला / Nagla बरा / Bara श्रीपुर बिछवा / Sripur Bichhwa रूद्रपुर / Rudrapur जसपुर / Jaspur गदरपुर / Gadarpur मूड़ महोलिया (खटीमा) / Bhoor Mohalia (Khatima)	(SU) (R) (28) (U) (SU) (SU) (SU) (R) (R) (U) (SU) (SU) (SU) (SU) (SU) (SU) (SU)
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh धारचूला / Dharchula — कद्यम सिंह नगर / DISTT U.S. NAGAR काशीपुर / Kashipur किच्छा / Kichha बाजपुर / Bazpur किलाखेड़ा / Kilakhera नगला / Nagla बरा / Bara श्रीपुर बिछवा / Sripur Bichhwa रूद्रपुर / Rudrapur जसपुर / Jaspur गदरपुर / Gadarpur भूड़ महोलिया (खटीमा) / Bhoor Mohalia (Khatima) सिडकुल, पंतनगर / SIDCUL, Pantnagar	(SU) (R) (28) (U) (SU) (SU) (SU) (R) (R) (U) (SU) (SU) (SU) (R) (U) (SU) (SU) (SU) (SU) (SU) (SU) (SU)
55. 56. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh धारचूला / Dharchula - ऊधम सिंह नगर / DISTT U.S. NAGAR काशीपुर / Kashipur किच्छा / Kichha बाजपुर / Bazpur किलाखेड़ा / Kilakhera नगला / Nagla बरा / Bara श्रीपुर बिछवा / Sripur Bichhwa रुद्रपुर / Rudrapur जसपुर / Jaspur गदरपुर / Gadarpur मूड़ महोलिया (खटीमा) / Bhoor Mohalia (Khatima) सिडकुल, पंतनगर / SIDCUL, Pantnagar	(SU) (R) (28) (U) (SU) (SU) (SU) (R) (R) (U) (SU) (SU) (SU) (SU) (SU) (SU) (SU)
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh धारचूला / Dharchula — कद्यम सिंह नगर / DISTT U.S. NAGAR काशीपुर / Kashipur किच्छा / Kichha बाजपुर / Bazpur किलाखेड़ा / Kilakhera नगला / Nagla बरा / Bara श्रीपुर बिछवा / Sripur Bichhwa रूद्रपुर / Rudrapur जसपुर / Jaspur गदरपुर / Gadarpur मूड़ महोलिया (खटीमा) / Bhoor Mohalia (Khatima) सिडकुल, पंतनगर / SIDCUL, Pantnagar सितारगंज / Sitargang महेशपुरा (दोराहा), बाजपुर / Maheshpura (Doraha), Bazpur	(SU) (R) (28) (U) (SU) (SU) (SU) (R) (R) (SU) (SU) (SU) (R) (R) (SU) (R) (R) (SU) (R) (R) (R)

Our Branch Network



74.	विक्रमपुर, बाजपुर / Vikrampur, Bazpur	(R)
75.	शिमलापिस्तौर, रूद्रपुर / Shimla Pistore, Rudrapur	(R)
76.	दिनेशपुर, रूद्रपुर / Dineshpur Rudrapur	(SU)
77.	नानकमत्ता / Nanakmatta	(R)
78.	दानपुर, रुद्रपुर / Danpur, Rudrapur	(R)
79.	भरतपुर, कुंडा / Bharatpur, Kunda	(R)
80.	प्रतापपुर, काशीपुर / Pratappur, Kashipur	(R)
81.	बेरिया दौलत / Beria Daulat	(R)
82.	राजपुर, जयपुर / Rajpur, Jaspur	(R)
83.	सकानिया, गदरपुर / Sakeniya, Gadarpur	(R)
84.	गंगापुर रोड, रुद्रपुर / Gangapur Road, Rudrapur	(R)
जिला -	– चमोली / Distt Chamoli	(2)
85.	जोशीमठ / Joshimath	(SU)
86.	कर्णप्रयाग / Karn Prayag	(R)
जिला -	–	(17)
87.	देहरादून / Dehradun	(U)
88.	विकास नगर / Vikas Nagar	(SU)
89.	डोईवाला / Doiwala	(R)
90.	ऋषिकेश / Rishikesh	(SU)
91.	हरिद्वार रोड, देहरादून / Haridwar Road, Dehradun	(U)
92.	सहारनपुर रोड, देहरादून / Saharanpur Road, Dehradun	(U)
93.	मंसूरी / Mussoorie	(SU)
94.	वसन्त विहार, देहरादून / Vasant Vihar, Dehradun	(U)
95.	चकराता रोड, देहरादून / Chakrata Road, Dehradun	(U)
96.	कैनाल रोड, देहरादून/Canal Road, Dehradun	(U)
97.	सहस्त्रधारा रोड, देहरादून / Sahastradhara Road, Dehradun	(U)
98.	भनियावाला, देहरादून / Bhaniyawala, Dehradun	(R)
99.	भाऊवाला, देहरादून / Bhauwala, Dehradaun	(R)
100.	चिद्दरवाला, देहरादून / Chidderwala, Dehradun	(R)
101.	नाथुआवाला, देहरादून / Nathuawala, Dehradun	(R)
102.	झजरा, सुधोवाला, देहरादून / Jhajra, Sudhhowala Dehradun	(U)
103.	राजेश्वरीवाला जोगीवाला, देहरादूर Rajeshwaripuram, Jogiwala Dehradun	(U)
जिला–	हरिद्वार / DISTT HARIDWAR	(5)
104.	हरिद्वार / Haridwar	(U)
105.	रूड़की / Roorkee	(U)
106.	ज्वालापुर, हरिद्वार / Jawalpur, Haridwar	(U)
107.	श्यामपुर कांगड़ी, हरिद्वार / Shyampur Kangri, Haridwar	(R)
108.	भगवानपुर, रुडकी / Bhagwanpur, Roorkee	(U)
जिला–	पौड़ी (गढ़वाल) / DISTT PAURI (GARHWAL)	(3)
109.	कोटद्वार / Kotdwar	(SU)
110.	श्रीनगर / Srinagar	(SU)

111.	पौढ़ी / Pauri	(SU)
जिला	– रुद्रप्रयाग / DISTT RUDRAPRAYAG	(1)
112.	रूद्रप्रयाग / Rudra Prayag	(R)
जिला	– टेहरी / DISTT TEHARI	(2)
113.	नई टेहरी / New Tehari	(SU)
114.	तपोवन (ऋषिकेश) / Tapovan-Rishikesh	(R)
जिला	–उत्तरकाशी / DISTT UTTARKASHI	(1)
115.	पुरोला, उत्तराकाशी / Purola, Uttarkashi	(R)
उत्तरप्र	देश / Uttar Pradesh	(49)
जिला	आगरा / DISTT.AGRA	(2)
116.	आगरा / Agra	(M)
117.	देयोरी रोड, आगरा / Deori Road, Agra	(M)
जिला	— बरेली / DISTTBAREILLY	(6)
118.	बहेड़ी / Baheri	(SU)
119.	सिविल लाईन्स, बरेली / Civil Lines, Bareilly	(U)
120.	प्रभात नगर, बरेली / Prabhat Nagar, Bareilly	(U)
121.	फरीदपुर, बरेली / Faridpur, Bareilly	(SU)
122.	पवन विहार, बरेली / Pawan Vihar, Bareilly	(SU)
123.	दोहरा रोड, बरेली / Dohra Road, Bareilly	(U)
जिला	— बिजनौर / DISTT BIJNOR	(6)
124.	नजीबाबाद / Najibabad	(SU)
125.	बिजनौर / Bijnor	(SU)
126.	धामपुर / Dhampur	(SU)
127.	नगीना / Nagina	(SU)
128.	अफजलगढ़ / Afzalgarh	(SU)
129.	रानीपुर, नजीबाबाद / Ranipur, Najibabad	
जिला	— बुलन्दशहर / DISTTBULANDSHAHR	(1)
130.	बुलन्दशहर / Bulandshahar	(U)
जिला-	-गाज़ियाबाद / DISTT GHAZIABAD	(5)
131.	गाज़ियाबाद / Ghaziabad	(M)
132.	वैशाली, गाजियाबाद / Vaishali, Ghaziabad	(M)
133.	संजयनगर, गाजियाबाद / Sanjay Nagar, Ghaziabad	(M)
134.	गोविंदपुरम, गाजियाबाद / Govindpuram, Ghaziabad	(U)
135.	लोनी, गाजियाबाद / Loni, Ghaziabad	(U)
जिला	गौ. बु. नगर ∕ DISTT-G.B. NAGAR	(3)
136.	नोएडा सैक्टर −50 / NOIDA Sect 50	(U)
137.	नोएडा सैक्टर — 18 / NOIDA Sect18	(U)
138.	ग्रेटर नोएडा / Greater NOIDA	(U)
139.	सर्विस ब्रान्च, /Service Branch	
जिला	— हरदोई / DISTT. – HARDOI	(1)
140.	हरदोई, उत्तर प्रदेश / Hardoi, Uttar Pradesh	(U)



जिला	— कानपुर / DISTT. – KANPUR	(2)
141.	कानपुर / Kanpur	(M)
142.	बर्रा—कानपुर / Barra-Kanpur	(M)
जिला-	- लखनऊ / DISTTLUCKNOW	(8)
143.	टी.एन. रोड, लखनऊ / T. N. Road, Lucknow	(M)
144.	महानगर, लखनऊ / Mahangar, Lucknow	(M)
145.	आशियाना, लखनऊ / Ashiana, Lucknow	(M)
146.	नादान महल मार्ग, लखनऊ / Nadan Mahal Road, Lucknow	(M)
147.	गोमती नगर, लखनऊ / Gomti Nagar, Lucknow	(M)
148.	आईआईएम रोड, लखनऊ / IIM Road, Lucknow	(M)
149.	डालीगंज, लखनऊ / Daligunj, Lucknow	(M)
150.	विकास नगर, लखनऊ / Vikas Nagar, Lucknow	(M)
जिला	— मेरठ / DISTT MEERUT	(2)
151.	मेरठ / Meerut	(M)
152.	कंकर खेडा—मेरठ / Kankar-Khera-Meerut	(M)
A	TOTAL AND ADADADA	(0)
जिला	— मुरादाबाद / DISTT MORADABAD	(2)
153.	– मुरादाबाद / Moradabad	(2)
153.	मुरादाबाद / Moradabad	(U)
153. 154. 155.	मुरादाबाद / Moradabad कांठ रोड–मुरादाबाद / Kanth Road-Moradabad	(U)
153. 154. 155.	मुरादाबाद / Moradabad कांठ रोड-मुरादाबाद / Kanth Road-Moradabad ठाकुरद्वारा-मुरादाबाद / Thakurdwara, Moradabad	(U) (U) (SU)
153. 154. 155. जिला 156.	मुरादाबाद / Moradabad कांठ रोड—मुरादाबाद / Kanth Road-Moradabad ठाकुरद्वारा—मुरादाबाद / Thakurdwara, Moradabad — मुजफ्फरनगर / DISTT MUZAFFARNAGAR	(U) (U) (SU) (1)
153. 154. 155. जिला 156.	मुरादाबाद / Moradabad कांठ रोड-मुरादाबाद / Kanth Road-Moradabad ठाकुरद्वारा-मुरादाबाद / Thakurdwara, Moradabad - मुजफ्फरनगर / DISTT MUZAFFARNAGAR मुजफ्फरनगर / Muzaffarnagar	(U) (U) (SU) (1) (U)
153. 154. 155. जिला 156. जिला 157.	मुरादाबाद / Moradabad कांठ रोड—मुरादाबाद / Kanth Road-Moradabad ठाकुरद्वारा—मुरादाबाद / Thakurdwara, Moradabad — मुजफ्फरनगर / DISTT MUZAFFARNAGAR मुजफ्फरनगर / Muzaffarnagar — पीलीमीत / DISTT PILIBHIT	(U) (U) (SU) (1) (U) (1)
153. 154. 155. जिला 156. जिला 157.	मुरादाबाद / Moradabad कांठ रोड-मुरादाबाद / Kanth Road-Moradabad ठाकुरद्वारा-मुरादाबाद / Thakurdwara, Moradabad - मुजफ्फरनगर / DISTT MUZAFFARNAGAR मुजफ्फरनगर / Muzaffarnagar - पीलीमीत / DISTT PILIBHIT पीलीमीत / Pilibhit	(U) (SU) (SU) (1) (U) (U)
153. 154. 155. जिला 156. जिला 157.	मुरादाबाद / Moradabad कांठ रोड-मुरादाबाद / Kanth Road-Moradabad ठाकुरद्वारा-मुरादाबाद / Thakurdwara, Moradabad - मुजफ्फरनगर / DISTT MUZAFFARNAGAR मुजफ्फरनगर / Muzaffarnagar - पीलीभीत / DISTT PILIBHIT पीलीभीत / Pilibhit - रामपुर / DISTT RAMPUR	(U) (SU) (SU) (1) (U) (1) (U) (2)
153. 154. 155. जिला 156. जिला 157. जिला 158.	मुरादाबाद / Moradabad कांठ रोड-मुरादाबाद / Kanth Road-Moradabad ठाकुरद्वारा-मुरादाबाद / Thakurdwara, Moradabad - मुजफ्फरनगर / DISTT MUZAFFARNAGAR मुजफ्फरनगर / Muzaffarnagar - पीलीभीत / DISTT PILIBHIT पीलीभीत / Pilibhit - रामपुर / DISTT RAMPUR रामपुर / Rampur	(U) (SU) (SU) (1) (U) (1) (U) (U) (U) (U)
153. 154. 155. जिला 156. जिला 157. जिला 158. 159.	मुरादाबाद / Moradabad कांठ रोड-मुरादाबाद / Kanth Road-Moradabad ठाकुरद्वारा-मुरादाबाद / Thakurdwara, Moradabad - मुजफ्फरनगर / DISTT MUZAFFARNAGAR मुजफ्फरनगर / Muzaffarnagar - पीलीमीत / DISTT PILIBHIT पीलीमीत / Pilibhit - रामपुर / DISTT RAMPUR रामपुर / Rampur बिलासपुर / Bilaspur	(U) (SU) (SU) (1) (U) (U) (U) (U) (U) (SU)
153. 154. 155. जिला 156. जिला 157. जिला 158. 159. जिला-	मुरादाबाद / Moradabad कांठ रोड-मुरादाबाद / Kanth Road-Moradabad ठाकुरद्वारा-मुरादाबाद / Thakurdwara, Moradabad — मुजफ्फरनगर / DISTT MUZAFFARNAGAR मुजफ्फरनगर / Muzaffarnagar — पीलीभीत / DISTT PILIBHIT पीलीभीत / Pilibhit — रामपुर / DISTT RAMPUR रामपुर / Rampur बिलासपुर / Bilaspur - सहारनपुर / DISTT SAHARANPUR	(U) (U) (SU) (1) (U) (1) (U) (U) (SU) (SU) (SU) (SU)

162.	सतवानबुजुर्ग शाहजहाँपुर / Satwan Bujurg, Shahjahanpur	(R)
जिला	– सीतापुर/DISTT SITAPUR	(1)
163.	सीतापुर / Sitapur	(U)
जिला	– मथुरा / DISTT Mathura	(1)
164.	मथुरा, उत्तर प्रदेश / Mathura, Uttar Pradesh	(U)
हरियाणा / Haryana		
जिला-	–अम्बाला / DISTTAMBALA	(1)
165.	अम्बाला / Ambala	(U)
जिला-	-फरीदाबाद / DISTTFARIDABAD	(2)
166.	फरीदाबाद / Faridabad	(M)
167.	बल्लभगढ़—फरीदाबाद / Ballabgarh-Faridabad	(M)
जिला-	−गुरूग्राम / DISTTGURUGRAM	(2)
168.	गुरूग्राम / Gurugram	(U)
169.	सोहना रोड–गुरूग्राम/Sohna Road-Gurugram	(U)
जिला-	–करनाल / DISTTKARNAL	(1)
170.	करनाल / Karnal	(U)
जिला-	–पानीपत / DISTTPANIPAT	(1)
171.	पानीपत / Panipat	(U)
जिला-	–पानीपत / DISTTPALWAL	(1)
172.	पलवल / Palwal	(U)
जिला-	-पानीपत / DISTTROHTAK	(1)
173.	सेक्टर 14, रोहतक / Sector 14, Rohtak	(U)
राजस्थ	- ग्रान / Rajasthan	(3)
जिला-	-जयपुर / DISTTJAIPUR	(3)
174.	जयपुर / Jaipur	(M)
175.	कोटपुतली, जयपुर / Kotputli, Jaipur	(SU)
176.	राजा पार्क, जयपुर / Raja Park, Jaipur	(M)

Key : M = Metropolitan Centre महानगरीय केन्द्र, U = Urban Centre शहरी केन्द्र, SU = Semi Urban Centre अर्द्धशहरी केन्द्र, R = Rural Centre ग्रामीण केन्द्र

शाखाओं की संख्या विभिन्न केन्द्रों पर / No.of Branches at various Centers :							
1. महानगरीय / Metro 2. शहरी / Urban 3. अर्द्धशहरी / Semi Urban 4. ग्रामीण / Rural							
36		48	34		58		
क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Offices							
1. दिल्ली / Delhi 2. हल्द्वानी / Haldwani 3. देहरादून / Dehradun							
विभिन्न नैनीलोन प्वाइंट / Loan Point							
1. दिल्ली / Delhi 2. हल्द्वानी / Haldwani 3. देहरादून / Dehradun							

STATUTORY AUDITORS : A.R. & Co., Chartered Accountants
COMPANY SECRETARY : Mr. Vivek Sah

In case of dispute, english version of this Annual Report shall be treated as final.





Team Naini- On the Occasion Annual Business Conference 3.∞ held in Ramnagar (UA)



Team Naini- Achievers of Haldwani Region on the Occasion Annual Business Conference 3.∞ held at Ramnagar (UA)





Team Naini- Achievers of Delhi Region on the Occasion Annual Business Conference 3.∞ held at Ramnagar (UA)



Team Naini- Achievers of Dehradun Region on the Occasion Annual Business Conference 3.∞ held at Ramnagar (UA)





Bank's contribution under Corporate Social Responsibility – Sponsoring Football Tournament at Nainital



Opening of Bank's 176th branch at Deori Road, AGRA









नैनीताल बैंक NAINITAL BANK

Registered Office : G.B. Pant Road, Nainital - 263001 (Uttarakhand)

Head Office: Naini Bank House, 7 Oaks, Mallital,

Nainital-263001 (Uttarakhand)

Phone: 05942 - 233 739

email: cs@nainitalbank.co.in
Website: www.nainitalbank.co.in

CIN NO.:U 65923UR 1922 PLC 000234

www.nainitalbank.co.in